फतेहपुर सीकरी एक हिन्दु नगर

पु॰ ना॰ ओक

यह अविश्वसनीय है कि वे लोग हिन्दुस्तान में अलंकृत और पुरातन हिन्दू शैली में राजमहल बनवाते जबकि यहाँ उत्कृष्ट हिन्दू भवन पहले ही :हस्रों की संख्या में उनके आधिपत्य में आ गए थे। विद्यमान थे

स्पष्टतः वे तो पश्चिम में स्पेन से पूर्व में मलाया और इण्डोनेशिया तक के देशों की विजय और अरबों के आक्रमणों का परिणाम ही था कि उन बर्बर आक्रान्ताओं को अन्य लोगों के भवनों, नगरों और क्षेत्रों पर अपना अधिकार घोषित करने का अवसर मिल गया। हम सम-सामयिक अनुभव से जानते हैं कि आक्रमण-अतिक्रमण का सर्वप्रथम आघात इतिहास पर ही होता है। आज भी जबकि भारतीय सीमाओं का चीन और पाकिस्तान द्वारा उल्लंघन किया जाता है, आक्रमणकारी लोग सीमा-स्तम्भों को ध्वस्त कर देते हैं। झूठे नक्शे बनाते हैं और भारतीय क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, यदि कोई आक्रान्ता अतिक्रमण प्रारम्भ करने के समय से ही इतिहास को झुठलाना आरम्भ कर दे, तो हम पूरी तरह कल्पना कर सकते हैं कि भारत में अन्य-देशीय लोगों के अनवरत १२०० वर्षों के शासन काल में तो भारतीय इतिहास कितनी बुरी तरह से भ्रष्ट किया गया, तोड़ा-मरोड़ा गया, उलट-पुलट किया या विलुप्त ही कर दिया गया होगा।

हमारी नयी ऐतिहासिक खोज यह है कि भारत में सभी मध्यकालीन नगर, नहरें, भवन और दुर्ग मुस्लिम-पूर्व हिन्दू-संरचनाएँ हैं चाहे उन पर उत्कीर्ण लेखों द्वारा अथवा अनुचित लाभ उठाने की दृष्टि से उनको मुस्लिम संरचनाएँ घोषित किया हो या उनमें से कुछ मकबरों अथवा मस्जिदों के रूप में दिखाई पड़ते हों! यह खोज विश्व-प्रभावी है। उदाहरणार्थ इसमें स्पेन की आत्मश्लाघापूर्ण मध्यकालीन मस्जिदों को स्वयं के देवालय अथवा गिरजाघर कहकर दावा करना चाहिए, जिनको आज झूठे ही अरब-विजेताओं की संरचनाएँ कहा जाता है।

जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, अन्यदेशीय लोगों के १२०० वर्षीय शासनकाल में चर्मपत्रों, खजूर-पत्रों, वस्त्रों, धातुओं अथवा प्रस्तरों पर लिखा हुआ भारतीय इतिहास लगभग पूर्णतः और रीतिबद्ध रूप में अन्य-देशीय आक्रान्ताओं व शासकों द्वारा दबा दिया गया अथवा नष्ट कर दिया गया है।

ऐसी असंख्य समाधान-रहित अयुक्तियुक्त असंगतियाँ मेरे मन को सदैव पीड़ित करती रही हैं। मेरी इच्छा कोई ऐसा समाधान खोजने की थी जो उन सभी में संगति प्रस्तुत कर सके। ताजमहल के विषय में खोज करते समय तथा उस काल के इतिहास का अध्ययन करते समय मुझे बहुत कुछ जानकारी मिली।

इसमें मुझे सूत्र प्राप्त हुआ। मैंने विचार किया कि पूर्वकालिक हिन्दू-भवन होने पर भी ताजमहल यदि विश्व-भर में मुस्लिम मकबरे के रूप में सुप्रसिद्ध होकर विश्व को भ्रमित कर सकता है, तब यह भी सम्भव है कि फतेहपुर सीकरी राजमहल-संकुल अकबर-पूर्व की हिन्दू-मूलक कृति हो।

इस कल्पना ने मुझे फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में ऐतिहासिक साक्ष्य सत्यापित करने के मार्ग पर चलने को प्रेरित कर दिया। इस विषय पर सन्दर्भ-ग्रन्थों की एक सूची इस पुस्तक के अन्त में दी गयी है। मुझे अत्यन्त प्रसन्नतापूर्ण एवं सुखद आश्चर्य तब हुआ जब मुझे स्पष्ट हो गया कि मेरी धारणा पूर्णतः सत्य निकली। सभी ऐतिहासिक साक्ष्य सुनिश्चित एवं असन्दिग्ध रूप में इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कि चाहे मार्गदर्शक और कुछ इतिहास-प्राचार्य तथा शिक्षक यंत्रवत् कुछ भी दोहराते रहें, फतेहपुर सीकरी राजमहल-संकुल अकबर से शताब्दियों-पूर्व विद्यमान था।

अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत में सभी-मध्यकालीन दुर्ग, राज-महल, भवन और तथाकथित मकबरे और मस्जिदें, साथ ही मध्यपूर्व के निर्माण भी, मुस्लिम-पूर्व संरचनाएँ हैं जो विजित की गयीं और मुस्लिम-उपयोग में लायी गयीं। विश्व-भर में इतिहास का यह असत्यकरण और अशुद्ध प्रस्तुतीकरण किस कारण हुआ?

इससे भी बदतर बात यह है कि उनके स्थान पर सहस्रों प्रचारात्मक तिथिवृत्त और उत्कीर्णांश गढ़ लिये गए हैं और विरोधी या अज्ञानी अन्य-देशीय व्यक्तियों द्वारा प्रस्थापित किए गए हैं। निर्लज्ज और बर्बर अफगानों, अरबों, बलूचियों, ईरानियों, कजकों, उजबकों, अब्बीसीनियों, तुर्कों और मंगोलों द्वारा लिखित उन मनगढ़न्त सहस्रों तिथिवृत्तों का सामान्य प्रतिनिधि नमूना अत्यन्त सतर्क और प्रतिभा-सम्पन्न ब्रिटिश इतिहासलेखक स्वर्गीय सर एच० एम० इलियट द्वारा अष्ट-खण्डीय अध्ययन में उपलब्ध हो जाता

है। उन खण्डों का सम्पादन जॉन डाउसन द्वारा किया गया है और इसीलिए उन खण्डों को 'इलियट और डाउसन' कहकर सन्दर्भित किया जाता है।

सर एच० एम० इलियट ने प्रथम खण्ड की प्रस्तावना में अत्यन्त चतुराई से, विलक्षण रूप से, लघुरूप में तथा योग्यतापूर्वक उन तिथिवृत्तों को 'जान-बूझकर किया गया मनोरंजक धोखा' कहा है।

किन्तु महान अन्तर्दृष्टि होते हुए भी सर एच० एम० इलियट असंगत भूलचूक करने के दोषी हैं। उन्होंने अपने अष्ट-खण्डीय अध्ययन का शीर्षक रखा है : 'भारत का इतिहास—इसके अपने इतिहासकारों द्वारा लिखित'।

यह एक बहुत बड़ी गलती है क्योंकि किसी भी प्रकार विचार करने पर शम्से-शीराज, अफीफ, बदायूँनी, अबुल फजल, इब्न बतूता, बाबर, जहांगीर, तैमूरलंग, फरिश्ता, निजामुद्दीन और गुलबदन बेगम जैसे लेखक व तिथि-वृत्तकार भारतीय नहीं कहे जा सकते। वे अपनी आकृतियों, दृष्टिकोण, वेश-भूषा, सम्बन्धों-सम्पर्कों, पृष्ठभूमि, भाषा, वंशपरम्परा और संस्कृति में ही अन्यदेशीय न थे अपितु वे तो भारत और यहां के निवासियों—हिन्दुओं अर्थात् हिन्दुस्थान और हिन्दुत्व के कट्टर शत्रु थे। वे अन्यदेशीय तिथिवृत्त-कार उस प्रशासकवर्ग के सदस्य थे जो ११०० वर्षों की दीर्घावधि में, नित्य-प्रति, अपनी जनता के लाखों लोगों का नर-संहार करते थे, उनकी धन-सम्पत्ति को लूटते-खसोटते थे, उनकी महिलाओं का शीलभंग करते थे, उनके बच्चों का अपहरण करते थे, उनको बन्दी बनाकर दासों की भाँति बेचते थे, यातनाएँ देते थे, उनके मन्दिरों को ध्वस्त करते थे, उनको माथे पर दासवृत्ति का कलंक धारण करने के लिए बाध्य करते थे और भारत से लूटी हुई समस्त धन-सम्पत्ति को अपने बाहरी देशों में व्यर्थ लुटाते फिरते थे। तब क्या सर एच० एम० इलियट इन लेखकों को भारतीय कहकर पुकारने में न्यायोचित-कार्य कर रहे हैं?

यह तथ्य कि ये तिथिवृत्तकार भारतीय नहीं थे, उनकी अपनी रचनाओं में ही स्पष्ट अंकित है क्योंकि वे यहाँ के मूल निवासियों को 'हिन्दू' या 'भारतीय' कहकर सम्बोधित करते थे। वे तो भारत के स्त्री व पुरुष वर्गों को 'नास्तिक, चोर, लुटेरे, दास, डाकू, नटनियाँ, रखैल, नीच, कुत्ते और दुरात्मा' जैसे रंगीले और 'प्रिय' शब्दों से ही निश्चित रूप में पुकारते रहे

हैं। अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके सभी तिथिवृत्त भारतीय संस्कृति और जनता की गर्हित निन्दा और इस्लाम, इस्लामी देशों व उनकी जनता के सर्वाधिक यशस्वीकरण के अद्भुत मिश्रण बन गए हैं। अतः वास्तव में उन तिथिवृत्तों को 'भारत का इतिहास—उसके अपने शत्रुओं द्वारा लिखित' ही समझा जाना चाहिए और शीर्षक भी यही रखा जाना चाहिए।

इन परिस्थितियों में यह स्वाभाविक ही है कि भारत के शत्रुओं द्वारा इतिहास में तथ्यों को इस प्रकार नष्ट-भ्रष्ट किया जाए, इस प्रकार उल्टा-पुल्टा जाए तथा ऐसे तोड़ा-मरोड़ा जाए कि वे अमान्य ही हो जाएँ। आश्चर्यचकित करने वाला एक उदाहरण यह है कि भारत में यद्यपि प्रत्येक मध्यकालीन मुस्लिम शासनकाल भय और आतंक, लूट-खसोट और नर-संहार, अंग-भंग करने एवं यातनाएँ देने की असंख्य घटनाओं से परिव्याप्त है, तथापि मुस्लिम शासकों में से प्रत्येक को न्यायप्रिय, दयालु, बुद्धिमान, दानी, चतुर और महान प्रस्तुत किया गया है।

अन्य नेत्रोन्मेषकारी विकृति यह है कि यद्यपि प्रत्येक प्राचीन एवं मध्य-कालीन भवन हिन्दू भवन या मन्दिर है जिसे विजयोपरान्त मकबरे या मस्जिद के रूप में उपयोग में लाया गया, तथापि इसका रचना-श्रेय अन्धा-धुन्ध इस या उस मुस्लिम को दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, अनेक ऐसे भवनों को जो अपने तथाकथित निर्माण-कर्ताओं की मृत्यु से अनेक वर्ष पूर्व भी विद्यमान होने प्रसिद्ध हैं, अन्धाधुन्ध मुस्लिम निर्माण ही प्रस्तुत किया जाता है और उस झूठ पर अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक विश्वास किया जाता है कि उन निर्माणकर्ताओं ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही उन भवनों, मकबरों को बनवा लिया था। ऐसे उपहासास्पद कथनों का आधार तो ऐसा सीधा प्रश्न प्रस्तुत कर नष्ट किया जा सकता है कि यदि वे मृतक व्यक्ति अपने मकबरों के सम्बन्ध में इतने तत्पर रहते थे, तो अपनी जीवितावस्था में अपने आवास के लिए क्या वे इतने ही अधिक चिन्तित नहीं थे? फिर उनके वे भवनादि कहाँ हैं? और यदि वे अपने मकबरे बनाने को इतने अधिक उत्सुक थे, तो उन कब्रों का निर्माण होते ही वे उनमें क्यों नहीं कूद पड़े?

इस प्रकार, हमें विश्वास दिलाया जाता है कि स्वयं अपने ही मकबरे-निर्माण के कार्य में एक-दूसरे से आगे बढ़ने के लिए बीजापुर के लगभग

सभी आदिलशाही सुलताल, गियासुद्दीन तुगलक, शेरशाह सूरी, होशंगशाह, अकबर तथा अन्य हिजड़ों, सुलतानों, बेगमों, शाहजादों, शाहजादियों, कुम्हारों, दरबारियों तथा मंत्रियों की पूरी फौज की फौज ही अज्ञात पूर्वजों और अदृष्ट वंशजों के साथ परस्पर विनाशकारी प्रतिस्पर्धा में तथा समय के विरुद्ध अत्यन्त दुर्गम, भयंकर दौड़ में संलग्न थे। हमें बताया जाता है कि वे सब तो सर्वाधिक रक्त-पिपासु पारस्परिक विनाशकारी संघर्षों में राजगद्दी या अन्य किसी पूर्वज की धन-सम्पत्ति का अभिग्रहण करने अथवा कोषागार को लूटने का कार्य अपने भाइयों को अन्धा करके—उनकी आँखें फोड़कर—तथा अपने प्रतिद्वन्द्वियों को विकलांग करके—केवल इसलिए करते थे कि सत्ता में आने पर उनको अपने ही मकबरे स्वयं बनाने की 'सुविधा एवं अबाध अधिकार' प्राप्त है, यह तथ्य प्रकट हो जाए।

यदि कभी कहीं ऐसे व्यक्ति हों या हुए हों जो स्वयं अपने लिए अपनी पत्नियों तथा बच्चों के लिए राजमहल तथा भवन बनवाने के स्थान पर अपने ही मकबरे बनवाने का सर्वप्रथम कार्य करने के लिए सत्ता हथियाने हेतु स्वयं अपने ही सगे-सम्बन्धियों को विकलांग करने और लूटने के घृणित कर्म में लिप्त रहें, तो वे जन्मजात जड़मति ही होंगे। और यदि वे जन्मजात जड़बुद्धि ही थे, तो स्वयं अपने ही मकबरे बनाने में सक्षम भी वे नहीं रहे होंगे। भारतीय इतिहास, जैसा आज भारत में पढ़ाया जा रहा है तथा विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसी ही अनन्त बेहूदगी में परिवर्तित हो चुका है।

'ताजमहल एक हिन्दू मन्दिर है' पुस्तक में मैंने इतिहास में ताजमहल की शाहजहाँ-कथा का धोखा स्पष्ट किया है और सिद्ध किया है कि आज गलती से मकबरे के रूप में प्रस्तुत किया गया यह भवन मकबरा होना तो दूर, ऐसा ही नरेशोचित हिन्दू भवन है।

मैंने प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय इतिहास के एक और ऐसे ही नेत्रोन्मेषकारी धोखे और झूठ का भण्डाफोड़ किया है। इसका सम्बन्ध फतेहपुर सीकरी नामक मध्यकालीन नगर के मूलोद्गम से है। अकबरोत्तर सभी ऐतिहासिक रचनाओं में असन्दिग्ध रूप से कहा गया है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। यह पुस्तक उस कुविचार पर प्रबल सांघातिक

प्रहार करती है और प्रचुर ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर प्रबल प्रमाणों सहित सिद्ध करती है कि फतेहपुर सीकरी एक प्राचीन हिन्दू राजधानी है जो अकबर से शताब्दियों पूर्व विद्यमान थी और इसलिए, इसका सुन्दर लाल-प्रस्तरीय राजमहल-संकुल, जो बहुत अधिक पर्यटक-आकर्षण है, हिन्दू शासकों द्वारा, भारत पर मुस्लिम-आक्रमणों से शताब्दियों पूर्व ही, हिन्दू धन व हिन्दू वास्तुकला और शिल्पकला के अनुसार बनवाया गया था।

आशा की जाती है कि ताजमहल को हिन्दू मन्दिर सिद्ध करने वाली पुस्तक एवं फतेहपुर सीकरी को हिन्दू नगरी सिद्ध करने वाली प्रस्तुत पुस्तक इतिहास के छात्रों तथा ऐतिहासिक भवनों के यात्रियों को प्रबल आघात देकर यह अनुभूति कराएँगी कि सभी मध्यकालीन भारतीय दुर्ग, राजमहल, मन्दिर, भवन, नहरें, पुल, स्तम्भ, तथाकथित मकबरे, मस्जिदें और नगर जिनका निर्माण-श्रेय मुस्लिमों को दिया जाता है, मुस्लिम-पूर्व हिन्दू-संरचनाएँ हैं। उनकी रुचि-सम्पन्न मुस्लिम शिल्पकला या मुस्लिम शिल्प-कला का सम्मिश्रण कपटजाल है, और उनकी संरचनाओं और व्ययादि के मुस्लिम या यूरोपीय लेखे मनगढ़न्त हैं। सभी अरबी या फारसी उत्कीर्णांश या उन भवनों पर प्राप्त अव्यवस्थित नमूने विजित हिन्दू भवनों पर बाहरी मुस्लिम परिवर्तन-लक्षण, उलट-फेर हैं, न कि उनकी मौलिक संरचनाओं के प्रतिबिम्ब-फलक। ताजमहल और फतेहपुर सीकरी राजमहल जैसे मध्य-कालीन भवनों पर चतुराईपूर्वक गाड़ दिए गए फारसी और अरबी उत्कीर्णांश विजित हिन्दू भवनों में की गयी घुसपैठ ही है।

फतेहपुर सीकरी की भव्य नगर-योजना, विशाल दुर्ग-योजना, ऐश्वर्य-शाली राजमहल-संकुल और प्रतिभासम्पन्न जल-व्यवस्था के हिन्दू-मूल को सिद्ध करने वाली यह पुस्तक भारतीय इतिहास और शिल्पकला की पुस्तकों में अतिव्याप्त मुस्लिम-भवनों और शिल्प-कला के इन्द्रजाल को छिन्न-भिन्न करने वाला एक अन्य प्रचण्ड प्रहार है।

—पु० ना० ओक

१

घटना-स्थल

उत्तरी भारत में आगरा के दक्षिण-पश्चिम की ओर तेईस मील की दूरी पर एक मध्यकालीन नगरी है जिसको फतेहपुरी सीकरी नाम से पुकारा जाता है।

इसका मुख्य आकर्षण एक पहाड़ी को सुशोभित, अलंकृत करने वाला विस्मयकारी राजमहल-समूह है।

गुलाबी पत्थरों वाले भव्य राजमहल, जिनमें से कुछ तो बहुमंजिले हैं, हिन्दू परम्परा के लक्षणों, उत्कीर्ण मानव और पशु-आकृतियों तथा ज्योतिर्मय रंगलेपों से आभूषित हैं।

विशद जल-कलों, तालाबों और विभिन्न मार्गों से प्रवाहित होने वाले जल-संयोजकों से परिपूर्ण भव्य और अलंकृत राजमहलों ने फतेहपुर सीकरी को हिन्दू शिल्पकला, यान्त्रिकी-नैपुण्य और नगर-योजना का उत्कृष्ट पुष्प सिद्ध किया है।

इस प्रकार फतेहपुर सीकरी की यात्रा पर्यटक को अत्यन्त आह्लादकारी है। उन भव्य, चहुँ ओर विस्तृत अट्टालिकाओं में मन्थर गति से चलना, प्रसीमा की भव्यता को ललचाई आँखों से देखना और अज्ञात अतीत के कल्पनाशील काव्यमय चिन्तन से मानव को प्रफुल्लित करना ऐतिहासिक ध्यानावस्था में परमानन्ददायक अनुभव है।

किन्तु फिर भी एक ऐसा आधारभूत दोष है जो फतेहपुरी सीकरी के सम्बन्ध में प्रचलित धारणा को सदोष प्रस्तुत करता है। अकबर के शासन काल [सन् १५५६ से १६०५ ई० तक] से आज तक प्रचलित सभी वर्णनों ने यह विश्वास दिलाकर समस्त विश्व को सम्मोहित किया है कि फतेहपुर

सीकरी की कल्पना और उसका निर्माण तृतीय पीढ़ी के मुगल बादशाह
अकबर के द्वारा हुआ था। यह इतिहास का नितांत गोलमाल है। आगामी
पृष्ठों में वह विचलित करने वाला प्रचुर साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं जो
डंके की चोट सिद्ध करता है कि फतेहपुर सीकरी एक प्राचीन हिन्दू राजधानी
है जो विजय के फलस्वरूप अकबर को प्राप्त हुई और वह इसे लगभग २४
वर्षों तक अपनी राजधानी बनाये रहा।

फतेहपुर सीकरी के मूल के सम्बन्ध में भ्रान्त धारणा के परिणामस्वरूप
इतिहास-अध्ययन में अनेक गम्भीर दोष उत्पन्न हो गये है। सर्वप्रथम,
फतेहपुर सीकरी का निर्माण-श्रेय अकबर को देने का अर्थ इसकी वित्तीय
तथा वास्तुकलात्मक पक्षों को जटिलताओं-सहित इसके अनधिकारी व्यक्ति
को दश देना है। दूसरे, यह अकबर-पूर्व कालखण्ड में फतेहपुर सीकरी की
विद्यमानता में अनुसंधान के सभी प्रयत्नों को अवरुद्ध कर देता है। तीसरे,
यह फतेहपुर सीकरी की यात्रा करने वालों एवं इतिहास के छात्रों को
शैक्षिक जड़ता की ऐसी मूर्च्छा में लाने वाली मादकोषधि प्रदान करता है कि
वे समस्त विकर्षक साक्ष्य के प्रति अचेतन रहते हैं। चौथे, फतेहपुर सीकरी
के सम्बन्ध में भ्रामक विचार अयुक्तियुक्त धारणा, महत्त्वपूर्ण साक्ष्य का
दमन और पीढ़ियों से चले आ रहे चुनौतीहीन तोतारटन्त को मस्तिष्क में
ठूंसने वाले असत्यापित विचारों की बिना संकोच किए स्वीकार-वृत्ति प्रेरित
करता रहा है, उनको बढ़ाता रहा है। पाँचवें, फतेहपुर सीकरी सम्बन्धी
भ्रामक विचार हिन्दू स्थापत्यकला, दोगली भारतीय-जिहादी स्थापत्यकला,
भारत में अन्यदेशीय मुस्लिम शासकों की संरचनात्मक क्षमता तथा इतिहास
के कुछ और संयोज्य पक्षों के सम्बन्ध में कुछ विचित्र निष्कर्षों को जन्म
देता है।

ऐसे ही विचारों के कारण भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए फतेह-
पुर सीकरी के पूर्ववृत्तों का सत्यापन मौलिक महत्त्व की बात है।

अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की संरचना का कपटजाल पहले ही
असमर्थित रूप में ४०० वर्षों की लम्बी अवधि तक संपूर्ण क्षेत्र को व्याप्त
किए रहा है। इसे मानव-ज्ञान और बुद्धि को विपथगामी करने की अब
और अधिक अनुमति, छूट नहीं दी जा सकती क्योंकि अब इस दावे को

निरस्त करने के लिए अत्यधिक प्रचुर मात्रा में साक्ष्य, प्रमाण उपलब्ध हैं
कि अकबर ने सीकरी नगरी की स्थापना की अथवा इसके भव्य राजमहलों
को बनवाया।

राजप्रासाद-समूह से सुशोभित फतेहपुर सीकरी पहाड़ी एक उन्नतावनत
मैदान से परिवेष्टित है जो एक विशाल सुरक्षात्मक प्राचीर से घिरा हुआ
है। परिधीय नगर-प्राचीर एवं राजमहल, दोनों में ही ऊँचे-ऊँचे फाटक हैं।

फतेहपुर सीकरी के गुलाबी पत्थर वाले राजमहलों की भव्यता को
शीघ्रता में कुछ ही घण्टों में देख लेने की उत्सुकता में आगन्तुक वहाँ चारों
ओर ध्वस्त अन्य अनेक भवनों के प्रति पूर्णतः असावधान रहता है। वे
ध्वस्त फतेहपुर सीकरी के अभीप्सित राजमहल-संकुल के लिए भयंकर
मुस्लिम आक्रमणों तथा अडिग हिन्दू प्रतिरोध की कथा मुखरित करते हैं।
अतः, किसी उत्सुक तथा आकस्मिक आगन्तुक की अपेक्षा मध्यकालीन
इतिहास के परिश्रमी अध्येता के लिए उचित होगा कि वह फतेहपुर सीकरी
के राजकीय भवनों की प्राचीनता और पुरातनता, नियमित परिवर्तन, कष्ट
और स्वामित्व की अनित्यता का अनुभव करने और पता लगाने के लिए
परिधीय प्राचीर के साथ-साथ, मैदान के आर-पार और पहाड़ी के चारों
ओर ध्वंसावशेषों और मलबे की परीक्षा करते हुए पैदल यात्रा करे। कम-
से-कम कुछ दिनों की ऐसी यात्रा अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होगी। क्योंकि
यात्री को वह तथ्य हृदयंगम हो जाएगा कि यद्यपि फतेहपुर सीकरी एक
ऐसी हिन्दू नगरी है जो अकबर से शताब्दियों पूर्व भी विद्यमान थी, तथापि
मुस्लिम तिथिवृत्त-लेखन चाटुकारिता ने इसका श्रेय अकबर को ही दिया
है। हमने आगामी पृष्ठों में प्रत्येक प्राप्त साधन से पुस्तक, अध्याय और
पद उद्धृत किए हैं जो सिद्ध करते हैं कि अकबर को फतेहपुर सीकरी की
स्थापना का श्रेय देने वाले इतिहासों का कोई आधार नहीं है जबकि यह
सिद्ध करने के लिए विपुल साक्ष्य उपलब्ध हैं कि फतेहपुर सीकरी का अकबर-
पूर्व मूलोद्गम सत्य है।

फतेहपुर सीकरी परिधि में लगभग छः मील है जो तीन दिशाओं में
ऊँची दाँतेदार प्राचीर से परिवेष्टित है। चौथी दिशा में एक बड़ी लम्बी झील
हुआ करती थी जो प्राकृतिक सुरक्षात्मक खाई का कार्य करती थी। वह

झील अब सूख गयी है। तथ्यरूप में फतेहपुर सीकरी नगरी की जल-व्यवस्था करने की प्रमुख साधन इस झील का उफनना और सूख जाना ही वह कारण था जिसने अकबर को उस विजित हिन्दू नगरी को विवश होकर त्याग देने पर बाध्य किया और एक बार फिर अपनी राजधानी आगरा के निकट ले जाने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग न छोड़ा, जिस तथ्य को हम आगामी पृष्ठों में सिद्ध करेंगे।

प्राचीरें शीर्ष पर ११ इंच मोटी और वर्तमान सड़क-धरातल से लगभग ३२ फीट ऊँची कही जाती हैं। एक मार्गदर्शिका[1] के अनुसार प्राचीरों में नौ द्वार हैं अर्थात् दिल्ली द्वार, लाल द्वार, आगरा द्वार, बीरपोल द्वार, चन्द्रपोल द्वार, टेहरी द्वार, ग्वालियर द्वार, चोरद्वार और अजमेरी द्वार।

एक अन्य मार्गदर्शिका[2] के अनुसार उन प्राचीरों में ११ द्वार हैं। अतिरिक्त उल्लेख किए गए दो नाम हैं : फूल द्वार और मथुरा द्वार।

इन द्वारों के नाम भी उन्मेषकारी हैं। 'पोल' शब्द, जो संस्कृत शब्द 'पाल' [संरक्षण] का अपभ्रंश रूप है, परम्परागत रूप में हिन्दू किलों के फाटकों, द्वारों के साथ जुड़ा रहा है। यदि अकबर ने फतेहपुर सीकरी नगरी की स्थापना की अथवा कराई होती, तो उसने द्वारों का नाम 'पोल' कभी न रखा होता।

द्वारों के साथ जुड़े हुए 'चन्द, और 'बीर (अर्थात् वीर या योद्धा) शब्द इस बात के द्योतक हैं कि वे द्वार संरक्षण के लिए क्रमशः चन्द्र और वीर—देशभक्तों की पुण्य स्मृति में समर्पित थे। टेहरी और ग्वालियर द्वार दो हिन्दू रजवाड़ों की ओर इंगित करते हैं जबकि मथुरा एक प्राचीन हिन्दू तीर्थ केन्द्र है। 'चोर द्वार' चुपके-से निकल जाने के लिए एक छोटे द्वार का द्योतक है। 'लाल द्वार' प्रिय हिन्दू रंग 'रक्त' (भगवा) की ओर संकेत करता है जो

१. मौलवी मुहम्मद अशरफ हुसैन द्वारा लिखित, एच० एल० श्रीवास्तव द्वारा सम्पादित, भारत सरकार, दिल्ली, १९४७ के प्रकाशन-प्रबन्धक द्वारा प्रकाशित फतेहपुर सीकरी की मार्गदर्शिका।
२. 'फतेहपुर सीकरी की मार्गदर्शिका', जैनको प्रकाशक, २५६८, धर्मपुरा, दिल्ली।

मुस्लिमों की अभिशप्त वस्तु थी। हमने अपनी एक पूर्वकालिक पुस्तक[1] में पहले ही प्रमाणित कर दिया है कि दिल्ली और आगरा स्थित लालकिले प्राचीन हिन्दू दुर्ग हैं। दिल्ली और आगरा अविस्मरणीय अतीतकाल की हिन्दू नगरियाँ हैं। 'फूल' पुष्प है जिसकी आवश्यकता हिन्दू पूजा में होती है। इस प्रकार, हम देखते हैं कि फतेहपुर सीकरी के ९ अथवा ११ द्वारों में से किसी भी द्वार का किसी मुस्लिम-साहचर्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके विपरीत, उनका सभी पुनीत हिन्दू, संस्कृत-साहचर्यों से प्रगाढ़ सम्बन्ध है। यदि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया होता तो इसके द्वारों के नाम फारसी या अरबी भाषागत रहे होते अथवा काबुल, कांधार, गजनी, बगदाद और समरकन्द के नामों के पीछे रखे गये होते।

स्वयं ९ और ११ अंकों का विशेष महत्त्व है। इन अंकों के प्रति हिन्दुओं को विशेष अभिरुचि थी। हिन्दुओं के दुर्गों और भवनों के द्वारों के शीर्ष पर एक पंक्ति में सात, नौ या ग्यारह गुम्बद या कलश प्रदर्शित किए जाते थे। लालकिले के द्वारों पर विषम संख्या में छोटे कलश व गुम्बदों की पंक्तियाँ सुशोभित हैं।

१. भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें।

२

फतेहपर सीकरी को इस्लामी नगर सिद्ध करने का गहरा षड्यंत्र

फतेहपुर सीकरी नगर के निर्माण का श्रेय चापलूस मुसलमानों ने अकबर को दे रखा है जबकि इस्लामी आक्रमण से पूर्व सैकड़ों वर्ष वह सीकडवाल राजपूतों की राजधानी रही है।

इसका प्राचीन हिन्दू नाम विजयपुर सीकडी था। मुसलमानों के कब्जे के पश्चात् उसी नाम का आधा-अधूरा इस्लामी अनुवाद फतेहपुर सीकडी बना दिया गया।

फतेहपुर सीकरी उर्फ सीकडी का श्रेय जान-बूझकर अकबर को देने का इस्लामी षड्यंत्र आजतक चल रहा है। इसके हम दो प्रमुख उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक विश्वविद्यालय ने भारत के मध्ययुगीन इतिहास का ज्ञाता समझकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय के एक मुसलमान प्राध्यापक को लगभग दस वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया के उस विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाने के लिए लगवा लिया।

फतेहपुर सीकडी अकबर से सैंकड़ों वर्ष पूर्व से विद्यमान है, यह सिद्धान्त प्रस्तुत करने वाली हमारी शोध पुस्तक उस अलीगढ़ के मुसलमान प्राध्यापक को अखरती थी। अतः उसने एक ऑस्ट्रेलियन विश्वविद्यालय में हुई उसकी नियुक्ति का अनुचित लाभ उठाकर ऑस्ट्रेलिया के गोरे प्राध्यापकों और विद्यार्थियों को फुसलाया कि वे प्रत्यक्ष संशोधन प्रशिक्षण के तौर पर फतेहपुर सीकरी का दौरा कर उस नगर के अकबर द्वारा निर्माण पर एक शोध पुस्तक प्रकाशित करें।

बस फिर क्या देर थी। हजारों पौंडों का अनुदान मंजूर किया गया। कोई दो-चार गोरे ऑस्ट्रेलियन आए। उनके मार्गदर्शक के नाते वे अलीगढ़ वाले मुसलमान प्राध्यापक ने भी बड़े ठाठ से भारत की सैर की।

वे सारे फतेहपुर सीकरी में कुछ दिन टहले, फोटो लिए, स्थानिक मुसलमान गाइडों की वही अकबरी रट उन्होंने सुनी। भारत के गुमराह पुरातत्व खाते ने भी उसी रट को दोहराया। बस, यह लोग ऑस्ट्रेलिया गए और उन्होंने वहाँ के विश्वविद्यालय के खर्चे से अकबर को फतेहपुर सीकरी का निर्माता कहने वाली पुस्तक प्रकाशित कर डाली। बेचारे भोले-भाले ऑस्ट्रेलियन लोग इस इस्लामी जाल में फँसकर ठगे गए। उन्हें इतनी सी बात समझ नहीं आई कि जब अकबर को ही फतेहपुर सीकरी का निर्माता कहने वाली सैकड़ों पुस्तकों की बाजार में भरमार है तो आपने उसी तरह की एक और गोलमाल वाली पुस्तक प्रकाशित कर इतिहास-शिक्षा के क्षेत्र में कौन-सा तीर मारा?

अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय को आगाखान ने लाखों डॉलर्स का अनुदान देकर इस्लामी स्थापत्य शोध विभाग उस विश्वविद्यालय में स्थापित करवाया। वह स्थापित होते ही मैंने उस विश्वविद्यालय को पत्र लिखा कि सारे विश्व में एक भी ऐतिहासिक नगर, किला, बाड़ा, महल, मीनार, दरगाह, मस्जिद, पुल आदि मुसलमानों की बनाई हुई नहीं है। वह सारी दूसरों की लूटी सम्पत्ति दरबारी खुशामद खोरों ने इस्लामी सुल्तान बादशाहों के नाम गढ़ दी है। फिर आये अंग्रेज। उन्होंने उसी षड्यंत्र को आगे बढ़ाया।

अंग्रेजों ने अलेक्जेण्डर कनिंघम जैसे सच्चे सैनिक अधिकारी को प्रथम पुरातत्व अधिकारी इसी कारण नियुक्त किया था कि वह भारतांतर्गत सारी ऐतिहासिक इमारतें मुसलमानों की बनाई हुई हैं, ऐसा सरकारी पुरातत्वीय ढिंढोरा पीट सके। कनिंघम का रचा वह षड्यंत्र १५ सितम्बर, १८४२ के उसके पत्र में प्रकट किया गया है। वह Journal of the Royal Asiatic Society, London के सन् १८४३ के खण्ड क्रमांक ७ में पृष्ठ २४६ पर उद्धृत है। उसमें उसने एक वरिष्ठ अधिकारी कर्नल Sykes को लिखा था कि भारत की ऐतिहासिक इमारतों के बहाने पुरातत्वीय विभाग स्थापन

किया गया तो उससे ब्रिटेन के भारतीय शासन को बड़ा राजनयिक लाभ होगा, ब्रिटेन के गोरे लोगों को धार्मिक लाभ होगा और भारत में कुस्ती धर्म फैलाना बड़ा आसान हो जाएगा। उस कुटिल षड्यंत्र द्वारा हिन्दुओं का सारा ऐतिहासिक श्रेष्ठ इस्लामी आक्रामकों के नाम गढ़ देने से हिन्दू मुसलमान आपस में कट मरेंगे। उससे ब्रिटिश साम्राज्य भारत में दीर्घ अवधि तक जमा रहेगा। और यहाँ कि जनता निराश होकर ईसाई बन जाएगी। ऐसा कनिंघम का दीर्घसूत्री ऊटपटाँग तर्क था।

सरकारी पुरातत्व खाते ने सारी ऐतिहासिक इमारतें, नगर आदि इस्लाम निर्मित घोषित कर देने के कारण इतिहास में B. A., M. A., Ph. D., D. Litt. आदि उपाधियाँ पाने वाले विद्वान् वही सरकारी रट लगाकर सरकारी अधिकार पदों पर आरूढ़ होते चले गए। इससे उस झुठलाए इतिहास का विष सारे विश्व के विद्वानों में फैल गया। उससे वे सारे विद्वान् ऐतिहासिक दृष्टि से काणे बनकर भारतांतर्गत सारे नगरों को और इमारतों को इस्लाम निर्मित ही देखने लगे और कहने लगे।

उसी प्रथा में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का आगाखानी विभाग भी कार्यरत हो गया। और उस विभाग ने सन् १९८५ के अक्टूबर १७ से १९ तक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की। उसका विषय था 'फतेहपुर सीकरी का निर्माता अकबर'।

मैंने समाचार-पत्रों में लेख लिखकर अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के उस अनुचित आयोजन की हजारों लोगों को जानकारी दी। एक नमूना निषेध पत्र भी छपवाकर उस नमूने के पत्र हार्वर्ड को भेजने की वाचकों को सुझाया।

उस गोष्ठी के संयोजक थे—(1) Chairman, Aga Khan Programme for Islamic Architecture at the Harvard University, (2) Department of Fine Arts, Harvard University, (3) Massachussets Institute of Technology.

वह आगाखान विभाग स्थापना होने पर मैंने स्वयं, प्रथम हार्वर्ड विश्वविद्यालय को एक निषेध पत्र लिखा कि "विश्व में कोई इस्लामी स्थापत्य है ही नहीं—अतः आपका प्रयास निराधार है।" उस मेरे पत्र का

उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कारण स्पष्ट था। आगाखान ने उनके सामने डॉलर्स का जो खनखनाता और सनसनाता ढेर लगा दिया, उसकी लुभावनी ध्वनि में मेरे अकेले की चीख उनको क्यों सुनाई दे! वे मौन रह गए।

तो मैंने उनकी प्रथम गोष्ठी के आयोजन के निषेध में सैंकड़ों भारतीयों से निषेध पत्र भिजवाए। तब भी हार्वर्ड विश्वविद्यालय चुप रहा। उन्होंने एक का भी उत्तर नहीं दिया।

उन विदेशी लोगों का भी इतना दोष नहीं है। क्योंकि स्वतंत्र भारत के कांग्रेसी शासन का पुरातत्व विभाग, पर्यटक विभाग, अध्यापक, प्राध्यापक वगैरह सारे ही जब भारत स्थित ऐतिहासिक इमारतें मुसलमानी आक्रामकों ने ही बनाई ऐसा कह रहे हैं तो भला विदेशी लोग क्यों न कहें!

मेरे एक अमरीकी मित्र Prof. Morvin H. Mills ने हमारे शोधों से प्रभावित होकर उस गोष्ठी में भाग लेना चाहा। किन्तु हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने उनका विरोधी प्रबन्ध अमान्य ठहराकर उन्हें सम्मिलित होने से रोका। तो मारव्हिन मिलस श्रोता बनकर उपस्थित रहे।

सारी चर्चा सुनने के पश्चात् उन्होंने अन्त में पाँच-दस मिनट बोलने की अनुमति माँगी। उन्हें अनुमति दे दी गई। उन्होंने निजी अध्ययन से निकाला निष्कर्ष कहा कि फतेहपुर सीकरी इस्लाम-पूर्व हिन्दु नगरी है।

तथापि उस गोष्ठी का जो वृत्तान्त सम्बन्धित विद्वानों को भेजा गया उसमें मारव्हिन मिलस के विरोधी वक्तव्य का उल्लेख भी नहीं था।

इस प्रकार आस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक से सारे देशों में भारतीय इतिहास को ईसाई और इस्लामी लोग झूठ के रास्ते घसीटते ले जा रहे हैं। उस षड्यंत्र में वर्तमान भारतीय शासक भी अज्ञान, झिझक, लज्जा तथा मुसलमानों के भय से सहभागी हैं।

अब फतेहपुर सीकरी की ही बात लीजिए। वह नगरी अकबर के शासनकाल के पूर्व ही विद्यमान थी, इसके प्रत्यक्ष मुगल दरबार के चित्र इंग्लैण्ड में विविध ग्रन्थालयों में सुरक्षित हैं। एक चित्र में स्वयं अकबर का बाप, बादशाह हुमायूँ फतेहपुर सीकरी में बैठा बतलाया गया है। उस समय अकबर का जन्म भी नहीं हुआ था।

अकबर से पूर्व भी फतहपुर सीकरी की विद्यमानता का चित्र से अधिक स्पष्ट, बोधगम्य, सुनिश्चित एवं दृश्यमान प्रमाण और क्या हो सकता था, जिसमें अकबर के पिता हुमायूँ को उसके सरदारों सहित इस नगरी में चित्रित किया गया है।

इस चित्र को लन्दन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्राहलय में सुरक्षित रखा गया है।

चूँकि अपने पिता हुमायूँ की मृत्यु के समय अकबर केवल १३ वर्ष का ही था, अतः यह सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है कि चित्र में दिखाया गया हुमायूँ अपने ही पुत्र अकबर द्वारा स्थापित नगरी में रहा होगा। ऐसी कोई संभावना नहीं थी। बाबर ने राणा साँगा से फतेहपुर सीकरी विजय किया था। हुमायूँ ने अपने पिता बाबर के अनुवर्ती के रूप में विजेता-अधिकार में फतेहपुर सीकरी में पदार्पण किया था।

यह चित्र स्पष्टतः उस काल का है जब अकबर का जन्म भी नहीं हुआ था क्योंकि हुमायूँ ने भारत में सन् १५३० से १५४० ई० तक शासन किया था, बाद में वह भारत से बाहर भगोड़े के रूप में रहा। अकबर सन् १५४२ ई० में पैदा हुआ था। हुमायूँ जुलाई १५५५ में भारत लौट आया और फिर से गद्दी पर बैठा, किन्तु (जुलाई १५५६ में) छः मास की अवधि में ही मर गया। इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पृष्ठ २४ पर दिया गया चित्र, जिसमें हुमायूँ को अपने सरदारों सहित फतेहपुर सीकरी में प्रदर्शित किया गया है, अकबर-जन्मकाल से पूर्व-समय का है। दूसरे शब्दों में, यह चित्र सन् १५४० के मध्य किसी समय का है।

यदि किसी दूरस्थ कल्पना से विचार भी कर लिया जाय कि यह चित्र हुमायूँ के दूसरी और अन्तिम बार, छः मासावधि के समय का है तो भी अकबर चूँकि केवल १३ वर्ष का ही था और उत्तर भारत में बहुत दूरी पर था (वह पंजाब में ही रहा), इसलिए उसे फतेहपुर सीकरी अथवा उसकी स्थापना से कोई सरोकार न था।

इस प्रकार, यह चित्र इस बात का अकाट्य प्रलेख-साक्ष्य है कि जिस फतेहपुर सीकरी राजमहल-संकुल का भ्रमण पर्यटक आज करते हैं, वह अकबर से पहले भी विद्यमान था।

हम एक अन्य उल्लेख योग्य विवरण की ओर भी पाठक का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पाठक चित्र के शीर्ष पर फारसी भाषा में एक पंक्ति देख सकता है। इस फारसी पदावली का अर्थ निम्न प्रकार है :

"विजेता हुमायूं ने दैवाधीन, शुभ और सुखद अवसर पर अपनी राजधानी फतेहपुर में पधार कर उसकी शोभा बढ़ायी।"

इसलिए, यह चित्र असंदिग्ध रूप में घोषित करता है कि फतेहपुर (सीकरी) अकबर के पिता के समय में भी मुगलों की शाही राजधानी थी। परिणामतः इतिहास-पुस्तकों, लेखों और पर्यटक-साहित्य में समाविष्ट यह कथन कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और इसे सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया स्कूली बच्चों की पुस्तकों के दोषों से भी अधिक सदोष, शोचनीयतर है।

ऊपर दी गयी फारसी पंक्ति से यह स्पष्ट है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाने का विचार केवल इसलिए किया गया क्योंकि उसके पिता हुमायूं ने इसी नगरी को अपनी राजधानी बनाया था।

चूंकि फतेहपुर सीकरी की स्थापना के लिए मुगल बादशाह बाबर अथवा मुगल बादशाह हुमायूं की ओर से कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः यह स्पष्ट है कि हुमायूं ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी केवल इसलिए बनाया क्योंकि यहां पर, भारत में, बाबर और हुमायूं के शासन-हेतु आगमन होने से पूर्व भी, भव्य, ऐश्वर्यशाली और विशाल राज-महल तथा सैनिक आवास विद्यमान थे।

और चूंकि बाबर सुप्रसिद्ध हिन्दू, राजपूत योद्धा सम्राट् राणा सांगा को परास्त करने के पश्चात् ही सन् १५२७ ई० में फतेहपुर सीकरी क्षेत्र का शासक बना था, इसलिए स्वतः स्पष्ट है कि फतेहपुर सीकरी राजमहल-संकुल हिन्दू राजकीय सम्पत्ति थी जो युद्ध-लुण्ठित सामग्री के रूप में मुस्लिम हाथों में चली गयी। अतः यह एक शैक्षिक अनौचित्य है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को दिया जाता है।

आज यात्री फतेहपुर सीकरी में जिन वस्तुओं को देखकर आश्चर्य-चकित होता है वे सभी भव्य लाल प्रस्तरीय राजमहल-संकुल और उच्च

'बुलन्द दरवाजा' तथा अन्य राज्योचित द्वार हिन्दुओं के, हिन्दुओं के लिए तथा हिन्दुओं द्वारा, अकबर के पितामह बाबर के जन्म से भी शताब्दियों पूर्व निर्माण किए गए थे।

तथ्य तो यह है कि अकबर या उसके पूर्वज हुमायूं और बाबर ने फतेहपुर सीकरी में कुछ नया निर्माण करना तो दूर, अपने एक के बाद एक आक्रमणों तथा मूर्तिभंजन से सम्बन्धित आमोद-प्रमोद की मदोन्मत्तता में उस राजकीय हिन्दू नगरी के एक विशाल भाग को विनष्ट ही किया था।

अतः हमें आज दिखाई पड़ने वाली फतेहपुर सीकरी तो हिन्दू नरेशों द्वारा परिकल्पित एवं हिन्दू धन, कौशल, यन्त्र-विद्याविशारदों तथा शिल्प-कारों द्वारा निर्मित एक महान्, भव्य राज्योचित राजधानी का एक स्वल्प भाग-मात्र है। फतेहपुर सीकरी निर्माण के लिए अकबर के प्रति गुप्त-प्रशंसाभाव रखने की अपेक्षा प्रत्येक पर्यटक को इसलिए आंसू बहाने चाहिए कि उसे तो फतेहपुर सीकरी के वास्तविक, मौलिक और अक्षत भव्य रूप की दृश्यावली से वंचित रखा जा रहा है। पर्यटक को आज दिखाई देने वाली फतेहपुर सीकरी नगरी विकृतांग नगरी है। इसे अधिकांश मुस्लिम तोपों द्वारा भूमिसात् कर दिया गया है, इसकी बहुत-सी चित्रावली तथा आलेखन पलस्तर कर दी गई है अथवा विलुप्त कर दी गयी है, और इसकी प्रतिमाओं, मूर्तियों, देव-प्रतिमाओं और अन्य ज्योति-प्रतिष्ठानों को चूर-चूर किया गया अथवा तहस-नहस कर फेंक दिया गया है। इसके मूर्त उदाहरण फतेहपुर सीकरी के गज द्वार पर खड़े सूंड-रहित हाथियों और कुछ भागों में पंखहीन पक्षियों में प्राप्त होते हैं।

अब यह दूसरा चित्र (पृष्ठ २८) Victoria and Albert Museum, South Kensington, London के प्रवेश-द्वार के अन्दर ही दुकान पर (Picture Post Card) डाकिया चित्र कार्ड के रूप में खरीदा जा सकता है, वह देखें।

शहजादा सलीम उर्फ जहांगीर (अकबर का ज्येष्ठ पुत्र) का जन्म ३० अगस्त, १५६९ को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। उस समय जो उत्सव मनाया गया उसका दृश्य इस चित्र में बतलाया गया है।

फतेहपुर सीकरी में सलीम के जन्म का उत्सव ३० अगस्त, १५६९ को मनाया जाने का दृश्य। उस समय यदि अकबर द्वारा उस नगर की नींव भी नहीं खुदी थी ऐसा विद्यमान इतिहासकार मानते हैं तो वहाँ उत्सव किसने मनाया और किसने देखा ? यह चित्र इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अकबर अपने पूरे परिवार और सेना के साथ आरम्भ से ही उस फतेहपुर सीकरी में रहता था जो एक प्राचीन हिन्दू राजनगर है।

अकबर को फतेहपुर सीकरी का निर्माता कहने वाले विद्वान् यह कहते आ रहे हैं कि जहाँ फतेहपुर सीकरी बसी है वहाँ अकबर के बचपन में जंगल था। उस स्थल पर सन् १५६९ से १५७३ के बीच किसी समय अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की नींव खोदने का आदेश दिया गया।

वह सार्वजनिक धारणा कितनी निराधार है यह ऊपर दिए चित्रों से स्पष्ट हो जाता है। यदि सन् १५६९ में नगर की नींव भी नहीं खुदी थी तो वहाँ सलीम की माँ प्रसूत कैसे हुई ? क्या जंगल में अकबर की पत्नी प्रसूत हुई ? और यदि उस जंगल में कोई था ही नहीं तो वहाँ उत्सव किसने मनाया और किसने देखा ?

उस उत्सव के चित्र से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अकबर का पूरा दरबार, उसका जनानखाना, पालतू जंगली जानवरों का झुण्ड, अकबर की पूरी सेना आदि सारे फतेहपुर सीकरी में ही रहते थे क्योंकि वह बनी-बनाई प्राचीन हिन्दू राजनगरी थी।

इससे हमें एक विपरीत निष्कर्ष उपलब्ध होता है। वह यह है कि फतेहपुर सीकरी में कुछ भी बनवाने की अपेक्षा बाबर, हुमायूँ और अकबर तथा उनके अनुवर्तियों ने अपने अनवरत प्रहारों व धर्मान्ध मूर्तिभंजन क्रिया में उस नगरी का एक विशाल भाग विनष्ट किया। प्रयाग और ताजमहल जैसी मध्यकालीन नगरियों और भवनों की भी यही तल्य गाथा है। मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों ने उनमें कुछ और बढ़ाने के स्थान पर उन स्थानों का अधिकांश नष्ट ही किया। इसका अर्थ यह है कि फतेहपुर सीकरी में आज भी विद्यमान भवन हिन्दू-मूल के हैं जबकि चहुँ ओर बिखरे पड़े ध्वंसावशेष मुस्लिम आक्रमणों और बन्दी बनाने वालों की विनाशक कार्यवाइयों के द्योतक हैं।

इस प्रकार आज पढ़ाया जा रहा और विश्व के समस्त भाग में प्रस्तुत किया जा रहा भारतीय इतिहास पूर्णतः अव्यवस्थित है। आजकल जो कुछ साग्रह कहा जा रहा है, उसका बिल्कुल विपरीत ही पूर्णतः सत्य है। अधिकाधिक दृष्टान्तों, उदाहरणों में भारतीय इतिहास की सत्यता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी वर्तमान धारणाओं को पूर्णतः परिवर्तित करने की आवश्यकता है।

३

फतेहपुर सीकरी प्राचीन हिन्दू राजधानी है

हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि फतेहपुर सीकरी न केवल अकबर के पिता के शासनकाल की अवधि में भी विद्यमान थी अपितु यह उसकी राजधानी ही थी। हम इस अध्याय में यह सिद्ध करने के लिए बुद्धिग्राह्य साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं कि अकबर के पिता हुमायूँ ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी इस कारण बनाया कि यह स्थान पहले ही निर्मित राजमहल-संकुल सहित हिन्दू राजाओं-महाराजाओं का एक अति प्राचीन राजधानी-स्थल रहा जो विजय के परिणामस्वरूप मुस्लिमों के अधीन हुआ।

हम यह सिद्ध करने के लिए कि भारत के सर्वप्रथम मुगल शासक, अकबर के पिता बाबर ने हिन्दू शासकों से फतेहपुर सीकरी राजमहल-संकुल अपने अधीनस्थ किया था, अनेक आधिकारिक व्यक्तियों में से सर्वप्रथम ले० कर्नल जेम्स टाड को उद्धृत करना चाहते हैं, जो एक सर्वमान्य सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक थे। उनका 'एन्नल्स एण्ड एण्टीक्वीटीज आफ राजस्थान' नामक स्मारक सदृश द्वि-खण्डीय ग्रन्थ भारत के उन योद्धा-वर्गी राजपूतों का विद्वत्तापूर्ण और बृहद् इतिहास है जिन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध ११०० वर्षों की दीर्घावधि का कठोर भयंकर युद्ध जारी रखा।

'सिकरवाल' नामक राजपूती वंश के मूलोद्गम का वर्णन करते हुए कर्नल टाड ने लिखा है[1] कि 'उनका नाम सीकरी (फतेहपुर) नामक नगरी

१. कर्नल जेम्स टाड विरचित, द्वि-खण्डीय ग्रन्थ 'एन्नल्स एण्ड एण्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान' के प्रथम खण्ड का पृष्ठ ६७, पुनर्मुद्रण १९५७, लन्दन, राउटलेज एण्ड केगन पाल लि०, ब्राडवे हाउस ६७-७४, कार्टरलेन ई० सी० ४।

की संज्ञा पर पड़ा है जो पहले एक स्वतंत्र रियासत थी।'

अकबर के पितामह बाबर के समक्ष जिस घोर युद्ध में राजपूतों ने वह भव्य शाही हिन्दू नगरी गँवा दी, उसमें फतेहपुर सीकरी का राजपूत प्रधान भी मुगल आक्रामक बाबर के सामने युद्ध के लिए उपस्थित था। यह घटना सन् १५२७ में हुई थी। इसकी साक्षी देते हुए कर्नल टाड लिखते हैं,[1] "राणा साँगा (संग्रामसिंह) मेवाड़ के सिंहासन पर सन् १५०९ में बैठा। ८०,००० अश्व, सर्वोच्च पदाधिकारी सात राजा, नौ राव और रावल व रावत नाम के १०४ प्रमुख सरदार अपने ४०० हाथियों सहित युद्ध-क्षेत्र में उसके साथ गए। मारवाड़ और अम्बर के राजकुमारों ने उसके प्रति राजनिष्ठा की शपथ ली, और ग्वालियर, अजमेर, सीकरी, रायसेन काल्पी, चन्देरी, बूँदी, गगरोन, रामपुर तथा आबू के रावों ने उसकी सहायता की।"

उपर्युक्त उद्धरण स्पष्ट कर देते हैं कि (फतेहपुर) सीकरी का शासक जो सिकरवाल राजपूतों का प्रधान था, एक महत्त्वपूर्ण राजपूत शासक था जो महान् योद्धा, शासक, नायक राणा साँगा के मित्र के नाते समरांगण में उपस्थित हुआ था।

हम आगे चलकर स्वयं बाबर को उद्धृत करेंगे जिससे सिद्ध होगा कि उसने अपने निर्णायक युद्ध के लिए फतेहपुर सीकरी की विशाल झील के तट पर ही पड़ाव डाला था, उसने सीकरी के हिन्दू शासक के प्रदेश को उद्ध्वस्त किया था, और उसकी वहाँ उपस्थिति उस सुन्दर लाल-प्रस्तरीय राजमहल-संकुल के लिए सतत अभिशाप थी जो सीकरी-शासक के राज-निवास के अंगभूत थे। इस संदर्भ में टाड का पर्यवेक्षण है कि[2], "बाबर राणा साँगा का विरोध करने के लिए आगरा और सीकरी से आगे बढ़ा। राणा ने बयाना का घेरा तोड़ दिया और कनुआ नामक स्थल पर १५०० सैनिकों की शक्ति का, तातारों के अग्रिम रक्षकों से मुठभेड़ कर उनको पूर्णतः विनष्ट कर दिया[3]...और कुमुक का भी वही भाग्य रहा, अन्य लोगों का

१. वही, पृष्ठ ३४१।
२. वही, पृष्ठ २४३।
३. वही, पृष्ठ २४६।

पीछा किया गया था।"

भारतीय इतिहास की सामान्य पाठ्य-पुस्तकों तथा इस विषय पर अनेक विद्वानों की पुस्तकों में अनुचित रूप से साग्रह यह कहा गया है कि राणा साँगा कनुआ अर्थात् कन्वाहा नामक युद्ध-स्थल पर पराजित हुआ था। हम ऊपर देख चुके हैं कि कनुआ अर्थात् कन्वाहा में हुई मुठभेड़ तो केवल बाबर के अग्रिम रक्षकों तथा राणा साँगा के दलों में हुई थी और उसमें बाबर की सेना नष्ट हो गई थी। इतिहासकार इस बात को मानने में झेंपते रहे हैं। निर्णायक युद्ध तो बाद में फतेहपुर सीकरी में हुआ था क्योंकि उनकी यह गलत धारणा थी कि फतेहपुर सीकरी तो अकबर के शासन-काल में, बाबर के दो शताब्दियों बाद अस्तित्व में आई थी।

हम अनुवर्ती पृष्ठों में बाबर को यह कहते हुए उद्धृत करेंगे कि उसके अग्रिम दलों का विनाश कन्वाहा पर हुआ था जबकि उसने अन्तिम लड़ाई फतेहपुर सीकरी में जीती थी।

टाड ने आगे कहा है कि "फतेहपुर सीकरी में हुई लड़ाई के बाद, जिसमें बाबर को महान् विजय प्राप्त हुई थी, कत्ल किये हुए व्यक्तियों के सिरों के विजयी स्तूप बनाए गए थे, और समरांगण के ऊपर दिखने वाली एक पहाड़ी पर खोपड़ियों का स्तम्भ बनाया गया था, तथा विजेता ने 'गाजी' उपाधि ग्रहण की थी। राणा साँगा ने कनुआ (उपनाम) अर्थात् कन्वाहा में छोटा राजमहल बना लिया था।"

उपर्युक्त अवतरण में दो बातें ध्यान देने की हैं। एक तो यह है कि युद्ध एक पहाड़ी को परिवेष्टित करने वाले मैदान में लड़ा गया था और दूसरे यह कि मुगलों की बर्बर रीति में ही बाबर ने पहाड़ी पर मरे हुए व्यक्तियों की खोपड़ियों का स्तम्भ बनाया था। हम एक अध्याय में पहले ही देख चुके हैं कि फतेहपुर सीकरी का राजमहल-संकुल एक पहाड़ी पर स्थित है, और उसको परिवेष्टित करने वाला एक मैदान जो एक विशाल सुरक्षात्मक प्राचीर से घिरा हुआ है। अतः फतेहपुर सीकरी का युद्ध या तो प्राचीर के अन्दर की ओर मैदान में लड़ा गया था, अथवा बाहर की ओर या फिर दोनों ओर। राजपूत शाही रक्षकों की चुनी हुई सुरक्षित टुकड़ियों तक कुछ प्रमुख सरदारों ने भी स्वयं पहाड़ी पर ही अपना अन्तिम प्रयास

किया होगा जैसा कि पहाड़ी पर खोपड़ियों की स्तम्भ रचना से स्वतः स्पष्ट है। वे सिर उन सहस्रों हिन्दुओं और आक्रमणकारी अन्यदेशीय मुस्लिमों के तो हो नहीं सकते थे जो परिवेष्टित करने वाले मैदान में मीलों इधर-उधर बिखरे पड़े थे। क्योंकि, निरस्त करने वाले कठोर, दारुण युद्ध के पश्चात् बढ़ते हुए अन्धकार में कौन अपने घायल और थके-मांदे बचे हुए दस्तों को मिश्रित नर-संहार में से एक-एक कर अपने व्यक्तियों को छाँटने और उनको मीलों दूर पहाड़ी की चोटी पर ले जाने के लिए नियुक्त करेगा? यह दर्शाता है कि स्तम्भ तो स्वयं पहाड़ी पर मारे गए हिन्दू सुरक्षा सैनिकों के सिरों का बनाया गया था।

हम प्रसंगवश यहाँ यह भी कह दें कि फतेहपुर सीकरी राजमहल-संकुल के भीतर बनी अनेक कब्रें बाबर के उन सैनिकों की हैं जिनको प्रत्याक्रमणों में संलग्न राजपूतों ने मौत के घाट उतारा था। उन कब्रों को झूठे ही शेख सलीम चिश्ती के साथियों की कब्रें बताया जाता है। यदि अकबर ने वास्तव में ही अपनी राजधानी के रूप में फतेहपुर सीकरी को बिलकुल नवीनतया बनाया होता तो क्या उसने उस नवीनतम नगरी को एक अप्रीतिकर भयोत्पादक, भयानक दुःस्वप्नवत्, निरानन्द, अपशकुनी, अशुभ और तमसाच्छन्न कब्रिस्तान से कलुषित किए जाने की अनुमति दे दी होती! सुन्दर उच्च द्वारों, महाकक्षों और फाटकों से परिवेष्टित अत्युत्तम राज्योचित और भव्य राजमहल-संकुल के मध्य मुस्लिम कब्रिस्तान की विद्यमानता इस बात की स्पष्ट द्योतक है कि वह कब्रिस्तान समरांगण-गत कब्रिस्तान है और वहाँ पर बनी कब्रें उन मुस्लिमों की हैं जो प्रत्याक्रामक राजपूतों के हाथों मौत के घाट उतार दिए गए थे।

उस तमसाच्छन्न, अपवित्र कब्रिस्तान की विद्यमानता एक ऐसा प्रमुख कारण है जिसने हुमायूँ और अकबर जैसे अनुवर्ती मुस्लिम शासकों को उस सुन्दर हिन्दू शासकीय नगरी से दूर रखा। अपनी विजय के पश्चात् आवासीय उपयोग में लाए गए राजमहलों के समीप एक भयावह मुस्लिम कब्रिस्तान ने बाबर, हुमायूँ और अकबर को इतना त्रस्त और उद्वेलित किया कि फतेहपुर सीकरी की विस्तृत भव्यता के होते हुए भी उसको स्थायी राजधानी बनाने का विचार उन्होंने सदैव के लिए त्याग दिया।

कर्नल टाड द्वारा पर्यवेक्षित उपर्युक्त अवतरण में ध्यान करने योग्य एक अन्य बात यह है कि मध्यकालीन युद्ध, निश्चित ही विशाल नगर-प्राचीरों और दुर्गों के चारों ओर, आसपास लड़े जाते थे। कनुआ अर्थात् कन्वाहा के पास हुई मुठभेड़ भी वहाँ इसी कारण हुई थी क्योंकि वहाँ पर राणा साँगा का एक राजमहल था जैसा कि टाड ने ऊपर बताया है। इसी प्रकार, अन्तिम निर्णायक युद्ध फतेहपुर सीकरी में ही लड़ा गया था क्योंकि वहाँ पर एक विशाल सुरक्षा-प्राचीर और राजमहल-संकुल थे जहाँ प्रत्याक्रामक हिन्दू राजपूत सेनाएँ जमा हो गई थीं। इस प्रकार देशभक्त हिन्दू प्रत्याक्रमणकारियों और आक्रामक अन्यदेशीय मुस्लिमों के मध्य हुए प्रत्येक मध्यकालीन युद्ध का स्थल वहीं था जहाँ बड़ी पक्की चिनाई वाली दीवारें, और राजमहल व मन्दिर थे। आधुनिक चल-चित्र निर्जन मैदानों में दो सेनाओं के मध्य युद्ध दिखाकर गलत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। भीड़ से भी युद्ध करने पर पुलिस का प्रत्याक्रमण करना पड़ता है। आजकल के प्रक्षेपणास्त्रों और वायवी युद्धों में भी थल-सुरक्षा के लिए तहखाने और गरगज बनाने पड़ते हैं। इससे पाठक को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि (अकबर के पितामह) बाबर और राणा साँगा के मध्य फतेहपुर सीकरी में अन्तिम निर्णायक युद्ध होने का अर्थ यह पूर्व-विचार है कि वह युद्ध-स्थल ऐसा स्थान था जहाँ सुरक्षा के लिए विशाल प्राचीर और प्रत्याक्रमणकारियों के आवास के लिए राजमहल-संकुल था। मध्यकालीन सेनाएँ, निश्चित रूप में ही सुरक्षात्मक प्राचीरों के पीछे पड़ाव डाला करती थीं और विस्तृत भवनों के अन्दर प्रत्याक्रामक कार्रवाइयों के लिए मोर्चे बनाया करती थीं।

४

फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में अकबर-पूर्व सन्दर्भ

जबकि विश्व-भर में पढ़ाये जा रहे प्रचलित भारतीय इतिहास-ग्रन्थों तथा पर्यटक-साहित्य एवं तोतारटन्त पर्यटक-मार्गदर्शकों द्वारा साग्रह और अनौचित्यपूर्वक यह घोषित किया जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना तीसरी पीढ़ी के मुगल बादशाह अकबर द्वारा की गई थी, हम पाठकों के अवलोकनार्थ इस अध्याय में, अकबर-पूर्व समय के फतेहपुर सीकरी से सम्बन्धित असंख्य सन्दर्भों में से कुछ सन्दर्भ प्रस्तुत करेंगे जो पक्षपातपूर्ण मुस्लिम तिथिवृत्तों में से ही लिये गए हैं।

सर्वप्रथम, हम पाठकों को यह सुस्पष्ट कर देना चाहते हैं कि फतेहपुर सीकरी को अकबर-पूर्व और अकबर-पश्चात् काल, दोनों में ही फथपुर, फतेहपुर, सीकरी, फतेहपुर सीकरी या फत्तेपुर, आदि भिन्न-भिन्न नामों से सन्दर्भित किया गया है। यह बात तो पहले ही उद्धृत टाड के पर्यवेक्षण से स्पष्ट हो जानी चाहिए।

यह बात याह्या बिन अहमद के 'तारीखे मुबारकशाही' नामक तिथिवृत्त में भी स्पष्ट की गई है। उसमें उसने कहा है[1]—"सुलतान के आदेश से (बयाना का दुर्ग समर्पित करने वाले बयाना के शासक, अहमदखान के बेटे मोहम्मद खान के) परिवार और उसके आश्रितों को दुर्ग से बाहर लाया गया था और (१२ नवम्बर सन् १४२६ को अर्थात् अकबर के राजगद्दी पर बैठने से १३० वर्ष पूर्व और अकबर के जन्म से ११६ वर्ष पूर्व) दिल्ली भेज

१. याह्या बिन अहमद की 'तारीखे मुबारकशाही'; इलियट और डाउसन, खण्ड ४, पृष्ठ ६२।

दिया गया था। बयाना मुकुल खान को दे दिया गया था। सीकरी, जो अब फतेहपुर नाम से पुकारी जाती है, मलिक खैरुद्दीन तुहफा को सौंप दी गई थी।"

फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में एक और सन्दर्भ जुलाई सन् १४०५ का है जो अकबर के सत्तारूढ़ होने से १५१ वर्ष पूर्व और उसके जन्म से १३७ वर्ष पूर्व का है। इसके अनुसार[1]: "पहले ही धावे में इकबालखान परास्त हो गया और भाग गया। उसका पीछा किया गया, उसका घोड़ा उसके ऊपर गिर गया जिससे वह घायल हो गया और बचकर आगे नहीं भाग सका। वह मार डाला गया और उसका सिर फतेहपुर भेज दिया गया था।" यह सुलतान महमूद के समय में हुआ। निहितार्थ यह है कि फतेहपुर सीकरी उस समय भी शाही स्थान थी और उसमें ऊँचे-ऊँचे दरवाजे थे जिनमें मृत डाकुओं के कटे सिर जन-प्रदर्शन के लिए लटका दिए जाते थे। यह प्रदर्शित करता है कि फतेहपुर सीकरी के भव्य द्वार अर्थात् उच्च बुलन्द दरवाजा, शाही दरवाजा, हाथी दरवाजा, अकबर से शताब्दियों पूर्व भी विद्यमान थे।

इसी तिथिवृत्त में एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि, "सैयद वंश का संस्थापक खिज्रखान फतेहपुर में ही रहा और दिल्ली नहीं गया।"[2] खिज्रखान सैयद गद्दी पर मई १४१४ ई० में बैठा। अतः फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में यह सन्दर्भ अकबर के राज्यारूढ़ होने से १४२ वर्ष पूर्व का और उसके जन्म से १२८ वर्ष पूर्व के अवसर का है। चूँकि खिज्रखान शीघ्र ही सुलतान बन गया, इसलिए स्पष्ट है कि फतेहपुर सीकरी में अकबर से शताब्दियों पूर्व विशाल भवन थे। यह सारा झंझट व्यर्थ ही नहीं था कि औपचारिक रूप से सुलतान घोषित होने से कुछ समय पूर्व ही खिज्रखान ने अपने निवास स्थान के लिए फतेहपुर सीकरी को चुना था।

अकबर के पितामह बाबर ने, अकबर के गद्दी पर बैठने से लगभग २७ वर्ष पूर्व और उसके जन्म से लगभग १३ वर्ष पूर्व, स्वयं ही फतेहपुर सीकरी

१. वही, पृष्ठ ४०।
२. वही, पृष्ठ ४४।

स्थित राजमहलों की साक्षी दी है। बाबर कहता है[1]: "केवल आगरा में ही और केवल उसी स्थान के पत्थर-तराशों में से मैंने अपने महलों पर ६८० व्यक्तियों को नित्यप्रति काम पर लगाया, और आगरा, सीकरी, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर और कोइल में मेरे कार्यों पर १४९१ व्यक्ति नियुक्त किए गए थे। इस प्रकार, स्वयं बाबर के मुख से ही हमें यह असन्दिग्ध स्वीकरण प्राप्त होता है कि आगरा, सीकरी, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर और कोइल (जिसे अब अलीगढ़ कहा जाता है) में अनेक भव्य राजमहल थे जो एक-दूसरे से किसी भी प्रकार कम न थे। इसका स्पष्ट भाव यह है कि फतेहपुर सीकरी स्थित लाल-प्रस्तरीय राजमहल-संकुल ऊपर उल्लेख की गई नगरियों के हिन्दू राजमहलों के समान ही विजय और अपहरण के फलस्वरूप बाबर के आधिपत्य में आ गए।

हमारे द्वारा उद्धृत कर्नल टाड के पर्यवेक्षण की पुष्टि बाबर के अपने संस्मरणों से भी होती है। अकबर के पितामह, आक्रामक बाबर ने अत्यन्त स्पष्ट, असन्दिग्ध शब्दों में कहा है कि उसने फतेहपुर सीकरी के चहुँओर फैले विस्तृत मैदानों में राणा साँगा की हिन्दू सेनाओं को पराजित करने के पश्चात् फतेहपुर सीकरी को विजित किया था। जैसा पहले ही कह चुके हैं, इतिहास लेखकों के सामान्य वर्ग ने विश्व को यह विश्वास दिलाकर सदैव धोखा दिया है कि राणा साँगा और बाबर के मध्य अन्तिम निर्णायक युद्ध कन्वाहा अर्थात् कनुआ में लड़ा गया था, जो फतेहपुर सीकरी से १० मील की दूरी पर है। जैसा हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, यह तो बाबर की अग्रिम सैन्य टुकड़ी ही थी जो कन्वाहा में पराजित हुई थी। बाबर की सेना का मुख्य भाग तो उस समय फतेहपुर सीकरी के हाथी-द्वार के बाहर, कई मीलों वाली परिधीय विशाल झील के तट पर पड़ाव डाले पड़ा था। वह विशाल जल-भण्डार फतेहपुर सीकरी नगरी को और फतेहपुर सीकरी के मुस्लिम-पूर्व राजपूत शासकों द्वारा परिपालित हाथियों के बड़े समूह को जल प्रदान करता था।

बाबर ने लिखा है[2]: "हमारे बाईं ओर एक विशाल तालाब होने के

१. 'तुज़ुके बाबरी', 'इलियट और डाउसन', खण्ड ४, पृष्ठ २२३।
२. वही, पृष्ठ २६८।

कारण, मैंने जल-सुविधा का लाभ उठाने के लिए वहीं पड़ाव डाल दिया। मैं जिस स्थिति में था,[1] उसके अनुसार मुझे निकटवर्ती सभी स्थानों में पड़ाव के लिए सीकरी ही सर्वोत्तम स्थल प्रतीत हुआ क्योंकि यहाँ जल की विपुल राशि उपलब्ध थी।"

हम यहाँ पाठक का ध्यान अनेक बातों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। बाबर ने सन् १५२७ ई० में उस हिन्दू दुर्ग के आस-पास लड़े गए युद्ध में विजयोपरान्त फतेहपुर सीकरी पर अधिकार किया था। उसके बाद तीन वर्ष के भीतर अर्थात् १५३० ई० में वह मर गया। उन तीन वर्षों में, उसे फतेहपुर सीकरी के उन राजमहलों के रख-रखाव के लिए श्रमिकों को नियुक्त करना पड़ा था। इन व्यक्तियों में पत्थर-तराशों का उल्लेख प्रमुख रूप में किया गया है। कारण यह है कि जैसा बाबर ने उल्लेख किया है, (हिन्दू शासकों से छीन लिये गए) उन नगरों के राजमहल पत्थरों के बने हुए थे। प्रायः भारतीय इतिहास ग्रन्थों में वर्णित है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ही भारत में पाषण निर्माण-कार्य सर्वप्रथम प्रारम्भ किया। वह पर्यवेक्षण तो स्वयं बाबर के उपर्युक्त कथन से ही असत्य सिद्ध हो जाता है। हम यहाँ साग्रह कहना चाहते हैं कि भारत में कहीं भी, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, कोई भी निर्माण-कार्य नहीं किया। इसके विपरीत, उन्होंने तो पुल, नहरें, दुर्ग, राजमहल और मन्दिरों जैसी सहस्रों भव्य हिन्दू संरचनाएँ नष्ट की और अवशिष्टों पर कुरान की शब्दावली उत्कीर्ण कर तथा उनमें कब्रें खोदकर उनको मकबरे और मस्जिदों के रूप में उपयोग में लिया।

ध्यान रखने योग्य दूसरी बात यह है कि अकबर और उसके अनुवर्तियों को पत्थर-तराशों की नियुक्ति दो प्रमुख कारणों से करनी पड़ी थी। सर्वप्रथम, हिन्दू भवनों के ऊपर इस्लामी शब्दावलियाँ उत्कीर्ण करनी थीं। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम आक्रमण के समय क्षत किए गए उन विजित हिन्दू भवनों, राजमहलों, मन्दिरों और दुर्गों के अंशों का भी तो कोई रूप-सुधार करना ही था। तीसरी बात यह है कि गवाक्ष-आधारों से हिन्दू

१. वही, पृष्ठ २६७।

प्रतिमाओं को उखाड़ने और जहाँ तक सम्भव हो, अपने अधीनस्थ हिन्दू भवनों से हिन्दू लक्षणों को तहस-नहस करने के लिए भी पत्थर-तराशों की आवश्यकता थी। मुस्लिम विजेतागण हिन्दू भवनों के अलंकरण को जान-बूझकर और धर्मान्धता में जो क्षति पहुँचाया करते थे, उसका ज्ञान फतेहपुर सीकरी के हाथी द्वार पर खड़े प्रस्तर-गजराजों की विलुप्त सूँडों, आगरा स्थित लालकिले के हाथी द्वार पर के हाथियों की प्रतिमाओं के विनाश, और उसी किले के भीतर हिन्दू कृष्ण-संगमरमरी सिंहासन-मंच के टूटने-फूटने से प्राप्त किया जा सकता है (जिसका दोष, कलंक भूल से जाटों या ब्रिटिश लोगों को दिया जाता है)।

ध्यान देने की तीसरी बात यह है कि बाबर स्पष्ट रूप में उल्लेख करता है कि निकटवर्ती सभी स्थानों में से उसने सीकरी को पड़ाव के लिए इसलिए चुना, क्योंकि जल-पूर्ति वहाँ अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध थी। अतः सामान्यतः अन्धानुकरण करते हुए प्रस्तुत किया जाने वाला यह तर्क कि अकबर को फतेहपुर सीकरी जल उपलब्ध न होने के कारण छोड़ देनी पड़ी, उस भावना के विरुद्ध है, जिसमें यह प्रस्तुत किया जाता है। इसका निहित भाव, हम बाद में स्पष्ट करेंगे।

कन्वाहा में राणा साँगा की सेनाओं और अपनी अग्रिम टुकड़ी के मध्य हुई प्रारम्भिक विनाश मुठभेड़ का वर्णन करते हुए बाबर कहता है[1] :"जब अब्दुल अजीज का दिन आया, तब वह बिना सावधानी ही कन्वाहा तक आगे बढ़ गया जो सीकरी से पाँच कोस दूर है। मूर्तिपूजकों की (अर्थात् राणा साँगा की हिन्दू) सेनाएँ आगे बढ़ रही थीं। उनको जब उसके मूर्खतापूर्वक अव्यवस्थित रूप में आगे बढ़ने की जानकारी मिली, जो उनको बहुत ही शीघ्र मिल गयी थी, तभी उन्होंने अपने में से ४०००-५००० लोगों का एक दल तुरन्त रवाना कर दिया और उसे जा दबोचा। पहले ही धावे में अब्दुल अजीज के अनेक लोग बन्दी बनाए गए और युद्धक्षेत्र से दूर ले जाए गए। उनकी पराजय का बदला लेने के लिए मुहम्मद जंग को भेजा। (शत्रु ने) अब्दुल अजीज और उसकी टुकड़ी की बहुत दुर्दशा की थी।"

१. वही, पृष्ठ २६७।

हम यहाँ मुस्लिम तिथिवृत्ति-लेखन के सम्बन्ध में एक प्रासंगिक [illegible]-
क्षण करना चाहते हैं। मध्यकालीन-मुस्लिम तिथिवृत्त सर्वाधिक कपटपूर्ण
प्रलेख हैं। उनमें उल्लेखित प्रत्येक शब्द और अंक की व्याख्या करने में
पाठक को अत्यधिक सावधान रहना आवश्यक है। बाबर ने कहा है कि
अब्दुल अजीज के पास केवल १५०० मुस्लिम थे जबकि उसके ऊपर धावा
बोलने वाली हिन्दू सेना की संख्या ५००० थी। इसका ज्यों का त्यों विश्वास
नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम, बाबर ने मुहम्मद जंग के अधीन भारी
संख्या में कुमुक भेजी थी किन्तु स्पष्टतः उनकी भी शोचनीय दशा हुई।
दूसरी बात यह है कि बाबर ने स्पष्टतः यह लेखा कई मास बाद सुनी हुई
बातों के आधार पर लिखा था। अतः यह स्वाभाविक ही था कि कन्वाहा
की घटनाओं का विवरण बाबर के सम्मुख प्रस्तुत करने वाले उसके अधी-
नस्थ मुस्लिम कर्मचारी कायरता और अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के
लिए अपनी संख्या कम और हिन्दुओं की संख्या अधिक बताएँ। यदि वे
ऐसा न करते तो प्रतिशोधी बाबर द्वारा उनको क्रूर यातनाएँ दी जातीं।
इसी प्रकार जब मुस्लिम लोग दावा करते हैं कि उन्होंने मस्जिदें, मकबरे,
पुल, नहरें और किले बनाए, तब उन दावों का केवल यही भाव समझना
चाहिए कि उन्होंने पूर्वकालिक हिन्दू-संरचनाओं को अपने उपयोग में लिया
और उनको अपनी निर्मित घोषित कर दिया। ऐसी ही असंख्य त्रुटियाँ
एवं मोहजाल हैं जिनके प्रति भारतीय इतिहास के प्रत्येक छात्र को मुस्लिम
तिथिवृत्तों का अध्ययन करते समय सजग, सतर्क रहना चाहिए।

हम बाबर को यह कहते हुए पहले ही उद्धृत कर चुके हैं कि उसका पड़ाव सीकरी और जलाशय के निकट ही था। हम उसके संस्मरण-ग्रन्थ से अब एक और अवतरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कहा गया है कि[1] : "वह युद्ध ऐसे स्थान पर लड़ा गया था जो हमारे पड़ाव के निकट ही एक पहाड़ी से दिखाई देता था। इसी पहाड़ी पर मूर्तिपूजकों की खोपड़ियों का एक स्तम्भ बनाये जाने का मैंने आदेश दिया।"

बाबर ने जिस पहाड़ी का उल्लेख किया है, वह स्पष्टतः वही पहाड़ी

१. वही, पृष्ठ २७७।

है जिस पर उसी के कहे अनुसार सीकरी-महल स्थित थे। पहाड़ी पर खोपड़ियों का स्तम्भ बनाया गया था क्योंकि अपने राजमहलों सहित उस फतेहपुर सीकरी दुर्ग को ही हिन्दुओं ने अपना अन्तिम मोर्चा बनाया था। जलाशय के समीप और कोई पहाड़ी है ही नहीं। सुदूरवर्ती क्षितिज तक मैदान ही मैदान फैला हुआ है।

मुस्लिम तिथिवृत्तों में अकबर-पूर्व फतेहपुर सीकरी में शाही भागों के अस्तित्व के सम्बन्ध में और कुछ अन्य सन्दर्भ भी मिलते हैं, जो निम्न प्रकार हैं—

"जब आदिलखान और खव्वास खान फतेहपुर सीकरी पहुँचे, तब वे उस युग की पुण्यात्माओं में से एक सलीम चिश्ती के दर्शनों के लिए भी गए।"[1]

"मीर सीकरी में ९७१ हिज्री (सन् १५६३ ई०) में मरा।"[2] यह बात अकबर के राज्यारोहण के सात वर्ष पश्चात् की है, और उस अवधि की ओर संकेत करती है जब परम्परागत झूठे वर्णनों के अनुसार भी सीकरी-स्थापना का विचार भी नहीं किया गया था।

"इसके पश्चात् सुलतान सिकन्दर के बेटे सुलतान महमूद ने, जिसे हसन खान मेवाती और राणा साँगा ने राजा के रूप में प्रस्थापित किया था, द्वितीय जमशेद बादशाह बाबर को सीकरी के पास लड़ाई में रोके रखा।"[3]

"जब शेरशाह आगरा राजधानी से आगे बढ़ा और फतेहपुर सीकरी पहुँचा, तब उसने आदेश दिया कि सेना की प्रत्येक टुकड़ी को इकट्ठे ही युद्ध के लिए आगे बढ़ना चाहिए।"[4] शेरशाह ने सन् १५४० से १५४५ ई० तक शासन किया। इसका अर्थ यह है कि उसका शासनकाल अकबर-जन्म से दो वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ और समाप्त तब हो गया जब अकबर केवल तीन

१. वही, पृष्ठ ४८३।
२. वही, पृष्ठ २९४।
३. वही, पृष्ठ ३४६।
४. वही, पृष्ठ ४०४।

वर्ष का ही था। अकबर उस समय अफगानिस्तान में था, और तब भी भारत में फतेहपुर सीकरी के राजमहल-संकुल विद्यमान थे।

"अपने सरदारों के साथ आदिलखान (शेरशाह के बेटे, इस्लामशाह नामक) अपने भाई के पास गया। जब वह फतेहपुर सीकरी पहुँचा, तब इस्लामशाह उसे मिलने के लिए सिंगापुर के ग्राम में आ गया।"[1] फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में यह सन्दर्भ उस समय का है जब अकबर का पिता हुमायूँ भी भगोड़ा जीवन व्यतीत कर भारत वापिस नहीं लौट पाया था।

फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में ऐसे असंख्य सन्दर्भ अकबर-पूर्व कई शताब्दियों तक स्पर्श करते हैं।

अन्य महत्त्वपूर्ण प्रमाण यह है कि शेख सलीम चिश्ती और उसके परिवार के लोग 'फतेहपुरी' या 'सीकरीवाल' पुकारे जाते थे। उनका अर्थ यह है कि उन लोगों को फतेहपुर सीकरी से आया हुआ माना जाता था। किसी भी परिवार को ऐसा भौगोलिक नाम यकायक नहीं मिल जाता। फतेहपुर अर्थात् सीकरी में पीढ़ियों निवास कर चुकने वाले परिवार को ही उस नगरी के नाम पर पुकारा जा सकता है। और चूँकि सलीम चिश्ती सन् १५७० के आसपास मरा था—यह वह वर्ष था जब कुछ लोगों के अनुसार अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण प्रारम्भ किया था—अतः 'फतेहपुरी' या 'सीकरीवाल' कुल नामों का निहितार्थ स्पष्ट है कि वह अकबर से अनेक वर्ष पूर्व ही फतेहपुर अर्थात् सीकरी नाम से पुकारी जाने वाली नगरी में निवास करता रहा होगा।

इसके अतिरिक्त हम पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार फतेहपुर सीकरी पहले तो हिन्दू राजघरानों का स्थल रहा है और फिर शताब्दियों तक विनाशक, विध्वंसक मुस्लिम खानदानों का। इस तथ्य से इतिहास के सभी छात्रों और फतेहपुर सीकरी जाने वाले पर्यटकों को इस झूठी प्रथा के प्रति पूर्णतः सजग हो जाना चाहिए कि अकबर ने उस ऐश्वर्यशाली भव्य नगरी की स्थापना की थी।

१. वही, पृष्ठ ४८१।

५

काल्पनिक निर्माण-तिथियाँ

चूँकि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना करना झूठी कथा है, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि विभिन्न काल्पनिक वर्णनों में उन वर्षों के सम्बन्ध में परस्पर मतभेद हो। जब कहा जाता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण प्रारम्भ करवाया या उस निर्माण की पूर्ति हो गई—उस सन्दर्भ में परस्पर विरोधी और भयंकर भूलों से भरे वर्णन दिए जा रहे हैं।

एक मार्गदर्शिका[1] उल्लेख करती है: "सन् १५६९ के वर्ष में एकान्त ऊँचाई पर अकबर ने नगरी स्थापित की और एक नये दुर्ग का निर्माण प्रारम्भ किया जो सन् १५७४ में पूर्ण हो गया। इस वर्ष आगरा दुर्ग (भी) पूर्ण हो गया।"

अतः इस वर्णन के अनुसार अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण सन् १५६९ और १५७४ के मध्य किया। आइए, अब हम इस वक्तव्य का सूक्ष्म विवेचन करें। प्रारम्भ में, यह इसका कोई उल्लेख नहीं करता कि अकबर को राजधानी के रूप में फतेहपुर सीकरी के निर्माण की क्या आवश्यकता आ पड़ी जबकि केवल २३ मील दूर ही उसकी राजधानी आगरा जैसी समृद्धिशाली नगरी पहले ही विद्यमान थी। अन्य प्रश्न है कि अकबर ने वह भूमि कहाँ से प्राप्त की, यह भूमि किससे ली गई थी, किसने सर्वेक्षण किया था, किसने नगर-योजना की, किसने भवन-योजना बनायी, किसने विशद जल-यंत्रों का आयोजन किया, निर्माणादेश कहाँ हैं, कहाँ हैं प्रतिरूप-निरूपण, आदेशित सामग्री के बिल और पावतियाँ, नित्य प्रति के व्यय-

१. वही, जैनको प्रकाशक की 'फतेहपुर सीकरी की मार्गदर्शिका', पृष्ठ २।

में ही पूर्ण हो गया ?
लेने, तथा कैसे यह सब कुछ केवल पाँच वर्ष की अवधि में ही पूर्ण हो गया ?

पाठक इन प्रश्नों को ध्यान में रखें और अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना सम्बन्धी विडम्बना का भण्डाफोड़ करने के लिए उन सभी सम्बन्धित वर्णनों की सत्यता परखने के लिए अन्य प्रश्नों का निरूपण स्वयं कर लें, जिनका उल्लेख हम आगे चलकर करेंगे।

हम अब एक 'आधिकारिक ग्रंथ' की चर्चा करेंगे। यह एक मार्गदर्शिका है जो भारत सरकार द्वारा विरचित और प्रकाशित है। यह अधिनायकवादी आनन्द और आडम्बर-सहित महत्त्वपूर्ण आँकड़ों और फतेहपुर सीकरी के विभिन्न भवनों के उपयोग का वर्णन करती है।

अकबर द्वारा उस नगरी की स्थापना या उसे पूर्ण करने की तारीख देने का साहस करना तो दूर, पुस्तक के 'प्राक्कथन' में स्वयं करुण-स्वीकरण है कि[1] "फतेहपुर सीकरी में प्राचीन स्मारक वे हैं जिनके सम्बन्ध में मूल-अभिलेखों में लेश-मात्र भी आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। तारीखे-जहाँगीरी, मुन्तखाबुत तवारीख, आइने अकबरी, अकबरनामा आदि जैसे फारसी भाषा में लिखित स्मृति और इतिहास-ग्रंथों से संगृहीत वर्णन सभी प्रकार के जिज्ञासुओं को सन्तुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।" इस प्राक्कथन के लेखक भारत सरकार, पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यकारी अधीक्षक श्री एच० एल० श्रीवास्तव प्रकटतः इस तथ्य से असावधान प्रतीत होते हैं कि अकबर के तिथिवृत्त लेखकों ने ४०० वर्षों की दीर्घावधि तक सभी सन्तति को ठगा है, महान् धोखा दिया है।

किन्तु यह शिकायत कि कोई आधिकारिक विवरण या प्रलेख उपलब्ध नहीं है, केवल फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में ही विशेष बात नहीं है। इसी प्रकार के वक्तव्य भारत में सम्पूर्ण मुस्लिम इतिहासकाल में कश्मीर में निशात और शालिमार से लेकर दिल्ली की तथाकथित कुतुब-मीनार, और आगरा व दिल्ली के लालकिलों तथा हुमायूँ, अकबर, शेरशाह, जहाँगीर, एतमादुद्दौला, गियासुद्दीन तुगलक के मकबरों के बारे में दुहराए गए हैं।

१. मौलवी मोहम्मद अशरफ हुसैन की 'फतेहपुर सीकरी की मार्गदर्शिका'—प्राक्कथन।

स्वयं अत्यधिक ख्यात, प्रशंसित और तड़क-भड़कपूर्ण ताजमहल के सम्बन्ध में भी प्रोफेसर बी० पी० सक्सेना की पुस्तक—'दिल्ली के शाहजहाँ का इतिहास' में [जिसे पी-एच० डी० के शोध-प्रबन्ध के रूप में लंदन-विश्वविद्यालय ने स्वीकृत किया था] स्वीकार किया गया है कि "ताजमहल के सम्बन्ध में कोई आधिकारिक अभिलेख प्राप्त नहीं है।"

मुस्लिम आक्रमणकारियों को जिन सभी मध्यकालीन स्मारकों का निर्माण-श्रेय दिया जाता है उनके सम्बन्ध में ऐसे असत्य-स्वीकरण इस बात के स्पष्ट द्योतक हैं कि उन सभी अद्भुत भवनों के सम्बन्ध में इस सुलतान या उस बादशाह द्वारा निर्माण किए जाने के एक के बाद एक सभी मनचाहे वर्णन परले दर्जे की झूठ के अम्बार हैं। परिणाम यह हुआ है कि भारत के मध्यकालीन इतिहास से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध रखने वाले न केवल भारतीय अपितु विश्व-भर के लोगों को भारत की उन तथाकथित मुस्लिम मस्जिदों, मकबरों, किलों और भवनों के मूल के सम्बन्ध में असहाय रूप में निराधार विवरण रटवाकर ठगा गया है जबकि तथ्य रूप में वे सभी मुस्लिम-पूर्व काल की मौलिक हिन्दू संरचनाएँ हैं जो विजित कर ली गयीं और मुस्लिमों के उपयोग में लाई गयीं।

चूँकि सरकार की अपनी उपर्युक्त मार्गदर्शिका प्रारम्भ में ही अपने आधार के प्रति अनिश्चित है, अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं करती है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी। तथ्य रूप में, यह स्वयं-निहित व्यामोह प्रकट करता है कि यद्यपि अकबर का शासनकालीन वर्णन कम से कम अबुल फजल, बदायूँनी और निजामुद्दीन नामक तीन विभिन्न दरबारियों द्वारा लिखित विश्वास किया जाता है तथापि वे सभी फतेहपुर सीकरी जैसी भव्य और विस्तृत नगरी की अतिप्रिय स्थापना के सम्बन्ध में निश्चत रूप से कुछ भी कहने में असफल रहे हैं। क्या यह स्वयं पर्याप्त रूप में सन्देहोत्पादक नहीं है ?

एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका अनिश्चित रहना ही श्रेयस्कर समझता है। स्पष्टतः इस कारण कि इसे भी कोई आधिकारिक बात उपलब्ध नहीं

विश्वकोष में कहा गया है कि¹ : "फतेहपुर सीकरी की स्थापना
थी। विश्वकोष में कहा गया है कि···सन् १५८८ के पश्चात् यह
अकबर द्वारा १६वीं शताब्दी में की गयी थी···सन् १५८८ के पश्चात् यह
अकबर द्वारा १६वीं शताब्दी में की गयी थी और अपर्याप्त जल-वितरण व्यवस्था के कारण इसका
राजधानी नहीं रही और अपर्याप्त जल-वितरण व्यवस्था के कारण इसका
परित्याग कर दिया गया।" यह स्पष्ट है कि एन्साक्लोपीडिया ब्रिटेनिका
का विशेषज्ञ भी अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी स्थापित किए जाने के
परम्परागत धोखे और झूठ का भोला-भाला शिकार हो गया है।

महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश नामक एक अन्य विश्वकोष एन्साइक्लोपीडिया
ब्रिटेनिका की तुलना में फतेहपुर सीकरी की स्थापना-वर्ष के बारे में अधिक
सुनिश्चित प्रतीत होता है, किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ निश्चय नहीं कर सका
कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का त्याग कब किया। इस विश्वकोष में लिखा
है कि² "सन् १५६६ में अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक एक बड़ी नगरी
का निर्माण प्रारम्भ किया और इसे १५ वर्षों में पूर्ण किया।" इस वर्णन के
अनुसार फतेहपुर सीकरी सन् १५६६ से १५८४ तक निर्मित हुई थी।
'अकबर ने क्यों और कब इसे त्याग दिया' यह इस बारे में कुछ नहीं कहता।
अन्य आधिकारिक ग्रन्थों के समान ही, हमारे सीधे प्रश्नों के उत्तर में यह
भी चुप्पी साधे हुए है।

एक अन्य लेखक का आग्रह है कि³ "फतेहपुर सीकरी की नींव नवम्बर,
१५७१ में रखी गयी थी। निर्माण-कार्य का संक्षिप्त वर्णन पादरी मनसरॅट
द्वारा दिया गया है, जो समस्त कार्यवाही का प्रत्यक्ष साक्षी था। फतेहपुर
सीकरी में एक अभिलेख कार्यालय बनाया गया···दुर्भाग्य से वे अभिलेख,
जो उस युग के इतिहास लेखक के लिए सर्वाधिक मूल्यवान थे, जलकर
विनष्ट हो गए हैं।"

१. एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, १९६४ संस्करण, भाग ९।
२. सदाशिव पेठ, पूना-२ से १९२५ में प्रकाशित, एस० बी० केतकर
द्वारा सम्पादित महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, भाग १७, प. फ. २।
३. डाक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव विरचित, शिवलाल अग्रवाल एण्ड
कं० (प्रा०) लि०, आगरा द्वारा प्रकाशित 'अकबर महान्', भाग १.
पृष्ठ १२६-३० व २७७-८८।

पूर्वोक्त अवतरण का प्रत्येक कथन असत्य है। सर्वप्रथम, हम पहले
ही प्रदर्शित कर चुके हैं कि पहले संदर्भित ग्रन्थों में फतेहपुर सीकरी की
स्थापना नवम्बर १५७१ में किए जाने का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है। दूसरी
बात यह है कि पादरी मनसरॅट ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना का कोई
प्रत्यक्ष-साक्ष्य छोड़ा नहीं है। वह सम्भवतः ऐसा इसलिए नहीं कर सका
क्योंकि वह फतेहपुर सीकरी में सन् १५८० में पहुँचा था और उसने लिखा
है कि उसने दूर से प्राचीरें और स्तम्भ देखे थे। तीसरी बात यह है कि जिन
अभिलेखों को जलकर विनष्ट हो गए कहा है, वे कभी अस्तित्व में थे ही
नहीं। हत्याओं, बलात्कारों, षड्यंत्रों, प्रतिषड्यंत्रों, अनन्त विद्रोहों, युद्धों,
अपहरणों और विध्वंसों से परिपूर्ण, व्याप्त शासनकालों में कोई अभिलेख
नहीं रखे जाते। भारत में सभी मुस्लिम बादशाहों के लिए अभिलेख विनष्ट
होना एक ऐसा सुविधाजनक बहाना केवल इसलिए बना लिया गया है कि
उनके द्वारा सैकड़ों की संख्या में नगरियों, मकबरों, मस्जिदों और किलों
की स्थापना के सम्बन्ध में किए गए उनके अतिशयोक्तिपूर्ण दावों की
आधिकारिकता के प्रति जिज्ञासापूर्ण सभी प्रश्नों को शान्त कर दिया जाय।

बदायूँनी यह जानते हुए कि स्वयं झूठा अभिलेख रच रहा है, कुटिल
रूप में लिखता है—"कि लेखक (अर्थात् स्वयं बदायूँनी) को समस्त राज-
महल, मस्जिद, उपासना-गृह आदि (फतेहपुर सीकरी) को प्रारम्भ करने
की तारीख ९६७ हिज्री मिली।"¹ यह तारीख सन् १५६६ के समानुरूप
है। फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में बदायूँनी की साक्षी के बारे में अधिक
विस्तार से हम आगे यह प्रदर्शित करने के लिए चर्चा करेंगे कि बिना कोई
प्रत्यक्ष अथवा स्पष्ट दावा प्रस्तुत किए ही, अकबर को फतेहपुर सीकरी-
निर्माण का यश देने के लिए उसका सम्पूर्ण विवरण ही किसी प्रकार एक
झूठा, बेईमानी का प्रारम्भिक प्रयास है। यहाँ तो हम उसके द्वारा दी गई

१. अब्दुल कादिर इब्ने मुलुक शाह उर्फ बदायूँनी द्वारा लिखित मुन्त-
खाबुत तवारीख, भाग २, पृष्ठ ११२। मूल फारसी से जार्ज एस०ए०
रैंकिंग द्वारा अनूदित व सम्पादित बंगाल की एशियाटिक सोसायटी
द्वारा बेप्टिस्ट मिशन प्रेस, कलकत्ता, १८९८ में प्रकाशित।

कार्य-आरम्भ की तारीख ही प्रस्तुत करना चाहते हैं और यह भी बताना
चाहते हैं कि किसी भी प्रारम्भिक नगर-योजना सर्वेक्षण, परिव्ययक
अनुमान, भूखण्ड-क्रय सम्बन्धी कार्यवाही, रूप-रेखांकनकार और कारीगरों
आदि का नामोल्लेख करने में वह पूर्णतः विफल रहा है।

पाठक को बदायूंनी का वह अनिश्चित वक्तव्य स्मरण रखना चाहिए
कि लेखक को (फतेहपुर सीकरी की) समस्त वस्तुओं के प्रारम्भ करने की
तारीख ९७६ हिज्री (अर्थात् १५६९ ई०) मिली। वह जैसा प्रदर्शित करता
प्रतीत होता है, किसी अनुसन्धान परिश्रम के पश्चात् वह तारीख उसे प्राप्त
होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि बदायूंनी तो स्वयं अकबर के
परिचारकों में से था। यदि अकबर ने वास्तव में फतेहपुर सीकरी की
स्थापना की होती तो बदायूंनी ने सीधे स्पष्ट रूप में लिख दिया होता कि
आवश्यक धार्मिक अथवा इन्जीनियरी की प्राथमिक बातों के पश्चात् उस
नगरी का कार्य अमुक मास और वर्ष की अमुक तारीख को प्रारम्भ किया
गया था। इसकी अपेक्षा जब वह कहता है कि उसे एक तारीख विशेष
प्राप्त हुई तब किसी भी इतिहासवेत्ता को तुरन्त ही कुछ सन्देह उत्पन्न होना
चाहिए।

मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सूक्ष्म और विवेकशील अध्येता को
ऐसे पथभ्रष्टकारी मुस्लिम-तिथिवृत्तलेखन में ऐसे धोखे खोज निकालने में
सक्षम होने के लिए अत्यन्त चौकस रहना चाहिए। स्वयं यह तथ्य कि अकबर
के परिचारकों में से एक बदायूंनी जैसा दरबारी भी जब इस बात पर विशेष
बल देता है कि उसे फतेहपुर सीकरी की स्थापना की तारीख मिल गई,
प्रदर्शित करता है कि वह किस प्रकार किसी विशेष तारीख को फतेहपुर
सीकरी की स्थापना किए जाने के बारे में स्वयं को सुनिश्चित घोषित करने
से संकोच कर रहा है।

एक अन्य इतिहास लेखक विन्सेण्ट स्मिथ, जो फतेहपुर सीकरी की
स्थापना के सम्बन्ध में अबुलफज़ल की मधुर अनिश्चितता से स्पष्टतः
व्यामोहित हुआ प्रतीत होता है, अनुमान करता है कि फतेहपुर सीकरी
निर्माण-कार्यक्रम अकबर द्वारा सन् १५६९ में अवश्य ही प्रारम्भ हो गया
होगा।

स्मिथ का पर्यवेक्षण है, "सन् १५७१ के अगस्त मास में अकबर फतेह-
पुर सीकरी आया और शेख (सलीम चिश्ती) के मकान में ठहरा···
अकबर के बेटे सलीम और मुराद सीकरी में पैदा हुए थे। ('आइने-अकबरी'
नामक अपने तिथिवृत्त में) अबुलफज़ल की भाषा का अर्थ यह लगाया जा
सकता है कि अकबर से सन् १५७१ तक फतेहपुर सीकरी में निर्माण-कार्य
का विस्तृत-कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया था, किन्तु यह तथ्य नहीं है···उसके
भवनादि सन् १५६९ में वास्तव में प्रारम्भ हो गए थे···बादशाह ने गुजरात-
विजय के पश्चात् उसका नाम फतेहाबाद रखा जिसे शीघ्र ही फतेहपुर कर
दिया गया···भूल से जोधाबाई-महल पुकारा जानेवाला भवन सबसे बड़ा
और वहाँ के प्रारम्भिक भवनों में से एक है।"[1]

उपर्युक्त अवतरण भोलेपन और निराधार कल्पना का विचित्र मिश्रण
है। यही तथ्य कि अकबर का अति स्नेह-भाजन तिथिवृत्तकार अबुलफज़ल
फतेहपुर सीकरी स्थापना के सम्बन्ध में कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं करता,
अपितु कुछ ऐसे टिप्पण करता है जिनकी अनेक प्रकार से व्याख्या की जा
सकती है, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि फतेहपुर सीकरी में अकबर रहा
तो था, किन्तु इसका निर्माण अकबर ने नहीं किया था। सबसे पहली यही
धारणा निरर्थक है कि सन् १५७१ में अकबर सलीम चिश्ती की कुटिया में
घुस पड़ा था और तभी से, यथार्थतः फतेहपुर सीकरी उसके विशाल साम्राज्य
की राजधानी बन गई। यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि अकबर की
एक बहुत बड़ी सेना, विशाल हरम, वन्य-पशुसंग्रह, अंगरक्षक-दल बड़ा
परिचारक-वर्ग था। ये सब वहाँ फतेहपुर सीकरी में सन् १५७१ में एक ही
पल में अथवा सन् १५६९ में भी समा नहीं सकते थे, यदि वहाँ वे राजमहल-
संकुल न होते जो हमें आज के दिन फतेहपुर सीकरी में दिखाई पड़ते हैं।

यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि सन् १५७१ में ही अकबर
द्वारा आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानान्तरण किया भी विश्वास किया जाता
है, तो भी उसकी पत्नियाँ उससे कम से कम दो वर्ष पूर्व से वहाँ रही थीं
और उन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया था। अकबर की पत्नियाँ गर्भावस्था

१. विन्सेण्ट स्मिथ विरचित 'अकबर : महान् मुगल', पृष्ठ ७५।

कभी नहीं जाती यदि वह स्थान
की अन्तिम स्थिति में फतेहपुर सीकरी विशेष रूप में पारिवारिक महिलाएँ
निर्जन, एकान्त रहा होता। शाही बेगमें, सेवित होती है और कुछ सैनिकों द्वारा
अनेक दास-दासियों की सेवा-सुश्रूषा की भी आवश्यकता होगी। उन सभी को
उनको अवांछनीय तत्त्वों से सुरक्षा होगी। अकबर अपनी पत्नियों
आवास-हेतु बढ़िया भवनों की आवश्यकता मकानों में निवास के लिए नहीं भेजता
को निर्जन या लकड़ी के टूटे-फूटे आना-जाना रहता हो। यह
जहाँ लकड़बग्घे, गीदड़, और लुटेरों का सदा प्रारम्भिकावस्था में भी फतेहपुर
स्पष्टतः दर्शाता है कि स्वयं १५६६ की जहाँ अकबर की बेगमें शाही
सीकरी में ऐसे विशाल और भव्य राजमहल थे यह धारणा कि उनको भी
सुविधापूर्वक प्रजनन-कार्य निबटा सकती थी। दिया गया था अनेक बेहूदगियों
सलीम चिश्ती की कुटिया में निवासस्थान कि ऐसी तथाकथित कुटिया जिसमें
को जन्म देती है। सर्वप्रथम यह स्पष्ट है निवास कर सकें, राजमहल-
अनेक बेगमें और स्वयं बादशाह भी समा सकें, यह है कि सलीम चिश्ती
संकुल से कम तो हो ही नहीं सकती। दूसरी बात के प्रजनन, प्रसूति कार्य कर सके।
कोई ऐसी दाई नहीं था जो महिलाओं पालन करने वाले मुस्लिम लोग
तीसरी बात यह है कि घोर पर्दा-प्रथा का नहीं सौंपेंगे चाहे वह स्त्री-रोगों
अपनी पत्नियों को कभी भी किसी पुरुष को बात, जैसा हम आगे चलकर
का कितना ही विशेषज्ञ क्यों न हो। चौथी मित्रता का आध्यामिकता के साथ
देखेंगे, अकबर के साथ सलीम चिश्ती की वात, वास्तविक सन्त तो, यदि अपने
कोई भी सरोकार न था। पाँचवीं सक्षम होगा, तो गर्भवती महिला की
आशीर्वाद से पुत्रोत्पत्ति करा सकने में दूर से ही यह कार्य करा सकेगा।
सशरीर उपस्थिति के बिना भी अत्यन्त व्यक्ति था कि जो अपनी पत्नियों को
छठी बात यह कि अकबर इतना धूर्त कभी भी नहीं छोड़ता।
शेख सलीम चिश्ती की संरक्षता में

विन्सेंट स्मिथ की यह कल्पना कि अकबर ने सन् १५६६ में फतेहपुर सीकरी में राजमहल निर्माण-कार्य प्रारम्भ कर दिया होगा, यद्यपि अबुल-फज़ल का भ्रामक वक्तव्य इस काल को १५७१ ई० बताता है, सिद्ध करती है कि स्मिथ और फज़ल दोनों ही अविश्वसनीय हैं।

यह वक्तव्य, कि अकबर ने उस नगरी को फतेहाबाद नाम देने का यत्न

किया, दर्शाता है कि उसने विद्यमान हिन्दू नगरी 'सीकरी' को इस्लामी नाम देना चाहा, जैसा अकबर के पूर्ववर्तियों द्वारा शताब्दियों तक किया गया था। इससे पाठक को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि किसी वस्तु का निर्माण करना तो दूर रहा, अकबर तो उस हिन्दू नगरी का नाम-परिवर्तन करने में भी सफल न हो पाया।

मनसर्रेट नामक एक ईसाई पादरी जो सन् १५८० से १५८२ तक फतेहपुर सीकरी में रहा था, एक दैनन्दिनी छोड़ गया है जो उसने सोने से पहले प्रत्येक रात्रि को बहुत ध्यानस्थ होकर लिखी है। यदि फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा ही वास्तव में निर्मित होती तो मनसर्रेट ने मलबे और निर्माण-सामग्री के ढेर के ढेर लगे देखे होते। यह बात तो दूर रही, मनसर्रेट तो एक ऐसी नगरी में प्रविष्ट हुआ था जिसमें उस नगरी के न तो निर्माणधीन होने के कोई लक्षण शेष थे और न ही कुछ ऐसा शेष रहा था कि जिससे प्रतीत हो कि निर्माण-कार्य अभी पूर्ण हुआ है। उसके स्मृति-ग्रन्थों में कहा गया है कि "जब पादरियों ने दूर से फतेहपुर नगरी को देखा····तब वे उस नगरी का विशालाकार और भव्य आकृति अत्यधिक रुचि से निहारने लग गए।"[१]

मनसर्रेट का पर्यवेक्षण प्रदर्शित करता है कि सन् १५८० ई० में फतेहपुर सीकरी अपने स्तम्भों, प्रवेश-द्वारों और दुर्ग-प्राचीरों-सहित दूर से ही दृश्यमान् 'परिपूर्ण' नगरी के रूप में विद्यमान थी, और उनमें उसी समय निर्मित होने का लेश-मात्र चिह्न भी शेष नहीं था। इसका अर्थ है कि फतेहपुर सीकरी यदि अकबर द्वारा निर्मित हुई थी, तो सन् १५८० से पर्याप्त समय पूर्व ही बन गयी होगी। यह बात उस अन्तिम समय की सीमा निश्चित कर देती है जब फतेहपुर सीकरी को इतनी पूर्णता से तैयार कर लिया गया या उसके पूरे मलबे और शेष सामग्री को गर्दभ और वृषभ जैसे मन्थर गति वाहनों के द्वारा पूरी तरह दूर ढोकर ले जाया जा सकता था। अतः हमें कल्पना कर लेनी चाहिए कि अकबर ने यदि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था तो यह सन् १५७९ तक अवश्य ही पूर्ण हो गई होगी, जिससे कुछ

१. पादरी मनसर्रेट, एस० जे०, की समीक्षा, पृष्ठ २७।

के लिए मिल गई
मास की छूट उस सम्पूर्ण परिसीमा की सफाई करने
होगी। उसके पश्चात् मनसरेंट वहाँ पधारा होगा।

मनसरेंट लिखता है : "फतेहपुर का निर्माण बादशाह ने अभी हाल ही में गुजरात की लड़ाई की सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात् शासन की राजधानी को लौटने पर किया था।"[1]

उपर्युक्त वक्तव्य भ्रामक और पथभ्रष्टकर्ता दोनों ही है। स्पष्टतः मनसरेंट को अकबर के चापलूस दरबारियों द्वारा यह विश्वास दिलाकर धोखा दिया गया है और उसके दिमाग में यह गलत बात ठूंसी गयी है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। अतः हमें मनसरेंट के वक्तव्य की सूक्ष्म समीक्षा करनी चाहिए।

प्रारम्भ में ही स्पष्ट है कि उसने नव-निर्माण के कोई चिह्न लक्षित नहीं किए। उसका फतेहपुर सीकरी को नव-निर्मित नगरी कहने का सन्दर्भ स्पष्टतः उसे मुस्लिम दरबारियों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है।

वह लिखता अकबर गुजरात की लड़ाई के बाद अपने शासन की राजधानी को लौट आया था। उसका अर्थ यह है कि वह गुजरात की लड़ाई के पश्चात् सन् १५७३ ई० में फतेहपुर सीकरी लौट आया था। चूंकि फतेहपुर सीकरी सन् १५७३ से पूर्व भी उसके शासन की राजधानी थी, अतः मनसरेंट के कथन का निहितार्थ यह है कि फतेहपुर सीकरी सन् १५७३ से पूर्व भी अस्तित्व में थी; उसी समय वह हमें यह भी सुनी-सुनायी बताता है कि अकबर ने गुजरात से वापसी पर अर्थात् १५७३ के बाद इसे निर्माण किया था। यह तो परस्पर विरोधी है, पूर्णतः अमान्य है। यदि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को सन् १५७३ के पश्चात् बनाया तो यह नगरी उसके शासन की राजधानी कैसे थी जहाँ वह सन् १५७३ में वापस लौटा? इस विरोध व भ्रम को भी स्वीकार करते हुए हम मनसरेंट की सुनी-सुनायी जानकारी की उदारतम व्याख्या करते हुए यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा यदि बनी ही थी तो कदाचित् सन् १५७३

१. वही, पृष्ठ २९-३०।

और १५७९ के मध्य ही बनी थी।

हम अब यह पूछते हैं कि मध्यकालीन युग के मन्थरगति वाहन-साधनों के होते हुए उतनी अल्पावधि में क्या एक नगरी-निर्माण सम्भव है? और यदि यह ऐसा ही हुआ था, तो इसके मानचित्र और अभिलेख या कम से कम इसके सर्वेक्षण-कर्ताओं या निर्माताओं के नाम या कम से कम लेखे कहाँ हैं? इससे भी बढ़कर बात यह है कि जहाँ कुछ मुस्लिम वर्णन फतेहपुर सीकरी का निर्माण-काल सन् १५६९ से १५७४ तक बताते हैं वहाँ मनसरेंट के अनुसार उसकी संरचना सन् १५७४ तक तो प्रारम्भ ही नहीं हुई थी!

यह दर्शाता है कि हमारे जैसे आधुनिकों के समान ही मार्गदर्शकों और दरबारी कर्मचारियों द्वारा मनसरेंट को भी यह विश्वास दिलाकर ठगा गया था कि अकबर फतेहपुर सीकरी का रचयिता था। अतः अकबर का दावा प्रास्थापित करने में उसकी साक्षी निरर्थक है।

फिर भी धोखापूर्ण उपलब्ध आधार-सामग्री को संकलित करने पर हम यही टिप्पणी करेंगे कि कदाचित् मनसरेंट के अनुसार फतेहपुर सीकरी वास्तव में सन् १५७३ और १५७९ ई० के मध्य कभी निर्मित हुई थी, यद्यपि वह स्थान सन् १५७३ से पूर्व भी अकबर की राजधानी था। अन्य आधार सामग्री के साथ तुलना करने के लिए हम इन दो असंगत, विरोधी और बेहूदी स्थितियों को भी लिख लेते हैं, चाहे इनका लेश-मात्र मूल्य भी न हो।

भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण के एक प्रकाशन के अनुसार,[1] "फतेहपुर सीकरी की यह नगरी सन् १५६९ में प्रारम्भ हुई थी और सन् १५७४ में पूरी हुई थी। यह वर्ष वही था जब आगरा में अकबर का किला भी पूर्ण हुआ था।"

उपर्युक्त वक्तव्य रोचक प्रश्न उपस्थित करता है कि यदि सन् १५७४ तक आगरे का किला और फतेहपुर सीकरी, दोनों ही निर्माणाधीन थे, तो

१. भारत के पुरातत्वीय महानिदेशक, नई दिल्ली द्वारा सन् १९६४ में प्रकाशित 'पुरातत्वीय अवशेष, स्मारक और संग्रहालय', भाग २, पृष्ठ ३०८।

अकबर और उसकी सेना, दरबार और हरम कहाँ निवास कर रहे थे ? क्या वे ऐसे बे-घरबार थे जिनके सिर पर छाया तक नहीं थी ? और अकबर किस प्रकार ये दो अतिव्ययशील निर्माण-परियोजनाएँ साथ-साथ प्रारम्भ कर सकता था ? क्या उसके पास इतना धन था ?

और उन विभिन्न विद्रोहों और युद्धों के बारे में क्या कहा जाय जिनकी ओर से वह अन्यमनस्क न हो सका ?

और वे कौन-कौन से सुविख्यात नगर-योजनाकार, शिल्पकार व कारीगर थे ? क्या वे कोई जादूगर थे जो सम्पूर्ण नगरियों और किलों को बिना किसी शोर-शराबे के तथा मलबे बिना बना सकते थे। और वे इतने प्रसिद्धि पराङ्मुख थे कि पीछे किसी का भी नाम अंकित नहीं छोड़ गए ?

और क्या वे अतिव्ययी संरचनाएँ इतनी चुपचाप की गयी थीं कि शाही अभिलेखों में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं हुआ, चूँकि मुगल-दरबार के अभिलेखों में कागज की एक कतरन भी ऐसी नहीं है जो अकबर की तो बात क्या किसी भी शासक के किसी परियोजना-निर्माण पर कोई प्रकाश डाले।

उपर्युक्त असंगतियों के बावजूद, उपलब्ध कल्पनात्मक साक्ष्य की तालिका को पूर्ण करने के लिए हम इस तथ्य को हृदयंगम कर लेते हैं कि भारत सरकार की औपचारिक आस्था और विश्वास के अनुसार फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा सन् १५६९ और १५७४ के मध्य निर्मित हुई थी। किन्तु अवरोध यह है कि मनसरेंट स्पष्ट रूप में कहता है कि स्वयं सन् १५७३ में ही अकबर गुजरात युद्ध के पश्चात् फतेहपुर सीकरी लौट आया था क्योंकि यह पहले ही उसकी राजधानी थी।

यद्यपि अकबर का अत्यन्त शेखीमार दरबारी तिथिवृत्तकार, स्व-शैली-सम्पन्न, स्व-नियुक्त अबुलफजल अपनी भ्रामक पथभ्रष्टकारी और बहुविध काल्पनिक लेखन-कला के लिए कलंकित है, तथापि उसकी लेखनी एक स्थान पर, अनजाने ही भंडाफोड़ कर देती है। वह लिखता है, "बादशाह सलामत के राजगद्दी पर बैठने के बाद, आगरा से बारह कोस पर स्थित

(फतेहपुर सीकरी) सर्वाधिक महत्त्व की नगरी बन गई है।"[१] यह प्रदर्शित करता है कि गद्दी पर बैठने के बाद अकबर अपने कर्मचारीवृन्द का एक बड़ा भाग फतेहपुर सीकरी में रखा करता था। इससे फतेहपुर सीकरी का महत्त्व बढ़ गया। वह ऐसा नहीं कर पाता, यदि फतेहपुर सीकरी में वे सब राजमहल न होते, जिन्हें हम आज देख पाते हैं।

१. अबुलफजल अल्लामी विरचित आइने-अकबरी का कर्नल एच० एस० जरंट द्वारा अंग्रेजी अनुवाद। द्वितीय संस्करण, परिशोधित और आगे भी भाष्यकृत। भाष्यकार सर जदुनाथ सरकार, बंगाल की रायल एशियाटिक सोसायटी की बिब्लियोथिका इंडिका सीरीज १, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता, सन् १९४९ ई०।

६

नगण्य शिला-लेख

यह अत्यन्त महत्त्व की बात है कि यद्यपि फतेहपुर सीकरी में बने विभिन्न भवनों पर अनेक मुस्लिम शिलालेख उत्कीर्ण हैं तथापि उनमें से किसी में भी अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी-निर्माण किए जाने का कोई सन्दर्भ, उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत अधिक आश्चर्यकारी बात यह है कि उनमें से कुछ, विश्व-अस्तित्व की परिवर्तनशीलता को सन्दर्भित करते हुए, निषेधात्मक वाक्य समाविष्ट किए हैं कि इस अनित्य संसार में, जीवन में कोई भवन-निर्माण नहीं करना चाहिए। अतः पाठक को स्मरण रखना चाहिए कि जबकि शिलालेख अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी बनवाने का कोई उल्लेख नहीं करते, उनका निहितार्थ यह है कि स्वयं कुछ भी निर्माण करने के विरुद्ध निषेधादेश करते हुए अकबर स्वयं एक विजित हिन्दू राजधानी में आमोद-प्रमोद-सहित रहता रहा।

ध्यान देने वाली अन्य बात यह है कि मुस्लिम शिलालेखों की प्रकृति स्वयं ही यह प्रदर्शित करती है कि वे सब अदक्ष हाथों से की हुई वैसी ऊपरी खुदाई है जैसी हम भ्रमण-स्थलों पर देखते हैं। निठल्ले आमोदी व्यक्ति या सुखोपभोगी व्यक्ति जहाँ कहीं घूमने जाते हैं, वहीं असम्भव स्थानों पर असंगत व असम्बद्ध बातें लिख दिया करते हैं, चाहे वह स्थान ऐतिहासिक हो अथवा सुन्दर प्रकृति-दृश्य। हिन्दू भवनों पर मुस्लिम शिलालेख यथार्थतः उसी प्रकार के हैं। यदि अकबर ने सचमुच ही फतेहपुर सीकरी भवन-संकुल का निर्माणादेश दिया होता, तो उन शिलालेखों में असम्बद्ध बातों पर प्रकाश डालने की अपेक्षा संरचना के सम्बन्ध में ही संक्षिप्त आँकड़े प्रस्तुत किए होते।

हम इस अध्याय में, फतेहपुर सीकरी में अभी तक प्राप्त सभी शिलालेखों का उल्लेख कर, इसी बात को प्रमाणित करेंगे।

राजमहल-संकुल में एक भवन है जिसका प्रचलित नाम ख्वाबगाह अर्थात् स्वप्न-गृह है। यह स्वयं निरर्थक नाम है। कोई भी मौलिक निर्माता श्रमार्जित धन से बनाए गए भवन को ऐसा नाम नहीं देगा। केवल कोई अपहरणकर्ता ही किसी भवन को स्वप्न-गृह कहकर पुकारेगा क्योंकि किसी अन्य की सम्पत्ति को हड़प करके ही उसने अपना स्वप्न साकार किया होगा।

इस पर अंकित शिलालेख में लिखा है, "शाही राजमहल, प्रत्येक द्वार के सन्दर्भ में, सर्वोच्च स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह स्वयं अलौकिक स्वर्ग ही है। यह शाही राजमहल अत्यन्त जाज्वल्यमान और परमोत्कृष्ट है। स्वयं स्वर्ग को ही इसमें साकार किया है। रिज़वान (स्वर्ग का द्वारपाल) इस भवन के स्फटिक सदृश फर्श को अपनी ऐनक बनाएँ। इसकी देहरी की रज श्यामल-नेत्र हूरों का सुरमा बने। देवदूतों की भाँति आराधना-हेतु अपने शीशनत करने वालों और द्वार की रज स्पर्श करने वालों के भाल शुक्रवत् प्रदीप्त होंगे। क्या प्रचण्ड प्रकाश है! इतना महान् कि स्वयं सूर्य इससे आभा ग्रहण करता है। क्या उदात्त उदारता है! इतनी अत्यधिक कि विश्व इससे प्रकाश प्राप्त करता है। उसके सौभाग्य से देश जन-सम्पन्न हो। उसकी मुख-ज्योति अन्धकार विनष्ट करे। हिन्दुस्तान की भूमि का अलंकारक यह उद्यान, अर्थात् हिन्दुस्तान से कंटकों को नष्ट करने वाला! मैं सर्वशक्तिमान् की शपथ खाकर कहता हूँ कि इस भवन का आनन्द इसके सौन्दर्य से संवर्धित है। हमारी कामना है कि इसके स्वामी का आनन्दातिरेक सतत वृद्धि को प्राप्त हो।"[1]

अकबर के समय के उपर्युक्त शिलालेख को पढ़ते समय पाठक ने हमारे पूर्वकालिक पर्यवेक्षण की सत्यता हृदयांकित कर ली होगी। सम्पूर्ण शिलालेख ही निरर्थक और असंगत है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह

१. ई० डब्ल्यू० स्मिथ विरचित 'फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला', खण्ड १, पृष्ठ ३।

है कि अन्तिम वाक्य अकबर को फतेहपुर सीकरी का 'स्वामी' कहता है, न कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण-कर्ता।

जिसे आज शेख चिश्ती का मकबरा विश्वास किया जाता है, उसके अन्दरूनी द्वार पर एक शिलालेख है जिसमें कहा गया है : "शेख सलीम, धर्म और पुरोहित का सहायक, जो अलौकिक शक्तिसम्पन्न व ईश्वर के सान्निध्य में है और जो चिश्ती-परिवार का दीप प्रज्वलित किये है, फरीदे-गंजशकर का सर्वप्रिय पुत्र है। छली न बनो, नैतिकता ईश्वर से प्राप्त होती है और शाश्वतता उसी के साथ रही है। हिज्री सन् ९७९ (१५७१ ई०)।"[1]

उपर्युक्त शिलालेख भी सलीम चिश्ती का मकबरा बनाने के सम्बन्ध में लेश-मात्र सन्दर्भ भी प्रस्तुत नहीं करता। यह स्पष्ट रूप में प्रदर्शित करता है कि सुन्दर कलाकृति, जो अनुचित रूप में उसका मकबरा विश्वास किया जाता है, एक हिन्दू मन्दिर है जिसमें जीवितावस्था में सलीम चिश्ती आ बसा था और जिसमें उसको उसकी मृत्यु के पश्चात् दफना दिया गया था। भारत में मुस्लिम विजयों की दुःखद घड़ी में यह नित्य-प्रचलन ही था कि उनके फकीर हिन्दू मन्दिरों से सदैव प्रतिमाएँ फेंक दिया करते थे और उनमें बस जाया करते थे। समय बीतने पर उन भवनों को मकबरों और मस्जिदों के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। यही कारण है कि ग्वालियर-स्थित मोहम्मद गौस, फतेहपुर सीकरी स्थित सलीम चिश्ती और अजमेर-स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती के सभी मकबरे मन्दिरों जैसे प्रतीत होते हैं।

चिश्ती-मकबरे पर लगे अन्य सभी समान रूप में नगण्य शिलालेखों में, जिनमें भवन-निर्माण के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं है, कहा गया है : "हमें मूर्तिपूजक राष्ट्रों के ऊपर दृढ़-संकल्पी और विजयी बनाओ। हे ईश्वर, हमें उपहारों की वर्षा करो और हमारे शत्रुओं को दण्ड दो।"[2]

उपर्युक्त पंक्तियाँ ठीक से ध्यान में रखने पर पाठक को समझ जाना

१. ई० डब्ल्यू० स्मिथ विरचित 'फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला', खण्ड ३, पृष्ठ १६।
२. वही, पृष्ठ ११।

चाहिए कि निहित रूप में किस प्रकार इसमें आक्रमणकारी मुस्लिमों की दृढ़संकल्पवृद्धि के माध्यम से सम्भव फतेहपुर सीकरी के विजयस्वरूप आधिपत्य के लिए अल्लाह को धन्यवाद दिया गया है। इसमें यह प्रार्थना भी की गई है कि मुस्लिमों पर इसी प्रकार के 'उपहारों' की और भी वर्षा की जाए एवं प्रतिरोधी शत्रुओं को अर्थात् हिन्दुओं को दण्डित किया जाए। उपर्युक्त शिलालेख फतेहपुर सीकरी में मुस्लिम-संरचना के सम्बन्ध में कोई भी संकेत करना तो दूर रहा, परोक्ष रूप में निर्देश करता है कि किस प्रकार विजयोपरान्त यह नगरी उनकी झोली में आ पड़ी।

मकबरे के बाहरी द्वार पर स्थित शिलालेख में कहा गया है : "हे शक्तिमान एवं उदार प्रभु ! हम आपको सर्वोच्च समझते और आपके गुण-गान करते हैं। ईश्वर ने कहा है कि स्वर्ग के उद्यान विश्वासी और नेक चरित्रों के लिए सुनिश्चित हैं जो सदैव के लिए वहीं रहते हैं तथा वहाँ से वापस नहीं जाना चाहते…हे परमेश्वर ! हमारी ओर से तथा आपके आश्रितों की ओर से आपको प्रणाम ! हमारे अभिवादनों को विचारें तथा अपने साथ हमें भी स्वर्ग में प्रवेश दिलाएँ।"[1]

सलीम चिश्ती या तो फतेहपुर सीकरी में दफनाया ही नहीं गया है, अथवा एक विजित तथा अधीन किए गए हिन्दू मन्दिर में दफनाया गया है—यह तथ्य ई० डब्ल्यू० स्मिथ के पर्यवेक्षण से स्पष्ट है कि : "मुस्लिमों की कब्रों पर मकबरों और स्मारकों की रचना इस्लाम के कानूनों से मना है।"[2] इस विषय पर परम्पराओं की शिक्षाएँ असन्दिग्ध हैं जैसा अहदिस-अनुसरण से स्पष्ट द्रष्टव्य है (मिश्कर पुस्तक—५, अध्याय ६, भाग १)। जबीर कहता है : "पैगम्बर ने कब्रों पर गारा-चूना से निर्माण को मना किया।" अबुल हैयाज अल असदी कहता है कि खलीफा अली ने उसको कहा था : "क्या मैं तुमको वे आदेश नहीं दूँगा जो पैगम्बर ने मुझे दिये थे अर्थात् सभी चित्रों और प्रतिमाओं को विनष्ट करने के आदेश और किसी एक भी ऊँचे मकबरे को भू-तल से केवल नौ इन्च तक नीचे किए बिना न

१. वही, पृष्ठ १७।
२. वही, पृष्ठ २७।

छोड़ने का आदेश।" सैयद इब्न अली बक्कास ने कहा, जब वह बीमार था : "मेरी कब्र मक्के की तरफ बनाओ, और मेरे ऊपर बिना पकी ईंटें रखो, जैसी पैगम्बर की कब्र पर रखी गयी थीं।" परिणामतः वहबियों ने स्मारकों की रचना का निषेध किया। जब उन लोगों ने अल मदीना का आधिपत्य ग्रहण किया, तब उन्होंने पैगम्बर की कब्र समाविष्ट करने वाले सुन्दर भवन को नष्ट करना चाहा था, किन्तु संयोगवश वैसा करने से रह गए।

स्मिथ का उपर्युक्त पर्यवेक्षण अनेक पुस्तकों[1] में स्पष्ट किए गए इस निष्कर्ष को पुष्ट करता है कि भारत में सहस्रों कल्पनातीत मध्यकालीन मुस्लिम मकबरे, सभी के सभी, विजित हिन्दू मन्दिर और भवन हैं। इस्लाम ने मकबरे का निर्माण-निषेध किया, इसलिए मुस्लिम शासकगण, दरबारी लोग, वारांगनाएँ और साधारण व्यक्ति भी उन ऊँचे भवनों में दफनाए गए थे जिनको हिन्दुओं से छीन लिया गया था।

फतेहपुर सीकरी की तथाकथित जामा मस्जिद पर लगे शिलालेख में वर्णन है, "शक्तिशाली बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसका पौता-दर्शक कक्ष आकाश, खुदा उसकी रक्षा करे, दक्खन और दानदेश, जिसे पहले खानदेश कहते थे, जीतने के बाद, इल्लाही वर्ष ४६ व हिज्री सन् १०१० में फतेहपुर सीकरी पहुँचा और आगरा के लिए कूच कर दिया। जब तक स्वर्ग और पृथ्वी हैं, जब तक अस्तित्व की छाप रहती है, हमारी कामना है कि उसका नाम स्वर्गीय गोलार्ध में व्याप्त रहे। उसकी शासन-पद्धति शाश्वत रहे। जीसस क्राइस्ट ने कहा था, उसके ऊपर कृपा है, विश्व एक अस्पृश्य भवन है, चेतावनी ध्यान रखो और इस पर कुछ निर्माण न करो। यह इतिहास में कहा जाता है कि जो व्यक्ति कल प्रसन्न होना चाहता है, वह शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। यह भी कहा गया है कि संसार केवल एक क्षण-भर का है, अतः इसे उपासना में व्यतीत करो, शेष जीवन निस्सार है। जो व्यक्ति नमाज पढ़ता है, किन्तु दिल से नहीं पढ़ता, उसे उससे कोई लाभ नहीं मिलता। खुदा तो दूर रहता ही है।

१. भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें; ताजमहल हिन्दू मन्दिर है।

सर्वोत्तम सम्पत्ति वह है जो खुदा के रास्ते खर्च होती है। भावी अस्तित्व के बदले में संसार त्यागना लाभदायक है। त्याग और सन्तोषमय निर्धन जीवन ऐसा है जैसे कोई देश जिस पर कोई उत्तरदायित्व नहीं हो। संसार में निवास करते हुए, चाँदी के भवन में राजगद्दी पर बैठे हुए तुम क्या प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते थे, जो दर्पण के समान है? जब इसे देखते हो, तब अपने आपको सँभालो। रचयिता और लिपिक मोहम्मद मासूम, मूलतः सैयद सफाई-अम्ल-तुर्मुजी का बेटा, और निवासी सीकरी का, सैयद कलन्दर का वंशज बाबा हसन अब्दल का बेटा, अल सब्जबार में जन्मा और कन्दहार में रहा। बादशाह अकबर के शासनकाल में, जिसने देश को संगठित किया, शेख सलीम ने मस्जिद बनायी जो पवित्रता में काबा के समान है। इस भव्य भवन के पूरा होने की तारीख मस्जिद अलहराम के समान ही अर्थात् हिज्री सन्, ९७९ (सन्, १५७१ ई०) है।"[1]

उपर्युक्त लम्बे शिलालेख की अत्यन्त सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए। यह ध्यान में रहना चाहिए कि सम्पूर्ण शिलालेख निरर्थक है। यह असम्बद्ध और संयुक्त पारमार्थिक एवं आध्यात्मिक पर्यवेक्षणों में उलझा हुआ है। अन्त में, सलीम चिश्ती द्वारा मस्जिद बनाने के सम्बन्ध में एक अनिश्चित सन्दर्भ प्रस्तुत करता है और भ्रमण प्रणाली से सन् १५७१ का वर्ष उपस्थित कर देता है। हम पहले ही पर्यवेक्षण कर चुके हैं कि मध्यकालीन मुस्लिम ग्रन्थों में 'निर्माण किया' शब्द हिन्दू-भवनों को मुस्लिम उपयोग के हेतु हड़पने, अधीन करने और अपने स्वामित्व में लाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। शेख सलीम सन् १५७० के आसपास मरा था। फिर वह सन् १५७१ में मरणोपरान्त मस्जिद कैसे पूरी कर सकता था? सन् १५७१ ई० ही वह वर्ष उल्लिखित है जिसमें उसका मकबरा बना कहा जाता है। किसी व्यक्ति को सन् १५७१ में ही किस प्रकार दफनाया जाकर उसी वर्ष उसका मकबरा भी उस समय बनवाया जा सकता है जबकि वह स्वयं ही एक मस्जिद बनवा रहा हो जो संयोग से सन् १५७१ में ही पूर्ण हो? यदि शेख सलीम सन् १५७१ में जीवित था और निर्माण-

१. ई० डब्ल्यू० स्मिथ की उसी पुस्तक का खण्ड ४, पृष्ठ ५।

उसके मृत पिण्ड पर उसका मकबरा भी
कार्य करता रहा था, तो उसी वर्ष उसके मृत पिण्ड पर उसका मकबरा भी
किस प्रकार बनाया जा सकता था ? यह प्रदर्शित करता है कि शेख सलीम
चिश्ती के मकबरे और उसकी मस्जिद के बारे में मुस्लिम-निर्माण के दावे
परस्पर विरोधी है, अनियमित हैं। एक-दूसरे दावे को परस्पर निरस्त
करने के पश्चात् वे केवल यही प्रदर्शित करते हैं कि ये दोनों भवन भी
फतेहपुर सीकरी के हिन्दू राजमहल-संकुल के भाग थे जिसे बाबर ने सन्
१५२७ ई० में राणा सांगा से अपने अधीन कर लिया था। इससे भी बड़-
कर बात यह है कि जैसा हम एक अनुवर्ती अध्याय में पर्यवेक्षण करेंगे, श्री
ई० डब्ल्यू० स्मिथ को उसके अनुवादक ने भ्रम में डाल दिया है। शिलालेख
वास्तव में स्पष्ट करता है कि शेख सलीम चिश्ती द्वारा मस्जिद सुशोभित
की गयी थी (न कि बनायी गयी थी)।

एक अन्य विचारणीय बात यह है कि यदि शेख सलीम ने सचमुच ही
वह मस्जिद बनवायी थी तो क्या कारण है कि इस तथ्य का उल्लेख लगभग
२५० शब्दों वाले उस शिलालेख के बिल्कुल अन्तिम भाग में केवल चार
शब्दों में ही समाविष्ट है ? क्या यह भी परस्पर विरोधी नहीं है कि शिला-
लेख के पूर्ववर्ती भाग में ऐसी निरोधाज्ञा अंकित है जिसमें पृथ्वी पर परिवर्तन-
शील अस्तित्व में किसी भी संरचना-कार्य की मनाही है, जबकि उसी शिला-
लेख के अनुवर्ती भाग में दावा किया गया है कि शेख सलीम चिश्ती ने वह
मस्जिद बनवायी। यदि शेख सलीम ने वास्तव में वह मस्जिद बनवायी होती,
तो उसने वह शिलालेख न लगवाया होता जिसमें किसी निर्माण-कार्य का
निषेध हो।

ध्यान देने योग्य अन्य बात यह है कि अव्यवस्थित, असंगत शिलालेख
अन्य किसी भी महत्त्वपूर्ण वस्तु का उल्लेख नहीं करता, यथा वह वर्ष जब
इस मस्जिद का निर्माण प्रारम्भ हुआ था, भूमि किससे ली गयी थी, इस
परियोजना के लिए धन किसने दिया, किसने नमूना बनाया, मुख्य कारीगर
कौन थे, और कितने महीने अथवा वर्ष तक वह मस्जिद निर्माणाधीन रही।
मस्जिद अकबर के आदेश पर शेख सलीम चिश्ती द्वारा बनवायी गयी थी
अथवा शेख सलीम चिश्ती की इच्छा पर अकबर ने बनवायी थी, शिलालेख
इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहता। दूसरी ओर, शिलालेख की शब्दावली

प्रदर्शित करती है कि कोई तीसरा अदृश्य हाथ ही अकबर और शेख सलीम
के गुणगान-लेखन में व्यस्त है।

मस्जिद को प्रारम्भ करने का उल्लेख किए बिना ही उसको पूरा कर
देने का उल्लेख करना एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है। इसका निहितार्थ
स्पष्ट है कि मस्जिद कभी प्रारम्भ की ही नहीं गई थी। बिना प्रारम्भ किए
ही इसका पूरा हो जाना इस बात का अर्थ-द्योतक है कि एक हिन्दू भवन
को मुस्लिम उपयोग के लिए मस्जिद का रूप सन् १५७१ ई० में ही दिया
गया।

हम इस बात पर एक बार फिर बल देना चाहते हैं कि मध्यकालीन
मुस्लिम शिलालेखों को ज्यों का त्यों मान्य नहीं कर देना चाहिए। उनकी
अत्यन्त सूक्ष्म परीक्षा करनी चाहिए, जैसा हम ऊपर प्रदर्शित कर चुके हैं।
यदि शिलालेख मौलिक ही होता, तो इसमें असंगत, अव्यवस्थित पार-
मार्थिक और आध्यात्मिक पर्यवेक्षणों को ठूँसने के स्थान पर मस्जिद-
निर्माण के विवरण ही उपलब्ध होते।

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे पावित्र्य-सम्बन्धी सभी पर्यवेक्षण
भी कपट-जाल हैं क्योंकि अकबर का सम्पूर्ण जीवन और शासनकाल पूरी
तरह से सर्वाधिक दण्डात्मक विजयों और अवर्णनीय अत्याचारों से व्याप्त
था।

सभी अन्य इतिहासकारों की भाँति ई० डब्ल्यू० स्मिथ भी भूल से
विश्वास करता है कि "बुलन्द दरवाज़ा अकबर की दक्खन-विजयों की
स्मृति में सन् १६०२ में निर्माण किया गया था।"[1] इस पुस्तक में अन्यत्र
बताया गया है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अन्तिम रूप में सन्
१५८५ में त्याग दिया था। पादरी जेवियर और विलियम फिञ्च ने भी
लिखा है कि स्वयं अकबर के समय में भी फतेहपुर सीकरी ध्वंसावशेषों में
थी। इन परिस्थितियों में यह कैसे सम्भव है कि एक परित्यक्त स्थान के
लिए अकबर विश्व के सर्वोच्च और सुदृढ़तम भव्य द्वारों में से एक द्वार का
निर्माण करवाता ? और यदि उसने यह कार्य किया होता, तो क्या वह

१. ई० डब्ल्यू० स्मिथ की पुस्तक, वही, खण्ड ४, पृष्ठ १६।

उस तथ्य का उल्लेख सुनिश्चित और असंख्य शब्दों में न करता ? यह बात तो दूर रही, वह तो लेश-मात्र उल्लेख भी नहीं करता कि उसने बुलन्द दरवाजा निर्माण करवाया था। जब स्वयं अकबर ने, बुलन्द दरवाजे पर स्थित अपने शिलालेख में उसके निर्माण का उल्लेख नहीं किया है, तब हमें आश्चर्य होता है कि किस प्रकार अन्धानुकरण करते हुए एक इतिहास लेखक के बाद दूसरे लेखक ने बलपूर्वक धारणा की है कि यह तो अकबर ही था जिसने फतेहपुर सीकरी और इसका बुलन्द दरवाजा निर्मित किया। पूर्णतः कल्पना पर आधारित इस प्रकार के अनुचित निष्कर्ष ही भारतीय मध्यकालीन इतिहास के मूल-विनाश का कारण रहे हैं।

आइए, हम अब बुलन्द दरवाजे पर लगे शिला-लेखों की ओर ध्यान दें। तोरणद्वार के एक ओर मोटे अरबी अक्षरों में शिलालेख है : "पर-मोत्व बादशाहों के बादशाह, न्याय का स्वर्ग, खुदा की परछाईं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह सम्राट्। उसने अपने शासनारूढ़ होने के ४६वें वर्ष में जो हिज्री सन् १०१० है, दक्खन और दानदेश जो पहले खानदेश कहलाता था, साम्राज्य विजय किया। फतेहपुर पहुँच जाने के बाद आगरा की ओर चल पड़ा। जीससने, जिनको खुदा शान्ति दे, कहा, संसार एक पुल है, इस पर से चले जाओ, किन्तु कोई मकान इस पर न बनाओ, जिसने एक घण्टे समय की आशा की, वह सदैव के लिए आशा करता रहा, यह विश्व केवल एक घण्टा समय ही है, इसे उपासना में ही व्यतीत कर दो, शेष तो अदृश्य है।"[1]

फतेहपुर सीकरी के अन्य सभी निरर्थक शिलालेखों की ही भांति यह भी निरर्थक है—निरर्थक कल्पनाशील निरर्थक व्यक्ति का निरर्थक कार्य—ऐसे व्यक्ति का कार्य जो कहीं भी, कुछ भी खोदकर अकबर से कुछ धन ऐंठना चाहता था।

तोरणद्वार के दूसरी ओर एक अन्य अर्थहीन शिलालेख है। इस पर लिखा है : "वह, जो प्रार्थना करने को खड़ा होता है, किन्तु कर्तव्य में उसका हृदय साथ नहीं होता, अपने आपको ऊँचा नहीं उठा सकता, खुदा

१. वही पृष्ठ, १७।

से दूर ही रह जाता है। सर्वोत्तम सम्पत्ति वह है जो आपने दान में दे दी है, आपका सर्वोत्तम व्यापार इस संसार को भावी संसार के लिए बेच देना है।" इसी के ऊपर तीसरा शिलालेख है जिसमें खुदा, मोहम्मद और उसके चार अनुयायियों अली, अमर, अबूबकर, उस्मान और हसन व हुसैन के नाम अंकित हैं। उत्कीर्णकर्ता के रूप में अहमद अली का नाम उल्लिखित है और उसका पद 'अर्शाद' बताया गया है।

उपर्युक्त सारांश से स्पष्ट है कि फतेहपुर सीकरी में अकबर के चारों ओर अनेक थोड़े पढ़े-लिखे चाटुकार दरबारी थे जिनकी कर्तृत्व शक्ति में निरर्थक शिलालेख तैयार करने और एक विजित भव्य हिन्दू नगरी को अरबी शब्दों से विरूप करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं था।

ई० डब्ल्यू० स्मिथ के चार-खण्डीय विशद ग्रन्थ के फतेहपुर सीकरी सम्बन्धी शिलालेखों के उपर्युक्त सर्वेक्षण से स्पष्ट सिद्ध है कि केवल एक शिलालेख की अन्तिम शब्दावली में ही फतेहपुर सीकरी में मुस्लिम निर्माण-कार्य का चार-शब्दीय सन्दर्भ है। उसमें भी शेख सलीम द्वारा मस्जिद की सजावट, शोभा का उल्लेख है। अकबर द्वारा वहाँ कुछ निर्माण के सम्बन्ध में तो लेश-मात्र उल्लेख भी नहीं है। शेख सलीम के पक्ष में किया गया दावा भी मरणोपरान्त होने के कारण अग्राह्य, अस्वीकार्य है। यदि उसने सत्य ही मस्जिद का निर्माण किया होता और उसकी पूर्ति के साथ ही मर गया होता तो वह तथ्य भी शिलालेख में बिना उल्लेख न रहा होता।

हम अब पाठक का ध्यान एक अत्यन्त चकित करने वाले हिन्दी शिला-लेख की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं जो श्री ई० डब्ल्यू० स्मिथ को फतेहपुर सीकरी में ही प्राप्त हुआ था, किन्तु अन्य आश्चर्यकारी तथ्य यह है कि स्वयं श्री स्मिथ ने इसका सारांश प्रस्तुत नहीं किया, यद्यपि उन्होंने अन्य सभी मुस्लिम शिलालेखों का अत्यन्त कष्ट-साध्य प्रकार से उल्लेख किया है। वह भूल-चूक जानबूझ कर की हुई हो सकती है क्योंकि सम्भव है कि शिलालेख में उन सभी काल्पनिक धारणाओं के विपरीत तथ्य हों, जिनमें फतेहपुर सीकरी की रचना का झूठा यश अकबर को प्रदान किया जाता है।

एक अन्य सरकारी प्रकाशन में हिन्दी शिलालेख का सन्दर्भ प्रस्तुत है। इसमें कहा गया है, "(बीरबल महल) स्मारक पर भवन के पश्चिमी बाहरी भाग के चौकोर स्तम्भ के मस्तक पर श्री ई० डब्ल्यू० स्मिथ को हिन्दी में लिखा एक शिलालेख मिला था जिसमें उल्लेख था कि यह संवत् १६२९ (सन् १५७२) में अर्थात् अबुलफजल द्वारा दी गई तारीख से भी दस वर्ष पहले बना था।"[1]

उपर्युक्त शिलालेख अनेक प्रकार के रहस्य प्रकट करने वाला है। पहली बात यह है कि इसकी मूल-शब्दावली प्रस्तुत नहीं की गई है। दूसरी बात यह है कि इसकी लिपि फतेहपुर सीकरी में मिले अन्य सभी मुस्लिम शिलालेखों से पूर्णतः भिन्न है। तीसरी बात यह है कि यदि इसमें उल्लिखित तारीख को यथार्थ ही मानना है तो पुस्तक में कहा गया है कि अकबर का तिथि-वृत्तकार अबुलफजल एक ऐसी तारीख प्रस्तुत करता है जो इसके १० वर्ष पश्चात् की है। अबुलफजल की अविश्वसनीयता सर्वविदित है। उसको तो शहजादा जहाँगीर, सह-तिथिवृत्तकार बदायूँनी, इतिहास लेखक विन्सेण्ट स्मिथ तथा भारतीय इतिहास के प्रायः सभी यूरोपीय विद्वानों ने 'निर्लज्ज चाटुकार' कहकर निन्दित किया है। 'आइने-अकबरी' उपनाम 'अकबरनामा' नामक उसका मौलिक तीन-खण्डीय ग्रन्थ पूर्णतः कल्पित है, जिसे उसने किसी खाली कमरे में बैठकर ही मनमाने ढंग से लिख दिया है। फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में उसके पर्यवेक्षणों को हम एक पृथक् अध्याय में ही परखना चाहते हैं। हमने अबुलफजल का चरित्र सविस्तार 'कौन कहता है कि अकबर महान था?' शीर्षक पुस्तक में प्रस्तुत किया है।

इतिहास के विद्यार्थियों को फतेहपुर सीकरी के इस हिन्दी शिलालेख का अत्यन्त सूक्ष्म अध्ययन, विवेचन इस बात का ज्ञान प्राप्त करने के लिए करना चाहिए कि क्या यह शिलालेख उस नगरी में प्राप्त अन्य भ्रामक अशुद्ध अर्थद्योतक और मिथ्या शिलालेखों का हिन्दी सहोदर है अथवा कोई

१. मौलवी मुहम्मद अशरफ हुसैन विरचित, भारत सरकार, प्रकाशन विभाग के प्रबन्धक द्वारा प्रकाशित 'फतेहपुर सीकरी की मार्गदर्शिका' पुस्तक का पृष्ठ ४२।

मौलिक शिलालेख है जो फतेहपुर सीकरी राजमहल-संकुल के हिन्दू-मूलोद्गम पर कुछ प्रकाश डालता है। फतेहपुर सीकरी में और उसके चहुँ ओर बिखरे पड़े ध्वंसावशेष में प्राप्य अन्य उसी प्रकार के शिलालेखों के लिए एक खोज-कार्यक्रम भी अवश्य करना चाहिए।

ऊपर सन्दर्भित हिन्दी शिलालेख तथा अत्यन्त सतर्कतापूर्वक अन्वेषण व खुदाई करने पर प्राप्त होने वाले अन्य शिलालेखों के अतिरिक्त भी, इतिहास लेखक फतेहपुर सीकरी में हिन्दू मूर्तियों; प्रधान चेष्टाओं-विचारों तथा अन्य विपुल लक्षणों का वर्णन करने के लिए विवश होते हैं, यद्यपि उनको इस धारणा के प्रति मोह व्याप्त रहा है कि उस नगरी की स्थापना करने वाला अकबर ही था।

हम अगले अध्याय में उस विपुल हिन्दू पूर्वाभास का वर्णन करेंगे जो फतेहपुर सीकरी की, (सन् १५२७ ई०) बाबर से लेकर भारत में मुस्लिम-शासन की समाप्ति तक मुस्लिम शासकों और उनके दरबारियों की पीढ़ी-दर-पीढ़ी तक आधिपत्य करने और मनचाही तोड़-फोड़ करने पर भी चारों ओर अभी भी व्याप्त है और फतेहपुर सीकरी के हिन्दू-मूल को उद्घाटित कर देती है। यह हो सकता है कि मुस्लिम शासन की समाप्ति के बाद ब्रिटिश और अन्य कर्मचारियों ने भी फतेहपुर सीकरी के हिन्दू-मूल होने के उन साक्ष्यों को इसलिए भी तोड़ा-मरोड़ा हो जिससे कि उनकी इस सुपोषित और रटी-रटायी धारणा के विरुद्ध पड़ने वाले सभी प्रमाण नष्ट हो जाएँ कि फतेहपुर सीकरी राजमहल-संकुल अकबर-पूर्व विद्यमान नहीं था।

७

फतेहपुर सीकरी का हिन्दू पूर्वाभास

फतेहपुर सीकरी के हिन्दू-मूल के असन्दिग्ध लक्षणों को विदेशीय संरक्षकों के ३०० वर्षीय अनवरत प्रयत्नों के अन्तर्गत हिन्दू मूर्तियों के मूलोच्छेदन, हिन्दू-उत्कीर्णांशों के विनाश, हिन्दू शिलालेख-पट्टों के हटाने, फारसी और अरबी शिलालेखों की कपट-रचना और मुस्लिम तिथिवृत्तों में भ्रामक मनगढ़न्त वर्णनों को ठूंस देने के माध्यम से हिन्दू-चिह्नों को विलुप्त करने अथवा परिवर्तित करने के सभी अथक प्रयासों के बावजूद विपुल मात्रा में हिन्दू-पूर्वाभास अभी भी फतेहपुर सीकरी के चारों ओर व्याप्त है। मुस्लिम आवरण और भ्रमजाल इनको विलुप्त करने में विफल हुए हैं।

हम अपनी धारणा के पक्षपोषण के लिए प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार संस्कृत नाम फतेहपुर सीकर में अभी भी विद्यमान है, किस प्रकार हिन्दू-शिलालेख का मिथ्या अर्थ लगाया है—उसकी अनदेखी की गई है, और किस प्रकार राम, कृष्ण और हनुमान के चित्र फतेहपुर सीकरी की प्राचीरों पर अभी भी सुशोभित है।

इस निराधार धारणा ने, कि अकबर ने फतेहपुर सीकर की स्थापना की थी और इतिहास लेखकों के पगों को निरन्तर विचलित करने वाले सर्वत्र व्याप्त हिन्दू लक्षणों ने फतेहपुर सीकरी के सभी वर्णनों में ऐसा भ्रम-निर्माण कर दिया है कि वे लेखक अनेक बार उस नगरी के हिन्दू मूल के अकाट्य साक्ष्यों का या तो असहाय रूप में अस्पष्ट अर्थ प्रस्तुत करते हैं अथवा धूर्ततापूर्वक उनका मिथ्या अर्थ लगाते हैं, अनदेखी कर देते हैं।

हम इस अध्याय में ऐसे वर्णनों का उल्लेख करेंगे जिसमें प्रदर्शित किया

गया है कि किस प्रकार एक प्रवंच्य लेखक के पश्चात् दूसरा लेखक फतेहपुर सीकरी में प्रचुर मात्रा में भरे पड़े हिन्दू साक्ष्यों का उल्लेख करने के लिए बाध्य होता रहा, यद्यपि विडम्बना यह रही है कि उनको ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ कि जो साक्ष्य वे असावधानीपूर्वक संग्रहित कर रहे थे, वह उनकी उस रटी-रटायी धारणा के बिलकुल विपरीत जाता था कि अकबर फतेहपुर सीकरी का संस्थापक था।

आइए, हम सर्वप्रथम संस्कृत नामों का अध्ययन करें। स्वयं सीकरी शब्द ही संस्कृत है। इसकी व्युत्पत्ति 'सिकता' से है, जिसका अर्थ रेत है। 'सीकर' राजस्थान में एक रजवाड़ा है। इसका स्त्रीवाचक लघु शब्द 'सीकरी' है। प्रत्यक्ष 'पुर' (पोर आदि) भी सामान्य संस्कृत प्रत्यय है जो नगरी का द्योतक है। केवल 'फतेह' सन्धि-शब्द ही मूल रूप में फारसी है। यह 'विजित' नगरी का निहितार्थ-सूचक है। इस प्रकार 'फतेहपुर सीकरी' का नाम ही मुस्लिमों द्वारा विजित एक हिन्दू नगरी का निहितार्थ-द्योतक है।

राजमहल-संकुल का केन्द्रीय रक्त-प्रस्तरीय प्रांगण 'पच्चीसी' चतुर्भुज क्षेत्र कहलाता है। 'पच्चीस' शब्द संस्कृत शब्द 'पंचविंशति' का अपभ्रंश रूप है जिसका अर्थ '२५' है। इस प्रकार 'पच्चीस' शब्दावली मूल रूप में हिन्दू है। प्रांगण के मध्य में हिन्दू पच्चीसी खेल का फलक खुदा हुआ है, इसी से प्रांगण का यह नाम पड़ गया है।

उसी प्रांगण में एक जलाशय है जिसे 'अनूप तालाब' कहते हैं। तालाब एक सामान्य शब्द है जो जलभण्डार या जलाशय का अर्थ-द्योतक है। इसका विशिष्ट 'अनूप' नाम विशुद्ध रूप में पारिभाषिक संस्कृत शब्द है जो फारसी और अरबी से अलंकृत किसी अन्य प्रांगण से कभी संयोज्य नहीं हो सकता। 'अनूप तालाब' का नाम फतेहपुर सीकरी के ३०० वर्षों तक मुस्लिम आधिपत्य में रहने के पश्चात् भी केवल इसलिए प्रचलित रहा है क्योंकि मुस्लिम अधिग्रहण से पूर्व शताब्दियों तक 'अनूप' शब्द गहरी जड़ें जमा चुका था। फतेहपुर सीकरी के मुस्लिम अधिग्रहणकर्ता भी उस तालाब के उसी पूर्वकालिक हिन्दू नाम को गद्‌गद वाणी से उच्चारण किए बिना न रह सके।

संस्कृत पाठों में 'अनूप' की परिभाषा जलपूरित तालाब के लिए प्रयुक्त

उसी प्रकार के जल-भरे क्षेत्र के
एक नपुसकलिंग शब्द के रूप में की है। सम्बद्ध संस्कृत श्लोक इस प्रकार है—
लिए पुल्लिंग शब्द 'कच्छ' है। पंकिलः।

शाद्वलः शादहरिते, सजम्बाले पंकिलः।
जलप्रायम् अनूपम् स्यात् पुंसि कच्छत् तथाविधः ॥[1]

ये दोनों शब्द अर्थात् 'अनूप' और 'कच्छ' किस प्रकार भारत की
प्राचीन परम्परा के अंग रहे हैं, इसका दिग्दर्शन भारत के पश्चिमी तट पर
स्थित 'कच्छ' नामक सुविख्यात क्षेत्र और फतेहपुर सीकरी में विद्यमान
'अनूप तालाब' से हो जाता है।

एक अन्य संस्कृत नाम जो फतेहपुर सीकरी में अकबर के सम्पूर्णकाल
तक प्रचलित रहा वह 'कपूर तालाब' था। कपूर शब्द को संस्कृत में 'कर्पूर'
कहते हैं। फतेहपुर सीकरी पर आधिपत्य करने वाले विदेशी मुस्लिम शासन
कालों में 'कर्पूर' शब्द का अपभ्रंश प्रचलित रूप 'कपूर' हो गया। कपूर
हिन्दू परम्परा में अत्यन्त धार्मिक महत्त्व की वस्तु है। पूजन सामग्री की
बृहत्सूची में यह अपरित्याज्य वस्तु है। हिन्दू उपासनालयों में कपूर को
सुगन्धित धूप के रूप में जलाते हैं। फतेहपुर सीकरी में एक विशेष महाकक्ष
है जिसमें कपूर का भण्डार करने वाला एक तालाब है। यह बात पादरी
मनसरेंट के पर्यवेक्षणों से स्पष्ट है। पादरी मनसरेंट एक ईसाई पादरी
था जो कुछ वर्ष अकबर के दरबार में रहा था। भाष्यकार ने लिखा है :
"उनको राजा के पास ले जाया गया था, जिसने उनको ऊपर पीठिका से
देख लेने के पश्चात् अपने और निकट आने का आदेश दिया और उनसे कुछ
प्रश्न पूछे। फिर उन्होंने उसको एक मानचित्र भेंट किया जो गोवा के आर्क-
बिशप ने उपहार के रूप में भेजा था। वह उनसे भेंट करके अत्यन्त प्रसन्न
था किन्तु शुभकामनाएँ प्रकट करने में उतना उत्साही नहीं था, और कुछ ही
क्षण बाद वापस लौट गया—कुछ अंश में अपनी भावनाओं को अप्रकट रखने
के लिए और कुछ अंशों में अपनी शान-शौकत सुरक्षित रखने के लिए कुछ

१. अमरसिंह के 'नाम-लिंगानुशासनम्' अर्थात् 'अमरकोष' से, श्लोक संख्या ३१० ; तृतीय संस्करण, १९१४ ई० ; तुकाराम जावजी द्वारा निर्णयसागर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित।

देर तक भीतरी कक्ष में विश्राम कर लेने के पश्चात् उसने उनको वहाँ उस
महाकक्ष में जिसे 'कपूर तालाब' कहते हैं, ले आने का आदेश दिया ताकि
वह उनको अपनी पत्नी को दिखा सके।"[1] कपूर मुस्लिम शब्द नहीं है।
कपूर संगृहीत करने वाले जलाशय सहित एक विशेष महाकक्ष का अस्तित्व
सिद्ध करता है कि फतेहपुर सीकरी एक हिन्दू नगरी है।

फतेहपुर सीकरी मुस्लिम आधिपत्य में रहने के पश्चात् भी प्रचलित
रहने वाला चौथा संस्कृत शब्द 'हिरन मीनार' है। 'हिरन' शब्द 'स्वर्णिम'
अर्थ-द्योतक संस्कृत के 'हिरण्मय' शब्द का संक्षेप है। हाथीद्वार के बाहर
अष्टकोणात्मक आधार पर एक स्थूल पत्थर का स्तम्भ 'हिरन मीनार'
कहलाता है। इसमें भीतर-ही-भीतर ऊपर तक जाने वाली गोलाकार
सीढ़ियाँ हैं। स्तम्भ के बाहर की ओर असंख्य कीलें, खूँटियाँ लगी हैं। इस
प्रकार के दीप-स्तम्भ सारे भारत में देवी के मन्दिरों के सम्मुख विद्यमान
हैं। चूँकि हाथी धन की देवी लक्ष्मी तक पहुँचने का प्रतीक है, इसलिए इसके
सम्मुख दीप-स्तम्भ 'हिरन मीनार' होती है। उन खूँटियों में सहस्रों दीप
लटकते, झूलते रहते थे। उन दीपों की आभा स्वर्णिम छवि प्रतिबिम्बित
करती थी। अतः यह स्तम्भ हिरण्मय अर्थात् 'स्वर्णिम' कहलाता था। इस
प्रकार 'हिरन मीनार' शब्दावली एक स्वर्णिम स्तम्भ की अर्थद्योतक, परि-
चायक है।

इस मूल अर्थ के भुलक्कड़ अनुवर्ती मुस्लिम वर्णन, और अशिष्ट व कम
पढ़े-लिखे मार्गदर्शकों की स्व-रचित कल्पनाओं ने फतेहपुर सीकरी की यात्रा
करने वालों को भ्रमित किया है। इसी प्रकार का एक मनघड़न्त वर्णन मृग-
सूचक हिन्दी शब्द 'हिरन' का सूत्र ग्रहण करता हुआ बखान करता है कि
अकबर ने अपने एक प्रिय मृत हिरन को वहाँ दफनाया था और उसकी
स्मृति में एक स्तम्भ वहीं पर बनाया था, यह वही स्तम्भ हिरन मीनार है।
इस गल्पकथा का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। अकबर का कोई प्रिय
हिरन नहीं था और उसके द्वारा किसी पशु की मृत्यु पर स्मारक स्तम्भ
बनाए जाने का भी उल्लेख नहीं है।

१. पादरी मनसरेंट का भाष्य, पृष्ठ २८।

एक अन्य अतिव्याप्त और बहु-प्रचारित कथा यह है कि हिरन मीनार उस स्थल का द्योतक है जहाँ पर अकबर का एक प्रिय हाथी दफनाया पड़ा है। इस बेहूदी कथा को सत्य सिद्ध करने के लिए एक आनुषंगिक झूठ तत्परता से फैलाया जाता है कि उसके प्रिय हाथी का नाम 'हिरन या हारूँ' था। चूँकि हिरन का अर्थ मृग है, इसलिए एक हाथी कभी भी 'हिरन' नहीं पुकारा जाएगा। साथ ही अकबर के आधिपत्य में रहे किसी भी हाथी का नाम इस प्रकार अभिलेखगत नहीं हुआ। और न ही इतिहास में ऐसा कोई उल्लेख है कि अकबर ने किसी मृत हाथी की स्मृति में कोई रचना की हो। मृतक को इस प्रकार स्मरण करना इस्लाम में सख्त मना है। मनुष्यों या पशुओं के लिए स्मारक-रचना को इस्लाम में देवत्व का अपहारी समझा जाता है।

किन्तु हाथी दफनाने के कपटजाल का एक अन्य स्पष्टीकरण है। फतेहपुर सीकरी के राजपूत स्वामी मुगल-पूर्व काल में हिरन (दीप) स्तम्भ के चारों ओर गज-युद्धों का आयोजन किया करते थे। अकबर सहित मुगलों ने भी उस परम्परा को प्रचलित रखा। शताब्दियों तक स्तम्भ के चारों ओर गजयुद्धों की स्मृति ने चाटुकार मुगल दरबारियों को यह झूठ प्रचारित करने का एक सुगम-सुविधाजनक अवसर, बहाना दे दिया कि स्तम्भ किसी दफनाए गए हाथी की स्मृति का द्योतक है। चूँकि मुस्लिम लुटेरों को अपहृत हिन्दू भवनों को अपना घोषित करने के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना कठिन था, अतः वे लोग किसी सहज, सुगम स्पष्टीकरण का आश्रय ले ही लेते थे। हिरन मीनार के सम्बन्ध में मिथ्या मुस्लिम कथा ऐसी ही बात है। अकबर के पास हजारों बनैले पशुओं का वन्य-पशु-संग्रह था। उसकी गज-पलटन में हजारों हाथी थे, यह कल्पना बेहूदा है कि अकबर ने केवल एक ही हाथी का स्मृति-स्तम्भ बनवाया जबकि नित्य-प्रति बहुत-से हाथी मरते थे। इससे भी बढ़कर बात यह है कि स्मृति-रूप कुछ निर्माण इस्लाम में प्रतिबन्धित है।

यह भी कल्पना कर लें कि यह मृतक का स्मृति-स्तम्भ ही है, तो प्रस्तरकोष्ठकों से परिपूर्ण क्यों है? इसके भीतर से ऊपर तक चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ क्यों हैं? किसी मृत पशु की स्मृति में स्तम्भ-निर्माण का अन्य कोई

पूर्वोदाहरण इस्लाम में कौन-सा है? यह स्तम्भ हिन्दू देवी-मन्दिरों के समक्ष दीप-स्तम्भों जैसा क्यों है? इसका अष्टकोणात्मक आकार क्यों है, जो कि पवित्र हिन्दू आकार है? मुस्लिम देशों में अन्यत्र कहाँ पर ऐसा कोई स्तम्भ है जो किसी मृत पशु की स्मृति में बनाया गया हो? हिरन मीनार के मुस्लिम स्पष्टीकरण को जब इस प्रकार के सभी प्रश्नों में बींधा जाता है, तब उसकी असत्यता स्पष्ट हो जाती है।

अष्टकोण का हिन्दू लौकिक और आध्यात्मिक परम्परा में एक विशेष महत्त्व है। हिन्दू परम्परा के अनुसार ईश्वर और सम्राट्, दोनों का ही सभी दसों दिशाओं में प्रमुत्व रहता है। इन दस में से ऊपर स्वर्ग और नीचे पाताल दो दिशाएँ हैं। अन्य दिशाएँ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम हैं। प्रत्येक भवन का कलश ऊपर स्थित स्वर्ग की ओर तथा नींव नीचे पाताल की ओर इंगित करते हैं। शेष अन्य आठ धरातलीय दिशाओं का प्रगटीकरण तब होता है जब कोई भवन अष्टभुजी बनाया जाता है। इस प्रकार, रूढ़िवादी हिन्दू परम्परा में किसी दैवी शक्ति या राज्यशक्ति से सम्बन्धित भवन को अष्टकोणीय या कम-से-कम वर्गाकार या आयताकार बनाना ही होता है। यही कारण है कि मध्यकालीन भवनों की बहुत बड़ी संख्या अष्टकोणात्मक है, यद्यपि वे मुस्लिम मकबरों और मस्जिदों में रूप-परिवर्तित खड़े हैं। अष्टकोणात्मक आकार के प्रति वरीयता का एक उत्कृष्ट उदाहरण स्वयं रामायण में उपलब्ध है। रामायण में हिन्दू राजा के आदर्श निर्धारित हैं। उस महाकाव्य में भगवान राम की राजधानी अयोध्या को अष्टकोणात्मक वर्णन किया है। इस अष्टकोणात्मक परम्परा का सतत पालन, अनुसरण किया गया है। ताजमहल अष्टकोणात्मक है, कथाकथित हुमायूँ का मकबरा अष्टकोणात्मक है, तथाकथित सुलतानगढ़ी मकबरा अष्टकोणीय है, बीजापुर में गोल गुम्बज के चारों स्तम्भ अष्टकोणात्मक आधार पर स्थित हैं। राजमहलों और मन्दिरों के महराबदार ऊँचे भारतीय तोरणद्वार अर्ध-अष्टकोणात्मक हैं। इस प्रकार भारत के सभी मध्यकालीन मकबरे और मस्जिदें पूर्वकालिक हिन्दू राजमहल और मन्दिर हैं। यह सम्पूर्ण स्पष्टीकरण पाठक को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि 'हिरन मीनार,

एक हिन्दू दीप-स्तम्भ है, न कि किसी दफनाए गए की स्मृति का कोई इस्लामी स्तम्भ।

अनूप तालाब के सम्बन्ध में एक सरकारी प्रकाशन का कथन है कि "यह एक विशाल ९५ फीट ६ इंच वर्गाकार जलाशय है जिसकी सीढ़ियाँ नीचे जलराशि तक गयी हैं। यह सन् १५७५-७६ ई० में बना था। कुछ लोगों के अनुसार उसका निर्माणकाल सन् १५७८ ई० है। यह मूल रूप में १२ फीट गहरा था, किन्तु एम०ए० ओ० कालेज अलीगढ़ के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने, जब वह फतेहपुर सीकरी में मुन्सिफ थे, इस तालाब को उसके वर्तमान स्तर तक भरवा दिया और नये फर्श को चूने का पलस्तर करवा दिया था। सन् १९०३-४ में तालाब की खुदाई ने रहस्य प्रकट कर दिया कि तालाब का वर्तमान फर्श नकली था।"[1]

उपर्युक्त अवतरण से अनेक महत्त्वपूर्ण बातें उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे वर्गाकार जलाशय निर्माण करना, जिनकी सीढ़ियाँ नीचे जलराशि तक जाती हों, एक पुरातन हिन्दू पद्धति रही है। बीजापुर-स्थित तथाकथित ताजबावड़ी (जो एक हिन्दू कूप है) एक विशाल समचतुष्क नगर-कूप है, जिसमें सीढ़ियाँ भी हैं। इसी प्रकार के कूप और तालाब समस्त भारत में विद्यमान हैं। दूसरी बात यह है कि अकबर द्वारा अनूप तालाब निर्मित होने की अनिश्चितता उन काल्पनिक वर्षों से स्पष्ट है जिनको सन् १५७५ या १५७८ कहा जाता है। तीसरी बात, यह अत्यन्त विक्षोभकारी है कि सर सैयद अहमद ने तालाब को एक विशेष स्तर तक भरवा दिया और एक नकली फर्श तैयार करा दिया। उसे एक प्राचीन स्मारक में घटा-बढ़ी क्यों करनी पड़ी? क्या उसे इसमें कुछ हिन्दू कारीगरी के लक्षण मिले थे जिन्हें उसने मुन्सिफ के अपने पद का दुरुपयोग करके भरवा दिया था? इस तथ्य की जाँच-पड़ताल करने की अत्यन्त आवश्यकता है। भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों और स्मारकों के

१. मौलवी मुहम्मद अशरफ हुसैन विरचित, भारत सरकार, प्रकाशन विभाग के प्रबन्धक द्वारा प्रकाशित 'फतेहपुर सीकरी की मार्ग-दर्शिका', पृष्ठ २४।

दर्शनार्थियों को समस्त विदेशी शासन के अन्तर्गत ऐसी तोड़-फोड़ स्वीकार करनी चाहिए और, सतही जानकारी या विचार में विश्वास करने की अपेक्षा गहनतर, सूक्ष्मतर छान-बीन करनी चाहिए। चौथी बात यह है कि आलंकारिक रेखाचित्रों का विद्रूपण स्वयं ही हिन्दू राजमहल-संकुलन की शोभा के विरुद्ध मुस्लिम अधिपतियों के धर्मान्ध क्रोध का सुव्यक्त साक्ष्य है।

अनूप तालाब के समक्ष विशाल खुले रक्त-प्रस्तरीय प्रांगण में एक भारतीय खेल चौपड़ का फलक उत्कीर्ण है। चौपड़ उपनाम पच्चीसी एक प्राचीन हिन्दू खेल है। मुस्लिम लोग इसे कभी नहीं खेलते। कहा जाता है कि इस फलक के मध्य में एक बड़े रक्त-प्रस्तरीय वर्गाकार मंच पर बैठा हुआ अकबर नग्न अथवा अति स्वल्प परिधान युक्त लड़कियों को लकड़ी के मोहरे मानकर इस खेल को खेला करता था। यदि ऐसा भी था, तो स्पष्ट है कि अकबर एक पवित्र हिन्दू खेल को, एक विजित हिन्दू नगरी में, अत्यन्त अश्लील शृंगारिक रूप में खेल रहा था।

उसी प्रांगण के एक ओर ज्योतिषी की पीठिका है। यह एक बड़ी वर्गाकार अलंकृत प्रस्तर की पीठिका है जिस पर पत्थर की एक मालाकृति अजगर की भाँति लिपटी हुई है। एक सरकारी प्रकाशन में कहा गया है: "कुछ जैन-भवनों में दृश्यमान इसकी विचित्र टेक ११वीं या १२वीं शताब्दी के जैन-निर्माणों का स्मरण कराती है। इसके प्रयोजन के सम्बन्ध में कुछ निश्चित ज्ञात नहीं है।"[1] यह तो स्वाभाविक ही है कि भारत सरकार के हेतु लिखने वाला एक मुस्लिम लेखक भी उस राजमहल-संकुल में एक अलंकृत हिन्दू-जैन प्रकार की पीठिका का प्रयोजन स्पष्ट करने में असमर्थ हो, जिसको अकबर द्वारा निर्मित समझा जाता हो। स्पष्टतः यह पीठिका अकबर के पितामह बाबर से पीढ़ियों-पूर्व फतेहपुर सीकरी में राज्य करने वाले हिन्दू नरेशों के दरबार-स्थित राजकीय हिन्दू ज्योतिषी की थी।

दूसरी ओर यह केन्द्रीय प्रांगण पंचमहल से भी आच्छादित है। यह पाँच मंजिल वाले शुण्डाकार भवन का द्योतक संस्कृत शब्द है।

इस प्रांगण के दूसरी ओर वह भवन है जिसे अज्ञानी मार्गदर्शक 'तुर्की

१. वही, पृष्ठ १८-१९।

किन्तु पूर्वोक्त सरकारी प्रकाशन स्वीकार
सुलताना का घर' बताते हैं। किसी शाही महिला ने
करता है : "यह संदेहपूर्ण है कि यह घर कभी वाला कौन रहा, यह कल्पना
उपयोग में लिया और इसमें निवास करने
का विषय ही है।"[१] सदैव की भाँति, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी
निर्माण करने से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु संदेहपूर्ण है। यह पूर्णत: संशयात्मक
है कि अकबर के पास कोई तुर्की महिला कभी थी भी। यदि उसके पास
ऐसी महिला थी भी, तो यह संदिग्ध है कि वह कभी उस घर में रही भी थी
जो उसके साथ सम्बद्ध किया जाता है। जिसे आज घर कहा जाता है वह
एकाकी, लघु कक्ष है। मृत्युदण्ड के लिए घोषित बन्दियों को भी मध्य-
कालीन युग में इससे बड़े और ऊँचे कमरों में बन्द किया जाता था। सत्य
स्पष्टीकरण यह है कि यह छोटा कमरा एक विशाल हिन्दू राजमहल-
संकुल का भाग था। यह निष्कर्ष इस तथ्य से निष्पन्न है कि "यह फतेहपुर
सीकरी में निर्मित सर्वाधिक अलंकृत भवनों में से एक है। इस 'आभूषण
कक्ष' का अन्तर्भाग उतना ही अधिक अलंकृत है, जितना अधिक बाह्य
भाग। आभूषण-कक्ष इसे ठीक ही कहा जाता है। पश्चिम दिशा में एक
बरामदा है जिसमें वर्गाकार सेतुबन्ध और कोने पर अष्टकोणात्मक पतले
स्तम्भ हैं। इस कक्ष में चार प्रवेश-द्वार हैं। अन्दर एक चौखटे पर जंगल
का दृश्य दिखाया गया है जिसमें वृक्षों की शाखाओं में तीतर पक्षी बैठे
और उनके नीचे शेर अकड़कर चलते हुए दिखाए गए हैं, किन्तु दुर्भाग्य से
पशु और पक्षी दोनों को ही बुरी तरह से विद्रूप कर दिया गया है। एक
अन्य वन-दृश्य पूर्व-प्राचीर के दक्षिणी छोर पर उत्कीर्ण है। केन्द्र में एक
बरगद के वृक्ष पर बन्दर व पक्षी दिखाए गए हैं जो नीचे पूंछ हिलाते हुए
चतुष्पदों के एक झुण्ड को निहार रहे हैं, जिनमें से एक चौखट पर एक
चट्टान से प्रवहमान जल से पूरित जलाशय से पानी पी रहा है। पश्चिम-
प्राचीर की चौखटों पर पूर्ण रूप से विकसित वृक्षों और पौधों से भरे उद्यान
चित्रित हैं। उत्तरी प्राचीर की पश्चिमी ओर चित्रित है एक अन्य वन। इस
चौखट के कुछ लघु अंश अधूरे हैं।" ये सभी दृश्य उन प्राचीन संस्कृत

१. वही, पृष्ठ २०-२२।

संकलनों में से हो सकते हैं जिन्हें अब 'पंचतंत्र' और 'हितोपदेश' नाम से
पुकारा जाता है।

दिन में कम-से-कम एक बार स्नान करने और दिन-भर धार्मिक कृत्यों
और उनको करने से पूर्व शरीर को शुद्ध करने के हेतु प्रवहमान जलराशि
की हिन्दुओं की आवश्यकता सर्व-विदित है। सीकरीवाल राजघराने का
मुख्यालय, शाही हिन्दू राजधानी फतेहपुर सीकरी इस प्रकार कई स्नान-
प्रबन्धों से पूर्ण थी। इसकी साक्षी प्रस्तुत करते हुए पूर्वोक्त सरकारी
प्रकाशन लिखता है : "फतेहपुर सीकरी में नगण्य भवन ऐसे हैं जिनमें हमाम
या स्नान-स्थान न हों। दीवार की चौड़ाई में बने एक छोटे तालाब से
स्नानालयों में जल आता था। छोटे तालाब में जल बाहर से, पत्थर के
ताखों पर स्थित मांद के माध्यम से आता था।"[१]

यदि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी निर्मित होती तो इसमें प्रत्येक भवन
में स्नान-गृह होना तो दूर, सम्पूर्ण राजमहल-संकुल में ही कदाचित् एक
स्नानागार की व्यवस्था भी न हो पाती। मुस्लिम लोग तो सप्ताह में केवल
एक बार, जुम्मे के जुम्मे ही स्नान करते हैं, यदि स्नान करना ही पड़े। इससे
बड़ी बात यह है कि उनकी परम्परा रेगिस्तान की है। प्रवहमान जलराशि
का उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। अरब, अबिस्सीनियन, तुर्क, फारसी,
मुगल और भारत में प्रमुख रजवाड़ों की स्थापना करने वाले सभी अन्य-
देशीय मुस्लिम आक्रमणकारी अधिकांशतः अशिक्षित बर्बर लोग थे। लूट-
खसोट करना, नरहत्या, यातना और आतंक उनका सामान्य नियम था।
यदि उसमें भवन-निर्माण और अन्य कौशलों की सुसंस्कृत, परिष्कृत अभि-
रुचियाँ होतीं, तो उनका व्यवहार श्रेष्ठस्तर का रहा होता। इसके विपरीत
हम ब्रिटिश लोगों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे भी बाहर के रहने वाले
भारत के शासक थे, किन्तु शिक्षित और सभ्य होने के कारण उनका शासन
न केवल सुसंस्कृत था, अपितु उन्होंने भारत को मध्यकालीन पिछड़ेपन की
दलदल और गड़बड़ से बाहर उभारा तथा देश में समयबद्धता, आधुनिक
कार्यालय प्रशासन, रेलमार्ग, उद्योग, डाक-तार, लोकतांत्रिक संस्थाओं,

१। 'फतेहपुर सीकरी की मार्गदर्शिका' : वही, पृष्ठ २२-२३।

अलंकरणों को प्रचलित समाज के ऐसे ही अन्य
न्यायालयों तथा प्रगतिशील समाज के ऐसे ही अन्य अलंकरणों को प्रचलित
किया। मुस्लिम शासन के अन्तर्गत घृणित बर्बरताएँ ठीक १९वीं शताब्दी
तक चलती रहीं, जब कुकृत्य करने की सभी शक्तियों से मुगलों के विहीन,
असहाय होने के कारण ये घृण्य अपकर्म रुक पाए।

बहुत संख्या में अशिक्षित होने के कारण उन लोगों ने ऐसे कोई कौशल
विकसित नहीं किए थे जो संश्लिष्ट जल-यंत्र-व्यवस्था और भवन-निर्माण-
कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। मानव सभ्यता के
सभी क्षेत्रों में ऐसे सभी कौशल किसी भी समुदाय को तभी प्राप्त हो सकते
हैं जब अववोधन और संस्कृति का सामान्य स्तर विशालाधारित हो अर्थात्
बहुसंख्या परिष्कृत, सभ्य, शिक्षित और सुसंस्कृत हो। अकबर के युग में,
अपने सभी साधनों सहित जब स्वयं अकबर ही निपट निरक्षर था, तब
उसके चारों ओर के साधारण, अन्यदेशीय लुटेरों और उसके सैनिकों का
सामान्य स्तर सहज ही किसी भी व्यक्ति की कल्पना में प्रत्यक्ष हो सकता
है।

मध्यकालीन मुस्लिमों के पास, जिनको भवन भवन-निर्माण का झूठा
यश दिया जाता है, शिल्पशास्त्र से सम्बन्धित एक भी ग्रन्थ नहीं है जिसको
वे अपना मध्यकालीन अथवा प्राचीन साहित्य कह सकें। इसके विपरीत,
किलों, नदी-घाटों, राजमहलों, स्तम्भों और उन सभी मध्यकालीन भवनों
के निर्माण का दावा करने वाले हिन्दुओं की सहस्रों पाठ्य-पुस्तकें हैं जिनमें
मानव कार्यकलाप के सभी क्षेत्रों में परमोत्कृष्ट तकनीक उपलब्ध है।

प्राचीन परम्परा के अनुसार हिन्दू लोग अपने धार्मिक कृत्यों और
समारोहों का शुभ मुहूर्त पता करने के लिए जल-घड़ी का उपयोग करते
हैं। इसमें पानी से भरा एक बड़ा पात्र होता है, जिसमें एक अन्य छोटा पात्र
जिसमें विशेष माप का एक छोटा छेद होता है, बराबर तैरता रहता है।
तैरता हुआ पात्र उस लघु छिद्र से आहिस्ता-आहिस्ता भरता जाता है और
डूब जाता है। शुभ मुहूर्त उस तैरते हुए पात्र के पानी में पैठने का सम-
सामयिक ही होता है। पत्थर का बना हुआ ऐसा जलघड़ी-युक्त तालाब
फतेहपुर सीकरी के विशाल प्रांगण के एक ओर बना हुआ है। एक सरकारी
मार्गदर्शिका का कहना है: "पूर्व दिशा वाले कमरे के बाहर पत्थर का एक

खण्डित पात्र है जो कदाचित् किसी फव्वारे के जलाशय का काम करता
था।"[1]

जैसा अन्य स्थानों पर है, इस 'खण्डित पात्र' के प्रयोजन से भी अकबर
द्वारा फतेहपुर सीकरी निर्माण की कथा दिग्भ्रमित है। मध्यकालीन भवनों
के सम्बन्ध में अभी तक लिखी गयी सभी सरकारी तथा अन्य मार्गदर्शिकाएँ
अज्ञान एवं भ्रम से परिपूर्ण हैं। वे गलत दिशा की ओर उन्मुख हैं। उनकी
यह मूल धारणा कि ये सब मुस्लिम भवन हैं, गलत होने के कारण वे किसी
भी निर्माण की तारीख अथवा उनके प्रयोजन के सम्बन्ध में अत्यन्त संशय-
शील तथा अनिश्चित हैं। इसके विपरीत, जब यह अनुभव कर लिया जाता
है कि वे सब हिन्दू संरचनाएँ हैं जो विजयोपरान्त मुस्लिम उपयोग में आ
रही हैं, तब प्रत्येक निर्माण और उसका आलंकारिक नमूना सन्तोषजनक
रूप में स्पष्ट हो जाता है। तथाकथित 'खण्डित पात्र' हिन्दू घटि-पात्र अर्थात्
जल-घड़ी है।

वही मार्गदर्शिका मुगल-अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा 'निचला ख्वाबगाह'
कहलाने वाले भवन का वर्णन करते हुए कहती है: "चित्रित कक्ष के पीछे
एक और कक्ष जिसे परम्परागत रूप में हिन्दू पुरोहित का निवास कहते
हैं...यह तुर्की सुलताना के घर के नमूने पर अतिसूक्ष्म रूप में तराशा हुआ
है।"[2]

हमारी इस उपलब्धि की पुष्टि के लिए उपर्युक्त कथन की सूक्ष्म समीक्षा
आवश्यक है कि फतेहपुर सीकरी एक विजित हिन्दू नगरी है। हम पहले ही
पर्यवेक्षण कर चुके हैं कि तथाकथित तुर्की सुलताना का घर एक छोटा
कमरा-मात्र है जो श्रमालंकृत प्रतिरूपों से विभूषित है। कोई सुलताना
इसमें कभी नहीं ठहरी। इसकी रेखाकृतियाँ भी धर्मान्ध मुस्लिम अधि-
निवासियों द्वारा विद्रूप कर दी गयी हैं। यह इस बात का स्पष्ट साक्ष्य है
कि यह कमरा एक हिन्दू कमरा है। इसका समर्थन इसी के तुल्य 'निचला
ख्वाबगाह' नामक एक अन्य कमरे में मिलता है जिसे सरकारी प्रकाशन

१. फतेहपुर सीकरी की प्रदर्शिका, पृष्ठ २६।
२. वही, पृष्ठ २६-२७।

करता है।
का मुस्लिम लेखक भी एक हिन्दू पुरोहित का कक्ष स्वीकार करता है।
चूँकि इस कमरे में तथाकथित तुर्की सुलताना के घर के समान ही नमूने हैं
और चूँकि इस कमरे को एक हिन्दू पुरोहित का कक्ष स्वीकार किया जाता
है इसलिए स्पष्ट है कि तथाकथित सुलताना का घर भी एक ऐसा कक्ष था
जो हिन्दुओं के उपयोग के लिए हिन्दुओं द्वारा ही निर्मित था।

स्वयं 'ख्वाबगाह' नाम महत्त्वपूर्ण सूत्र प्रस्तुत करता है। 'निचला
ख्वाबगाह' नाम भी निरर्थक है। किसी विजित नगरी के भागों को ऐसे
निरर्थक नाम तो केवल उसका अपहरणकर्ता और विजेता ही दे सकता है।
एक निर्माता तो ऐसे ऊल-जलूल, नगण्य नाम रखेगा नहीं। भारत में मध्य-
कालीन मुस्लिम राज्य-शासन की लूट-खसोट एवं नर-हत्याओं की वास्त-
विकता इतनी क्रूरतापूर्ण थी कि कोई भी व्यक्ति भू-तल पर और ऊपरी
मंजिलों पर स्वप्नलोकों, ख्वाबगाहों के निर्माण का विचार भी नहीं कर
सकता था। ये नाम स्पष्ट रूप में वे शब्द हैं जो विजेता मुस्लिम आक्रमण-
कारियों ने उन भव्य स्वप्नलोक-सदृश हिन्दू राजमहलों के उन कक्षों के
विशिष्ट उपयोग से अनभिज्ञ होने के कारण निर्मित कर लिए थे।

'ऊपरी ख्वाबगाह' नगरी के सर्वाधिक अलंकृत भवनों में से एक भवन
रहा होगा, ऐसा कथन उस मार्गदर्शिका का है। उसका कथन है[1]: "प्रारम्भ
में सारा कमरा ही ऊपर से नीचे तक सुन्दर रंगभरी अलंकारिता से
विभूषित था "कमरे और इसके शाही निवासियों के प्रशंसात्मक फारसी दोहे
उत्कीर्ण हैं। एक समय तो काष्ठास्तरण की प्रत्येक चौखट पर एक चित्रावली
थी। अब केवल दो के अंश ही देखे जा सकते हैं। पश्चिमी प्राचीर पर एक
चौखट में चित्र है जिसमें समतल छत वाले घर से एक व्यक्ति नीचे झाँकता
दिखाया गया है। उत्तरी प्राचीर वाले में एक नौकाविहार का दृश्य है।
रेखाकृति अत्यन्त विद्रूप है, किन्तु नौका में कुछ व्यक्ति, एक मस्तूल, नौका
की सामग्री और जलयान देखे जा सकते हैं। रेखाकृति की दायीं ओर एक
अन्य नौका के चिह्न लक्षित होते हैं।" फारसी दोहे तो मुस्लिम अधिग्रहण-
कर्ताओं ने विजित भवन की प्रशंसा में उत्कीर्ण कर दिये थे।

१. वही, पृष्ठ २७-२८।

चूँकि इस्लाम किसी भी प्रकार की रेखाकृति अथवा अलंकरण को
त्याज्य घोषित करता है, उस पर नाक-भौंह सिकोड़ता है, इसलिए तथा-
कथित 'ऊपरी ख्वाबगाह' में भरे पड़े इन प्रशंसात्मक पद्यों को स्पष्टतः
पूर्वकालिक हिन्दू-मूलक ही मानना चाहिए। प्रसंगवश इतिहासकारों को
इस तथ्य के प्रति भी सतर्क हो जाना चाहिए कि मध्यकालीन भवनों में
जहाँ भी कहीं विचित्र और आभायुक्त प्रस्तर अंश तथा अन्य प्रतिरूप
दिखाई दें, वे सब उन भवनों के हिन्दू-मूलक होने के प्रबल प्रमाण मानें।
ग्वालियर के किले में मानसिंह-राजमहल नाम से पुकारे जाने वाले भवन
की यही स्थिति है। यह धारणा, कि सुअलंकृत मध्यकालीन भवन मुगलों
या पूर्वकालिक मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा निर्माण किये गये थे, अब
इसके बाद से आधारहीन मानकर पूर्णतः तिरस्कृत कर दी जानी चाहिए।
चित्रकृतियों का विद्रूपण स्वयं इस बात का साक्ष्य है कि अपने अधीन हिन्दू
भवनों में धर्मान्ध मुस्लिमों ने मूर्तिभंजन किया है। उल्लेखित नौका-दृश्य
गंगा पार करते हुए राम, लक्ष्मण और सीता का हो सकता है।

सुनहरी महल नामक भवन में "बरामदे के उत्तर-पश्चिमी कोने पर
स्थित खम्भे के परिवेश में चार कोष्ठ में से एक पर एक चित्र उत्कीर्ण है
जो श्रीराम का प्रतीत होता है, जिसमें हनुमान सेवक के रूप में हैं। इसमें
कमल की कली में उनके एक हाथ में पवित्र पौधा और दूसरे में धनुष है।
इसके ऊपर कीर्तिमुखों का एक दल है और इसके नीचे ब्रह्माणी बत्तखों की
पंक्ति। दूसरा कोष्ठक कुछ गज-यूथों से अलंकृत है और तीसरा कलहंस के
एक युग्म से विभूषित। स्थापत्य में से अधिकांश जीर्ण-शीर्ण अवस्था
में हैं।"[1]

फतेहपुर सीकरी की यात्रा करने वाले सामान्य भ्रमणकर्ता को यह ज्ञात
नहीं होता कि फतेहपुर सीकरी में ऐसी रेखाकृतियाँ भी हैं जिनमें श्रीराम
चित्रित हैं। कदाचित् उसे जान-बूझकर ही फतेहपुर सीकरी की दीवारों
पर चित्रित अनेक ऐसी हिन्दू पौराणिक रेखाकृतियों से अंधकार में रखा
गया है। वे सभी रेखाकृतियाँ अत्यन्त जीर्ण-शीर्णावस्था में हैं क्योंकि मुस्लिम

१. वही, पृष्ठ ३४।

आधिपत्य के विगत ४०० वर्षों में उन चित्रों को मिटाने के अथक प्रयत्न किए गए हैं। सौभाग्य से, फतेहपुर सीकरी के हिन्दू-मूलक होने के चिह्न अभी भी शेष हैं। यह विचार करना मूर्खता है कि उनको बनवाने के आदेश अकबर ने दिए होंगे। अकबर भी औरंगजेब के समान ही धर्मान्ध था।

एक अन्य हिन्दू-अवतार भगवान श्रीकृष्ण भी उसी भवन की अन्य प्राचीर में चित्रित किए गए हैं। यह मार्गदर्शिका हमें सूचित करती है : "दक्षिणी प्राचीर के एक बड़े गुप्त स्थान वाले भाग में दो बड़े आकार वाले चित्र हैं। उनमें से एक पूर्व की ओर वाला श्रीकृष्ण का चित्र प्रतीत होता है।"[1]

तथाकथित 'ऊपरी ख्वाबगाह' में "उत्तरी द्वार के ऊपर खिड़की के पास एक धूमिल चित्राकृति है (जो जैसा कि श्री ई० डब्ल्यू० स्मिथ का कहना है) गौतम बुद्ध की चीनी कल्पना से मिलता है।"[2]

पंचमहल के सन्दर्भ में इस मार्गदर्शिका में कहा गया है : "सम्पूर्ण नमूना एक बौद्ध-विहार की योजना से नकल किया गया माना जाता है। यह भी विचार प्रस्तुत किया गया है कि खम्भे का मस्तक किसी बौद्ध-मन्दिर का है। पंचमहल के स्तम्भों पर उत्कीर्ण कुछ चित्राकृतियाँ विनष्ट कर दी गयी हैं अथवा विद्रूप कर दी गयी हैं। यह कल्पना की जाती है कि सम्पूर्ण भवन पर ही विशेष रूप में विभिन्न फर्शों तथा चौखटों पर उत्कीर्णांशों में हिन्दू प्रभाव छाया हुआ है।"[3]

इस प्रकार फतेहपुर सीकरी में न केवल राम और हनुमान हैं अपितु श्रीकृष्ण एवं बुद्ध भी हैं। कौन जानता है कि मुस्लिम आधिपत्य के बवण्डर में विद्रूपित अन्य रेखाकृतियों में सम्पूर्ण हिन्दू देवतागण और अनेकानेक पौराणिक दृश्य भी रहे हों!

तथाकथित 'बीरबल-गृह' के सम्बन्ध में यह मार्गदर्शिका कहती है : "इस प्रश्न पर पर्याप्त मतभेद है कि यह सुन्दर गृह किसके लिए निर्मित था।

१. वही, पृष्ठ २८।
२. वही, पृष्ठ ३५।
३. वही, पृष्ठ २९-३०।

कुछ लोग इसका सम्बन्ध बीरबल की उस काल्पनिक पुत्री से लगाते हैं जो अकबर की एक पत्नी कही जाती है। किन्तु, स्मारक भवन के पश्चिमी भाग के चौकोर खम्भे के मस्तक पर श्री ई० डब्ल्यू० स्मिथ को हिन्दी का एक शिलालेख मिला था जिसमें कहा गया था कि यह संवत् १६२९ (सन् १५७२ ई०) में अर्थात् अबुलफजल द्वारा दी गयी तारीख के १० वर्ष पहले बना था।"[1]

फतेहपुर सीकरी के मूल के सम्बन्ध में अकबर की कथा किस प्रकार झूठ का पुलिन्दा है, यह उपर्युक्त अवतरण से स्पष्ट है। यद्यपि बीरबल अकबर के सर्वाधिक घनिष्ठतम साथियों में से एक था और अकबर के निजामुद्दीन, बदायूँनी और अबुलफज़ल नाम के कम से कम तीन तिथिवृत्त लेखक थे, यद्यपि उनमें से किसी ने भी फतेहपुर सीकरी के उद्गम के सम्बन्ध में एक भी निश्चित वाक्य, कथन नहीं दिया है। वे लोग बिना कोई असन्दिग्ध और प्रबल प्रमाण दिये ही, बकवादी सूत्र छोड़ गए हैं जिससे यह भ्रम उत्पन्न हो जाए कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी निर्माण की थी। तथाकथित 'बीरबल-गृह' के मामले में निराधार विभिन्न कल्पनाएँ ये हैं कि बीरबल के लिए इसे अकबर ने बनवाया या बीरबल ने स्वयं के लिए बनवाया या अपनी पुत्री के लिए बनवाया अथवा उसकी पुत्री ने स्वयं ही अपने लिए बनवाया। यह स्वयं संदिग्ध है कि बीरबल की कोई पुत्री थी।

यह भी ध्यान रखने की बात है कि तथाकथित हिन्दी शिलालेख यद्यपि ढूँढ़ लिया गया है तथापि कदाचित् इसीलिए किसी भी मार्गदर्शक-पुस्तिका में नहीं दिया गया है क्योंकि यह इस विश्वास का प्रबल प्रतिवाद करता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवायी। आज जिसे हिन्दी शिलालेख विश्वास किया जाता है, हो सकता है कि वह संस्कृत-शिलालेख हो और उसकी तारीख सन् १५७२ से भी बहुत काल पूर्व की हो। स्वयं सन् १५७२ का वर्ष भी अबुलफज़ल द्वारा 'बीरबल राजमहल' के निर्माण की घोषित तारीख से १० वर्ष पूर्व होना परम्परागत वर्णन के चहुँ ओर व्याप्त आत्म-श्लाघा और धोखे का एक अन्य संकेतक है। यह इस तथ्य को भी प्रमुख

१. वही, पृष्ठ ४२।

रूप से स्पष्ट करता है कि इतिहासकार के रूप में, अबुलफजल पूर्णतः अविश्वसनीय है। उसे ठीक ही, "निर्लज्ज चाटुकार" की संज्ञा दी गई है। इतिहास के विद्यार्थियों, शिक्षकों, परीक्षकों और मार्गदर्शिकाओं के लेखकों को अत्यन्त सतर्क रहना चाहिए। उनको मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्तों में दी गई तारीखों, घटनाओं या वक्तव्यों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि अन्य स्रोतों तथा परिस्थिति-साक्ष्य से उनकी पुष्टि न होती हो। अनेक बार तो किसी विशेष बात के अभाव में भी मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्तों में काल्पनिक और मनचाहे वर्णन समाविष्ट हैं क्योंकि लेखक को अपने वेतन के लिए कलम चलानी पड़ती थी और यह प्रदर्शित करना पड़ता था कि वह किसी विशेष चिन्तनपूर्ण एवं आधिकारिक रचना लेखन में लीन था। बीरबल-गृह की धोखाधड़ी आदि इसके अच्छे दृष्टान्त हैं।

मार्गदर्शिका में कहा गया है कि : "(ऊपर)उत्तर में हवा-महल नामक एक कमरा मरयम बाग में दीख पड़ता है।"[1] राजपूती राजधानी जयपुर में एक हवा-महल है, किन्तु किसी मुस्लिम देश में एक भी नहीं। यह प्रमाण है कि फतेहपुर सीकरी अकबर-पूर्व समय की एक राजपूत नगरी है।

हाथी-द्वार के निकट ही नक्कारखाना है। फतेहपुर सीकरी के दूसरे प्रवेश द्वार की ओर नौबतखाना है। पहले के सम्बन्ध में मार्गदर्शिका में कहा गया है : "नक्कारखाना कदाचित् उस समय उपयोग में आता था जब बादशाह हिरन मीनार के निकट पोलो खेलता था।"[2]

दूसरे के सम्बन्ध में पुस्तक में कहा गया है कि "डाक बंगले के पूर्व में लगभग ५० गज पर स्थित तिगुना तोरणद्वार नौबतखाना कहलाता है।"[3]

संगीत मुस्लिम परम्परा में निषिद्ध है। अकबर के दिनों में, जब इस्लामी धर्मान्धता शाही संरक्षण में चरमसीमा पर पहुँची हुई थी तब, यदि अकबर ने फतेहपुर सीकरी के निर्माणादेश दिये होते, उस नगर-योजना

१. वही, पृष्ठ ३८।
२. वही, पृष्ठ ४७।
३. वही, पृष्ठ १२।

में संगीत-गृहों को स्थान नहीं मिल सकता था। पुरातन मुस्लिम व्यवहार में जहाँ नमाज दिन में पाँच बार पढ़ी जाती है और अकबर के समय में जबकि दीवार-घड़ियाँ नहीं थीं, फतेहपुर सीकरी में ठसाठस भरे हुए सहस्रों मुस्लिमों में से कोई भी दिन में किसी भी समय नमाज के लिए प्रणिपात करने लगता होगा। ऐसी परिस्थितियों में कौन व्यक्ति इन दोनों संगीत-गृहों में नक्कार या नौबत बजाने का विचार करता होगा ? नमाज पढ़ते हुए बीसवीं शताब्दी के मुस्लिम भी अत्यन्त दूर से क्षीण-ध्वनि में तरंग-वाहित संगीत-लहरी के प्रति असह्य हैं। इसके विपरीत, संगीत-गृह हिन्दू मन्दिरों, राजमहलों और नगरियों के अविभाज्य अंग होते थे। हिन्दू परम्परा में तो संगीत-वादन भोर व संध्या समय होना ही चाहिए। यह अत्यन्त पावन रीति थी। इस प्रकार, संगीत-गृहों का अस्तित्व इस बात का प्रबल प्रमाण है कि फतेहपुर सीकरी अकबर-पूर्व काल में हिन्दू नगरी रही है।

फतेहपुर सीकरी में एक रंग-महल भी है। यह एक विशिष्ट हिन्दू भवन है। हिन्दुओं का एक पवित्र पर्व होता है जो रंगपंचमी कहलाता है। यह होली के पश्चात् पाँचवें दिन होता है। उस दिन सभी शाही हिन्दू, दरबारों के नरेश और दरबारियों के झुंड परस्पर सखाभाव से एकत्र होते थे और एक-दूसरे पर भगवा तथा अन्य रंगों का जल डालते थे। इस प्रकार, रंगमहल तो किसी मुस्लिम नगरी में हो ही नहीं सकता। इसका इस्लामी-परम्परा में कोई स्थान नहीं है।

तथाकथित दफ्तरखाना के पास ही वह स्थान है जिसे हकीम का हमाम (चिकित्सक स्नानगृह) कहते हैं। इसके समीप ही एक तालाब है जिसे शीरीं ताल कहते हैं, यह फिर एक संस्कृत नाम है। 'शीरीं' शब्द धन की देवी अर्थात् 'श्री' का अपभ्रंश है।

हकीम का हमाम स्पष्टतः वह नाम है जो फतेहपुर सीकरी के मुस्लिम अधिपतियों ने घढ़ लिया था। किसी मौलिक मुस्लिम भवन का मूल मुस्लिम नाम रखे जाने के लिए यह बहुत ही निरर्थक एवं नगण्य था। एक मुस्लिम हकीम बिचारा उपेक्षित व्यक्ति था। उसे राजमहल-परिसर में कौन स्नान-गृह देगा ? और उनके लिए एक स्नानगृह का प्रबन्ध करने से पूर्व क्या यह

आवश्यक नहीं कि उसके निवास के लिए एक भव्य निवास-स्थान का प्रबन्ध भी किया जाय ? अकबर ऐसे स्नानगृह के लिए धन का अपव्यय क्यों करे। वह विख्यात हकीम कौन था ? उसका नाम क्या था ? ऐसे सीधे प्रश्नों से इस दावे की असत्यता का भण्डाफोड़ हो जाता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। तुर्की सुल्ताना के समान ही यह मुस्लिम हकीम भी काल्पनिक है।

स्नानगृह के पास ही एक कक्ष है "जो स्वस्तिक आकार का है और सम्भवतः शृंगार-कक्ष के रूप में उपयोग में आता था। कक्ष की चारों भुजाएं रक्त और श्वेत रंगों में ज्यामितीय-प्राकारों में अलंकृत हैं।"[1]

कमरों का रंगीन अलंकरण-प्राकार शुचितापूर्ण हिन्दू परम्परा है। इसका कोई मुस्लिम महत्त्व नहीं है। पुस्तक में उल्लेख है कि: "शृंगार कक्ष के चारों ओर जाने वाला मार्ग एक ऐसे कक्ष में जाता है जिसके मध्य में एक अष्टकोणात्मक स्नानगृह दृष्टव्य होगा जो ४ फीट २ इंच गहरा है और जिसका व्यास ७ फीट ६ इंच है।" हम जैसा पहले ही पर्यवेक्षण कर चुके हैं अष्टकोणात्मक आकार एक अति सामान्य और जन-प्रिय हिन्दू आकार है। इसे रामायण जैसे अति प्राचीन ग्रंथ में भी परिलक्षित किया जा सकता है।

फतेहपुर सीकरी अष्टकोणात्मक संरचनाओं से भरी हुई नगरी है। "नवाब इस्लाम खान की कब्र वाला बड़ा गुम्बद-युक्त कमरा बाहर से वर्गाकार है किन्तु अन्दर अष्टकोणात्मक है।"[2]

ऊँचे बुलन्द दरवाजे का "सम्मुख-भाग एक अर्ध-अष्टकोणीय आकृति का है।"[3]

फतेहपुर सीकरी का हाथी-द्वार इसके हिन्दू-मूलक होने का एक अति महत्त्वपूर्ण चिह्न है। प्राचीन हिन्दू परम्परा में हाथी राजकीय शक्ति, धन और यश का प्रतीक था। फतेहपुर सीकरी के द्वार के ऊपर जिस प्रकार एक मेहराब में दो हाथियों की सूँड़ें एक-दूसरे से लिपटी हुई हैं (मुस्लिम

१. वही, पृष्ठ ७८।
२. वही, पृष्ठ ६६।
३. वही, पृष्ठ ५६।

निवासियों ने उन सूँड़ों को मिटा दिया है और अब उन दोनों पशुओं के बेकार ढाँचे-भर रह गए हैं) उसी प्रकार प्राचीन राजपूतों की एक अन्य प्राचीन राजधानी कोटा के राजमहल में दो हाथियों की प्रतिमाएँ हैं जिनकी सूँड़ें एक स्वागतसूचक मेहराब बनाती हैं।

दो हाथियों द्वारा स्वागत-सूचक मेहराब बनाने का नमूना धन-ऐश्वर्य की हिन्दू-देवी, लक्ष्मी जी के चित्रों में भी देखा जा सकता है।

हाथी दिल्ली के लालकिले के एक फाटक पर भी बने हैं। जिसे प्राचीन हिन्दुओं ने मुस्लिम-पूर्व काल में बनवाया था।

हाथी आगरा के लालकिले के शाही दरवाजे के पार्श्व में भी थे जो प्राचीन हिन्दू-दुर्ग है। वे प्रतिमाएँ किले के मुस्लिम अधिपतियों द्वारा हटा दी गयी थीं।

प्राचीन हिन्दुओं द्वारा निर्मित ग्वालियर के किले में भी एक हाथी द्वार है।

सहेलियों की बाड़ी नाम से प्रसिद्ध उदयपुर के हिन्दू राजमहल में भी अनेक गज प्रतिमाएँ हैं।

भरतपुर किले के फाटक के बाहर ऊँचे विशाल हाथियों की दो प्रतिमाएँ हैं।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यद्यपि द्वारों पर गज-मूर्तियाँ स्थापित करना हिन्दुओं की एक पवित्र पद्धति है, तथापि ऐसी प्रतिमाओं को गिराना मुस्लिम प्रक्रिया रही है। अतः इतिहास के प्रत्येक विवेकशील अध्येता के लिए मध्यकालीन भवनों में केवल किसी रेखाकृति, प्रतिमा अथवा प्राकार का अस्तित्व ही उन रचनाओं से सम्बन्धित मुस्लिम दावों को तिरस्कृत करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। गज-आकृतियों और प्रतिमाओं का अस्तित्व उन भवनों के हिन्दू-मूलक होने का विशाल मात्रा वाला प्रमाण है।

फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में विशाल चार-खण्डीय आकृति में प्राकारों, रेखा-चित्रों और नक्शों में बहुविध स्थापत्यकला का दिग्दर्शन कराने वाले एक सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ श्री ई० डब्ल्यू० स्मिथ ने पर्यवेक्षण किया है "नौबतखाने की आगरा-दिशा में एक विशाल वट-वृक्ष है और

इसके पीछे एक छोटी मस्जिद है जिसके सम्मुख गुम्बद-युक्त एक मण्डप है।
यही वह स्थान था जिसके निकट लेखक को अरनाथ की ऊर्ध्व दिगम्बर
प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जो फतेहपुर सीकरी में प्राप्त एक जैन प्रतिमा का
सर्वप्रथम अभिलेखगत दृष्टान्त है। उल्लेखयोग्य बात यह है कि फतेहपुर
सीकरी जैसी अनिवार्यतः मुस्लिम नगरी में भी ऐसी प्रतिमा उपलब्ध हुई।
एक वृद्ध जानकार के अनुसार यही वह स्थान था जहाँ जोधाबाई के राज-
महल से निकालकर कुछ प्रतिमाएँ फेंक दी गयी थीं और यदि कुप्रयुक्त
धार्मिक-गर्त से अपखण्डन का विशाल भण्डार दूर किया जा सके, तो
सम्भव है कि वे प्रतिमाएँ पुनः मिल जाएँ।"[1]

श्री स्मिथ यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने में ठीक ही हैं कि हिन्दू प्रतिमाओं
के लिए फतेहपुर सीकरी का सान्निध्य परिमार्जित किया जाय। उनका यह
आश्चर्य, कि यद्यपि फतेहपुर सीकरी अनिवार्यतः मुस्लिम नगरी है तथापि
इसमें चारों ओर हिन्दू (और जैन) प्रतिमाएँ प्राप्त हैं; अभी तक सभी
विद्वानों और पुरातत्वीय-कर्मचारियों की विचारधारा में विद्यमान दोष
को प्रमुख रूप से सम्मुख प्रस्तुत करता है। श्रीराम, श्रीकृष्ण, हनुमान
की उत्कीर्ण आकृतियाँ, आज जोधाबाई का महल पुकारे जाने वाले स्थान
से मूलोत्पाटित हिन्दू प्रतिमाओं, और पत्थरों के ढेर के नीचे अतिक्रूरता,
नृशंसतापूर्वक दबा कर डाली हुई अरनाथ की जैन प्रतिमा के अस्तित्व से
इतिहास के विद्वानों और विद्यार्थियों को यह अनुभूति प्रदान करनी चाहिए
थी कि वे जिसको अभी तक मुस्लिम नगरी समझते थे, वह एक पूर्वकालिक
हिन्दूनगरी थी जो आक्रमणकारी मुस्लिमों ने विजित कर ली थी।

सन् १९६० के आसपास, सीकरी नगर में, पुरातत्व-कर्मचारी श्री
एम० सी० जोशी को दर्जन से ऊपर जैन-प्रतिमाएँ मिली थीं। इनको
राजमहल-संकुल मैदानों से गोमेध, अम्बिका, प्रतिहार और प्रतिहारी की
प्रतिमाएँ भी मिली थीं। नगर और राजमहल संकुल, दोनों ही स्थानों पर

१. श्री ई० डब्ल्यू० स्मिथ विरचित चार खण्डीय "फतेहपुर सीकरी की मुगल स्थापत्यकला," खण्ड-३, पृष्ठ ५७-५८, प्रकाशन सन् १८९४। अधीक्षक, गवर्नमेंट प्रेस, एन० डब्ल्यू० पी० और अवध, द्वारा मुद्रित।

हिन्दू (जैन) देवताओं की प्रतिमाओं की प्राप्ति सिद्ध करती है कि उस राजमहल-संकुल में अधिनिवास करने वाला एक हिन्दू राजवंश उस नगर और उसके सीमावर्ती क्षेत्र पर राज्य करता था। श्री जोशी के अनुसार उनका सम्बन्ध सम्भवतः ईसा की १२वीं शताब्दी से है। उसका अर्थ है कि फतेहपुर सीकरी राजमहल-संकुल का काल कम-से-कम उस शताब्दी तक तो पीछे जाता ही है।

'भारतीय पुरातत्व—१८५७-५८—तक समीक्षा' के पृष्ठ ६९ पर एक टिप्पणी में लिखा है कि बुद्ध का एक विद्रूपित प्रस्तर-मस्तक फतेहपुर सीकरी स्थित डाक-बंगले के निकट खुदी हुई सुरंग में पड़ा मिला था। उस प्रतिमा का एक चित्र पुस्तक में भी (चित्र-प्लेट XXI) दिया गया है। विजेता मुस्लिमों द्वारा क्रोधावस्था में फतेहपुर सीकरी राजमहल-संकुल से हिन्दू (जैन-बौद्ध) प्रतिमाओं को उखाड़ देने और निकटस्थ सुरंगों, तलघरों, कूपों और अन्य खोखले विवरों में नीचे दबा देने का यह एक और प्रमाण है। बुद्ध-प्रतिमा, सरकारी तौर पर विशिष्ट रंग-बिरंगी लाल रेत-प्रस्तर प्रकार की कही जाती है। यह प्रदर्शित करता है कि फतेहपुर सीकरी स्थित हिन्दू राजमहल-संकुल अति प्राचीन काल का है।

सामान्य व्यक्तियों की तो बात ही क्या, ऐसा प्रतीत होता है कि निरर्थक तथा भ्रामक मुस्लिम शिलालेखों के अतिरिक्त फतेहपुर सीकरी में अत्यधिक मात्रा में व्याप्त हिन्दू (और जैन) प्रतिमाओं, प्रचुर हिन्दू अलं-करण, अष्टकोणात्मक आकृतियों, हिन्दू परम्पराओं और हिन्दू नामों के सम्बन्ध में इस सम्पूर्ण जानकारी से इतिहास के प्राचार्य और शिक्षक दोनों ही अनभिज्ञ हैं।

हम उनका ध्यान प्रचुर मात्रा में प्राप्य उस समस्त प्रमाण सामग्री की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जो सिद्ध करती है कि अकबर एक शाही हिन्दू-राजधानी में रहा। उसने इसमें क्षति की और इसे विनष्ट किया किन्तु किसी भी प्रकार से इसमें कोई संवृद्धि नहीं की। जब अनुरक्षण के अभाव के कारण उसने इसमें रह पाना असम्भव समझा, तब वह इसको सदैव के लिए छोड़ गया। वह कितनी देर तक एक ऐसी नगरी में रहने की आशा कर सकता था जो उसके पितामह बाबर के समय से ही मुस्लिमों के

आक्रमणों से क्षत-विक्षत होती रही थी ! मुस्लिमों को सीकरी की संश्लिष्ट जल-व्यवस्था को बनाए रखने का यन्त्रज्ञान नहीं था। उन्होंने नगरी की जटिल जल-वितरण व्यवस्था को जलाशय में गन्दगी, कूड़ा-करकट तथा हिन्दू प्रतिमाएँ फेंककर अवरुद्ध कर दिया था। धर्मान्धता और हिन्दू-वास्तु कला के प्रति घृणा, अनुरक्षण का अभाव तथा तकनीकी जानकारी की कमी के फलस्वरूप उत्पन्न विघ्न ने अन्त में अकबर को विवश कर दिया कि वह अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से आगरा ले जाए।

८

फतेहपुर सीकरी के साथ अकबर के पूर्व सम्बन्ध

हम पहले एक अध्याय में स्पष्ट कर चुके हैं कि किस प्रकार स्वयं अकबर के पिता हुमायूँ द्वारा फतेहपुर सीकरी एक मुगल राजधानी के रूप में उपयोग में लाई गयी थी। इस अध्याय में हम अनेक आधिकारिक ग्रन्थों का उल्लेख यह प्रदर्शित करने के लिए करेंगे कि अकबर का फतेहपुर सीकरी से सम्बन्ध उसके राज्यकाल से प्रारम्भ हुआ था जब वह १४ वर्ष की आयु का भी नहीं था। इस प्रकार के सम्बन्ध होते हुए यह विश्वास करना गलत बात है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया।

इतिहासकार गलत ही यह विश्वास करते रहे हैं कि राज्यारोहण के पश्चात् चूँकि अकबर का दरबार आगरा में था, इसलिए जब बाद में उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थानान्तरित कर दी तब उसने उसका निर्माण किया ही होगा। यह विश्वास उपयुक्त है। जिस प्रकार अकबर के समय में उसका दरबार आगरा में होने के साथ-साथ दिल्ली भी विद्यमान थी, उसी प्रकार फतेहपुर सीकरी भी विद्यमान थी। हम पिछले अध्यायों में यह तथ्य अनेक प्रकार से सिद्ध कर चुके हैं। तथ्य रूप में अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से बदलने के लिए केवल इसीलिए सोचा कि उसके पिता हुमायूँ ने इसे पहले भी राजधानी बनाया था।

१९ वर्ष की आयु में फतेहपुर सीकरी के निकट के क्षेत्र में शिकार खेलते हुए अकबर ने किसी फकीर को शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के गुणगान करते हुए सुना। शेख चिश्ती अजमेर में दफनाए पड़े हैं। उस युग में जब यांत्रिक यातायात न था और जब एक नगर से दूसरे नगर तक पहुँचने में कई-कई दिन लगते थे, तब अकबर फतेहपुर सीकरी के निकट के क्षेत्र में

फतेहपुर सीकरी में एक ऐसा
शिकार केवल इसीलिए कर सका क्योंकि फतेहपुर सीकरी में एक ऐसा विशाल राजमहल-संकुल था जहाँ अकबर और उसके परिचारकगण ठहर सकें। चूँकि अकबर सन् १५४२ में जन्मा था इसलिए सन् १५६१ में वह १९ वर्ष का हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि अकबर फतेहपुर सीकरी में (कम-से-कम शिकार खेलते समय तो) स्वयं सन् १५६१ में तो था ही जबकि मनघड़न्त मुस्लिम वर्णनों का कहना है कि फतेहपुर सीकरी नगरी का निर्माण कई वर्ष पश्चात् प्रारम्भ हुआ। यह परिस्थिति साक्ष्य तथा आगे भी बताया जाने वाला साक्ष्य उन परम्परागत धारणाओं की असत्यता का भण्डाफोड़ करेंगे जिनमें कहा गया है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था।

इतिहास लेखक फरिश्ता ने प्रामाणिकता से वह वास्तविक कारण प्रकट कर दिया है जिसके वशीभूत युवा और धूर्त अकबर को अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी ले जानी पड़ी। फरिश्ता ने लिखा है: "अकबर ने (अपने संरक्षक बैरम खाँ पर) अत्यधिक कुपित होकर उसे उसके पद से हटाने का संकल्प कर लिया। कुछ लेखक बादशाह के समक्ष प्रस्तुत की गई उस योजना का उल्लेख करते हैं जिसमें उसकी परिचारिका (माहम अंगा) ने राजमोहरों पर अपना अधिकार कर लेने के लिए कहा था, किन्तु अन्य लोगों का कहना है कि उस परिचारिका ने अकबर के संरक्षक (बैरम खाँ) और मरे हुए (धनिक) पति की सम्पत्ति पाने वाली विधवा बेगम के मध्य वार्तालाप में उस षड्यन्त्र को सुन लिया था जिसके अन्तर्गत अकबर को बन्दीगृह में डालने की बैरम खाँ की योजना थी। उन लोगों का कहना है कि इसी कारण अकबर को अपनी राजधानी आगरा से हटाने का निश्चय करना पड़ा।"[1] यह बिल्कुल ग्राह्य और यथार्थ कारण है। अन्यथा अब जबकि बैरम खाँ (स्पष्टतः अकबर की ही आज्ञा पर) को जनवरी, सन् १५६१ ई० में कत्ल कर दिया गया था तब स्पष्ट है कि अकबर ने सन् १५६० में ही फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बना

१. मोहम्मद कासिम फरिश्ता विरचित 'भारत में मुस्लिम शक्ति का सन् १६१२ तक उत्थान का इतिहास', खण्ड २, पृष्ठ १२१।

लिया था, जब वह केवल १८ वर्ष का ही था। चूँकि अकबर १४ वर्ष का होने से पूर्व ही गद्दी पर बैठ गया था, इसलिए यह सम्भव नहीं है कि उसने वयस्क होने तक फतेहपुर सीकरी का निर्माण करा लिया था। बैरम खाँ से अपने जीवन और अपनी स्वाधीनता के प्रति शंकित होने के कारण अकबर ने इनकी सुरक्षा के हेतु फतेहपुर सीकरी में निवास करना ही श्रेयस्कर समझा। यह सिद्ध करता है कि फतेहपुर सीकरी पहले ही विद्यमान थी।

अकबर के दरबारी इतिहास लेखकों में से एक बदायूँनी ने अकबर की फतेहपुर सीकरी के प्रति वरीयता का एक भिन्न कारण ही प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार अकबर शेख सलीम चिश्ती के परिवार की महिलाओं के प्रति अत्युत्सुक होने के कारण फतेहपुर सीकरी की ओर अभ्याकर्षित होने लगा। किशोरावस्था में राजगद्दी पर बैठने के पश्चात् से ही फतेहपुर सीकरी की अनेक यात्राओं में ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के परिवार की महिलाओं को भ्रष्ट करना अत्यन्त सुगम पाया। इसकी साक्षी देते हुए बदायूँनी ने लिखा है: "उन महानुभाव शेख (सलीम चिश्ती) की अत्युत्तमता की चित्तवृत्ति ऐसी थी कि उसने बादशाह को अपने सभी सर्वाधिक निजी निवास-कक्षों में भी जाने का प्रवेशाधिकार दे दिया और चाहे उसके बेटे और भतीजे उसे कितना ही कहते रहे कि हमारी बेगमें हमसे दूर होती जा रही हैं शेख यही उत्तर देता रहा कि 'संसार में औरतों की कमी नहीं है। चूँकि मैंने तुमको अमीर आदमी बनाया है, तुम और बेगमें ले लो, क्या फर्क पड़ता है···

या तो महावत के साथ दोस्ती न करो,
करो तो हाथी के लिए घर का प्रबन्ध करो।' "[1]

उपर्युक्त शब्दों की व्यंजना स्पष्ट है। इसका अर्थ है कि शेख सलीम चिश्ती के हरम से सम्बन्ध रखने वाली विशाल-संख्यक आकर्षक महिलाओं के आगार में, जो फतेहपुर सीकरी में था, अकबर को बेरोक-टोक आने-

१. अल बदायूँनी द्वारा विरचित, जार्ज एस० ए० रैंकिंग द्वारा अनूदित मुन्तखाबुत तवारीख, खण्ड-२, पृष्ठ ११३।

जाने की सुविधा तथा छूट थी। परिवार की महिलाओं के साथ घनिष्ठता की इस परम सुविधा के बदले में उन अनुग्रहशील भ्रष्टा स्त्रियों के पतियों को राज-सम्मान दिये गए थे।

यदि फतेहपुर सीकरी पहले ही चिरकालीन समृद्ध प्राचीन नगरी न रही होती तो शेख सलीम चिश्ती, और उसके सम्बन्धीगण तथा हरम कहाँ रहते थे, उनको 'फतेहपुर' कुलनाम कैसे प्राप्त हुआ यदि वे वहाँ पीढ़ियों से नहीं रहे थे? अकबर शेख सलीम चिश्ती के परिवार की महिलाओं के साथ इतना घनिष्ट कैसे हो सकता था जब तक कि वह सन् १५५६ ई० में राजगद्दी पर बैठने के बाद से ही अनेक बार पर्याप्त लम्बी अवधि तक वहीं उन महिलाओं के साथ न ठहरा होता?

इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि १४ वर्ष की आयु में बादशाह बन जाने के बाद से ही, यद्यपि पाखण्ड-रूप में अकबर अपना दरबार आगरा में ही रखे हुए था, तथापि बहुत जल्दी-जल्दी वह फतेहपुर सीकरी की यात्राएँ किया करता था, जो पहले उसके पिता की राजधानी रह चुकी थी। वहाँ उसका सम्पर्क वृद्ध शेख सलीम चिश्ती से हुआ। चिश्ती अकबर को एक धूर्त, हठी और दृढ़निश्चयी, असंयमित इच्छाभोगी युवा बादशाह देखकर, उसके लिए लम्पटता में सहायक होकर उसका कृपापात्र बन बैठा। अकबर को जब यह ज्ञात हुआ कि उसकी लम्पटता को शान्त करने वाला उर्वर केन्द्र फतेहपुर सीकरी में विद्यमान है, तब उसने १८ वर्ष की आयु में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बना लिया। उसका यह निर्णय इसलिए और शीघ्र किया गया कि बैरम खाँ ने अकबर को बन्दी बनाने का षड्यन्त्र रच लिया था।

अपने संरक्षक बैरम खाँ द्वारा अपने विरुद्ध षड्यन्त्र किए जाने के भय से आतंकित अकबर लगभग दस वर्ष तक मन्थर गति से फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराकर और फिर वहाँ अपनी राजधानी ले जाकर अपने जीवन को आमोद-प्रमोद के मार्ग से सम्भवतः सुरक्षित नहीं रख सकता था। इस संकट से सदैव के लिए छुटकारा पाने के हेतु अकबर फतेहपुर सीकरी चला गया और अपने विरुद्ध होने वाले किसी भी आक्रमण को व्यर्थ करने के लिए उसने गुजरात में सिद्धपुर पट्टन नामक स्थान पर हत्यारे भेज दिए, जहाँ

बैरम खाँ शरण लिये पड़ा था। हत्यारे ने शीघ्र ही काम पूरा कर दिया। अपने मृतक संरक्षक की आत्मा को और अधिक पीड़ित करने के लिए ही मानो, अकबर ने बैरम खाँ की पत्नी सलीम सुलतान बेगम का अपहरण कर लिया और शेष जीवन के लिए अपनी पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए विवश करने हेतु अपने हरम में डलवा दिया।

नीचे तिथिक्रमानुसार वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है जो सिद्ध करता है कि फतेहपुर सीकरी के निर्माण के सम्बन्ध में मनगढ़न्त वर्णनों द्वारा दी गई विभिन्न तारीखों से भी बहुत पहले बहुत ही कम आयु से अकबर स्वयं फतेहपुर सीकरी में ठहरा करता था, अथवा अपनी पत्नियों के प्रसूति कर्म के लिए फतेहपुर सीकरी में एक अन्य ठिकाने का बन्दोबस्त रखता था तथा स्वयं अपनी यदा-कदा होने वाली यात्राओं के लिए वहाँ सभी सुविधाएँ उपलब्ध रखता था।

सन् १५६० ई०—इस भय से कि उसका संरक्षक बैरम खाँ उसे मार डाले अथवा कैद कर ले, अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी बदल दी, ऐसा इतिहास लेखक फरिश्ता ने कहा है।

किन्तु अकबर बैरम खाँ से बढ़कर था। अकबर ने बैरम खाँ को जनवरी १५६१ ई० में मरवा डाला। इस प्रकार एक स्वामिभक्त, योग्य, वरिष्ठ सरदार ने, जिसे अकबर अब अपना शत्रु समझने लगा था, इतनी शीघ्र जहन्नुम में जाकर अकबर के लिए निश्चिन्तता की साँस और निश्शंक आगरा प्रस्थान का एक अवसर दे दिया।

किन्तु फिर भी अकबर, अपना एक अन्य ठिकाना, विभिन्न कारणों से फतेहपुर सीकरी में ही बनाए रहा। ऐसे कारणों में से एक प्रमुख कारण, बदायूँनी के अनुसार, उसकी इन्द्रियासक्ति को तृप्त करने के लिए महिलाओं का फतेहपुर सीकरी में विद्यमान होना था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के हिन्दू राजमहलों को अपनी पत्नियों के प्रसूति-कक्ष और स्वयं अपनी यदा-कदा होने वाली यात्राओं के समय ठहरने के लिए अधिवासों के रूप में

प्रयुक्त किया था।

सन् १५६६ का प्रारम्भ—अकबर की अनेक पत्नियाँ गर्भवती होने के कारण फतेहपुर सीकरी भेजी गयी थीं। बहुधा यह अन्धाधुन्ध प्रचार किया जाता है कि इन गर्भवती-महिलाओं को शेख सलीम चिश्ती की गुफा में या उसकी झोंपड़ी में रखा जाता था क्योंकि उसने उनके प्रसूति-कार्य का उत्तर-दायित्व उठाया था। इस धारणा के अनेक अतिपापमय, बेहूदे और अनुचित अर्थ हैं। पहली बात यह है कि शेख सलीम चिश्ती कोई फकीर नहीं था। वह बाबर द्वारा राणा साँगा से हिन्दू राजधानी जीत लेने के बाद से ही, शाही अवधायक के रूप में, फतेहपुर सीकरी स्थित समस्त हिन्दू राजमहल-संकुल में शाही ढंग से निवास करता था। दूसरी बात, अकबर अपनी पत्नियों को शेख सलीम के पास कभी भी न भेजता लेकिन, बदायूंनी के अनुसार, अकबर स्वयं फतेहपुर सीकरी को पसन्द करता था क्योंकि वहाँ वह अन्य लोगों की पत्नियों को भ्रष्ट कर सकता था। तीसरी बात यह है कि यदि फतेहपुर सीकरी ऐसा निर्जन स्थान होता जिसमें शेख सलीम चिश्ती की झोंपड़ी के अतिरिक्त कुछ और न था, तो अकबर की बेगमें प्रसूति-कार्य के लिए वहाँ कभी न जातीं। वे कोई ऐसी शेरनियाँ तो थीं नहीं जो बनैले और खूँखार पशुओं से घिरे हुए निर्जन स्थानों में अपने शावकों को जन्म देतीं। चौथी बात, यदि केवल शेख सलीम चिश्ती की झोंपड़ी ही एकमात्र

निवास-योग्य स्थान था, तो अकबर की अनेक बेगमें अपनी नौकरानियों, अपने रक्षकों, सम्बन्धियों तथा नौकरों के साथ गर्भावस्था में किस प्रकार और कहाँ पड़ी रहती थीं? किस शक्तिशाली बादशाह की शाही बेगमें उस फ़कीर की एकाकी झोंपड़ी में प्रसूति-कार्य के लिए रहेंगी जिसमें केवल पानी का एक घड़ा ही हो? और कौन-सा बादशाह अपनी सुन्दर एवं धनी बेगमों को एक पुरुष-फ़कीर की अकेली देख-रेख में उसकी छोटी-सी झोंपड़ी-सीमा भर में छोड़ देगा? पाँचवीं बात यह है कि शेख सलीम चिश्ती कोई प्रमाणित या अनुभवशील नर्स या दाई नहीं था। उसे शाही महिलाओं के प्रजनन-प्रसूति कार्य का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। वह स्त्री-रोग विद्या अथवा प्रसूति-विद्या का कोई विशेषज्ञ नहीं था। मुस्लिम महिलाएँ तो सख्त पर्दा करती हैं। उनके तो हाथ और पैर भी सावधानीपूर्वक अपरिचितों की दृष्टि से छिपाकर रखे जाते हैं। तब क्या यह सम्भव है कि अकबर की बेगमें शिशु-जन्म के समय शेख सलीम और उसके सहायकों की दृष्टि और उनके स्पर्श के लिए बे-पर्दा हो जातीं? अथवा क्या यह माना जा सकता है कि उसने अकेले ही अकबर की बेगमों की शिशु-जन्म दिलाने में पूर्ण सहायता की, सम्पूर्ण कार्य अकेले ही किया?

सम्पूर्ण विश्व के स्कूलों और महा-विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा भारतीय

बेहूदगियों से भरा पड़ा है।
इतिहास ऐसा ही बेहूदगियों से भरा पड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी अनेक धारणाओं की व्यर्थ, निरर्थक जटिलताओं की ओर किसी ने भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है।

अगस्त ३०, सन् १५६९ ई०—सलीम, जो आगे चलकर बादशाह जहांगीर कहलाया, फतेहपुर सीकरी में पैदा हुआ था। तारीखों जैसे मामलों में भी मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्त विश्वास योग्य नहीं हैं क्योंकि तिथिवृत्त लेखक तो स्वार्थी कलम-लेखक थे जो बिना किसी प्रकार अपने अभि-लेखों की यथार्थता के प्रति आश्वस्त हुए ही, बिना कुछ परिश्रम किए ही, काल्पनिक और चाटुकारितापूर्ण विवरण लिखकर धनार्जन करने में रुचि रखते थे। इस प्रकार की उदासीनता का परिणाम यह हुआ है कि कुछ इतिहास ग्रन्थों में ३१ अगस्त को वह तारीख बताई गई है जिस दिन शाहजादा सलीम जन्मा था।

शाहजादा सलीम के जन्म-स्थान के सम्बन्ध में इतिहास ग्रन्थों में समाविष्ट भ्रम एवं परस्पर-विरोध ने भी इस दावे के धोखे का भंडाफोड़ कर दिया है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। जबकि परम्परागत वर्णनों ने यह धारणा निर्मित करनी चाही है कि शेख सलीम के आशीर्वाद स्वरूप, उसी की गुफा में (अकबर के राज्य का उत्तराधिकारी) शाहजादा सलीम के जन्म से प्रसन्न होकर अकबर ने वहीं पर आज्ञा दे दी कि उसी जन्म-स्थल के चारों ओर एक

नवीन नगर स्थापित किया जाए, जिसका नाम फतेहपुर सीकरी हो। श्री ई० डब्ल्यू० स्मिथ[1] और मौलवी मुहम्मद अशरफ़ हुसैन[2] की पुस्तकों में कहा गया है कि (अति प्रसन्नता का द्योतक हिन्दू नाम महल) रंगमहल नामक स्थान पर शाहजादा सलीम जन्मा था। यह हमारी इस धारणा का समर्थन करता है कि आज प्रेक्षकों को दिखाई देने वाले समस्त राजमहल-संकुल सहित फतेहपुर सीकरी और बहुत से ध्वस्त भाग मूलतः हिन्दू ही हैं।

ऐसा कहा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को पुत्रोत्पत्ति का आशीर्वाद दिया था। यह बात कोई विशेष महत्त्व देने योग्य नहीं है क्योंकि पुत्रोत्पत्ति की कामना करने वाले व्यक्ति को उसके सभी शुभचिन्तक पुत्रोत्पत्ति का आशीर्वाद देते ही हैं। उसी के आशीर्वाद की प्रतिक्रिया स्वरूप, कहा जाता है, कि अकबर ने अपनी गर्भवती बेगमों को प्रजनन-कार्य के लिए शेख सलीम चिश्ती के पास भेज दिया था। यह बकवास है क्योंकि यदि आशीर्वाद को फल देना ही था तो यह तब भी सत्य होता यदि अकबर की पत्नियाँ प्रजनन-कार्य आगरा में ही करतीं। शेख सलीम चिश्ती की अपनी ही झोंपड़ी में गर्भवती महिलाओं की उपस्थिति से क्या अन्तर पड़ता था?

१. 'फतेहपुर सीकरी की मुगल स्थापत्यकला', खण्ड-३ पृष्ठ १०।
२. 'फतेहपुर सीकरी की मार्गदर्शिका', पृष्ठ ७३।

किन्तु कम-से-कम दो इतिहासकारों के अनुसार इनमें अन्तर पड़ा। श्री ई० डब्ल्यू० स्मिथ का कहना है : "जैसाकि कीन ने आगरा की अपनी पथ-प्रदर्शिका में कहा है, यह सम्भव है कि शाहज़ादा सलीम तत्काल जन्मा वह शिशु था जो एक शाही मृत-बालक के स्थान पर फकीर (शेख सलीम चिश्ती) द्वारा बदल दिया गया था।"[1]

इससे स्पष्ट है कि शेख सलीम की शुभकामनाएँ और आशीष, यदि कोई थीं, तो वे विफल रहीं। सत्यतः, एक मृत शिशु पैदा हुआ था। किन्तु स्थिति से निबटने के लिए, तत्काल मृत बालक को किसी तुरन्त प्राप्य साधारण-जन्मे जीवित शिशु से बदल दिया गया। ऐसे कपट-प्रबन्ध शाही-परिवारों में सामान्य हैं। स्मिथ और कीन का विचार है कि शेख सलीम चिश्ती ने, यह सोचकर कि चमत्कारी व्यक्ति के रूप में उसकी प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई थी, अन्य शिशु उपलब्ध करने का छल किया। इस प्रकार, वह व्यक्ति, जिसे हमारे इतिहास-ग्रन्थ अकबर का बेटा, जहाँगीर विश्वास करते हैं, अन्ततोगत्वा अकबर का बेटा ही नहीं था।

नवम्बर, १५६६ ई०—अकबर के हरम की ५००० महिलाओं में से एक ने फतेहपुर सीकरी में खानुम सुलतान नामक एक पुत्री को जन्म दिया।

जुलाई, १५७० ई०—बैरम खाँ की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी

१. 'फतेहपुर सीकरी की मुगल स्थापत्यकला', खण्ड ३, पृष्ठ १९।

सलीमा सुलतान को अकबर के हरम में ले जाया गया था। उससे शाहज़ादा मुराद का जन्म हुआ।

सितम्बर, १५७० ई०—अकबर अजमेर जाते समय फतेहपुर सीकरी में १२ दिन के लिए रुका था। उसी वर्ष राय कल्याणमल की एक महिला-सम्बन्धी और कुछ समय बाद रावल हरराय सिंह की पुत्री को अकबर के हरम में ठूँस दिया गया था। अकबर इन दो अपहृता हिन्दू महिलाओं के साथ सुहागरात मनाने के लिए फिर फतेहपुर सीकरी गया।

अगस्त, १५७१ ई०—विन्सेंट स्मिथ[1] के अनुसार अकबर फतेहपुर सीकरी आया और वहाँ ठहरा था। उसके बाद सन् १५८५ ई० तक, फतेहपुर सीकरी अकबर की मुख्य राजधानी रही थी। यदि यह अनिर्मित थी, तो वह राजधनी कैसे बदल सकता था? इसी वर्ष सलीम चिश्ती मर गया। स्पष्टः अकबर सीकरी में चिश्ती की मृत्यु के बाद ही आया जो प्रदर्शित करता है कि अकबर को चिश्ती के सम्बन्ध में कोई श्रद्धा न थी। साथ ही, वह चिश्ती के पूरे हरम को स्वयं अपनी ही काम वासना-पूर्ति के लिए मुक्त रूप में उपयोग में ला सकता था।

जुलाई ४, सन् १५७२—अकबर ने पहले अजमेर और फिर गुजरात जाने के लिए फतेहपुर सीकरी से कूच किया। स्वतः सिद्ध है कि अकबर गुजरात-विजय के लिए एक बहुत बड़ी सेना के साथ चला था।

१. 'अकबर—दी ग्रेट मुगल', पृष्ठ ७४।

उसके साथ १००० वन्य-पशुओं का संग्रह एवं ५००० महिलाओं का हरम भी था। मुस्लिम वर्णनों के अनुसार सन् १५६९ में और अन्य वर्णनों के अनुसार सन् १५७४ में ही यदि फतेहपुर सीकरी का निर्माण-कार्य प्रारम्भ हुआ था, तो अकबर के साथ का उपर्युक्त समस्त ताम-झाम ठहरा कहाँ था?

जून ३, सन् १५७३—गुजरात-विजय से वापस आते समय अकबर फतेहपुर सीकरी के द्वारों में प्रविष्ट हुआ। यह प्रदर्शित करता है कि फतेहपुर सीकरी के समस्त द्वार सन् १५७३ से पूर्व भी विद्यमान थे।

अगस्त, सन् १५७३—अकबर ३००० सैनिकों के साथ फतेहपुर सीकरी से चल पड़ा। यदि कुछ लोगों के अनुसार उस समय तक फतेहपुर सीकरी के निर्माण की योजना भी नहीं बन पायी थी, तो अकबर के सभी साथी एवं चढ़ाई करने वाली ३००० लोगों की यह सेना कहाँ रहती थी? यदि फतेहपुर सीकरी निर्माण-प्रक्रिया में थी, तो भी क्या अकबर, उसका दरबार, साथी, विशाल सेना एवं अतिथि फतेहपुर सीकरी में ठहर सकते थे? वे वहाँ ठहरे थे, इसका निहितार्थ स्पष्ट है कि एक भव्य राजमहल-संकुल वहाँ पहले ही विद्यमान था।

अक्तूबर २, सन् १५७३—तीन शाहजादों की सुन्नत फतेहपुर सीकरी में ही कराई गई थी।

अक्तूबर ५, सन् १५७३—अकबर १३ सितम्बर को अहमदाबाद से चला और ५ अक्तूबर, सन् १५७३ को

फतेहपुर सीकरी पहुँच गया।

सन् १५७६—अकबर अजमेर की ओर चल पड़ा जहाँ राजस्थान के हिन्दू शासकों के विरुद्ध चढ़ाई करने का अड्डा था। अकबर की अजमेर यात्राओं को मौलवी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की तीर्थयात्राएँ कहने वाले इतिहासग्रन्थ युद्ध के समय होने वाली सैनिक गतिविधियों को गोपनीय रखने वाले छल-कपटों में विश्वास करके बाल-सुलभ सहजता प्रकट करते हैं।

जून २५, सन् १५७६—महाराणा प्रताप पर हल्दीघाटी के युद्ध में विजय का समाचार लेकर बदायूंनी फतेहपुर सीकरी पहुँचा।

सन् १५७७ ई०—फतेहपुर सीकरी स्थित शाही फराशखाने (तम्बुओं, दरियों और अन्य साज-सज्जा की सामग्री के भण्डार) में भयानक आग लग गयी। यदि यह नगरी निर्माणाधीन होती, तो उसमें शाही भण्डार-घर न रहा होता।

सन् १५७८-७९—दस्तूर मेहर्जी राणा नामक एक पारसी पादरी फतेहपुर सीकरी में था।

सितम्बर १, सन् १५७९—अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कठोर राजाज्ञा निकाली, और एक सप्ताह के भीतर, राजपूतों के विरुद्ध असंख्य निर्दय चढ़ाइयों का आयोजन करने के लिए अजमेर को चल पड़ा, जहाँ की उसकी यह यात्रा अन्तिम थी।

फरवरी २८, सन् १५८०—पुर्तगाली-पादरियों (रुडोल्फ अक्वावीवा, फ्रांसिस हेनरीकीज और मनसरेंट) का एक तीन-सदस्यीय दल सीकरी में आया।

सन् १५८१—हेनरीकीज गोवा वापस लौट गया।

फरवरी ८, सन् १५८१—अकबर सीकरी से काबुल के लिए चल पड़ा।

मार्च, सन् १५८२—मासूम फहरानखुदी नाम का एक विद्रोही दरबारी फतेहपुर सीकरी में मार डाला गया था।

सन् १६८२—हीरविजय सूरि नामक एक जैन मुनि फतेहपुर सीकरी पधारा।

सन् १६८२—धार्मिक विवादों का अन्त हो गया। धर्मान्ध मुस्लिम मौलवियों को शंका थी कि यदि अकबर को कष्ट दिया गया तो वह किसी दिन इस्लाम को त्याग कर अन्य धर्म स्वीकार कर लेगा। उन लोगों से होने वाली सतत धमकी का मुकाबला करने के लिए अकबर ने विभिन्न धर्मों के पुरोहितों को फतेहपुर सीकरी में रहने का प्रलोभन दे रखा था। वे लोग शीघ्र ही उसकी चाल को समझ गए। उन्होंने अनुभव कर लिया कि अकबर ने उन मौलवियों के विरुद्ध उन लोगों को शतरंज के प्यादों के रूप में ही प्रयुक्त किया था। इसलिए एक-एक करके, वे सब अत्यन्त निराश होकर चले गए और इस प्रकार धार्मिक विवाद समाप्त हो गया। परम्परागत इतिहास-ग्रन्थों में यह प्रमुखतः प्रचारित किया जाता है कि अकबर इतना उदारचेता था कि वह सभी धर्म के सिद्धान्तों में गहन रुचि लिया करता था। यह एक घोर कपट-जाल और भ्रामक धारणा है, इस बात का दिग्दर्शन हमने अपनी पुस्तक 'कौन कहता है—अकबर महान् था?' में सविस्तार कराया है।

अक्तूबर १५ सन् १५८२—फतेहपुर सीकरी के हाथी-द्वार के बाहर ६ मील लम्बी और २ मील चौड़ी विशाल झील, जिसका निर्माण फतेहपुर सीकरी के प्राचीन हिन्दू

निर्माताओं ने बहुत सोच-विचारकर फतेहपुर सीकरी की संश्लिष्ट जल-व्यवस्था को निरन्तर बनाए रखने के लिए किया था, फूट गयी। यही मुख्य कारण था कि तीन वर्ष बाद अकबर को फतेहपुर सीकरी त्यागनी पड़ी। यदि अकबर ने इसके निर्माण की आज्ञा दी होती तो क्या उसने इस प्रकार दोष-पूर्ण निर्माण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्ड नहीं दिया होता? किन्तु अभिलेखों में ऐसी किन्हीं भी कार्यवाहियों का उल्लेख नहीं है। यद्यपि अकबर स्वयं ही इसी झील के तट पर भ्रमण करते समय डूबते-डूबते बचा था, जबकि यह झील फूट पड़ी थी। यदि झील कुछ ही वर्ष पहले बनी होती, तो इतनी शीघ्र फूट न जाती। यह एक अन्य महत्त्वपूर्ण विवरण है जो उन चाटुकारितापूर्ण और झूठे मुस्लिम दावों को असत्य सिद्ध करता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। यह लोक धारणा सही है कि अकबर को फतेहपुर सीकरी छोड़नी पड़ी थी क्योंकि उसको अपने साथियों और विशाल सेना के साथ उस नगरी में निवास करना असम्भव हो गया जब उस नगरी का मुख्य जलभण्डार शुष्क हो गया। झील फूट जाने का कारण यह था कि जब अकबर के पितामह बाबर ने इस झील का घेरा डाला था और अन्दर शरण लिए हुए राणा साँगा की सेनाओं को भयंकर आक्रमण से परास्त करते हुए धावा बोल दिया था तब इसको बहुत क्षति पहुँची थी। झील के अनुरक्षण की जानकारी से अनभिज्ञ, और अत्यधिक सुस्त तथा भोग-विलास

में आकण्ठ-लिप्त परवर्ती मुस्लिम निवासियों ने भी नगरी की जल-पूर्ति की जटिल और अत्युच्च तकनीकी योजना के अनुरक्षण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सिविल यांत्रिकी की २०वीं शताब्दी की कुशलताओं से परिपूर्ण इंजीनियर-गण आज भी उन प्राचीन हिन्दुओं द्वारा दिल्ली और आगरा के लालकिलों में तथा अकबर, हुमायूँ व सफदरजंग के मकबरों के रूप में दिखाई देने वाले और ताजमहल नाम से विख्यात प्राचीन राजमहलों में निरन्तर जल-प्रवाह बनाये रखने वाली देशीय जल-व्यवस्था का सिर-पैर समझ पाने में विफल रहे हैं। इस प्रकार की विशद-कल्पना उन असंस्कृत और अशिक्षित मध्यकालीन मुस्लिमों से दूर की बात थी, जो सदैव अकबर के दरबार में दासों के रूप में काम करते रहते थे।

सन् १५८३ का प्रारम्भ—ईसाई धर्म के प्रति अकबर के ढोंगी बाह्याडम्बर से कुपित एवं दुखी होकर पुर्तगाली पादरी अक्वावीवा फतेहपुर सीकरी से चला गया। जैन मुनि हीरविजय सूरि भी पहले इसी प्रकार निराश एवं दुखी होकर फतेहपुर सीकरी छोड़ गया था।

सितम्बर, सन् १५८३—राल्फ फिच नामक एक अंग्रेज यात्री फतेहपुर सीकरी आया।

सन् १५८५—अकबर ने अन्तिम रूप में फतेहपुर सीकरी छोड़ दी क्योंकि उसे पीने को भी पानी नहीं मिला।

अगस्त १, सन् १६०१—शीघ्रता में की गई अपनी अन्तिम यात्रा अकबर ने इस समय की। पहली अगस्त को आकर वह यहाँ केवल ११ दिन रुका।

पूर्वोक्त तिथिक्रमानुसार वर्णन प्रदर्शित करता है कि अकबर या अकबर की पत्नियाँ सन् १५५६ से सन् १५७१ तक यदा-कदा फतेहपुर सीकरी में निवास करती रहीं। उसके पश्चात् सन् १५८५ तक स्थायी रूप से वह उनका निवास-स्थान बना रहा।

विभिन्न वर्णनों के अनुसार यही समय था जिसमें फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था। स्पष्टतः वे वर्णन धोखे से भरे हैं क्योंकि यदि फतेहपुर सीकरी की भूमि नगर-नींव के लिए खोद डाली गयी होती और वहाँ का मलवा सब जगह फैला होता, तब अकबर, उसकी पत्नियाँ, उसके साथी, उसके दरबारी, उसकी सेना, उसके वन्य-पशु-संग्रह और उसके अतिथि-गण वहाँ कैसे ठहरते और निवास करते?

एक अन्य विक्षोभकारी विवरण यह है कि उनमें से कोई भी वर्णन फतेहपुर सीकरी के निर्माणाधीन होने का उल्लेख नहीं करता। वे सब फतेहपुर सीकरी को न केवल परिष्कृत, परिपूर्ण नगरी स्वीकार करते हैं अपितु उनमें से कुछ तो उसको ध्वंस्त नगरी के रूप में भी सन्दर्भित करते हैं जैसा हम अगले अध्याय में देखेंगे।

भ्रामक मुस्लिम वर्णन नगरी की नींव के सम्बन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं करते; यथा भूखण्ड किसका था, इसे कैसे लिया गया था, सर्वेक्षण कब किया गया था, उन लोगों की क्या क्षतिपूर्ति की गयी थी जिनको अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ा था, योजनाएँ कहाँ हैं,

रूपरेखांकनकार और शिल्पकार कौन थे, भील को बनने में कितने वर्ष लगे थे, राजमहलों को बनने में कितने वर्ष लगे थे, पैशाचिक श्मशान में राजमहल-संकुल को क्यों परिवर्तित होने दिया गया था, वहाँ हिन्दू, जैन और बौद्ध-प्रतिमाएँ क्यों थीं ? इस प्रकार का अन्वेषण, जाँच-पड़ताल इस दावे के नीचे छिपे धोखे का भण्डाफोड़ कर देता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी।

६

यूरोपीय यात्रियों के साक्ष्य

फतेहपुर सीकरी का निर्माण-श्रेय अकबर को देने वाले परम्परागत मुस्लिम दावों के विपरीत अकबर के शासनकाल में भारत-यात्रा पर आए अनेक यूरोपीय यात्रियों ने आग्रहपूर्वक लिखा है कि जो कुछ उन्होंने देखा वह एक नयी नगरी न होकर एक ध्वस्त नगरी ही थी।

इस अध्याय में हम चार यूरोपीय यात्रियों के साक्ष्य उद्धृत करना चाहते हैं। वे हैं पादरी मनसरेंट, जो कैथोलिक सम्प्रदाय में स्थापित ईसाई दल का सदस्य था, राल्फ फिच, पादरी जेरोम जेवियर जो कैथोलिक सम्प्रदाय में स्थापित ईसाई दल का अन्य सदस्य था, और विलियम फिन्च।

मनसरेंट की दैनंदिनी में लिखा हुआ है : "जब पादरियों ने (कैथोलिक सम्प्रदाय में स्थापित ईसाई दल के तीन सदस्य अकबर के दरबार में आने के लिए फतेहपुर सीकरी पहुँचे—दिनांक फरवरी २८, सन् १५८० ई० को, मनसरेंट के अतिरिक्त, जो मार्ग में बीमार होने के कारण एक सप्ताह बाद में आया, दूर से फतेहपुरम नगरी को देखा⋯तब वे उस नगरी के विशाल आकार को और उसकी शानदार रमणीय दृश्यावली को आँखें फाड़-फाड़कर देखने लगे। मुसलमानों के धार्मिक उन्माद ने सभी मूर्तियुक्त मन्दिरों को नष्ट कर दिया था जो संख्या में अत्यधिक हुआ करते थे। हिन्दू मन्दिरों के स्थान पर दुष्ट और अयोग्य मुसलमानों की असंख्य मजारें और छोटी-छोटी दरगाहें बना दी गयी हैं जिनमें इन लोगों की निरर्थक रूढ़ि-वादिता के साथ ऐसी आराधना की जाती है, मानो वे कोई बहुत बड़े सन्त महात्मा थे।"[1]

१. भाष्य, पृष्ठ २७।

पूर्वोक्त टिप्पणी से यह तो स्पष्ट है कि कम-से-कम सन् १५८० ई० के वर्ष के प्रारम्भ से, फतेहपुर सीकरी अपने भव्य द्वारों और स्तम्भों सहित, दूर से ही एक शानदार, परिष्कृत, परिपूर्ण नगरी दिखाई पड़ती थी।

यह इस बात का स्पष्ट साक्ष्य है कि उन ईसाई पादरियों ने कोई मंच या मलबा या नींव की खुदाइयाँ नहीं देखीं। यदि उन्होंने ऐसा कुछ देखा होता, तो वैसा ही लिख दिया होता और जिस दिन वे वहाँ पहुँचे थे, उस दिन को कोसा होता क्योंकि उनको निर्माण-संरचना की धूल-मिट्टी में और खाइयों में रहना पड़ा होता, तथा अनेक विपत्तियाँ व असुविधाएँ भोगनी पड़ी होतीं।

इसी प्रकार से उनकी परवर्ती टिप्पणियों की व्याख्या की जानी है और उनको ठीक प्रकार हृदयंगम करना है। कपटपूर्ण दावों में विश्वास करने के कारण अनेक इतिहासकार मनसरेंट द्वारा देखी गयी फतेहपुर सीकरी के साक्ष्य का पूर्ण मूल्यांकन नहीं कर पाए हैं।

आइए, मनसरेंट द्वारा फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में दी गयी समीक्षा, टिप्पणी के अन्य भागों का सावधानीपूर्वक सूक्ष्म-विवेचन करें। वह कहता है: "हमें ऊँचे मंच पर बैठे बादशाह के सम्मुख ले जाया गया था। कुछ समय बाद, शीघ्र ही वह अन्दर विश्राम के लिए चला गया (और हमें आज्ञा दे गया कि इनको वहाँ अर्थात् 'कपूर तलाव' नामक महाकक्ष में एकत्र करो)।"[1]

उपर्युक्त अवतरण में फिर कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि जहाँ पहले अकबर बैठा था, अथवा कपूर तलाव नामक उसके आन्तरिक भाग में अन्तागार के चारों ओर कहीं भी मंच अथवा मलबा आदि पड़े थे।

मनसरेंट ने आगे लिखा है: "फतेहपुर (अर्थात् विजय नगरी) गुजरात युद्ध की सफल-समाप्ति पर अपनी शासन-राजधानी में वापस लौटने पर बादशाह द्वारा निर्माण की गयी थी।"[2]

मनसरेंट ने जो लिखा है वह सब मनगढ़न्त कपटजाल है जो उसे

१. वही, पृष्ठ २८।
२. वही, पृष्ठ २९-३०।

फतेहपुर सीकरी में पूर्णतः अपरिचित व्यक्ति के रूप में आने पर बताया गया था। अशिक्षित और धर्मान्ध मुस्लिम लोग इसे अपनी और अपनी सार्वभौमिक इस्लामी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे कि वे यह स्वीकार कर लें कि वे सब एक ऐसी विजित हिन्दू नगरी में निवास कर रहे थे, जो गैर-इस्लामी नमूनों, चित्रों, प्रतिमाओं और शैलियों से अलंकृत थी। मनसरेंट ने जब उनसे 'विजय-नगरी' शब्दावली का स्पष्टीकरण पूछा, तब उसे यह कहकर चुप कर दिया गया कि इस नगरी की स्थापना सन् १५७३ में गुजरात-विजय की स्मृति-स्वरूप की गयी थी। यह एक तुरन्त किन्तु स्पष्टतः धोखे से परिपूर्ण स्पष्टीकरण था। यदि मनसरेंट तनिक और प्रवीण व सु-जानकार होता तो वह उन धोखेबाज दरबारियों को यह पूछ-कर हत्-बुद्धि कर देता कि उन लोगों ने, जो अत्यधिक धर्मान्धता में अरबी और फारसी शब्दावली से चिपके रहते हैं, (नगरी के अर्थद्योतक) संस्कृत 'पुर' प्रत्यय को किस प्रकार अंगीकार कर लिया। स्पष्टीकरण स्पष्टतः यह है कि बाबर ने जब सन् १५२७ में राणा साँगा से इस नगरी को अपने अधिकार में ले लिया, तब मुस्लिम शब्दावली को भारत में नयी होने के कारण संस्कृत के साथ खिचड़ी पकानी ही थी। अतः 'विजय नगरी' संज्ञा उस नगरी को बाबर की विजय के पश्चात् उपलब्ध हुई न कि अकबर की गुजरात-विजय के बाद। तथ्य रूप में तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी से ही गुजरात-चढ़ाई के लिए प्रस्थान किया था।

मनसरेंट ने फतेहपुर सीकरी की उल्लेख योग्य बातों का वर्णन किया है, "यहाँ का बाजार आधा मील से अधिक लम्बा है, और व्यापार की प्रत्येक वस्तु की आश्चर्यकारी मात्रा से भरा हुआ है। यहाँ असंख्य लोगों की भारी भीड़ सतत बनी रहती है।"[1]

यह तथ्य, कि सन् १५८० में ही फतेहपुर सीकरी में भीड़-भाड़ पूर्ण सुव्यवस्थित बाजार था, सिद्ध करता है कि यह एक प्राचीन नगरी थी। यदि यह निर्माणाधीन रही होती तो वहाँ कोई क्रय-विक्रय केन्द्र न रहा होता और न ही विविध वस्तुओं के खरीदार नगर-निवासी होते। अति

१. वही, पृष्ठ ३४।

भीड़-भाड़पूर्ण ऐसे बाजार तो शताब्दियों में विकसित हो पाते हैं।

यद्यपि 'विजय नगरी' शब्द का औचित्य जानने को उत्सुक मनसरेंट पादरी को चाटुकार दरबारियों द्वारा यह बताया जाकर धोखा दिया गया था कि (गुजरात-विजय के स्मरण स्वरूप) यह नगरी सन् १५७३ के बाद स्थापित की गयी थी, तथापि मुस्लिम वर्णनों का आग्रह रहा है कि इस नगरी का निर्माण-कार्य सन् १५६४ और १५६६ के मध्य किसी समय प्रारम्भ हुआ था। यह प्रदर्शित करता है कि मनसरेंट को छला गया था और उसके वर्णन के समान ही, फतेहपुर सीकरी का निर्माण-श्रेय अकबर को देने वाला प्रत्येक वर्णन एक शैक्षिक प्रवंचना है। हम पिछले अध्याय में अकबर की फतेहपुर सीकरी का और वहाँ पर हुई सभी गतिविधियों का तिथिक्रमानुसार विवरण देकर यह सिद्ध कर चुके हैं कि सन् १५७३ ई० से पूर्व ही अकबर, उसके साथी, उसकी सेना, उसका हरम और उसका वन्य-पशु-संग्रह सबके सब फतेहपुर सीकरी में अत्यन्त सुविधापूर्वक रह चुके थे, यद्यपि उस नगरी के निर्माणाधीन होने का तथा इस कारण वहाँ के लाखों निवासियों को किसी भी प्रकार की विपत्तियाँ, कठिनाइयाँ भोगने का कोई भी लेशमात्र सन्दर्भ उन वर्णनों में समाविष्ट नहीं है।

मनसरेंट का यह पर्यवेक्षण भी कि 'जिस स्थान पर निर्माण-सामग्री को उपयोग में लाना था, वहाँ पर सभी सामग्री आदेशानुसार पूरी और तैयार लाई गई थी,' स्पष्टतः दरबारी चाटुकारों के छल-कपटों पर आधारित सरसतापूर्ण टिप्पणी है। वह स्पष्टतः यह देखकर स्तम्भित था कि यद्यपि नगरी-निर्माण सन् १५७३ के पश्चात् प्रारम्भ किया बताया जाता था तथापि सन् १५८० में जब वह फतेहपुर सीकरी आया तब किसी मलबे, खाइयों, मचानों और अतिरिक्त सामग्री के ढेरों का नाम-निशान भी शेष नहीं था। उसके सभी व्यक्त सन्देहों को यह कहकर समाप्त कर दिया गया था कि वहाँ पर निर्माण-कार्य में उपयोगी सामग्री का नाम-निशान शेष न होने का कारण यह था कि सभी सामग्री तैयार ही लायी गयी थी और उससे भव्य भवन तैयार कर दिये गए थे। इस बात से मनसरेंट को धर्म-पुस्तक

१. विन्सेंट स्मिथ, 'अकबर—दी ग्रेट मुगल', पृष्ठ २१७।

सम्बन्धी वह अलौकिक पूर्व-घटना स्मरण हो आई कि "मकान जब बन रहा था तब उस मकान में न तो हथौड़ा था, न कुल्हाड़ी और न ही लोहे के किसी उपकरण की आवाज वहाँ आई थी क्योंकि उस मकान की निर्माणावधि में वह पत्थर वहाँ लाया गया था जो वहाँ लाया जाने से पूर्व अन्यत्र ही बिल्कुल तैयार कर लिया गया था।"

सर्वप्रथम यह कल्पना ही अयुक्तियुक्त है कि एक मध्यकालीन नगरी मीलों दूर आदेशानुसार पूर्व-निर्मित अंशों से रातों-रात बनायी जा सकती थी। यदि पूर्व-निर्मित अंशोंवाली यह अनर्गल कल्पना मान भी ली जाय, तो भी यह पूर्णतः कल्पनातीत है कि उस स्थान पर गड्ढे, खाइयाँ या मचान अथवा कुदाली, फावड़े या छेनी की आवाज भी न हो। अतः मनसरेंट की यह साक्षी निर्विवाद समकालीन प्रमाण है कि अकबर एक विजित हिन्दू नगरी पर अधिकार किए बैठा था।

एक अन्य समकालीन यूरोपीय साक्षी राल्फ फिच है। वह एक अंग्रेज व्यक्ति था जो सितम्बर, सन् १५८३ में फतेहपुर सीकरी के भ्रमणार्थ आया था। उसने कहा है : "वहाँ से (अर्थात् आगरा से) हम फतेहपुर गए जो वह स्थान है जहाँ बादशाह का दरबार था। यह नगर आगरा से बड़ा है, किन्तु मकान और गलियाँ उतनी स्वच्छ, अच्छी न थीं···आगरा और फतेहपुर दो बहुत बड़े नगर हैं···वे दोनों ही लन्दन से बड़े हैं—और बहुत जनसंख्या वाले हैं। आगरा और फतेहपुर सीकरी के मध्य १२ मील (उसका अर्थ 'कोस' से है) का अन्तर है, सारे मार्ग पर खाद्य और अन्य सामग्रियों का बाजार है जो इतना भरा-पूरा है कि मानो आदमी अभी भी नगर में ही है, और इतने अधिक व्यक्ति थे मानो आदमी बाजार में ही है···उस (अकबर) के मकान में हिजड़ों के अतिरिक्त, जो उसकी औरतों को रखते थे, और कोई नहीं आता था···यहाँ फतेहपुर में हम तीनों २८ सितम्बर सन् १५८५ ई० तक ठहरे थे।"

उपर्युक्त अवतरण का समीचीन अध्ययन इस बात को सिद्ध करने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि फतेहपुर सीकरी एक प्राचीन हिन्दू नगरी थी जिसे अकबर ने अपने अधिकार में कर रखा था।

कीन ने 'आगरा एण्ड इट्स नेबरहुड' नामक पुस्तक में आगरा नगर का

प्रस्तुत किया है। फिच का कहना है कि फतेहपुर
२००० वर्ष का इतिहास ... फिच ने कल्पनातीत
सीकरी दोनों नगरों में बड़ी नगरी थी। पहली बात, फिच ने कल्पनातीत
सीकरी दोनों नगरों में बड़ी नगरी थी । पहली बात, फिच ने कल्पनातीत
सीकरी की तुलना आगरा के साथ न की होती,
नवीनतम नगरी फतेहपुर सीकरी की तुलना आगरा के साथ न की होती,
कम-से-कम २००० वर्ष पुराना नगर है। उसने दोनों
जो (कीन के अनुसार) कम-से-कम २००० वर्ष पुराना नगर है। उसने दोनों
की तुलना की है क्योंकि उसकी जानकारी और पर्यवेक्षण के अनुसार दोनों
ही स्मरणातीत प्राचीन काल के हैं। यदि उसने यह विश्वास किया होता
कि फतेहपुर सीकरी नयी ही बनी थी, तो वह लिखता कि इन दोनों नगरियों
में कोई तुलना नहीं हो सकती। दूसरी ध्यान देने की बात यह है कि फतेह-
पुर सीकरी दोनों नगरियों में से बड़ी थी। यदि फतेहपुर सीकरी अकबर
द्वारा निर्मित और सन् १५८५ ई० से तनिक पूर्व ही बनी नगरी थी, तो
यह २००० वर्ष पुराने आगरा नगर से बड़ी नगरी नहीं हो सकती थी।
तीसरी बात, यदि फतेहपुर सीकरी एक नयी नगरी रही होती, तो आगरा
से फतेहपुर सीकरी के २३ मील लम्बे मार्ग पर एक निरन्तर बाजार तथा
लगातार मकानों की पंक्तियां न होतीं। आगरा से फतेहपुर सीकरी का २३
मील लम्बा मार्ग एक बड़ा नगर और बाजार प्रतीत होना ही सिद्ध करता
है कि आगरा-फतेहपुर सीकरी शहरी अक्षरेखा अकबर से पूर्व शताब्दियों
से बनी हुई है। फिच यह भी साग्रह कहता है कि फतेहपुर सीकरी लन्दन
से बड़ी नगरी थी। क्या (सन् १५८५ के) लन्दन से बड़े किसी नगर की
योजना, उसका निर्माण और जनसंख्या केवल १५ वर्ष की अवधि में हो
सकते हैं? इस प्रकार राल्फ फिच का साक्ष्य भी सिद्ध करता है कि फतेहपुर
सीकरी भी आगरा के समान ही प्राचीन अर्थात् कम-से-कम २००० वर्ष
प्राचीन हो सकती है।

विन्सेण्ट स्मिथ ने एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिया (११वां संस्करण, खण्ड १६, पृष्ठ ६६५) पर विश्वास करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि "सन् १५८६ में फतेहपुर सीकरी की जनसंख्या लगभग २,००,००० रही होगी।"[1] क्या यह सम्भव है कि एक भीड़भाड़पूर्ण बाजार, व्यापार केन्द्र-स्थल और निवासियों से परिपूर्ण २,००,००० जनसंख्या वाली किसी नगरी

१. 'अकबर—दी ग्रेट मुगल', पृष्ठ ७६-७७।

की योजना व इसका निर्माण केवल १५ वर्ष में कर दिया जाए?

फिच ने हमें अकबर के विशाल साथी-परिवार का विवरण भी दिया है। उसने लिखा है: "जैसी विश्वसनीय रिपोर्ट है, बादशाह ने आगरा और फतेहपुर में १००० हाथियों, ३०००० घोड़ों, १४०० पालतू हिरणों, ८०० रखैलों तथा जंगली चीतों, शेरों, भैंसों, मुर्गों और बाजों का विशाल-भण्डार रखा हुआ था, जिसे देखना अत्यन्त कौतुक का विषय है।" क्या अकबर इन सब वस्तुओं के साथ सन् १५७० से ही फतेहपुर सीकरी में रहता आया था और उसी समय नगरी का निर्माण भी चलता रहा था? विन्सेण्ट स्मिथ इसका समर्थन करता है जब वह कहता है कि "अतः इस स्थान का प्रभावी अधिकार सन् १५७० से १५८५ तक की अवधि के १५ या १६ वर्ष के काल से अधिक का नहीं था।"[1]

अब हम एक अन्य यूरोपीय यात्री की टिप्पणी का अध्ययन करेंगे। यह व्यक्ति अकबर के समय में आया था और अकबर के अतिथि के रूप में फतेहपुर सीकरी में ठहरा था। यह अतिथि कैथोलिक सम्प्रदाय में ईसाई दल का सदस्य जेरोम जेवियर था। विन्सेण्ट स्मिथ का पर्यवेक्षण है, "जेरोम जेवियर का सन् १६०१ का पत्र सिद्ध करता है कि फतेहपुर सीकरी सन् १६०४ में परित्यक्ता और नष्ट थी और इसकी जीर्ण-शीर्ण अवस्था सन् १६०१ में अग्रसर होने लगी होगी।"[2]

यदि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया होता और लाल पत्थरों की नगरी के नवीनतम रूप में यह सन् १५८५ में तैयार हुई होती, तो यह सन् १६०१ में जीर्ण-शीर्ण अवस्था की शोचनीय सीमा तक कैसे पहुँच जाती? अकबर से ४०० वर्ष पश्चात् आज तक फतेहपुर सीकरी स्थित रक्त-प्रस्तरीय राजमहल-संकुल अपनी अरुण, नरेशोचित हिन्दू यश-गरिमा से पूर्ण खड़े हैं। सभी भवन अद्यतन और नूतन दिखाई देते हैं। कोई भी नरेश परिवार उनमें आज भी निवास करके गौरवान्वित होना चाहेगा। अतः यदि अकबर के समय में भी फतेहपुर सीकरी नष्ट दिखाई पड़ती थी,

१. वही, पृष्ठ ३१७-३१९।

के थे जो हम आज भी
तो वे ध्वंसावशेष स्पष्टतः उन चारों ओर के भवनों
देखते है। वे भवन तब चकनाचूर हुए थे जब बाबर ने सन् १५२७ में
अकस्मात् धावा बोलकर नगरी को अपने अधीन कर लिया था। बाबर के
बेटे हुमायूँ और पोते अकबर ने उस विनष्ट फतेहपुर सीकरी को अपनी
राजधानी बनाया था क्योंकि अभी भी मुस्लिम आधिपत्य के लिए एक
भव्य, विशाल राजमहल-संकुल शेष था। अतः जेवियर का साक्ष्य भी सिद्ध
करता है कि अकबर ने एक विनष्ट और विजित हिन्दू नगरी को अपनी
राजधानी बनाया था।

इस सन्दर्भ में यदि हम राल्फ फिच के शब्दों को स्मरण करें, तो वे भी
इसी निष्कर्ष का समर्थन करते हैं। फिच ने आगरा और फतेहपुर सीकरी
की तुलना की थी, जिसका निहितार्थ यह था कि दोनों अति प्राचीन नगरियाँ
थीं। उसने कहा था कि दोनों लन्दन से बड़ी नगरियाँ थीं। २,००,०००
की जनसंख्या के लिए तो उनकी नींव सहस्रों वर्ष पहले रखी गई होनी
चाहिए क्योंकि नगरों की जनसंख्या रातों-रात या निर्माणावधि में तो
२,००,००० होती नहीं है।

अन्तिम पश्चिमी यात्री विलियम फिन्च है जिसे हम यहाँ यह सिद्ध करने
के लिए उद्धृत करेंगे कि फतेहपुर सीकरी अकबर के समय में भी विनष्ट
थी। इस सम्बन्ध में ई० डब्ल्यू० स्मिथ ने लिखा है "यह (फतेहपुर सीकरी)
नगरी अकबर की मृत्यु से तुरन्त पूर्व अथवा पश्चात् निर्जन हुई लगती है
क्योंकि फिन्च ने जहाँगीरी शासन के प्रारम्भिक काल में इसका भ्रमण किया
था और इसे बंजर क्षेत्र की भाँति विनष्ट और रात्रि के समय गुजरने के
लिए अत्यन्त खतरनाक पाया था। सामान्य रूप से सभी भवन आज भी वैसे
ही खड़े हैं जैसे अकबर ने छोड़े थे।"[1]

श्री ई० डब्ल्यू० स्मिथ यह पर्यवेक्षण करने में सही हैं कि सामान्यतः
सभी भवन वैसी ही अवस्था में खड़े थे जैसे वे अकबर द्वारा छोड़ दिए गए
थे। यदि वे भवन सभी प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करते हुए ४००

१. श्री ई० डब्ल्यू० स्मिथ विरचित 'फतेहपुर सीकरी की मुगल स्थापत्य कला', खण्ड ३, पृष्ठ १।

वर्षों तक खड़े रहे हैं, तो यह कैसे सम्भव है कि जेवियर और फिन्च द्वारा
संदर्भित ध्वस्त भवन अकबर द्वारा निर्मित भवनों से सम्बन्ध रखते थे? यह
कैसे हो सकता था कि अकबर के भवनों में से कुछ तो उसके फतेहपुर सीकरी
छोड़कर जाने के १६ वर्षों में ही ध्वस्त हो गए और अन्य उसके बाद ४००
वर्षों तक बने रहकर अपनी भव्यता और सुदृढ़ता से अब भी हमारा हृदय
प्रसन्न कर रहे हैं? श्री स्मिथ ने भूल से ही एक यथार्थ बात कह दी है कि
आज (सन् १९६९-७० में) हम जो भी ध्वस्त अथवा बने हुए भवन फतेहपुर
सीकरी में देखते हैं, ये ठीक वैसे ही प्रतीत होते हैं जैसे अकबर के समय में
थे। कहने का भाव यह है कि हम आज फतेहपुर सीकरी में जिन भवनों को
खड़ा हुआ देखते हैं, वे अकबर के समय में भी ऐसे ही खड़े थे और जिन
भवनों को आज हम ध्वस्तावस्था में देखते हैं, वे भी अकबर के समय में
उसी प्रकार ध्वस्तावस्था में ही थे।

इस भाव से समझने पर चार यूरोपीय यात्रियों की टिप्पणियों को
उल्लेखनीय स्पष्टता प्राप्त हो जाती है। हमने मनसरेट को दूर से ही सन्
१५८० में फतेहपुर सीकरी के स्तम्भों और किले की प्राचीरों को देखते
हुए पाया है क्योंकि अकबर ने एक विजित हिन्दू नगरी पर अधिकार कर
रखा था। हमने मनसरेट को बिलकुल नवीन और विस्तृत नगरी में नव-
निर्माण के कोई चिह्न प्राप्त न होने के कारण चमत्कृत होते हुए देखा है
क्योंकि अकबर ने इसका निर्माण किया ही नहीं था। हम मनसरेट को मूल
से यह उल्लेख करते हुए पाते हैं कि गुजरात पर अकबर द्वारा विजय प्राप्त
करने की स्मृति में फतेहपुर सीकरी किसी समय सन् १५७३ के पश्चात्
बनी होगी, किन्तु हम पहले एक अध्याय में देख ही चुके हैं कि वास्तविकता
में तो अकबर गुजरात की विजय के लिए चला ही फतेहपुर सीकरी से था।
तथ्य रूप में जो हमने साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि यदि और नहीं तो कम-से-
कम सन् १५७० से तो अकबर ने अपनी चढ़ाइयों और दरबार का केन्द्र
फतेहपुर सीकरी को ही बना रखा था।

अतः ऊपर उद्धृत चार समकालीन यूरोपीयों के साक्ष्य इस बात का
प्रबल प्रमाण हैं कि फतेहपुर सीकरी स्वयं अकबर के समय में ही इतनी
प्राचीन नगरी थी इसका एक भाग पहले ही विनष्ट हो चुका था।

१०

परम्परागत वर्णन अनुमानों के पुलिन्दे हैं

फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय अकबर को देने वाले परम्परागत वर्णन, प्रत्येक विवरण में, अनुमानों के पुलिन्दे हैं। हम इस बात को फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में लिखी गयी अनेकानेक पुस्तकों के उद्धरण देकर सिद्ध करेंगे। ये पुस्तकें सरकारी और निजी दोनों ही प्रकार के प्रकाशन हैं; इनके लेखक वे व्यक्ति हैं जो इतिहास और पुरातत्व के महान् विद्वान् विश्वास किये जाते हैं तथा जिनका सम्बन्ध भारत और इंग्लैण्ड जैसे सुदूर-स्थित देशों से है।

फतेहपुर सीकरी की परम्परागत कथा अति दूरस्थ सम्भावनाओं का पुलिन्दा है, यह जान पड़ना तब और भी अधिक चमत्कारी लगता है, जब एक के बाद एक इतिहास लेखक ने अति वाग्विदग्धतापूर्वक घोषित किया है कि अकबर ने सभी सूक्ष्मातिसूक्ष्म बातों का भी अभिलेख रखा था। अकबर के दरबारियों में कम-से-कम अबुल फजल, निजामुद्दीन और बदायूँनी नाम के वे तीन तिथिवृत्त लेखक भी सम्मिलित हैं जिनको अकबर के शासनकाल का सविस्तार इतिहास लिख जाने का यश प्रदान किया गया है। उनके इतिहास-ग्रन्थ क्रमशः आइने-अकबरी, तबकाते-अकबरी और मुन्तखाबुत तवारीख कहलाते हैं। अकबर के अपने तीन दरबारियों के इन तीन इतिहास-ग्रन्थों के विद्यमान होते हुए भी फतेहपुर सीकरी का एक भी विवरण सन्देह से अछूता न हो और इसकी सम्पूर्ण कथा कल्पनाओं पर आधारित हो, यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि कोई भी विवेकशील, निष्पक्ष इतिहासकार इस दावे को कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था, भयंकर भूल या विकट धोखा घोषित कर दे।

अज्ञात विवरण ये हैं : अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ किया था और यह कार्य कब पूर्ण हुआ था? उसने कितने भवन बनवाए थे? शिल्पकार कौन था? कुल व्यय कितना था? उसने बिल्कुल नयी नगरी छोड़ क्यों दी? इस नगरी का एक भाग ध्वस्त और एक भाग अच्छा क्यों है? राम, कृष्ण और हनुमान जैसे हिन्दू देवताओं की चित्राकृतियाँ क्यों उत्कीर्ण हैं? फतेहपुर सीकरी के चारों ओर, आसपास हिन्दू और जैन-प्रतिमाएँ क्यों दबी हुई हैं? वह विशाल झील फूट क्यों गयी थी? यदि वह निर्माण-कार्य अकुशल कार्य था, तो क्या उत्तरदायी व्यक्तियों को पर्याप्त दण्ड दिया गया था? अकबर ने इसका नाम फतहबाद क्यों रखना चाहा था? वह नाम जनता में प्रचलित, प्रिय क्यों नहीं हो पाया?

इन परेशान करने वाले सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण नहीं कराया। उसने केवल उस हिन्दू नगरी को अधिकार में कर रखा था जिसे बाबर ने सन् १५२७ में राणा साँगा से अपने अधीन किया था और जिसे उसके पिता हुमायूँ और पितामह बाबर ने अपनी राजधानी के रूप में उपयोग में लिया था। फतेहपुर सीकरी एक प्राचीन हिन्दू राजधानी है—एक राजपूती शासक नरेश की पीठ नगरी। हम सब जानते हैं कि अबुल फजल, निजामुद्दीन और बदायूँनी जैसे जीवट वाले पक्के इतिहासकारों ने फतेहपुर सीकरी के मूलोद्गम के प्रश्न पर क्यों अपयश अर्जन किया है और अकबर द्वारा इसकी स्थापना के सम्बन्ध में केवल अस्पष्ट, लुके-छिपे, द्व्यर्थक, पेचीदे और धोखेपूर्ण प्रसंग समाविष्ट कर दिए हैं जिन्होंने परवर्ती इतिहासकारों को यह कल्पना करने के लिए सरलता से व्यामोहित कर डाला है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया होगा।

आइए, हम सर्वप्रथम 'फतेहपुर सीकरी की मार्ग-दर्शिका' नामक पुस्तक लें, जिसके लेखक हैं श्री मौलवी मुहम्मद अशरफ हुसैन, एम० ए०, एम० आर० ए० एस० और इसका सम्पादन किया है श्री ए० एल० श्रीवास्तव ने जो भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण के कार्यकारी अधीक्षक रहे हैं। यह पुस्तक सन् १९४७ में भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के प्रबन्धक द्वारा प्रकाशित की गयी थी। इस प्रकार, यह पुस्तक पूर्णतः भारत

सरकार द्वारा प्रवर्तित है।

इसके प्राक्कथन में करुण-स्वीकरण है कि "फतेहपुर सीकरी स्थित प्राचीन स्मारक वे हैं जिनके सम्बन्ध में न्यूनतम आधिकारिक जानकारी मूल-अभिलेखों में उपलब्ध है। तारीखे-जहाँगीरी, मुंतखबुत तवारीख, आइने-अकबरी, अकबरनामा जैसे फारसी में लिखे तिथिवृत्तों और इतिहासों से संग्रहीत वर्णन सभी प्रकार के आगन्तुकों को सन्तुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

पुस्तक जब ऐसे संकोचों के साथ प्रारम्भ होती है, तब कोई आश्चर्य नहीं है कि वह अत्यन्त अल्प जानकारी प्रस्तुत करती है। लेखक ने अनजाने ही उपर्युक्त सभी तिथिवृत्तों को सर्वाधिक अविश्वसनीय और इसीलिए यथार्थ कपटजाल घोषित किया है। वह विलक्षण, रहस्यमय रूप में सही है। हमें आश्चर्य यह होता है कि लेखक ने पुस्तक लिखने के लिए स्वयं को किस प्रकार सन्तुष्ट किया था, यदि वैसा किया था, जबकि वह स्वयं ही स्वीकार करता है कि मध्यकालीन तिथिवृत्तों का कुल संचित रूप भी इस सम्बन्ध में कोई मान्य कथा, आधार प्रस्तुत करने में विफल रहा है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया था।

विद्वान लेखक द्वारा पुस्तक में दी गई असंख्य शिथिल सम्भावनाओं में से कुछ निम्नलिखित हैं—

१. "आगरा द्वार के भीतर, दायीं ओर विनष्ट मढ़ियों से घिरे एक विशाल प्रांगण के अवशेष हैं जो सम्भवतः सैनिकों की टुकड़ियों की बैरिकों का भाग था।"

२. "दूसरा मार्ग राजमहलों के ठीक बीच में जाता है... सम्भवतः पुराने बाज़ार के ध्वंसावशेष इस मार्ग के पार्श्व में हैं।"

३. "(बारादरी) भवन के निकट ही स्नानागार अथवा कदाचित् शीतल भूगर्भस्थ कक्ष है।"

४. "कहा जाता है कि जीर्ण-शीर्ण कमरों वाली निचली पंक्तियों से

१, २, ३. पृष्ठ ६।
४. पृष्ठ १२।

परिवेष्टित (नौबत खाने के) सामने वाला प्रांगण, जिसके दोनों ओर विशाल फाटक हैं, चाँदनी-चौक का भाग था।"

५. "डाक-बंगले के पीछे का भवन परम्परागत रूप में शाही टकसाल पुकारा जाता है, (किन्तु) निस्सन्देह यह भवन अस्तबल था।"

६. "टकसाल के दायीं ओर, बिल्कुल पहला ही एक ध्वस्त भवन है जिसे परम्परागत रूप से खजाना कहा जाता है, किन्तु अस्तबलों के निकटतम इसकी विद्यमानता से ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि यह शाही अस्तबलों के (अधीक्षक) दरोगा का निवास स्थान था।"

७. "इबादतखाना नाम से पुकारे जाने वाले भवन का परिचय देना एक विवादग्रस्त प्रश्न है।"

८. "दीवान-ए-खास के पश्चिम में कुछ पगों पर तीन कमरों वाला एक भवन है। इसे आँख-मिचौली कहते हैं और अज्ञानी मार्गदर्शक घोषित करते हैं कि अकबर इस भवन में दरबार की महिलाओं के साथ आँख-मिचौली खेला करता था, (किन्तु) अधिक सम्भव यह है कि इस भवन को राज्य-प्रलेखों अथवा राजचिह्नों को एकत्रित रखने के भण्डार-गृह के कार्यालय के रूप में उपयोग में लाया जाता था।"

९. "(ज्योतिषी की पीठ) इसके प्रयोजन के सम्बन्ध में कुछ भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। यह विचार करना युक्तियुक्त है कि यह छतरी आँख-मिचौली से सम्बन्धित थी और यह स्वयं बादशाह के बैठने का स्थान रहा होगा।"

१०. "पच्चीसी (भारतीय द्यूत विशेष) के फलक के मध्य में एक निचली लाल बजरी की तिपाई बनी हुई है जिस पर सामान्यतः, चाहे

५. पृष्ठ १५।
६. पृष्ठ १३।
७. पृष्ठ १६।
८. पृष्ठ १७।
९. पृष्ठ १८-१९।
१०. पृष्ठ [illegible]

ग्रहण किया करता
गलत ही है, विचारा जाता है कि अकबर अपना स्थान ग्रहण किया करता
था।"

हो सकता है कि
११. "पत्थर की पीठिका माला पच्चीसी-प्रांगण हो सकता है कि
उनके परवर्तियों में से किसी का, संभवतः मुहम्मदशाह का, जिसकी
सन् १७२० ई० में फतेहपुर सीकरी में ताजपोशी की गई थी, काम हो।"

१२. "'खासमहल' शब्दावली सामान्यतः ऊपरी और निचले ख्वाब-
गाह के लिए ही प्रयुक्त होती है, किन्तु यह विश्वास करने के लिए कारण
है कि दीवाने-आम के पश्चिम में निकटतम विशाल चतुष्कोण का सम्पूर्ण
दक्षिणी भाग खासमहल के अन्तर्गत ही था।"

१३. "प्रांगण के पश्चिमी किनारे पर एक नीची, सीधी-सादी इमारत
है। इसे परम्परा से कन्या पाठशाला कहा जाता है। इस इमारत का मूल-
प्रयोजन सन्देहपूर्ण है।"

१४. "(तुर्की सुलताना के घर के) दक्षिण-पूर्व में एक हमाम अथवा
स्नानागार है, जो कदाचित् बादशाह के उपयोग के लिए और कदाचित्
तुर्की सुलताना-घर के निवासी के लिए भी पृथक् रखा गया था। किन्तु
वह वास्तव में कौन थी, यह कल्पना का ही विषय बना हुआ है। यह
सन्देहपूर्ण है कि कभी किसी शाही महिला ने इसमें निवास किया था,
इसका उपयोग कदाचित् स्वयं बादशाह ने ही अपने लिए किया हो।"

१५. "तुर्की सुलताना के घर के दक्षिण-पश्चिम और प्रांगण के केन्द्र
में एक विशाल जलाशय है। यह कदाचित् अनूप तलाब है।"

१६. "खासमहल के पूर्व में पत्थर का एक खण्डित-पात्र है जो कदा-
चित् किसी फव्वारे का जलाशय था।"

११. पृष्ठ १६।
१२. पृष्ठ २०।
१३. पृष्ठ २०।
१४. पृष्ठ २२।
१५. पृष्ठ २४।
१६. पृष्ठ २६।

१७. "इस विचित्र निर्माण (पंचमहल भवन) के मूल और उद्देश्य के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् मत हैं। ऐसा विचार किया जाता है कि सम्पूर्ण नमूना ही एक बौद्ध-विहार की योजना-अनुकृति है।"

१८. "पंचमहल के उत्तर में एक लम्बा खुला प्रांगण है जिसके दोनों ओर दो भवन थे जो औषधालय के रूप में उपयोग में लाए गये कहे जाते हैं। किन्तु शाही जनाना से इसकी अत्यन्त निकटता, तथा यह तथ्य कि तथाकथित शफी खाना भवन का इतना विशाल प्रांगण है जिसमें दोनों ओर फाटक हैं और एक रक्षक-कक्ष भी है, ऐसे प्रतीत होते हैं कि यह या तो सेवकों के घर थे अथवा शाही हरम की महिला-आगन्तुकों की पालकियों या सवारी गाड़ियों के ठहरने का क्षेत्र था।"

१९. "हवामहल कदाचित् हरम की महिलाओं के निर्वाध उपयोग के लिए था। प्रवेश द्वार के बाईं ओर एक छोटी इमारत है जो कदाचित् रक्षकगृह के रूप में उपयोग की जाती थी।"

२०. "मरयम-उद्यान के दक्षिण-पूर्वी छोर पर तैरने का तालाब है जिसका श्रेय परम्परागत रूप में मरयम को दिया जाता है। शाही हरम की महिलाएँ कदाचित् ग्रीष्मकाल में यहाँ स्नान किया करती थीं।"

२१. "यह सुन्दर (बीरबल-महल) किसके लिए बना था, यह प्रश्न सदैव विवादास्पद रहा है।"

२२. "इस गृह के उत्तर-पश्चिम में एक त्रिभुजाकार भवन है जो कुछ लोगों के अनुसार वैयक्तिक औषधालय का कार्य करता था।"

२३. "नगीना मस्जिद का निर्माण हरम की महिलाओं के उपयोग

१७. पृष्ठ २९।
१८. पृष्ठ ३१।
१९. पृष्ठ ३८-३९।
२०. पृष्ठ ४०-४१।
२१. पृष्ठ ४२।
२२. पृष्ठ ४३।
२३. पृष्ठ ४४।

के लिए किया गया कहा जाता है।"
जैसी सादी वर्गाकार, स्तम्भ जैसी

२४. "हाथी-द्वार के बायीं ओर एक सादी वर्गाकार, स्तम्भ जैसी
इमारत है जो सामान्य रूप में कबूतरखाना कहलाती है किन्तु जो पश्चिमी लेखकों के अनुसार बारूदखाने का कार्य करती थी। कुछ लोग इसे अकबर के प्रिय हाथी हरन का अस्तबल कहते हैं जो हिरन मीनार के नीचे दफनाया गया कहा जाता है, किन्तु तथ्य रूप में इस भवन का मूल प्रयोजन अभी तक अज्ञात है। इस भवन को शाही कबूतरखाना कहने के लिए परम्परा के अतिरिक्त कोई आधिकारिक सूत्र नहीं है।"

"एक कबूतरखाने और हाथी के अस्तबल में पृथ्वी-आकाश का अन्तर है। फिर भी, 'अकबर ने फतहपुर सीकरी बनवायी' इस विचार से चिपटे रहने वाले लोग यह निश्चय करने में विफल रहे हैं कि अमुक भवन यह है या वह। उनकी कारुणिक शैक्षणिक दुर्दशा का और क्या बड़ा प्रमाण चाहिए?"

२५. "हाथी पोल के साथ ही संगीन-बुर्ज अर्थात् प्रेस्तर-स्तम्भ है। यह एक विशाल दुर्ग की प्राचीर का उभरा हुआ भाग है जिसे दुर्ग का प्रारम्भ कहा जाता है। यहीं पर एक नक्कार-खाना अर्थात् संगीत-भवन है। इसको ऊपर वर्णित भवन से नहीं मिलाना चाहिए। इस नक्कारखाने का उपयोग सम्भवतः उस समय किया जाता था जब बादशाह हिरन मीनार के निकट पोलो खेलता था।" यह बकवासपूर्ण बात है क्योंकि किसी ने भी यह अभिलेख नहीं किया है कि अकबर संगीत की धुन पर पोलो खेला करता था। क्या अकबर के पोलो के घोड़े संगीत की तान पर कुलाचें भरते और नृत्य करते थे?

२६. "यह सम्भवतः इस (हिरन मीनार) स्तम्भ से ही था कि शाही महिलाएँ इसके नीचे विशाल अखाड़े में होने वाले गज-युद्धों और अन्य प्रतियोगिताओं से आनन्दित होती थीं। श्री ई० डब्ल्यू० स्मिथ के अनुसार,

२४. पृष्ठ ६५।
२५. पृष्ठ ४७-४८।
२६. पृष्ठ ५०।

यह स्तम्भ कर्बला स्थित हजरत इमाम हुसैन की दरगाह के चारों ओर पुण्यदा प्रांगण में लगे स्तम्भ से मिलता-जुलता है और वे समझते हैं कि यह सम्भव है कि शिल्पकार को इसका निर्माण करते समय इसी स्तम्भ का नमूना स्मरण रहा हो। किन्तु कर्बला का स्तम्भ सतह पर खपरैल का बना हुआ है जबकि यह स्तम्भ एक निश्चित अन्तर पर बने पत्थर के हस्तिदन्तों के नमूनों से जड़ा हुआ है—यह वह परिस्थिति है जिसने उस परम्परा को उत्पन्न किया है कि यह स्तम्भ अकबर के एक प्रिय हाथी की स्मृति-स्वरूप स्मारक बना था। अन्य परम्परा यह है कि अकबर इसकी चोटी से हिरणों को मारा करता था। किन्तु, इन दोनों परम्पराओं में से एक भी परम्परा विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती।"

लेखक श्री हुसैन ने बहुत ही बुद्धिमानी से तथाकथित हिरण मीनार के सम्बन्ध में दोनों मतों को असत्य कहकर झूठी भावुकता को कम किया है और इनका तिरस्कार कर दिया है। हमारी इच्छा है कि उनको उस दीप-स्तम्भ के नाम के संस्कृत-मूल का ज्ञान होता। पत्थर की खूँटियाँ दीपों के लटकाने के लिए थीं। श्री हुसैन ने ई० डब्ल्यू० स्मिथ जैसे विद्वानों की दूर-कल्पनाओं को गलत सिद्ध करके इतिहास की महान् सेवा की है। यह इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि भारत सरकार में उच्च पदस्थ, पर्याप्त यश-प्रसिद्धि प्राप्त विद्वानों ने किस प्रकार भयंकर भूलें अभिलिखित छोड़ी हैं जिनको सारे संसार में इतिहास, पुरातत्व और शिल्पकला के विद्यार्थियों ने पूर्ण सत्य समझकर अन्धाधुन्ध स्वीकार किया है और अब भी कर रहे हैं।

श्री हुसैन ने इस विश्वास का भंडाफोड़ करके भी अच्छा ही काम किया है कि तथाकथित हिरन मीनार अकबर के प्रिय हाथी का शोक-सूचक स्मारक-स्तम्भ है, जो इस उपहासास्पद धारणा से उत्पन्न है कि स्तम्भ पर भरपूर प्रस्तर-खूँटे नकली हाथीदाँत हैं। यदि वे हस्तिदन्त होते, तो बीसियों की संख्या में क्यों हैं? क्या किसी हाथी के इतने दाँत होते हैं? इसी प्रकार अन्य समान उपहासास्पद विश्वास, कि इस स्तम्भ का सम्बन्ध हिरण-पशु से है, भी इसके परम्परा से प्रचलित संस्कृत नाम 'हिरण' के कारण है जो हिरण का द्योतक है। पूरा संस्कृत शब्द 'हिरण्मय' है।

की शृंखला है
२७. 'अश्व-शालाओं की पूर्व-दिशा में छिद्रिल कमरों
जो गलती से 'ऊँटों की शाला' कहलाती है। वे सम्भवतः अश्वपालों के
निवास थे।"

घरों के रूप में
२८. "परम्परागत रूप में अबुल फ़ज़ल और फ़ैज़ी के
पुकारे जाने वाले स्मारक अत्यन्त आडम्बरहीन भवन हैं। परम्परा के अनु-
सार पहला, पूर्व की ओर का स्मारक अबुल फ़ज़ल का है, और दूसरा फ़ैज़ी
का, किन्तु दूसरा निश्चित रूप में जनाना (हरम) होने के कारण यह युक्ति-
संगत प्रतीत होता है कि मान लिया जाय कि दोनों भाइयों ने सम्भवतः
संयुक्त रूप में इसका उपयोग किया था। तथाकथित अबुल फ़ज़ल के मकान
के पीछे एक छोटा हमाम या स्नानागार है।"

२९. 'बुलन्द दरवाजा मूल नमूने का कोई भाग नहीं है, जिसे मस्जिद
पूरी हो जाने के बाद किसी समय उसकी दक्षिण विजय के स्मरणोपलक्ष में
बनाया गया था। तथ्य रूप में, यह सन् १५७५-७६ ई० में बनाया गया
था। केन्द्रीय द्वार की पूर्व-दिशा में दिया गया सन् १६०१-०२ ई० का वर्ष
स्पष्टतः अकबर की दक्षिण-चढ़ाई के बाद उसकी फतेहपुर सीकरी में
वापसी को सन्दर्भित करता है, न कि बुलन्द दरवाजे की पूर्ण-रचना
की समाप्ति को। दायें केन्द्रीय तोरण-द्वार में उत्कीर्ण फारसी लिपि का
शिलालेख गलती से द्वार का निर्माण-श्रेय अकबर को देता हुआ समझा
जाता है, किन्तु, तथ्यतः वह उसकी सन् १६०२ में दक्षिण-विजय के पश्चात्
फतेहपुर सीकरी में वापसी को सन्दर्भित करता है। बायें तोरण पर एक
अन्य पुरालेख है जिसमें लेखक मुहम्मद मासूम नामी का नाम दिया गया है
जो अकबर के काल के इतने शिलालेखों के लिए उत्तरदायी है।"

यद्यपि अकबर ने स्वयं बिल्कुल ईमानदारी से फतेहपुर सीकरी की
स्थापना करने का कोई दावा नहीं किया है, तथापि भयंकर भूलें करने
वाले इतिहास लेखकों ने बुलन्द दरवाजे पर उत्कीर्ण शिलालेखों को

२७. पृष्ठ ५१।
२८. पृष्ठ ५२-५४।
२९. पृष्ठ ५६-५७।

फतेहपुर सीकरी की संरचना से सम्बन्धित कर दिया है। जब अकबर के दो
शिलालेख क्रमशः केवल यह कहते हैं कि उसे गुजरात में विजय मिली और
वह दक्खन की अपनी चढ़ाई से वापस लौटा, तब किसी को इन शिलालेखों
के इन अवतरणों से यह निष्कर्ष निकालने का क्या अधिकार है कि बुलन्द
दरवाजा उन घटनाओं में से एक की स्मृति-स्वरूप बना है? क्या भ्रमण-
कर्ता लोग भ्रमण-स्थलों पर अपने नाम तथा अन्य अनर्गल बातें नहीं लिख
देते हैं? क्या इसका यह अर्थ है कि उन सब नाम-लेखकों ने मिलकर उस
स्थान की नींव रखी अथवा उस भवन की रचना की?

प्रसंगवश, इस बात से इतिहास के विद्वानों की आँखें उस तथ्य की
ओर भी खुल जानी चाहिए कि मुहम्मद मासूम नामी जैसे बीसियों नाम-
लेखक भावी सन्तानों को उन मध्यकालीन भवनों के मूलोद्गम के सम्बन्ध
में भ्रम में फँसाने के लिए उत्तरदायी रहे हैं, जो आज मकबरे और मस्जिद
के रूप में रूप-परिवर्तित दिखाई देते हैं किन्तु तथ्य रूप में वे पूर्वकालिक
हिन्दू मन्दिर और भवन हैं जो आक्रमणकारी मुस्लिमों ने जीत लिये थे।

३०. "यह मस्जिद मक्का-स्थित विशाल मस्जिद की यथार्थ प्रति-
लिपि कही जाती है, किन्तु यह ठीक नहीं है" क्योंकि कुछ संरचनात्मक-
रूप विशेषकर इसके स्तम्भ हिन्दू-शैली के अनुमान किए जाते हैं। (तथा-
कथित मस्जिद के) प्रत्येक महाकक्ष के बाद पाँच कमरों का एक समूह है जो
कदाचित् अनुचरों के लिए था और उनके ऊपर महिलाओं के उपयोग के
लिए जनाना दीर्घाएँ हैं। परम्परा जामा-मस्जिद का निर्माण-श्रेय शेख
सलीम चिश्ती को देती है जिसने, कहा जाता है कि, अपने ही खर्चे से इसे
बनवाया था…स्थानीय परम्परा उस धारणा का तीव्र तिरस्कार करती है
कि यह मस्जिद वास्तव में अकबर द्वारा बनवायी गयी थी…अत्यधिक
सम्भव यह है कि शेख सलीम चिश्ती ने एक वैरागियों के मठ की और एक
मस्जिद की नींव सन् १५६३-६४ ई० में हज यात्रा से लौटने के बाद रखी
होगी। यही बात भ्रम का मूल कारण रही है। बदायूँनी के अनुसार यह
मस्जिद अकबर द्वारा शेख सलीम चिश्ती के लिए बनवायी गई थी।"

३०. पृष्ठ ५८-६३।

निर्धन संगतराशों द्वारा एक

३१. परम्परा के अनुसार, सीकरी के निर्धन संगतराशों द्वारा एक वंशज शेख
सरल भवन बनवाया गया था। किन्तु फकीर के एक वंशज शेख
जाकिउद्दीन द्वारा लिखित कही जाने वाली एक अधूरी फारसी पाण्डुलिपि
इसका निर्माण-श्रेय स्वयं फकीर को ही देती है जिसने इसे सन् १५३८-
३६ ई० में बनवाया। उसी अधिकारी के अनुसार यह मस्जिद उसी
प्राकृतिक गुफा पर स्थित है जिसके भीतर वह फकीर वैरागियों का-सा
जीवन व्यतीत करता था।

उपर्युक्त अवतरण में ध्यान देने योग्य बात यह है कि तथाकथित
संगतराशों की मस्जिद के निर्माता, उसके निर्माणोद्देश्य और निर्माणकाल
की अनिश्चितता के अतिरिक्त, सन् १५३८-३६ ई० वर्ष स्वयं ही अत्यन्त
विक्षोभकारी है। यह हमारी उस धारणा को पुष्ट करता है कि यह और
अन्य भवन उस प्राचीन हिन्दू राजधानी में विद्यमान थे जिसे अकबर के
पितामह बाबर ने राणा सांगा से जीत लिया था। अन्यथा सन् १५३८-
३६ ई० में किसी संगतराश की मस्जिद कैसे हो सकती थी, जब विश्वास
किया जाता है कि अकबर ने तो केवल सन् १५७० से १५८५ ई० के मध्य
ही संगतराशों को नियुक्त किया था? इससे भी बढ़कर बात यह है कि,
यदि मनसरेंट के अनुसार फतेहपुर सीकरी में किसी छैनी की आवाज़ तक
नहीं सुनायी दी थी, तो किसी संगतराश की कोई मस्जिद कैसे हो सकती
थी जब उस स्थान पर कोई संगतराश थे ही नहीं?

३२. यद्यपि वे हकीम के हमाम (स्नानागार) कहे जाते हैं और परम्परा
के अनुसार वे जनता के लिए बनाए गए कहे जाते हैं तथापि सम्भव है कि
वे बादशाह और उसके दरबारियों द्वारा उपयोग में लाए गए हों।"

३३. "बदायूँनी ने मकतबखाना (लेखन-शाला) के निर्माण का
उल्लेख किया है। यह सम्भव है कि वर्तमान दफ्तरखाना ही मकतबखाना
हो। किन्तु यह कल्पना करना अयुक्तियुक्त नहीं है कि बादशाह इसका

३१. पृष्ठ ७१-७२।
३२. पृष्ठ ७४।
३३. पृष्ठ ७५-७६।

उपयोग अपने दर्शनों के लिए अर्थात् दक्षिण के छज्जे से स्वयं को जनता को दिखाने के लिए करता था।"

यहाँ लेखक ने अपना सार्वभौमिक अनिश्चय फिर व्यक्त किया है अर्थात् अभिलेख-कार्यालय के रूप में प्रयुक्त होने वाला भवन लेखन-शाला था अथवा वह स्थान था जहाँ बैठकर अकबर अपनी शक्ल जनता को दिखाया करता था। यदि अकबर ने सचमुच ही फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया होता, तो सम्भावनाओं का इतना व्यापक आधिक्य न होता।

पाठकों ने ऊपर यह देख ही लिया होगा कि फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में स्वयं सरकारी साहित्य ही सम्भावनाओं का पुलिन्दामात्र है। इन समस्त सम्भावनाओं, कल्पनाओं को एक ही प्रहार में निरस्त कर, समाप्त करने वाला समाधान यह है कि फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बिल्कुल भी नहीं बनवाया था। यह नगरी तो उसके पिता की राजधानी रही थी। स्वयं अकबर के पिता के पिता बाबर ने भी इसको राणा सांगा से जीतने के पश्चात् इसमें निवास किया था। चूँकि सभी भवन हिन्दू-मूलक हैं, अतः इस सम्बन्ध में तो भ्रम उत्पन्न होना अवश्यम्भावी ही है कि अकबर ने भिन्न-भिन्न अवसरों पर किस भवन को किस प्रकार उपयोग में लिया।

अब हम भारत-सरकार के एक अन्य प्रकाशन से उद्धरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें वैसी ही सम्भावनाओं का राग अलापा गया है। इस पुस्तक का नाम है: पुरातत्वीय अवशेष, स्मारक और संग्रहालय, भाग २। यह सन् १९६४ ई० में नई दिल्ली से भारत में पुरातत्व के महानिदेशक द्वारा प्रकाशित की गयी है।

पृष्ठ ३०९ पर इसमें कहा गया है: "दीवान-ए-खास एक वर्गाकार कक्ष है। (केन्द्र में) अत्यधिक अलंकृत स्तम्भ-मस्तक के गोलाकार शीर्ष-भाग से चार मार्ग चार कोनों को जाते हैं और एक मार्ग प्राचीरों के चारों ओर जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि केन्द्रीय स्थल पर बादशाह का आसन होता था जबकि उसके मन्त्रिगण कोनों पर अथवा परिधिस्थ मार्ग में बैठा करते थे।"

यह खेद की बात है कि फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में एक पुस्तक के बाद दूसरी पुस्तक में अकबर के आसन के साथ संकटपूर्ण पक्षिबासयष्टि को एक ऊँचे प्रस्तरीय-स्तम्भ के मस्तक पर अविवेकपूर्वक स्थापित कर दिया गया है जिस पर एक श्वान, शूकर अथवा गर्दभ भी गिरने के खतरे से मुक्त होकर बैठ नहीं सकता। फिर भी यह रूप "यह विश्वास किया जाता है···" "यह कहा जाता है···" जैसे शब्दों के साथ एक पुस्तक के बाद दूसरी पुस्तक में समाविष्ट चला ही आया है।

उसी पृष्ठ पर पुस्तक में कहा गया है कि "तथाकथित तुर्की सुलताना का मकान एक छोटा कमरा है।"

फिर उसी पृष्ठ पर उल्लेख है : "पञ्चमहल कदाचित् बादशाह और महिलाओं के मनोरंजन के उपयोग में आता था।"

इस पुस्तक के पृष्ठ ३१० पर लिखा है : "मरयम के घर में (जिसे सुनहरा मकान भी कहते हैं) बरामदे का एक खम्भा राम और हनुमान की आकृतियों से चित्रित है। यह विश्वास किया जाता है कि इसमें आमेर की राजकुमारी रहा करती थी।"

जिस प्रकार तुर्की सुलताना के घर में कोई तुर्की सुलताना शहज़ादी कभी नहीं रही थी, इसी प्रकार मरयम के घर में कभी कोई मरयम नहीं रही थी।

पुस्तक के उसी पृष्ठ पर कहा गया है कि "तथाकथित बीरबल का मकान या उसकी पुत्री का मकान, जो राजा बीरबल या उसकी पुत्री द्वारा निर्मित प्रतीत नहीं होता, एक अन्य आकर्षक भवन है।"

इस प्रकार, तथाकथित बीरबल-महल के सम्बन्ध में भी कोई नहीं जानता कि इसे किसने बनवाया अथवा किसने इसमें निवास किया।

तथाकथित मीनार के सम्बन्ध में इस पुस्तक के पृष्ठ ३१०-३११ पर उल्लेख है कि "परम्परा निश्चयात्मक रूप से कहती है कि (हिरन) मीनार अकबर के प्रिय हाथी को दफनाने का स्थान है, किन्तु अधिक सम्भव यह है कि यह स्तम्भ हिरनों तथा अन्य पशुओं को गोली से मारने के लिए उपयोग में आता हो।"

हम अब डाक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव विरचित 'अकबर : दी

मुगल', खण्ड १, पुस्तक के उद्धरण यह प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत करेंगे कि वे भी फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में किस प्रकार दूर-कल्पनाओं से काम लेते हैं। पृष्ठ ३१५-३१६ पर उन्होंने कहा है, "जनवरी सन् १५८३ में अकबर ने आदेश दिया था कि बीरबल के लिए पत्थर के महल बनाए जाएँ। आधुनिक विद्वानों द्वारा सन्देह व्यक्त किए गए हैं कि शाही बेगमों के निवास स्थानों के इतने निकट किसी भिन्न व्यक्ति का भवन हो सकता था।"

इससे पूर्व लेखक ने पृष्ठ ३००-३०१ पर लिखा है : "फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के मकबरे के उत्तर में एक विस्तृत जलाशय अकबर ने बनवाया था। जुलाई २८, सन् १५८२ ई० के दिन तटबन्ध ढह गया और जलाशय फूट गया।"

उपर्युक्त दो वक्तव्य परस्पर विरोधी हैं। यदि वह विशाल जलाशय-झील सन् १५८२ में फूट गयी और उसके पश्चात् जल की कमी ही वह कारण कहा जाता है जिसने अकबर को सन् १५८५ ई० में फतेहपुर सीकरी का त्याग करने के लिए बाध्य किया तो उसे क्यों और कैसे सन् १५८३ में फतेहपुर सीकरी में एक नया निर्माण प्रारम्भ करना चाहिए था ? ऐसा भवन निर्माण होने में कम-से-कम दो वर्ष लगेंगे। क्या अकबर ऐसा निर्बुद्धि था जो एक भवन बनवाता और फिर उसे भेड़ियों और गीदड़ों के लिए छोड़ जाता ? एक और बात, झील के फूट जाने के पश्चात् स्वय अन्य निर्माण-कार्य के लिए जल कहाँ से उपलब्ध किया गया था ? तीसरी बात यह है कि यदि झील नयी ही बनी थी, तो क्या अकबर ने उन लोगों को दण्ड नहीं दिया जो इसके इतना शीघ्र फूट जाने के लिए जिम्मेदार थे ?

एक अन्य प्रश्न उपस्थित होता है कि अकबर ने सब लोगों में से केवल बीरबल के लिए ही मकान क्यों बनवाया ? क्या बीरबल के पास धन नहीं था ? अथवा अकबर ने अन्य सभी महत्त्वपूर्ण दरबारियों के लिए भी वैसे ही मकान बनवाए थे ? अतः यह स्पष्ट है कि डाक्टर श्रीवास्तव द्वारा उल्लिखित जनवरी सन् १५८३ की तारीख, जो तथाकथित बीरबल के मकान को प्रारम्भ करने की तारीख है, किसी मुस्लिम तिथिवृत्तकार की

धोखा-धड़ी है।

इन सबसे निष्कर्ष यह निकलता है कि भारत में भारतीय इतिहास के सम्बन्ध में कोई वास्तविक अनुसन्धान नहीं किया गया। ब्रिटिश लोगों के अधीन कार्य करने वाले पुरातत्व और पर्यटन विभागों ने लोगों को धोखा दिया है। इतिहास के शिक्षकों और प्राचार्यों ने तथा इतिहास व पर्यटक-साहित्य के लेखकों ने अपनी वार्ताओं और रचनाओं द्वारा इन्हीं असार और असत्यापित धोखों, कपट-जालों का अन्धानुकरण करते हुए इन्हें आगे प्रसारित किया है।

'अकबर—दी ग्रेट मुगल' नामक पुस्तक का लेखक विन्सेंट स्मिथ भी वैसे ही अनुमानों में लिप्त है। अपनी पुस्तक के पृष्ठ ९४-९५ पर उसने लिखा है: "अकबर ने खाली झोंपड़ी को दुबारा बनवाया और इसके चारों ओर अपने असंख्य पवित्र आगन्तुकों के आवास के लिए प्राचीर भी निर्माण करवायी। उस भवन का कोई नामोनिशान आज दिखायी नहीं देता और न ही उसकी वास्तविक स्थिति मालूम होती है, किन्तु स्पष्टतः यह सन् १५७१ ई० में शेख सलीम चिश्ती के लिए बनी विशाल मस्जिद के उत्तर-पश्चिम में तथा उस क्षेत्र में अवश्य रहा होगा जहाँ उद्यान आज भी विद्यमान है। संरचना का परिकल्पित शीघ्र अप्रयोग इसके अन्तर्धान का एक स्पष्टीकरण हो सकता है। यही स्पष्टीकरण उस स्थल विशेष की स्मृति-नाश का भी हो सकता है। हम नहीं जानते कि वह भवन कितने समय तक उपयोग में आता रहा।"

पाठक उपर्युक्त अवतरण में निराधार वस्तुओं की संख्या देख लें। श्री स्मिथ को मूल झोंपड़ी के आकार और विस्तार का माप पता नहीं। उनको यह पता नहीं कि उसे कब और क्यों बनवाया गया? उनको यह भी ज्ञान नहीं कि इसका नमूना किसने बनाया था? व्यय धनराशि अज्ञात है। निर्माण में लगा समय भी मालूम नहीं है। यहाँ फिर यह अनुभव नहीं किया जा रहा कि इस सबका अर्थ अकबर को ऐसा निर्बुद्धि घोषित करना है जिसने अपनी परिवर्तनशील वृत्तियों की तरंग में ही भवनों के निर्माणादेश और उनको गिराने के आदेश भी दिए। स्मिथ जैसे सुप्रसिद्ध इतिहासकारों की मनोरंजक सरलता इसलिए विस्मयकारी है कि वे लोग, यह

विश्वास करने से पूर्व कि अकबर ने कोई एक निर्माण किया और फिर उस भवन को ध्वस्त करने का आदेश भी दे दिया, अकबर के दरबारी कागज-पत्रों में किसी प्रलेख, नमूने और निर्माण-सम्बन्धी आदेश को नहीं खोज लेते।

पृष्ठ ३१७ पर स्मिथ ने कहा है: "उन प्रतिभा-सम्पन्न कलाकारों के नाम पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं जिन्होंने भावी सन्ततियों की वाहवाही को सुरक्षित, संचित करने का कोई ध्यान नहीं रखा। यह सत्य है कि फतेहपुर सीकरी के तेहरा-द्वार के पास प्राचीरों के बाहर एक छोटी मस्जिद और स्तम्भयुक्त मकबरा बहाउद्दीन ओवरसीयर की स्मृति में बने हैं किन्तु इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि उसने किसी भी स्मारक का नमूना तैयार किया था।"

भारत में सम्पूर्ण मुस्लिम इतिहास में किसी भी स्मारक के एक भी शिल्पकार का नाम ज्ञात नहीं है क्योंकि कल्पनातीत मध्यकालीन मकबरे और मस्जिदें बिल्कुल भी मुस्लिम रचनाएँ नहीं हैं। वे सभी पूर्वकालिक हिन्दू मन्दिर और भवन हैं जो विजय और अपहरण द्वारा मुस्लिम स्वामित्व में पहुँच गए और मकबरों व मस्जिदों के रूप में व्यवहृत होते रहे। यदि इतिहासकारों ने इस सरल सत्य को अनुभव कर लिया होता तो उन्होंने उन सब पेचीदगियों और सवालों के उत्तर पा लिये होते जो उन मध्यकालीन स्मारकों के सम्बन्ध में उनके समक्ष प्रस्तुत रहते हैं, जिनका निर्माण-श्रेय वे इस या उस मुस्लिम बादशाह को देते रहते हैं। जिस प्रकार सुविख्यात ताजमहल के किसी रूपरेखांकनकार का ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार फतेहपुर सीकरी के किसी रूपरेखांकनकार का ज्ञान नहीं है। कारण यह कि दोनों ही पूर्वकालिक हिन्दू भवन हैं। बहाउद्दीन ने तो फतेहपुर सीकरी के हिन्दू राजमहल-संकुल से हिन्दू-प्रतिमाएँ उखाड़ने, इसके अलंकृत उत्कीर्णाशों को विलुप्त करने और अरबी-शब्दावली को खुदवाने के कार्य का निरीक्षण मात्र किया था। अतः, स्मिथ यह विश्वास करने में तो ठीक हैं कि बहाउद्दीन फतेहपुर सीकरी का शिल्पकार नहीं था, किन्तु स्मिथ फतेहपुर सीकरी का निर्माण-श्रेय अकबर को देने या अकबर के काल में इसका निर्माण मानने में गलती कर बैठे हैं। फतेहपुर सीकरी का एक

प्राचीन हिन्दू राजधानी है जिसे बाबर ने सन् १५२७ में राणा सांगा से जीता था। यह हिन्दुओं द्वारा ही शताब्दियों पूर्व निर्मित हुई थी, और इसका हिन्दू-अभिलेख इसके मुस्लिम विजेताओं द्वारा उसी प्रकार नष्ट कर दिया गया था, जिस प्रकार इसकी हिन्दू-प्रतिमाएँ और शिलालेख भी उन्हीं के द्वारा दूषित और भ्रष्ट किए गए थे।

स्मिथ ने पृष्ठ ३१४-३१५ पर लिखा है कि "फतेहपुर सीकरी में तथाकथित जोधाबाई का महल सन् १५७० के लगभग बना था।" यह वाक्य उस भवन के वास्तव में जोधाबाई-महल होने के सम्बन्ध में और उसकी निर्माण की तारीख के सम्बन्ध में श्री स्मिथ के सन्देह का द्योतक है।

फतेहपुर सीकरी स्थित राजमहल-संकुल के सम्बन्ध में श्री स्मिथ ने पृष्ठ ३२० पर पर्यवेक्षण किया है कि "मुख्य भवनों में से अनेक तो ज्यों के त्यों बने हुए हैं किन्तु बहुत कुछ पूर्णतः विनष्ट हो चुके हैं। राजमहल परिसीमा से भिन्न, प्राचीन नगरी के अवशेष पर्याप्त नहीं हैं।"

स्मिथ का कहना ठीक है। किन्तु वे अपने टिप्पण के निहितार्थ से असावधान प्रतीत होते हैं। फतेहपुर सीकरी नगरी बाबर के आक्रामक धावे के समय विध्वस्त हो गयी थी। राणा सांगा के बहादुर राजपूत अन्त तक फतेहपुर सीकरी की रक्षा में लगे रहे, जबकि राजमहल-संकुल के अतिरिक्त और कुछ शेष न बचा। यह स्पष्ट करता है कि फतेहपुर सीकरी स्थित राजमहल-संकुल ज्यों का त्यों बना हुआ है जबकि अन्य निवास-गृह आदि ध्वस्त पड़े हैं। यही वे विध्वस्त अवशेष हैं जिनको अकबर के काल में उस नगरी में आए पश्चिमी यात्रियों ने देखा था और जिनका सन्दर्भ उन्होंने प्रस्तुत किया था।

यही निष्कर्ष सैयद मुहम्मद लतीफ ने अपनी 'आगरा—ऐतिहासिक और वर्णनात्मक' नामक पुस्तक में निकाला है। उस पुस्तक के पृष्ठ ८ पर लिखा है कि "बाबर प्रायः आगरा में रहा और यह घटना आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी की है कि राजपूतों के साथ उसका महान् और निर्णायक युद्ध सन् १५२७ में यही पर लड़ा गया था।"

कुछ विशेष पुस्तकों में से दिए गए उपर्युक्त अवतरणों के अध्ययन से

पाठकों ने देख ही लिया होगा कि फतेहपुर सीकरी के पूर्ववृत्तों के सम्बन्ध में फतेहपुर सीकरी के बारे में लिखी सभी पुस्तकों और पर्यटक-साहित्य ने किस प्रकार विद्वानों, इतिहास के विद्यार्थियों, मार्गदर्शकों, सरकारी कर्मचारियों, और सामान्य यात्रियों को भ्रम में डाला है, उनको पथ-भ्रष्ट किया है। वे किसी भी शैक्षिक सावधानी, सतर्कता या विवेक का उपयोग करने में विफल हुए हैं, और असत्यापित भ्रमों को अंगीकार कर बैठे हैं। हम आशा करते हैं कि विश्व-भर की शिल्पकला और इतिहास की पुस्तकें इस भयंकर भूल का सुधार करेंगी और यह ध्यान कर लेंगी कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने नहीं की थी, अपितु यह शताब्दियों पूर्व की हिन्दू नगरी है तथा इसकी शिल्पकला पूर्णतः हिन्दू है। फतेहपुर सीकरी में मुस्लिम 'सहयोग' तो हिन्दू-उत्कीर्णांशों को विरूपित करने, हिन्दू राजमहल-प्रांगणों व मन्दिरों में मकबरे बनाने, मुस्लिम शिलालेखों को ऊपर से खोदने-गाड़ने, हिन्दू प्रतिमाओं को दूर फेंकने, हाथीपोल (द्वार) पर हाथी की प्रतिमाओं के घुमावदार भव्य दाँतों को विनष्ट करने और फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय, अनिश्चित होने पर भी, अकबर को देने वाले कपटपूर्ण वर्णनों की मनगढ़न्त रचना करने में ही है। अकबर ने जो कुछ स्थापना की, वह थी फतहपुर सीकरी में अपने दरबार की स्थापना क्योंकि उसे वहाँ बना-बनाया हिन्दू राजमहल-संकुल प्राप्त हो गया था जो उसके पितामह बाबर ने उसके लिए विजय करके दिया था।

११

सलीम चिश्ती

अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी स्थापित किए जाने की गप्प को अविस्मरणीय बनाने के लिए उत्तरवर्ती व्यक्तियों ने इस गप्प को एक अन्य गप्प के आधार पर उचित ठहराने का यत्न किया है। उनका कहना है कि शेख सलीम चिश्ती एक सन्त व्यक्ति था। वह उस निर्जन स्थान की एक गुफा में निवास किया करता था जहाँ आज फतेहपुर सीकरी के राजमहल-संकुल हैं, अकबर उसका अनुयायी था, भक्त था, और अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना उस शेख सलीम चिश्ती के प्रति श्रद्धांजलि, भक्ति प्रदर्शित करने के लिए की थी।

इस अध्याय में हम यह सिद्ध करने के लिए ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कि उपर्युक्त चारों धारणाएँ और निश्चयात्मक कथन उतने ही निराधार हैं जितनी निराधार यह धारणा है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था।

आइए हम इस कथन की समीक्षा करें कि शेख सलीम चिश्ती सन्त व्यक्ति था।

सैयद मोहम्मद लतीफ का कहना है[1] कि "चिश्ती फारस में एक गाँव का नाम है। सलीम चिश्ती का पिता बहाउद्दीन शेख फरीदुद्दीन कुलनाम शाकरगंज का एक कुलक्रमागत वंशज था। फरीद अपना वंश काबुल के बादशाह फारुखशाह से बताता था। दुर्धर्ष तातार विजेता चंगेज खाँ के

१. 'आगरा—ऐतिहासिक और वर्णनात्मक', पृष्ठ १६३।

जमाने में उसके पूर्वजों में से एक काजी सोएब (लाहौर जिले के), कसूर नामक स्थान में बस गया था। बाद में वह मुलतान चला गया। फरीदुद्दीन पाक-पत्तन में जो उस समय अजुदधन कहलाता था, जा बसा जहाँ वह सन् १२६६ ई० में मर गया। तबकाते अकबरी के अनुसार शेख सलीम चिश्ती सीकरीवाल ने अपने जीवनकाल में मक्का की २४ बार यात्राएँ की थीं। एक बार वह मक्का में १४ वर्ष रहा था। वह सन् १५७१ ई० में मर गया।"

मनसर्रेट के भाष्य के अंग्रेजी अनुवाद की पदटीप में कहा गया है कि "शेख सलीम चिश्ती सीकरी में सन् १५३७-३८ में आ बसा था और अगले वर्ष उसने एक मठ और एक पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसमें शीघ्र ही बाद में एक छोटी मस्जिद और जोड़ दी गई थी'''शाहजादा सलीम (भावी बादशाह जहाँगीर) शेख के घर में ३० अगस्त सन् १५६९ को जन्मा था। तत्कालीन विद्वान् व्यक्तियों के अबुल फ़ज़ल द्वारा किए गए वर्गीकरण में उसका नाम दूसरी श्रेणी में है। पादरी मनसर्रेट ने, तथापि उसे दूषित और दुराचारी व्यक्ति कहकर कलंकित किया है। वह सन् १५७१ में मर गया।"[1]

उपर्युक्त वर्णनों से यह स्पष्ट है कि शेख सलीम चिश्ती सीकरी में (अर्थात् फतेहपुर सीकरी में) सन् १५३७-३८ में अर्थात् अकबर के जन्म से चार वर्ष पूर्व बस गया था। फिर अकबर फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस प्रकार कर सकता था? यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शेख सलीम चिश्ती किसी मठ या वीरान स्थान पर नहीं रहता था। क्योंकि हम पहले अध्यायों में ही प्रमाण प्रस्तुत कर आए हैं कि फतेहपुर सीकरी बादशाह हुमायूँ की राजधानी थी। बादशाह हुमायूँ अकबर का पिता था। इसी प्रकार अकबर के पितामह बाबर ने भी उल्लेख किया है। उसने अपने संस्मरणों का एक भाग फतेहपुर सीकरी के राजमहलों में निवास करते समय लिखा था। यह सब प्रदर्शित करता है कि सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में विजित हिन्दू मन्दिर और राजमहल-संकुल की परिसीमा में

१. पादरी मनसर्रेट का भाष्य, पृष्ठ ३२।

निवास करता था। यह भी प्रसंगवश स्पष्ट करता है कि अकबर की पत्नियों ने अपने बच्चों को फतेहपुर सीकरी में जन्म क्यों दिया। यदि शेख सलीम चिश्ती एक झोंपड़ी या गुफा में निवास कर रहा वैरागी होता तो अकबर ने अपनी पत्नियों को उनके विशाल अनुचर-वर्ग सहित प्रजनन-कार्य के लिए वहाँ न भेज दिया होता। यह अनुभूति भी सदैव समक्ष रहनी चाहिए कि एक वैरागी महिलाओं का प्रजनन-कार्य कभी नहीं करता और न ही अकबर अपनी विशेष पर्दा करने वाली महिलाओं को शेख सलीम चिश्ती जैसे एक पुरुष के पास प्रजनन हेतु भेजता।

सामान्य लोग भी अपनी महिलाओं का प्रजनन-कार्य पुरुषों से नहीं करवाते। पुरुषों का प्रसूति-कक्ष में प्रवेश मना होता है। अतः यह निश्चय-पूर्वक कहना बेहूदी बात है कि अकबर की पत्नियों का प्रजनन-कार्य शेख सलीम चिश्ती द्वारा किया गया था, अथवा अकबर ने अपनी पत्नियों को शेख सलीम की संरक्षता में प्रजनन-कार्य के लिए फतेहपुर भेज दिया था अथवा उसके आशीर्वाद-स्वरूप प्रजनन के लिए भेज दिया था। तथ्य यह है कि अकबर ने अपनी पत्नियों को प्रजनन-कार्य के लिए फतेहपुर सीकरी भेजा था क्योंकि वह वहाँ पर विजित राजमहल-संकुल में एक नियमित शाही स्थापना रखा करता था।

अपने अपकृष्ट नैतिक चरित्र के लिए कुख्यात धूर्त बादशाह के रूप में अकबर अपनी पत्नियों को शेख सलीम चिश्ती के संरक्षण में कभी भी नहीं छोड़ता जिसको उसके समकालीन कैथोलिक सम्प्रदाय के ईसाई सदस्य पादरी मनसरेंट ने अपनी निजी जानकारी से दूषित और दुराचारी बताया है।

स्वयं पक्षपाती दरबारी तिथिवृत्तकार अबुल फ़ज़ल जैसे व्यक्ति ने भी शेख सलीम चिश्ती को दूसरी श्रेणी का वैरागी कहा है, जो अपने आप में निम्न श्रेणीकरण है।

ऊपर दिया गया यह दावा कि शेख सलीम चिश्ती ने फतेहपुर सीकरी में एक मठ और पाठशाला बनवाई, स्पष्टतः यह धोखा है क्योंकि तथा-कथित मठ और पाठशाला सभी प्राचीन हिन्दू राजमहल-संकुल हैं। उनमें मुस्लिमपन कुछ भी नहीं है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि इस सम्बन्ध

में कोई उल्लेख नहीं है कि शेख सलीम चिश्ती ने उन पर कितना व्यय किया, उसे धनराशि कहाँ से मिली, नमूना किसने बनाया, निर्माण में कितने वर्ष लगे, भूमि किसकी थी, नमूने की रूप-रेखाएँ, उनके चित्र कहाँ हैं, और उन भवनों की आवश्यकता कहाँ थी यदि शेख सलीम चिश्ती वीरान प्रदेश में रह रहा था?

हम ऊपर पहले ही लक्षित कर चुके हैं कि सलीम चिश्ती ने सीकरी-वाल कुलनाम धारण किया हुआ था। उसे वह कुलनाम तब तक नहीं मिलता जब तक कि उसने अकबर द्वारा, फतेहपुर सीकरी निर्माण किए जाने से अनेक वर्ष पूर्व फतेहपुर सीकरी में वास न किया होता। यह फतेहपुर सीकरी की प्राचीनता का एक अन्य प्रमाण है जो इस दावे को तिरस्कृत करता है कि यह अकबर ही था जिसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी।

इतिहासकार विन्सेंट स्मिथ ने पदटीप में लिखा है कि "फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती ने मक्का की २२ बार यात्रा की थी...वह ब्रह्मचारी नहीं था। वह सन् १५७१ में मरा था और उसने अपनी आयु के लगभग ९२ सूर्य-वर्ष देखे थे। पादरी मनसरेंट ने उसे एक दुश्चरित्र व्यक्ति कहा है। 'मोहम्मदों के सभी दुराचारों और उनके अशोभनीय व्यवहार से कलंकित' शब्द सम्भवतः किसी अप्राकृतिक आचरण से ग्रसित होने के आरोप के निहितार्थ द्योतक हैं।"[1]

जबकि पूर्व अवतरण में २४ बार मक्का जाने का यश शेख सलीम चिश्ती को दिया गया था, विन्सेंट स्मिथ ने उसे केवल २२ बार ही मक्का की यात्रा करने का पुण्य दिया है। यह सम्भव है कि ये सभी दावे अकबर के दरबार के लालायित, अशिक्षित और धर्मान्ध मुस्लिमों के परम्परागत कपटजालों और अतिशयोक्तिपूर्ण वक्तव्यों पर आधारित हों। हो सकता है कि शेख सलीम चिश्ती केवल आधा दर्जन बार ही मक्का गया हो क्योंकि उन दिनों में अन्तर्राष्ट्रीय यात्राएँ बहुत जोखिमपूर्ण होती थीं और उनमें प्रायः वर्षों लग जाया करते थे।

१. अकबर—द ग्रेट मुगल, पृष्ठ ७३।

मननरॅट और विन्सेंट स्मिथ के अनुसार शेख सलीम चिश्ती ब्रह्मचारी नहीं था और वह समलिंग-कामुकता में भी लिप्त रहता था।

सलीम चिश्ती का भाई इब्राहिम चिश्ती भी बदनाम था। अकबर का दरबारी तिथिवृत्तकार बदायूंनी लिखता है[1] "हिज्री सन् ९९९ में इब्राहिम चिश्ती फतेहपुर में मर गया। २५ करोड़ रुपये की नकद राशि के साथ हाथियों, घोड़ों और अन्य चल-सम्पत्ति को शाही कोष ने विनियोजित कर लिया था और अवशिष्ट राशि उसके शत्रुओं ने आपस में बाँट ली थी। जो उसके पुत्र और अभिकर्ता थे। और चूंकि वह तृष्णा व अवगुणों के लिए कुख्यात था इसलिए 'चित्तवृत्ति से दूषित और निकृष्ट शेख' के रूप में वह अभिनाम था।"

अकबर के समय में भाई-भाई संयुक्त परिवार का अंग होते थे। वे कभी पृथक नहीं रहे। इसका अर्थ यह है कि इब्राहिम चिश्ती मृत्यु के समय जो कल्पनातीत धन और पशु-सम्पत्ति छोड़ गया वह सम्पूर्ण चिश्ती-परिवार को प्राप्त हुई थी और उन्होंने संयुक्त रूप में ही उसका आनन्दोपभोग किया था। यह प्रदर्शित करता है कि शेख सलीम चिश्ती पूर्णत: शाही ढंग से रहता था। अत: यह कोई आश्चर्य नहीं है कि वह अकबर के दरबार और समस्त अनुचर वर्ग आदि के फतेहपुर सीकरी आने से पूर्व फतेहपुर सीकरी स्थित हिन्दू राजमहल-संकुल में रहता था। तथ्य तो यह है कि अकबर के फतेहपुर सीकरी आने का एक कारण यही था कि वह ताज के विपरीत राजमहल-संकुल का प्रतिकूल आधिपत्य करने से शेख सलीम चिश्ती को रोक सकता। इस सन्दर्भ में देखने पर सभी विवरण समीचीन प्रतीत होते हैं और एक युक्तियुक्त चित्र प्रस्तुत करते हैं अर्थात् फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती ने एक भव्य आदि-शाही स्थापना की थी। उसके चारों ओर वही ऐश्वर्य और दुर्गुण विद्यमान थे जो मध्यकालीन मुस्लिम दरबारी जीवन के साथ-साथ चलते थे। चिश्ती परिवार के पुत्र और अभिकर्ता चिश्ती घर के शत्रु थे। यही तथ्य हमारे इस निष्कर्ष को पुष्ट करता है कि चिश्ती परिवार का वातावरण अत्यधिक अपवित्र था।

१. बदायूंनी का तिथिवृत्त, खण्ड २, पृष्ठ ३८७।

पवित्र वातावरण में पाले-पोसे बच्चे दुर्गुणी तथा आवारागर्द नहीं होते।

हम अब स्वयं बदायूंनी[1] को ही उद्धृत करेंगे जो अकबर और शेख सलीम चिश्ती के मध्य परस्पर 'मित्रता' का वास्तविक कारण बताता है, स्वयं साक्षी है। बदायूंनी अकबर का दरबारी था। बदायूंनी स्वयं एक धर्मान्ध मुस्लिम था किन्तु उस जैसा धर्मान्ध व्यक्ति भी लिखता है कि उन महानुभाव (शेख सलीम चिश्ती) की अत्युत्तमता की चित्तवृत्ति ऐसी थी कि उसने बादशाह को अपने सभी सर्वाधिक निजी निवास-कक्षों में भी जाने का प्रवेशाधिकार दे दिया और चाहे उसके बेटे और भतीजे उसे कितना ही कहते रहे कि 'हमारी बेगमें हमसे दूर होती जा रही हैं' शेख यही उत्तर देता रहा कि संसार में औरतों की कमी नहीं है, चूंकि मैंने तुमको अमीर आदि बनाया है, तुम और बेगमें ले लो, क्या फरक पड़ता है"

या तो महावत के साथ, दोस्ती न करो।
करो तो हाथी के लिए, घर का प्रबन्ध करो।"

अत: बदायूंनी के अनुसार शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को स्वयं अपने हरम और अपने बेटों व भतीजों की पत्नियों के पास आने-जाने की पूरी खुली छूट दे रखी थी। और जब उन्होंने उस पर विरोध प्रदर्शित किया, तब उसने अकबर को खुली छूट देने के अधिकार को इस आधार पर उचित बताया कि महिलाओं के सतीत्व के बदले में उसने उनको दरबार में सांसारिक उच्च स्थान दिलाया था। शेख सलीम चिश्ती ने तो अपने तर्क में काव्य रस भी समाविष्ट कर दिया है।

सलीम चिश्ती द्वारा अपने भतीजों को कहा गया उपर्युक्त दोहा इस बात का प्रमाण है कि उसने स्वयं को, अपने पुत्रों को और अपने भतीजों को सान्त्वना दी कि अपनी महिलाओं के सतीत्व को धन, पद और अन्य शाही अनुग्रहों के बदले में अकबर के पास गिरवी रखना एक सौदा था। क्योंकि यदि अकबर की मित्रता अभीष्ट थी, तो अकबर की दुर्वह लम्पटता को सहने के अतिरिक्त और कोई विकल्प न था।

मध्यकालीन तिथिवृत्तों और आधुनिक पुस्तकों द्वारा असत्य रूप में

१. वही, पृष्ठ ११३।

प्रस्तुत किया जा रहा अकबर का वह श्रद्धाभाव जो शेख सलीम चिश्ती की शुद्ध चारित्रिकता के कारण उत्पन्न हुआ माना जाता है, दो महत्त्वपूर्ण साक्षियों के वक्तव्यों से तो केवल काल्पनिक ही प्रकट होता है। अकबर की शेख सलीम चिश्ती के प्रति रुचि एक अत्यन्त व्यावहारिक कारण से अर्थात् अकबर की स्त्रैणता के कारण थी। चूँकि शेख सलीम चिश्ती भी अपने परिवार के लिए अकबर की शाही अनुकम्पा का याचक था, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उसके भाई इब्राहिम की मृत्यु के समय ज्ञात हुआ कि परिवार के पास कल्पनातीत धन-सम्पत्ति थी। चालाक अकबर को भी, जिसने परिवार के हरम का पूर्ण शोषण पहले ही कर लिया था, इब्राहिम चिश्ती की मृत्यु के पश्चात् सारी धन-सम्पत्ति हड़प करने में कोई संकोच नहीं हुआ।

हमारा उपर्युक्त साक्ष्य स्वार्थी तिथिवृत्तकारों द्वारा इस झूठी कथा को प्रचारित करने के लिए अतिगूढ़ रूप में प्रतिस्थापित अकबर-सलीम ढोंग के किले का मूलाधार ही धराशायी कर देता है कि अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के प्रति आध्यात्मिक भक्ति के फलस्वरूप फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी।

अनेक बार, निराधार ही यह कहा जाता है और सरलभाव से विश्वास कर लिया जाता है कि शेख सलीम चिश्ती चमत्कारी शक्तियों से सम्पन्न व्यक्ति था, कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद स्वरूप ही अकबर को अपनी राजगद्दी का उत्तराधिकारी पुत्र प्राप्त हुआ और इसीलिए अकबर ने उसका नाम शाहजादा 'सलीम' रख दिया था। जैसा हम पहले ही दर्शा चुके हैं, सलीम नाम तो अकबर को इसलिए प्यारा हो गया क्योंकि सलीम चिश्ती ने अकबर के ऊपर अनेक पारिवारिक उपकार किये थे। जहाँ तक शेख सलीम चिश्ती की चमत्कारी शक्तियों का सम्बन्ध है कम-से-कम दो इतिहासकार श्री ई० डब्ल्यू० स्मिथ और कीन इस दावे को अस्वीकार करते हैं। इसके विपरीत, उनका तात्पर्य यह है कि यद्यपि सामान्य शुभ-चिन्तकों के समान ही शेख सलीम चिश्ती ने इच्छा प्रकट की होगी कि अकबर को पुत्र-रत्न प्राप्त हो, तथापि दुर्भाग्य से, अकबर की पत्नी ने एक मृत शिशु को ही जन्म दिया था। तब एक नूतन-जन्मे शाही शिशु के रूप

में जीवन-यापन करने के लिए एक वैकल्पिक शिशु ढूँढ़ लिया गया था। श्री स्मिथ का पर्यवेक्षण है : "यह सम्भव है, जैसा कीन ने फतेहपुर सीकरी की अपनी मार्गदर्शिका में कहा है, कि शाहजादा तो फकीर (सलीम चिश्ती) द्वारा शाही मृत-शिशु के स्थान पर बदला गया वैकल्पिक शिशु था (कीन की पुस्तक का पृष्ठ ५९)।"

इस प्रकार यह दावा कि शेख सलीम चिश्ती चमत्कारी शक्तियों से सम्पन्न व्यक्ति था, विवेकशील निष्पक्ष इतिहासकारों द्वारा तिरस्कृत किया जाता है। इसके विपरीत यह तथ्य एक और सम्भावना को जन्म देता है कि जहाँगीर अकबर का बेटा ही नहीं था।

१२

सलीम चिश्ती का मकबरा

सिद्ध करना चाहते हैं कि शेख सलीम चिश्ती उस

हम इस अध्याय में सिद्ध करना चाहते हैं कि शेख सलीम चिश्ती उस
एक राजकीय हिन्दू मन्दिर में दफनाया पड़ा है, जो फतेहपुर सीकरी
के प्राचीन हिन्दू राजमहल-संकुल का एक भाग था। अत: शेख सलीम
चिश्ती की मृत्युपरान्त मकबरा बनाए जाने की सभी कहानियाँ अभिप्रेरित
मनगढ़न्त बातें है।

सम्पूर्ण संरचना ऐसा हिन्दू मन्दिर होने के अतिरिक्त जिसकी देव-प्रतिमा को जड़ से उखाड़ कर दूर फेंक दिया गया अथवा कहीं भूमि में गाड़ दिया गया, ऐसा स्थान भी है जहाँ पर गैर-इस्लामी पद्धतियाँ अभी भी पूर्व दिनों की भाँति ज्यों की त्यों प्रचलित हैं।

एक हिन्दू-पद्धति, जिसे कोई भी दर्शक देख सकता है, भक्तों द्वारा तथाकथित सलीम चिश्ती की दरगाह के सामने हारमोनियम बाजे की धुन पर धार्मिक गीत, भजनों का गान किया जाता है। संगीत की लय पर ऐसे भजन-गान वार्षिक-उर्स अर्थात् मृत्यु-समारोहों के दिनों में पूरे दिन-दिन भर चलते रहते हैं। ऐसा संगीत चलता ही रहता है यद्यपि उसी चतुष्कोण के एक छोर पर, तथाकथित मकबरे के निकट ही एक तथाकथित मस्जिद भी है। मुस्लिम लोग मस्जिदों के समीप संगीत की अनुमति कभी नहीं देते। इसलिए यह तथ्य कि शेख सलीम चिश्ती की स्मृति में भजन, हारमोनियम की संगीत-लहरी पर, तथाकथित मकबरे के सामने और तथाकथित मस्जिद-पार्श्व में गाए जाते हैं, मुस्लिम-पूर्व काल की उस हिन्दू परम्परा का प्रबल प्रमाण है जिसकी जड़ें फतेहपुर सीकरी में गहरी जमी

हुई हैं। चूंकि वह सम्पूर्ण क्षेत्र मुस्लिम उपयोग में आने लगा था और मुस्लिमों से युद्ध-रत हिन्दुओं को पराजय के पश्चात् इस्लाम धर्म में बलात् प्रविष्ट कर लिया गया था, इसलिए उन्हीं धर्म-परिवर्तितों के वंशज फतेहपुर सीकरी के अपने पूर्वकालिक मन्दिर के सामने संगीत की तान पर भजन गाने की परम्परा को ज्यों का त्यों बनाए हुए है।

उस पूर्वकालिक हिन्दू मन्दिर के सम्मुख जो अब पाखण्ड रूप में सलीम चिश्ती के मकबरे के रूप रूप-परिवर्तित खड़ा है, चली आ रही एक अन्य हिन्दू-अभ्यास पद्धति यह है कि हिन्दू-महिलाएँ सन्तान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। मौलवी मोहम्मद अशरफ हुसैन लिखते हैं "दरगाह की खिड़कियों की सलाखों पर हिन्दुओं और मुस्लिम-वधुओं एवं निस्सन्तान महिलाओं द्वारा बाँधे गए धागों के टुकड़े और वस्त्रों की कतरनें बँधी हुई हैं।"[1]

ऊपर उल्लेख की गयी मुस्लिम महिलाएँ भी हिन्दू-धर्म-परिवर्तितों की वंशजाएँ हैं। इस प्रकार ये केवल हिन्दू महिलाएँ ही हैं, चाहे धर्म परिवर्तित हों अथवा अन्यथा, जो सन्तान-प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। वे इस परम्परा को तब से बनाए हुए हैं जब वह भवन जो आज मकबरा प्रतीत होता है, फतेहपुर सीकरी का राजकीय हिन्दू मन्दिर था। अन्यथा, हिन्दू महिलाएँ सन्तानोत्पत्ति के लिए प्रार्थना करने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे पर क्यों जाएँगी? यदि यह धारणा हो कि शेख सलीम ने अकबर को सन्तान-जन्म का आशीर्वाद दिया था, तो उसे हम पहले ही पाखण्ड सिद्ध कर चुके हैं। बदायूँनी हमें बता ही चुका है कि अकबर-सलीम की मैत्री-सन्धि का वास्तविक कारण महिलाएँ रहा, न कि सन्तान।

हम अब एक पुस्तक के बाद दूसरी पुस्तक के उद्धरण यह प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार, यद्यपि किसी को भी यह पता नहीं है कि तथाकथित मकबरे को किसने बनवाया तथापि, एक लेखक के बाद दूसरा लेखक वाग्विदग्ध होकर उस काल्पनिक मकबरे की वृद्धि ही करता रहा है।

विन्सेण्ट स्मिथ उस समय सत्य के अत्यन्त निकट आ गया था जब

1. फतेहपुर सीकरी की मार्गदर्शिका, पृष्ठ ६६।

उसने यह लिखा था कि[1] : "एक सर्वाधिक अग्रणी मुसलमान सन्त के मकबरे की शिल्पकला में असन्दिग्ध हिन्दू लक्षणों को लक्षित करना आश्चर्यजनक है किन्तु सम्पूर्ण संरचना हिन्दू भावना को प्रेरित करती है, और कोई भी व्यक्ति द्वार-मण्डप के स्तम्भों तथा टेकों के हिन्दू-मूलक होने को अनदेखा नहीं कर सकता।"

यदि स्मिथ ने अन्य महान् ब्रिटिश इतिहासकार सर एच० एम० इलियट की उस टिप्पणी की ओर ध्यान दिया होता कि भारत में मुस्लिम-काल खण्ड का इतिहास "जानबूझकर किया गया रोचक धोखा है", तो उसने तुरन्त अनुभव कर लिया होता कि चाहे परम्परागत भ्रामक वर्णनों में कुछ भी कहा गया हो, फतेहपुर सीकरी में आज दिखाई देने वाला तथाकथित सलीम चिश्ती का मकबरा एक पूर्वकालिक हिन्दू मन्दिर है।

स्मिथ ने यह भी कहा है : "फतेहपुर सीकरी स्थित सर्वाधिक अनुपम भवन, यद्यपि सबसे सुन्दर तो वह नहीं है उस वृद्ध सन्त फकीर शेख सलीम चिश्ती का सफेद संगमरमर का मकबरा है। वह सन् १५७२ के प्रारम्भ में ही मर गया था। वह भवन कुछ वर्ष बाद पूर्ण हुआ था। देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण भवन सफेद संगमरमर का ही बना हो, किन्तु गुम्बद वास्तव में लाल पत्थर का बना है जिस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था यद्यपि अब उस पर संगमरमर की पतली तह चढ़ी हुई है। मजार-कक्ष के चारों ओर मेहराबदार छत्ते को परिवेष्टित करने वाले संगमरमरी-गवाक्षजाल और सुअलंकृत फर्श, जो मूल नमूने में सम्मिलित नहीं थे, जहाँगीर के धात्री पुत्र कुतुबुद्दीन कोका द्वारा उस बादशाह के शासन काल के सम्भवतः प्रारम्भ में ही जोड़ दिये गए थे।"

स्मिथ ने एक पदटीप में आगे कहा है : "जहाँगीर ने सम्पूर्ण मस्जिद (न केवल मकबरा) का राजकोष पर खर्चा पाँच लाख रुपये कहा है जो अविश्वसनीय रूप में कम है, यदि वह पूरी लागत के आशय से कहता है (स्मिथ की फतेहपुर सीकरी पुस्तक, भाग ३, अध्याय २)। कुतुबुद्दीन खाँ कोकलताश ने शव-स्थान के चारों ओर संगमरमरी जंजीर, गुम्बद का फर्श

१. 'अकबर—दी ग्रेट मुगल', पृष्ठ ३२१।

और द्वारमण्डप बनवाये थे, तथा ये सब उस पाँच लाख की राशि में सम्मिलित नहीं हैं। जहाँगीर का धात्री-पुत्र कुतुबुद्दीन सन् १६०७ में मार डाला गया था, इसलिए उसके द्वारा निर्मित सभी कार्य उस तारीख से पहले का ही हो सकता है। लतीफ (आगरा, पृष्ठ १४४) यह कहने के पश्चात् कि उस सन्त फकीर का मकबरा विशुद्ध सफेद संगमरमर का बना हुआ था, जिसके चारों ओर उसी सामग्री का गवाक्ष-जाल भी था, यह पुष्टि भी करता है कि अकबर द्वारा मूलतः बनने पर यह मकबरा लाल बजरी का था, और संगमरमर का जालीदार काम जो मकबरे का मुख्य अलंकरण था, बाद में जहाँगीर द्वारा बनवाया गया था। चूँकि वह बादशाह अपने पिता के बाद अक्तूबर, नवम्बर सन् १६०५ में गद्दी पर बैठा था और उसका धात्री-पुत्र सन् १६०७ में मार डाला गया था अतः वह अनुपम संगमरमरी गवाक्ष-कार्य, प्रतीत होता है कि, सन् १६०६ में पूर्ण हुआ था। श्री ई० डब्ल्यू० स्मिथ का यह पर्यवेक्षण कि गुम्बद लाल बजरी का है जिस पर प्रारम्भ में सीमेंट का पलस्तर था किन्तु अब संगमरमर का गवाक्ष-जाल है, सिद्ध करता है कि इस संरचना का अधिकांश भाग बजरी का बना हुआ था किन्तु बाद में उसे ऐसा बना दिया गया कि वह संगमरमर का प्रतीत हो। (गुम्बद के अतिरिक्त) मकबरे और द्वारमण्डप की सामग्री अब ठोस संगमरमर की दिखाई देती है। यदि प्रारम्भ में बजरी उपयोग में लायी गयी थी, तो या तो भवन नीचे गिरा दिया गया था और पुनः बनाया गया था अथवा प्रचुर मात्रा में गवाक्षों की वृद्धि कर दी गयी थी। मैं समझ नहीं पाता और उस विषय का कोई यथार्थ अभिलेख अस्तित्व में प्रतीत नहीं होता। स्वयं द्वारमण्डप भी मूल नमूने में एक वृद्धि हो सकती है और इसका समय अकबर की अपेक्षा जहाँगीर के शासनकाल का प्रतीत होता है।"

स्मिथ की टिप्पणियाँ विचित्र हैं। वे प्रदर्शित करती हैं कि भारतीय इतिहास के विद्वान् किस प्रकार प्रवंचित हैं। उनमें से किसी को भी लिखित अभिलेखों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। उनको यह विश्वास दिलाकर बिल्कुल बुद्धू बनाया गया है कि भारत में विदेशी मुस्लिमों के १००० वर्षीय दीर्घ शासन-काल में मकबरों और मस्जिदों का प्राचुर्य सारे देश-भर में निर्माण किया गया था और फिर भी, एक भी कागज-पत्र उपलब्ध नहीं

अत्यन्त कल्पना करने में फलदायक हुआ है। इस प्रकार का अत्यधिक साक्ष्य इतना है, जैसा कि ऊपर दिखाई पड़ता है। विन्सेण्ट स्मिथ कम-से-कम इतना ईमानदार तो है कि कल्पना की इतनी संश्लिष्ट गुत्थियों को सुलझाने के यत्न में असफल होने पर उसने हताश होकर सहज ही स्वीकार कर लिया है कि "मैं समझ नहीं सकता"।

उसे शेख सलीम चिश्ती की मृत्यु या दफनाने के सम्बन्ध में कोई विवरण ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। विपरीत परम्परागत वर्णनों के विद्य-मान होते हुए भी तथ्य यह है कि शेख सलीम चिश्ती अकबर के समय का तनिक भी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था। यदि वह ऐसा कुछ होता तो उसकी जन्म की तारीख अथवा कम-से-कम उसकी मृत्यु की तारीख तो कहीं अंकित लिखित होती ही। किन्तु जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, जबकि कुछ स्रोत कहते हैं, स्मिथ इसका शेख सलीम चिश्ती की मृत्यु सन् १५७१ ई० में सन् १५७२ ई० में घोषित करता है। इसका भी ज्ञान नहीं है कि समय मकबरा संगमरमर का है अथवा लाल पत्थर का, या दोनों का मिश्रण है, अथवा पहले का मकबरा गिरा दिया गया था और उसके स्थान पर दूसरा बना दिया गया था। यदि ऐसा हुआ तो इसे किसने गिरवाया और क्यों? धर्मोल्लंघन का यह कार्य किसने सोचा और किसने इसकी अनुमति दी? स्वयं अपनी गति अच्छी करने की अपेक्षा कौन था जिसे विगत पीढ़ी के मृत व्यक्तियों के साथ छेड़-छाड़ करने के लिए समय, धन तथा शौक था? मूल भवन की, फिर उसे गिरवाने की और तत्पश्चात् नए मकबरे के निर्माण की लागत कितनी थी? इस सबका भुगतान किसने किया? अकबर, जहाँगीर या कोकलताश में से किसने मकबरा बनवाया? वह कोकलताश, जिसका अपना लघु-जीवन अंतिम हत्या की छाया में भयातंकित रहा, किस प्रकार स्वयं अपने जीवन की सुरक्षा करने में अथवा अपने लिए, अपनी पत्नी या बच्चों के लिए कुछ निर्माण करने की अपेक्षा एक मकबरा बनाने में या मकबरे में कुछ वृद्धि करने में रुचि रखता था? मध्यकालीन इतिहास के प्रचलित पाठ्य-ग्रन्थों पर इस प्रकार के प्रश्नों की बौछार करने वालों को ही परम्परागत वर्णनों में प्रविष्ट धोखों, कपटजालों का ज्ञान हो सकेगा।

स्मिथ को यह भी पता नहीं है कि मूल-नमूना किस प्रकार का था।

फिर वह कैसे सुनिश्चित हो सकता था कि उसमें कुछ वृद्धि की गयी थी अथवा बाद में क्या वृद्धि की गयी थी? तथ्य तो यह है कि वह जिस परिक्रमा-मार्ग का संकेत करता है वह सिद्ध करता है कि भवन एक प्राचीन हिन्दू मन्दिर था। हिन्दू मन्दिर में अनिवार्यतः प्रतिमा-आराधना के एक परिक्रमा बनी होती है। स्मिथ का, एक उत्साही मुस्लिम के मकबरे को हिन्दू जैसा देखकर आश्चर्य व्यक्त करना भी इस निष्कर्ष का संकेतक है कि शेख सलीम चिश्ती एक हिन्दू मन्दिर में दफनाया पड़ा है।

एक अन्य आधुनिक लेखक श्री बी० डी० साँवल का पर्यवेक्षण है[1] कि यह मजार स्वयं ही सन्त के मकबरे का चिह्न है। इस सन्त-फकीर का शव तहखाने में दफ़नाया पड़ा है, जिसका मार्ग सीलबन्द कर दिया गया है।

शेख सलीम चिश्ती के वास्तविक मकबरे का तहखाना क्यों बन्द किया गया है जबकि अन्य मुस्लिम मकबरों के ऐसे तहखाने खुले ही रखे गए हैं? कारण केवल यही हो सकता था कि यदि शेख सलीम चिश्ती सचमुच ही नीचे के कक्ष में दफ़नाया हुआ पड़ा है, तो उसके साथ ही अनेक वे हिन्दू प्रतिमाएँ भी दबी पड़ी होंगी जो उस मन्दिर से हटा दी गयी थीं, जो मकबरे में परिवर्तित कर दिया गया था।

शेख सलीम चिश्ती के तथाकथित मकबरे के एक अन्य विक्षुब्धकारक कपट-प्रबन्ध का पक्ष यह है कि मुस्लिम कब्रें यद्यपि सामान्यतः त्रिकोणात्मक मुद्राशि की होती हैं, तथापि केवल शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ही एक ऐसा है जिसका समचतुष्क मंच एक बिस्तर के आकार का है, जो उसे दफ़नाने के स्थान पर बना हुआ है। वह समचतुष्क मंच जिसे शेख सलीम चिश्ती के मजार के रूप में आगन्तुक यात्रियों को विश्वास दिलाया जाता है, हो सकता है दफ़नाई हिन्दू देव-प्रतिमाओं को छिपाए हुए हो। मध्य-कालीन मुस्लिम फकीर निश्चित रूप से हिन्दू भवनों के ध्वंसावशेषों में निवास किया करते थे। बाद में वे उसी स्थान पर दफ़नाए जाते थे, जहाँ वे रहते थे। यही बात शेख सलीम चिश्ती के साथ हुई। बाबर ने जब राणा सांगा से फतेहपुर सीकरी विजित कर ली तब शेख सलीम चिश्ती वहाँ स्थित राज-

१. श्री बी० डी० साँवल विरचित 'आगरा और इसके स्मारक', पृ० ९२।

महल-संकुल में ही रहा। मन्दिर की हिन्दू-देव प्रतिमाएँ नीचे धकेल दी गयी थी। कुछ समय बाद जब शेख सलीम चिश्ती मरा तब उसे तलघर में दफ़ना दिया गया और वह स्थायी रूप से सीलबन्द कर दिया गया। जब फतेहपुर सीकरी में अन्यत्र हिन्दू देवताओं की प्रतिमाएँ और चित्र उत्कीर्णित हैं और पहले भी थे तब निष्कर्ष यह निकलता है कि शेख सलीम चिश्ती का तथाकथित मकबरा, जो स्पष्टतः हिन्दू मन्दिर है, भी हिन्दू प्रतिमाओं से आपूरित था। अतः यदि फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में कोई वास्तविक पुरातत्वीय अन्वेषण और अनुसंधान किया जाना है, तो फतेहपुर सीकरी के चारों ओर का न केवल शेष अपितु राजमहल-संकुल को अत्यधिक अव्यवस्थित करने वाले बीमियों मकबरों के तहखाने भी उत्सुकतापूर्वक जल्दी ही खोजने चाहिए। निश्चित है कि उनमें नीचे दबी अनेक हिन्दू-देव प्रतिमाएँ और शिलालेख प्राप्त हो जाएँगे।

मौलवी मोहम्मद अशरफ हुसैन लिखते हैं : "शेख सलीम चिश्ती का मकबरा उसकी मृत्यु के बाद बना। मृत्यु सन् १५७२ ई० में हुई थी। (पदटीप—नवाब कुतुबुद्दीन खाँ कोकलताश के बनवाए मकबरे की मूल-रचना लाल बजरी की थी जिस पर सफेद संगमरमर लगा था। अपवाद केवल गुम्बद था जिस पर सीमेंट का पलस्तर किया गया था। यह सन् १८६६ के लगभग ही था कि आगरा के कलक्टर श्री मनसल के आदेशों के अधीन तथा उन्हीं के परिनिरीक्षण में गुम्बद बाहर की ओर सफेद संगमरमर से गवाक्षयुक्त कर दिया गया था। २. तुजके-जहाँगीरी, फ़ारसी-मूल-पाठ, अलीगढ़ संस्करण सन् १८६४, पृ० २६२ के अनुसार कोकलता ने मजार को संगमरमर से ढक दिया और इसे सुन्दर पच्चीकारी की जाली से चारों ओर से आवृत्त कर दिया।)"[1]

अन्य वर्णनों के समान ही उपर्युक्त वर्णन भी अस्पष्ट है। इसमें शेख सलीम चिश्ती की मृत्यु की तारीख-विशेष का उल्लेख नहीं है। वह इस बात को स्पष्ट नहीं करता कि शेख सलीम चिश्ती से आध्यात्मिक रूप में सर्वाधिक सम्पर्क रखने वाले अकबर ने इसकी मूल-रचना न करके कोकल-

१. 'फतेहपुर सीकरी की मार्गदर्शिका', पृ० ६४।

ताश ने यह रचना क्यों की? भवन पर व्यय किए गए धन और समय का कोई उल्लेख नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं किया जाता है कि धर्मान्ध मुस्लिमों ने मकबरे के लिए हिन्दू नमूना क्यों पसन्द किया।

श्री हुसैन ने आगे लिखा है : "शेख सलीम चिश्ती संगमरमर की मजार के ठीक नीचे, परम्परा के अनुसार मक्का से लायी हुई मिट्टी में एक बन्द तहखाने में चिर-निद्रा में लीन है। यह परवर्ती सदैव कपड़े से और मोती के सीप के सुअलंकृत कार्य से सुशोभित पतले अष्टकोणीय स्तम्भों पर आधारित काष्ठ-छत्री से ढका रहता है। (पदटीप—रमजान की २०वीं रात्रि को यह आवरण प्रतिवर्ष हटाया जाता है, और मजार को गुलाब-जल से धोया जाता है।)"

हमें आश्चर्य होता है कि यह लबादा प्रतिदिन क्यों नहीं हटाया जाता और इसे वर्ष में केवल एक बार और वह भी रात्रि को ही क्यों हटाया जाता है? फतेहपुर सीकरी स्थित राजमहल-संकुल के पूर्ववृत्तों के समीचीन अनुसंधान के लिए इस तथ्य का सम्यक् प्रकार से अन्वेषण करना पड़ेगा। यह रहस्य कदाचित् उन दिनों से बना हुआ है जब से कि हिन्दू मन्दिर को मुस्लिम उपयोग में लाया गया था।

पृष्ठ ६६ पर श्री हुसैन ने लिखा है : "दक्षिण में लगे इन (उत्कीर्णित स्तम्भों) में से एक में हिज्री सन् ९८८ (सन् १५८०-८१ ई०) लिखा हुआ है जो सम्भवतः उस मकबरे की रचना की तारीख की ओर संकेत करती है।"

यदि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर या अन्य किसी ऐसे ही व्यक्ति द्वारा सचमुच निर्मित किया गया होता तो कोई कारण नहीं था कि उसने उन शिलालेखों में प्रमुख रूप से उसका उल्लेख न किया होता, जिनमें केवल कुरान के उद्धरण हैं। हिज्री सन् ९८८ स्पष्टतः उस मकबरे के निर्माण की तारीख नहीं है, अपितु एक पूर्वकालिक हिन्दू मन्दिर पर कुरान की आयतें उत्कीर्णित करने की तारीख है।

पृष्ठ ६७ पर श्री हुसैन ने लिखा है : "द्वार के शीर्ष भाग में कस्ख अक्षरों में फारसी भाषा में सुनहरी फारसी शिलालेख है जिसमें शेख की स्तुतियाँ और हिज्री सन् ९७९ (सन् १५७२ ई०) में उसकी मृत्यु का उल्लेख है।"

यदि तथाकथित मकबरे में इतनी सारी बातें उत्कीर्णित हैं तो क्या

कारण है कि इन में रूपरेखांकनकार, निर्माणारम्भ होने की तारीख, पूर्ण होने
की तारीख तथा व्यय का कोई उल्लेख नहीं है ! इस चुप्पी का भाव स्वतः
स्पष्ट है अर्थात् शेख सलीम चिश्ती यदि दफ़नाया ही हुआ है, तो एक पूर्व-
कालिक हिन्दू मन्दिर में दफ़नाया पड़ा है। उन तारीखों का सम्बन्ध हिन्दू
मन्दिर पर उन मुस्लिम लेखों को उत्कीर्ण किए जाने के कार्य से है।

श्री हुसैन ने आगे लिखा है—"द्वार मण्डप के शीर्ष के चारों ओर छज्जे
का भार सहन करने वाले अद्भुत सर्पिल स्तम्भ-टेक तथा मकबरे का मोहरा
संगतराशों की मस्जिद अपरिष्कृत रूप में अनुकरण किए गए हैं। वक्राकृतियों
और स्तम्भ-टेकों तथा उपस्तम्भों के बीच के स्थान अत्युत्तम प्रकार से
उत्कीर्णित प्रस्तरालंकरण द्वारा अलंकृत किए गए हैं। प्रस्तरालंकरण
अधिकतर ज्यामितीय प्रकार का है। पुष्पीय-नमूने भी बनाए गए हैं।"

ये सब लक्षण इस भवन के पूर्वकालिक हिन्दू मन्दिर होने के असंदिग्ध
लक्षण हैं। हिन्दू मन्दिर में ही सर्पिल स्तम्भ-टेक होते हैं। वे अत्यन्त अलंकृत
होते हैं और उन पर ज्यामितीय तथा पुष्पीय नमूने बने होते हैं। तथाकथित
संगतराशों की मस्जिद और शेख सलीम चिश्ती के मकबरे की समरूपता
इस बात का प्रबल प्रमाण है कि वे दोनों भवन ही शताब्दियों-पूर्व के हिन्दू
राजमहल-संकुल के भाग थे, जिसे अपने पिता हुमायूँ का अनुकरण करते
हुए अकबर ने कुछ वर्षों के लिए अपनी राजधानी बनाया था।

इसी प्रकार फतेहपुर सीकरी में अन्य कब्रें भी हिन्दू भवनों पर थोपी
हुई हैं। अपनी पुस्तक के पृष्ठ ६६ पर श्री हुसैन ने पर्यवेक्षण किया है :
"नवाब इस्लाम खाँ का कब्र वाला दीर्घ गुम्बदयुक्त कक्ष बाहर की ओर
वर्गाकार है किन्तु भीतर अष्टकोणात्मक है। इस कक्ष के चारों ओर ३२
अन्य कब्र हैं। नवाब का मकबरा, जिस पर स्तम्भाधारित काष्ठ-चौखटे
की छतरी बनी हुई है, ज्यामितीय नमूनों, सुनहरी पुष्पों आदि से अलंकृत
है। इस कक्ष का प्रवेशद्वार पत्थर में दो एकाश्म पत्तियों का होने के कारण
अत्यन्त रोचक है, जिनकी शैलियाँ और कठहरे मटचिनिया खपरा की
बनी हैं जो वृत्तों और अर्धवृत्तों में व्यवस्थित हैं (अब पर्याप्त रूप में जीर्ण-
शीर्णावस्था में है)। यह द्वार फतेहपुर सीकरी में बचे हुए मूल द्वारों में से
एक है...ज़नाना रौज़ा में फकीर शेख सलीम चिश्ती की पत्नी बीबी

हजयाना और उस परिवार की अनेक महिलाओं के अवशेष दफन हैं।"

यदि, जैसा श्री हुसैन ने कहा है, नवाब इस्लाम खाँ के मकबरे का प्रस्तर-द्वार फतेहपुर सीकरी में शेष एक ही मूल द्वार है, तो अनुसन्धान-कर्त्ताओं के लिए यह ज्ञान करना अत्यन्त लाभदायक होगा कि मुगलों के अधीन हो जाने से पूर्व हिन्दू फतेहपुर सीकरी में द्वार किस प्रकार के हुआ करते थे। इस्लाम खाँ का तथाकथित मकबरा अष्टकोणात्मक-नमूने का होना उसके हिन्दू-मूलक होने का एक अन्य प्रमाण है क्योंकि मध्यकालीन हिन्दू भवन अति प्रचुर मात्रा में अष्टकोणात्मक ही रहे हैं।

अपहृत हिन्दू भवनों को मुस्लिम-मूलक घोषित करने के लिए कितने अतिशयोक्तिपूर्ण काल्पनिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गए हैं, इसका एक उदाहरण श्री हुसैन की पुस्तक के पृष्ठ ७१ पर उपलब्ध है। उसका कहना है : "निकट ही एक छोटी नतोदर छत के नीचे एक शिशु का मकबरा है जिसको मार्गदर्शक लोग प्रायः दिखाया करते हैं। स्थानीय परम्परा का कहना है कि शेख सलीम चिश्ती का एक छोटा शिशु था, जिसकी आयु छः मास की थी। उसका नाम बाले मियाँ था। एक दिन उसने भेंट-मुलाकात के बाद निराश अकबर को लौटते देखा एवं अपने पिता को अत्यन्त चिन्तित अवस्था में खोया हुआ बैठे देखकर पूछा कि उन्होंने अकबर को निराश क्यों लौटा दिया। उस पुण्यात्मा फकीर ने उत्तर दिया कि बादशाह के उत्तराधिकारी के लिए अकबर की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकी क्योंकि जब तक कोई उसके बदले में अपने प्राणों का दान न कर दे, तब तक उसकी सभी सन्तानों को शिशुकाल में ही प्राण गँवाने भाग्य में लिखे हैं। इस पर उस शिशु ने अपना जीवन उत्सर्ग किया, और कुछ समय पश्चात् वह वहीं पर मृत मिला।"

उपर्युक्त कथा का सूक्ष्म विवेचन करते हुए हम यह प्रश्न करते हैं कि क्या छः मास का शिशु बोल सकता है? क्या वह अपने पिता की भाव-भंगिमा से नैराश्य का ज्ञान कर सकता है? क्या उसके साथ बादशाह से हुई जटिल समस्याओं के बारे में रहस्य-भेद प्रकट किया जा सकता है? शेख सलीम चिश्ती के पास यह जानने के लिए कौन-सा साधन था कि अकबर की सभी सन्तानों को शैशव में ही काल का ग्रास हो जाना अवश्यंभावी

था। उसे यह किसने बताया कि यदि किसी और का शिशु बलि किया गया, तो अकबर को उत्तराधिकारी प्राप्त होगा। यदि एक शिशु बलि किया गया, तो अकबर की कई सन्तानें होने का क्या कारण था? एक मुस्लिम शिशु का नाम संस्कृत 'बाल' शब्द कैसे है, जिसका अर्थ शिशु है"। उपर्युक्त कपट-जाल का भण्डाफोड़ करने के लिए ऐसे ही कुछ प्रश्न संगत होंगे। सत्य कुछ और ही है। भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे तथाकथित मुस्लिम आराधना स्थल हैं जो इस या उस बाले मियाँ के पाखण्ड नाम से प्रचलित चले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रान्त में बहराइच नामक स्थान पर भी 'बाले मियाँ' नामक मुस्लिम आराधना स्थल है। वह मूल रूप में बाल-आदित्य अर्थात् प्रातःकालीन सूर्य का मन्दिर था। जब इसको विजित किया गया और मुस्लिम उपयोग में लाया गया, तब इसका नाम चालाकी से 'बाले मियाँ' कर दिया गया। अतः जिस प्रकार संत्रस्त हिन्दुओं का मुस्लिम शासन के अन्तर्गत धर्म परिवर्तित किया गया था उसी प्रकार मुस्लिमों के अधीन आने वाले हिन्दुओं के आराधना-स्थलों को भी मुस्लिमों के आराधना-स्थलों में परिवर्तित कर दिया गया था। अतः भारत में जहाँ भी कहीं 'बाले मियाँ' नाम दोहराया जाए, वहाँ अन्वेषकों को यह सहज ही मान लेना चाहिए कि वे सभी बाल-आदित्य (प्रातःकालीन सूर्य) के मन्दिर थे, जिनसे भारतीय क्षत्रिय कुलोद्भव होने का दावा करते हैं। फतेहपुर सीकरी स्थित 'बाले मियाँ' आराधना-स्थल, इस प्रकार एक हिन्दू सूर्य मन्दिर है।

ऊपर लिखित अवतरणों से पाठकों ने देख ही लिया होगा कि आधुनिक लेखकों ने जहाँगीर के तिथिवृत्त में फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में कुछ उल्लेखों को मजबूती से पकड़ लिया है। उस तिथिवृत्त को सर एच०एम० इलियट ने अपने आलोचनात्मक अध्ययन में पहले ही कपट-प्रबन्ध सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार यह तिथिवृत्त सर्वाधिक अविश्वसनीय है। यदि शेख सलीम चिश्ती सन् १५७१-७२ ई० में मर चुका था, तो अकबर के शासनकाल के वर्णनों में उसके मकबरे की संरचना के सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय उल्लेख क्यों नहीं होना चाहिए? इसका अभाव स्पष्ट प्रमाण है कि शेख सलीम चिश्ती उसी हिन्दू मन्दिर में दफनाया हुआ पड़ा है जिसमें वह निवास करता था।

१३

तथाकथित मस्जिद

इतिहास की पुस्तकों और पर्यटक साहित्य में प्रस्तुत फतेहपुर सीकरी के वर्णनों में एक विशेष भवन को जामा-मस्जिद अर्थात् प्रमुख मस्जिद कहा जाता है, किन्तु वह भवन तो किसी भी प्रकार से मस्जिद है ही नहीं। यह तो एक पूर्वकालिक हिन्दू मन्दिर है। तथ्य यह है कि आज जिस भाग को मस्जिद के रूप में गलती से प्रस्तुत किया जा रहा है, वह तो भवन का केवल एक ही भाग है—एक चतुष्कोण भवन की एक भुजा मात्र है, एक प्रकार से यह एक ओर का बरामदा है।

सम्पूर्ण भवन एक विशाल पथबन्धित चतुष्कोण आँगन है। एक पार्श्व के मध्य में ऊँचा तीन-तोरण वाला बुलन्द दरवाजा है। ऐसे द्वारों की तीन मेहराबें हिन्दू परम्पराएँ हैं। अहमदाबाद में जैसा तीन-मेहराबों वाला द्वार है, जो उस प्राचीन हिन्दू बस्ती में खुलता है जिसे आज भी भद्रा के नाम से पुकारा जाता है। उस क्षेत्र में प्रमुख भद्र-काली देवमन्दिर को अब अहमदाबाद की जामा मस्जिद के भ्रष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

दूसरे पार्श्व भाग के मध्य में शाही दरवाजा नामक स्थान है। बुलन्द दरवाजे के सामने वाली दिशा में भी एक दरवाजा है जो अब निषिद्ध है, और उसमें ताला लगा है। चूँकि हिन्दू भवनों की चारों दिशाओं में सामान्यतः प्रवेश-द्वार होते हैं, अतः उस पार्श्व में भी अवश्य ही एक द्वार होना चाहिए जिसे अब भव्य मस्जिद कहते हैं। शाही दरवाजे के सम्मुख यही वह पार्श्व है जिसे मस्जिद कहकर आत्म-श्लाघा की जा रही है। सर्व-प्रथम यह अनुभव होना ही चाहिए कि एक वास्तविक, मूल-मस्जिद किसी एक विशाल भवन का एक पार्श्व, एक भाग नहीं होती। वह तो एक सम्पूर्ण

भवन को परिवेष्टित करने वाले इस
भवन होती है। एक विशाल केन्द्रीय प्रांगण को परिवेष्टित करने वाले इस
आयताकार भवन में वह सुन्दर हिन्दू मन्दिर स्थित है, जिसमें, कहा जाता
है कि, शेख सलीम चिश्ती दफ़नाया पड़ा हुआ है। कुछ अन्य कब्रें भी हैं
जो प्रांगण में अव्यवस्थित रूप से इधर-उधर फैली पड़ी हैं। किन्तु शाही
दरवाजे के निकट एक कोने में एक विशाल छतरी है जिसके नीचे भी
बीसियों अन्य कब्रें हैं। यदि इस भवन के एक पार्श्व का आशय वास्तव में,
मूल रूप में प्रमुख मस्जिद के रूप में रहा होता तो उसका प्रांगण उन ऊँचे
और अत्युत्तम द्वारों से युक्त न होता जो चारों ओर से बीसियों कब्रों से घिरे
हुए हैं। सम्पूर्ण चतुष्कोण आँगन एक मस्जिद की अपेक्षा कब्रिस्तान अधिक
है।

यह कब्रिस्तान भी मुस्लिम विजेताओं द्वारा बाद में एक हिन्दू मन्दिर
के प्रांगण में संयोजित अतिरिक्त भाग है। यदि अकबर ने फतेहपुर सीकरी
की स्थापना की होती तो उसने अत्यन्त ऊँचे और अत्युत्तम दरवाजों से
युक्त एक शानदार और विशाल प्रांगण को इसलिए पृथक् न रहने दिया
होता कि उसमें अव्यवस्थित कब्रों का एक बड़ा क्रम प्रस्तुत कर दिया
जाए। इससे बढ़कर बात यह है कि अकबर कभी भी यह नहीं चाहता कि
उसके राजमहल के समीप ही एक भयावह कब्रिस्तान भी हो।

एक विशाल भव्य राजमहल के इस विराट् राजकीय प्रांगण को
कब्रिस्तान में परिवर्तित करने का यह अनुचित, अनुत्तरदायी कार्य केवल
मुस्लिम विजेताओं के हाथों ही किया जा सकता है, जिनके हृदय में हिन्दुओं
और उनके देव-मन्दिरों के लिए केवल घृणा ही विद्यमान थी, अन्य कुछ
नहीं। अन्यथा और कौन व्यक्ति होगा जो अनजाने व्यक्तियों की कब्रों के
लिए अन्य स्थान निर्माण करने हेतु विशाल धनराशियाँ व्यय करे। यह
सम्भव है कि उन कब्रों के नीचे भूमि के कक्षों में जैसा शेख सलीम चिश्ती
की कब्र के नीचे के कक्ष में है, हिन्दू देव-प्रतिमाओं और शिलालेखों को
गड़ा हुआ पाया जाए। सरकार के पुरातत्व विभाग को इन सबकी खुदाई,
जाँच और अनुसन्धान का कार्य करना ही चाहिए। यदि वह ऐसा न करे
तो वास्तविक ऐतिहासिक अनुसन्धान में रुचि रखने वाले व्यक्तियों और
संस्थानों को यह कार्य प्रारम्भ करना चाहिए।

उस प्रांगण में कुछ कब्रें बादशाह बाबर के उन मुस्लिम सैनिकों की
हैं जिनको फतेहपुर सीकरी के हिन्दू प्रतिरक्षकों ने फतेहपुर सीकरी के (न
कि कन्वाहा के) सन् १५२७ ई० में लड़े गए युद्ध में बाबर के प्रति पराजित
होने पर नगर को त्याग देने से पूर्व तलवार के घाट उतार दिया था। हम
यह निष्कर्ष बाबर द्वारा स्मृतिग्रन्थ में लिखे गए उसके उन शब्दों से निका-
लते हैं जिनमें कहा गया है कि युद्ध के पश्चात् उसने पहाड़ी पर काफ़िरों
(अर्थात् हिन्दुओं) के सिरों का एक स्तम्भ बनवाया था। फतेहपुर सीकरी
राजमहल-संकुल एक पहाड़ी पर स्थित है। बाबर ने पहाड़ी पर हिन्दुओं
के सिरों का निर्दय स्तम्भ बनवाने का कष्ट न किया होता यदि युद्ध निकट-
वर्ती मैदानों में ही लड़ा गया होता। यह तथ्य कि पहाड़ी पर स्तम्भ
बनाने के लिए उसे पर्याप्त संख्या में हिन्दू-सिर उपलब्ध हो गए, दर्शाता है
कि अनेक विशिष्ट हिन्दू सेनापतियों और उनके वंशजों ने राजमहल-
संकुल में हुई अन्तिम निर्णायक लड़ाई में अपने प्राणोत्सर्ग किए थे। अतः वे
कब्रें, सबकी-सब शेख सलीम चिश्ती के सम्बन्धियों की नहीं हैं। उनमें से
कुछ दो पीढ़ियों पूर्व के उन मुस्लिमों की कब्रें हैं जिनको फतेहपुर सीकरी
के हिन्दू प्रतिरक्षकों ने मौत के घाट उतार दिया था।

इस प्रकार यह प्रमाणित कर देने पर कि तथाकथित जामा-मस्जिद
तो उस विशाल भव्य हिन्दू मन्दिर का एक बरामदा-मात्र थी जिसे
विजयोपरान्त मुस्लिम कब्रिस्तान में बदल दिया गया था, अब हम एक के
बाद एक आधिकारिक स्रोत यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत करेंगे कि फतेहपुर
सीकरी के अन्य सभी पक्षों के समान ही उस कल्पनातीत मस्जिद के बारे
में भी झूठे वर्णनों से इतिहास किस प्रकार बोझिल हो गया है।

मौलवी मोहम्मद अशरफ हुसैन ने लिखा है कि : "जामा-मस्जिद
नगर की सबसे बड़ी और भव्यतम मस्जिद है, तथा पूर्व की सुन्दरतम
मस्जिदों में उसकी गणना होती है।"[1]

उपर्युक्त वक्तव्य की सूक्ष्म समीक्षा करने की आवश्यकता है। श्री
हुसैन इसे सबसे बड़ी और भव्यतम मस्जिद या भवन बतलाने में गलती

१. 'फतेहपुर सीकरी की मार्गदर्शिका', पृ० ५५-५८।

पर है क्योंकि जो कुछ बड़ा या भव्य है वह तो कब्रिस्तान है, न कि तथाकथित
मस्जिद: इतना ही नहीं, आगे चलकर यह भी प्रदर्शित किया जाएगा कि
भव्यता इसी तथ्य के कारण है कि यह एक पूर्वकालिक हिन्दू मन्दिर था।

फिर श्री हुसैन मध्यकालीन मुस्लिम निश्चयात्मक कथनों की झूठ का
भण्डाफोड़ तब करते हैं, जब कहते हैं कि "यह मस्जिद मक्का स्थित महान्
मस्जिद की यथार्थ अनुकृति कही जाती है किन्तु यह सही नहीं है क्योंकि···
कुछ संरचनात्मक रूप, विशेषकर स्तम्भ शैली में हिन्दू-शैली के रूप समझे
जाते हैं। इस परम्परा का प्रारम्भ मस्जिद के केन्द्रीय तोरणद्वार पर उत्कीर्ण
तिथिवन्य को मिथ्या वर्णित करने से हो गया प्रतीत होता है (शब्दश:···
मक्का स्थित मस्जिद का आदि रूप) जिसका वास्तविक अर्थ यह है कि
इसके आडम्बर-रहित होने के कारण शेख सलीम चिश्ती के लिए निर्मित
मस्जिद के प्रति मस्जिद-ए-हरम की श्रद्धा होनी चाहिए।"

यह ध्यान देने की बात है कि किस प्रकार प्रवंच्य इतिहासकारों, मार्ग-
दर्शकों और सामान्य दर्शकों को यह विश्वास दिलाकर पथभ्रष्ट किया
गया है कि यह भवन मक्का-स्थित मस्जिद की ज्यों की त्यों अनुकृति है,
उसकी सहोदरा है। दूसरी बात यह है कि यह इस तथ्य को भी दर्शाता है
कि स्वयं सरकार के इतिहास लेखकों और पुरातत्वविदों द्वारा उन मुस्लिम
शिलालेखों का कितना मनमाना सदोष अनुवाद किया गया है। तीसरी
ध्यान देने की बात यह है कि स्वयं मुस्लिम वर्णन भी स्वीकार करते हैं कि
किसी भी अन्य मस्जिद से आकृति में समान होने के स्थान पर यह भवन
तो हिन्दू शैली का है। चौथी बात यह है कि उपर्युक्त अवतरण में तथा-
कथित मस्जिद को शेख सलीम चिश्ती के लिए बनाया कहा गया है। इसके
पश्चात् हम उन इतिहास लेखकों के उद्धरण प्रस्तुत करेंगे जो निश्चयपूर्वक
कहते हैं कि या तो यह ज्ञात नहीं है कि किसने और कब इस मस्जिद को
बनाया अथवा शेख सलीम चिश्ती ने ही स्वयं यह मस्जिद निर्मित की थी।
यह उस भयावह, कल्पना-प्रधान, मनचाहे, साम्प्रदायिक लेखन का परि-
चायक उदाहरण है जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर बहुविध,
विद्वत्तापूर्ण ऐतिहासिक और पर्यटक साहित्य में सतत चला आ रहा है।

श्री हुसैन ने आगे कहा है····"मस्जिद-विशेष प्रत्येक दिशा में तीन

प्रमुख द्वार मण्डपों, एक केन्द्रीय गुम्बदयुक्त कक्ष और एक लम्बे स्तम्भ-
युक्त महाकक्ष में विभक्त है। ये महाकक्ष फिर तीन-तीन भागों में उप-
विभक्त हैं। उस आराधना-स्थल के प्रत्येक ओर का भाग छत का भार
धारण कर रहे भारी पत्थर के शहतीरों को टेक दे रहे ऊँचे स्तम्भों से
विभक्त है। प्रत्येक महाकक्ष के छोर पर पाँच कमरों का एक समूह है जो
कदाचित् परिचरों के लिए थे और उनके ऊपर महिलाओं के उपयोग के
लिए जनाना दीर्घाएँ हैं। लम्बे कक्ष को ढकने वाला गुम्बद रंगीन साज-
सज्जा से अत्युत्तम प्रकार में सु-अलंकृत है। यह कक्ष भारत के सर्वाधिक
सुन्दर कक्षों में से है और रंगीन नमूनों से तथा संगमरमर और चमकते
हुए पत्थरों की पच्चीकारी के काम से विशद रूप में सुशोभित है। इस कक्ष
का संगमरमरी फर्श बाद में सन् १६०५ ई० में नवाब कुतुबुद्दीन खाँ
कोकलताश द्वारा बनवाया गया था, जो शेख सलीम चिश्ती का पौत्र
था। केन्द्रीय कक्ष का आला पार्श्व-महाकक्षों के आलों से अधिक अलंकृत
है। मेहराब के चारों ओर सोने के अक्षरों में खुदी हुई कुरान की आयतें
हैं, पार्श्व महाकक्षों का अलंकरण भी अत्यधिक आकर्षक है। मेहराबों का
निचला भाग रंगीन प्राकारों से अलंकृत है, और प्रवेश द्वार के बिल्कुल ठीक
ऊपर एक शिलालेख है जिसमें मस्जिद-रचना की तारीख हिज्री सन् ९७९
(सन् १५७१-७२ ई०) दी हुई है। यह ध्यान रखना रोचक बात है कि
परम्परा के अनुसार इस जामा मस्जिद का निर्माण-श्रेय शेख सलीम चिश्ती
को है, जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसने अपने ही खर्चे पर इसकी
रचना की थी। उस सन्त फकीर के परिवार के इतिहास की 'जवाहर-
ए-फरीदी' नामक पाण्डुलिपि का कहना है कि गुजरात के मुजफ्फर शाह ने
शेख के सामने कसम खाई थी कि यदि उसे उसका साम्राज्य वापस मिलने
में सफलता प्राप्त हुई, तो वह शेख के पास भेंट-स्वरूप पर्याप्त धन
भेजेगा। उसकी वह इच्छा पूर्ण हो जाने पर उसने शेख की सेवा में धन की
पर्याप्त राशि भेजी, जिससे शेख ने सन् १५७१-७२ ई० में उस मस्जिद
का निर्माण-कार्य प्रारम्भ करा दिया। स्थानीय परम्परा प्रबल स्वर से इस
निश्चय-कथन को अस्वीकार करती है कि मस्जिद का निर्माण वास्तव में
अकबर ने ही कराया था। प्रार्थना-भवन के केन्द्रीय तोरण द्वार पर एक

फारसी उत्कीर्ण-लेख है, जिसकी शब्दावली का उद्घोष है कि अकबर के शासनकाल में शेख-उल्-इस्लाम ने मस्जिद को अलंकृत किया था। अब यह अत्यधिक सम्भव है कि यह तथ्य कि शेख सलीम चिश्ती ने अपनी हज-यात्रा से लौटकर आने पर सन् १५६३-६४ ई० में (हिज्री सन् ९७१ में) एक मठ और एक मस्जिद की नींव रखी थी, इस मिथ्या बात का मूल-स्रोत रहा है। बदायूँनी के अनुसार यह मस्जिद अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के लिए पाँच वर्षों की अवधि में बनवाई थी। इस सम्बन्ध में जहाँ-गीर के स्मृतिग्रन्थ में एक अवतरण सबसे महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया है कि "इस मस्जिद के निर्माणार्थ राजकोष से पाँच लाख रुपये खर्च किए गए थे। इस मस्जिद की दीवारें मुँडेरों से युक्त हैं।"[1]

हम अब उपर्युक्त अवतरण का विश्लेषण करेंगे। प्रारम्भ में इसने 'मस्जिद-विशेष' का सन्दर्भ दिया है जिसका अर्थ है कि मुस्लिम परम्परा से सम्पूर्ण स्थान, सम्पूर्ण बरामदे का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, जिनसे 'मस्जिद-विशेष' की संरचना नहीं होती। यह तो केवल एक केन्द्रीय भाग को ही 'मस्जिद-विशेष' मानती है। यह तो बिल्कुल स्वाभाविक ही है क्योंकि एक अति विशाल हिन्दू मन्दिर का प्रांगण अव्यवस्थित रूप में ही एक कब्रिस्तान व मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार के उपयोग और परिवर्तन के कारण कुछ भागों की व्याख्या ठीक न हो पाना अथवा उनका ठीक-ठीक वर्णन, हिसाब न हो पाना अवश्यंभावी ही है।

स्तम्भयुक्त महाकक्ष और ऊँचे स्तम्भ सभी हिन्दू मन्दिरों के आनुषंगिक भाग हैं। वास्तविक, मूल मस्जिदों में खम्भे नहीं होते, जिससे यह भय नहीं रहता कि आँखें मूँदकर नमाज पढ़ते हुए मुस्लिम समूह अपने सम्मुख वाले खम्भों से टकराएँगे। यह एक महत्त्वपूर्ण विवरण है जिसे भारतीय इतिहास का अध्ययन अथवा अनुसन्धान करने वालों को सदैव ध्यान रखना चाहिए। छद्मरूप में मस्जिद प्रतीत होने वाला स्तम्भयुक्त कोई भी भवन, चाहे विश्व में कहीं भी हो, पूर्वकालिक एक मन्दिर या

१. वही, पृष्ठ ५६-६३।

भवन ही माना जाना चाहिए।

"परिचरों के कमरे" संज्ञा तो दुरुपयोग किए गए हिन्दू-मन्दिर के भवन का झूठा मुस्लिम-स्पष्टीकरण है। तथाकथित महिलाओं की दीर्घाएँ उन हिन्दू महिलाओं के उपयोग में आने वाली दीर्घाएँ हो सकती हैं जो धार्मिक प्रवचनों तथा उत्सवों और समारोहों के अवसर पर एकत्र हुआ करती थीं।

अत्युत्तम रंग-रेखांकन, जिससे उस भवन के विभिन्न भागों को अलंकृत किया गया है, तो सामान्य हिन्दू अलंकरण-प्रक्रियाएँ हैं। वे लक्षण और नमूने पूर्णतः हिन्दू ही हैं। यह विवरण भी सिद्ध करता है कि फतेहपुर सीकरी स्थित तथाकथित जामा-मस्जिद विजित और परिवर्तित हिन्दू मन्दिर है।

यह तो स्वतः स्पष्ट है कि सन् १६०६ में कोकलताश द्वारा संगमरमरी फर्श बनवाने की बात भी, फतेहपुर सीकरी के अन्य सम्बन्धित पक्षों की ही भाँति, कपोल-कल्पना है।

तथाकथित मस्जिद पर लगे उत्कीर्णलेख में जब 'अलंकरण' का सन्दर्भ है, तब इतिहासकारों ने उस शब्द की व्याख्या मस्जिद की 'रचना' के रूप में करके भयंकर भूल की है। यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास के खतरनाक और निस्सार आधार को दर्शाता है जो आज विश्व-भर के शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों में पढ़ाया जा रहा है और जिसके सम्बन्ध में गर्व अनुभव किया जाता है।

'जवाहर-ए-फरीदी' शीर्षक मुस्लिम तिथिवृत्त में किए गए इस दावे को, कि शेख सलीम चिश्ती ने तथाकथित मस्जिद को बनवाया था, श्री हुसैन ने ठीक ही ठुकरा दिया है, उसमें अविश्वास किया है। यह विद्यार्थियों और विद्वानों को इस तथ्य के प्रति जाग्रत करने में पर्याप्त ही होना चाहिए कि वह तिथिवृत्त और अन्य मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्त मनगढ़न्त हैं, और उनका कभी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। उन तिथिवृत्त से अथवा अन्य मुस्लिम तिथिवृत्तों से शेख सलीम चिश्ती के जीवन का अनुमान लगाने वाले व्यक्ति को पूर्णतः भ्रमित होना ही होगा।

उत्कीर्ण-लेख में प्रयुक्त 'अलंकृत' शब्द का व्यंग्यार्थ भी ठीक प्रकार

मस्जिद की शोभा बढ़ाने वाले वास्तविक समझना चाहिए। तथाकथित मस्जिद की शोभा बढ़ाने वाले वास्तविक कारीगरी होने कारण उत्कीर्ण-लेख आलंकारिक नमूने सब-के-सब हिन्दू कारीगरी होने कारण उत्कीर्ण-लेख का अभिप्राय यह है कि शेख सलीम चिश्ती ने अपनी उपस्थिति से उस मस्जिद की 'शोभा' बढ़ाई। इस प्रकार यह स्पष्ट द्रष्टव्य है कि आडम्बर-पूर्ण मुस्लिम शिलालेखों का जब समीचीन परीक्षण किया जाता है, तब उनका तत्त्व शून्य ही होता है। सन् १५६३-६४ ई० वर्ष का, जब मक्का से लौटने पर शेख सलीम चिश्ती ने मस्जिद को 'अलंकृत' किया था, केवल इतना ही अर्थ है कि उसने सन् १५६३-६४ ई० में पूर्वकालिक हिन्दू मन्दिर के उस भाग में अपनी प्रार्थना की थी।

स्पष्टतः 'जवाहर-ए-फरीदी' के लेखक द्वारा आविष्कृत सन् १५७१-७२ वर्ष और उत्कीर्ण-लेख में उल्लेखित सन् १५६३-६४ का वर्ष ही वे निस्सार आधार हैं जिन पर शिक्षकों, प्राचार्यों, पुरातत्त्वज्ञों, अनुसंधानकर्ताओं और इतिहास-पुस्तकों के लेखकों ने, फतेहपुर सीकरी की स्थापना के सम्बन्ध में क्लिष्ट कपोल-कल्पनाएँ की हैं। अतः अब उचित समय आ गया है कि इन धर्मान्धतापूर्ण कल्पनाओं पर आधारित सभी पाठ्य-पुस्तकों, अनुसंधान-ग्रंथों और पर्यटक-साहित्य को बिल्कुल ठुकरा दिया जाए, अस्वीकार कर दिया जाए। इसके द्वारा हुई क्षति विकार के समान शिल्पकला के क्षेत्रों में भी प्रविष्ट हो गई है और अब स्थिति यह हो गई है कि शिल्पकला के विद्यार्थी-गण प्राचीन हिन्दू-शिल्पकला को मुस्लिम-शिल्पकला समझने लगे हैं और उस पर आनन्दातिरेक प्रकट करते हैं। साहित्य का क्षेत्र भी झूठे ऐतिहासिक निष्कर्ष के कारण दूषित हो गया है, यह स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि जो कुछ तथ्यतः हिन्दू शिल्पकला है, उसी के आधार पर कवियों और लेखकों ने 'मुस्लिम' शिल्पकला की प्रशंसा, सराहना की है।

श्री हुसैन जहाँगीर के स्मृतिग्रन्थों को महत्त्वपूर्ण स्रोत इसलिए मानने के कारण गलती पर हैं कि इसमें तथाकथित मस्जिद के लिए रु० ५,००,००० व्यय करने का उल्लेख किया गया है। सर एच० एम० इलियट ने पहले ही प्रकट कर दिया है कि जिनको जहाँगीर के स्मृति-ग्रन्थ कहा जाता है, वे किस प्रकार किसी कल्पनाशील और निकृष्ट कोटि के चाटुकार की मनमौजी, मनगढ़न्त बातें हैं। सर एच० एम० इलियट के बहुविधि अनुमान का समर्थन

हम श्री हुसैन द्वारा दिए गए उक्त विवरण में भी पाते हैं। अकबर के शासन-काल के वर्णन कम-से-कम तीन सुप्रसिद्ध दरबारी तिथिवृत्त लेखकों द्वारा लिखे गए हैं। यदि अकबर अथवा उसके तथाकथित गुरु सलीम चिश्ती ने उस तथाकथित मस्जिद को बनवाया होता, तो उन लोगों ने इसका विस्तृत विवरण लिखा होता जिसमें, इस कार्य को आरम्भ करने की तारीख, पूर्णता की तारीख, रूपरेखांकनकार और लागत दी होती। स्पष्ट है कि उन लोगों ने ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है। दूसरा विश्वसनीय स्रोत 'जवाहर-ए-फरीदी' होनी चाहिए थी, जो शेख सलीम चिश्ती के परिवार की तिथि-क्रमागत घटना-संहिता कही जाती है। जब श्री हुसैन को इन तीन-चार प्रत्यक्ष स्रोतों, साधनों को छोड़कर एक पीढ़ी पीछे लिखे गए जहाँगीर के स्मृतिग्रन्थ जैसे अप्रत्यक्ष स्रोतों का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा है, तब कोई भी निष्पक्ष विवेकशील इतिहासकार यह सूक्ष्म-निरीक्षण कर सकता है कि जहाँगीर के स्मृतिग्रन्थ में किस प्रकार दैनन्दिन घटनाक्रम के नाम पर पश्चात्-लेखन में लेखक ने अपनी इच्छानुसार अपनी लेखनी से काल्पनिक-आँकड़े इत्यादि भर दिए हैं।

प्रसंगवश, उपर्युक्त लघु विवेचन यह भी प्रदर्शित करता है कि अकबर के अपने ही दरबारियों द्वारा लिखे गए उसके शासनकाल के तीन तिथिवृत्त, शेख सलीम चिश्ती परिवार का तिथिवृत्त और जहाँगीर के स्मृतिग्रन्थ, सब के सब पूरी तरह अविश्वसनीय और मनगढ़न्त वर्णन हैं। जब ये पाँच सहज नमूने ऐतिहासिक कल्पना-प्रधान ग्रन्थ सिद्ध होते हैं, तब इस पर विशेष बल देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि कम-से-कम मध्यकालीन भारत के और कदाचित् विश्व के अन्य भागों के प्रत्येक मुस्लिम तिथिवृत्त को सर्वाधिक खतरनाक और भ्रामक ऐतिहासिक आधार-सामग्री समझना चाहिए। उनमें समाविष्ट किसी भी घटना, वक्तव्य, तारीख, विवरण, दूरी, स्थिति, अवस्था अथवा दावे को ज्यों-का-त्यों तब तक स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए जब तक कि उसकी पुष्टि अन्य स्रोतों से न हो जाए। इस तथ्य की अनुभूति बहुत पहले ही महान् ब्रिटिश इतिहासकार सर एच० एम० इलियट ने कर ली थी और उन्होंने अपनी स्मरणीय उपलब्धि को स्पष्ट शब्दों में यह कहकर व्यक्त किया था कि भारत में मुस्लिम-काल का

इतिहास 'जानबूझ कर किया गया रोचक धोखा है।'

हमने श्री हुसैन के जिस अवतरण को उद्धृत किया है, उसका अन्तिम वाक्य "इस मस्जिद की दीवारें ऊँची मुंडेरों से युक्त हैं" भी इस बात का अतिरिक्त प्रमाण है कि तथाकथित मस्जिद एक पूर्वकालिक मन्दिर है जो हिन्दू राजमहल-संकुल का एक भाग था। किसी फकीर द्वारा अथवा उसी के हेतु निर्मित किसी मस्जिद में ऊँची मुंडेरों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

एक अन्य लेखक श्री बी० डी० सॉंवल लिखते हैं—"कहा जाता है कि यह (जामा-मस्जिद) मक्का-स्थित जामा मस्जिद के नमूने पर बनाई गई थी, किन्तु बात ऐसी नहीं है। यह मस्जिद नमूने और कृति में विशिष्टतया भारतीय है। यह, मुख्य मेहराब पर उत्कीर्ण फारसी अंश के अनुसार सन् १५७१ ई० में बनी थी। मस्जिद की सभी दीवारों पर संगमरमर की पच्चीकारी और चित्रकारी सुशोभित है। ऐसा अलंकरण भारतीय कारीगरी की विशिष्टता है। दक्षिण भारतीय मन्दिर इस अभिरुचि के सजीव उदाहरण हैं।"[1]

श्री सॉंवल सत्य के अत्यधिक निकट आ गए हैं किन्तु फतेहपुर सीकरी का निर्माण-श्रेय अकबर को देने वाले कपट-प्रबन्धों की बाह्य-प्राचीर को भेद कर उसमें पैठ करने में स्पष्टतः असफल हैं।

उन्होंने वहाँ पर 'भारतीय' शब्द का प्रयोग किया है जहाँ उनको कहना चाहिए था कि तथाकथित मस्जिद 'नमूने और निर्माण में विशिष्टतया हिन्दू है।' श्री सॉंवल यह तथ्य खोज निकालने में सही हैं कि इस तथाकथित मस्जिद की शोभा-अलंकृति दक्षिण भारतीय मन्दिरों की शोभा-अलंकृति के समान ही है। इससे प्रसंगवश यह भी सिद्ध होता है कि उत्तर भारतीय मन्दिरों और दक्षिण भारतीय मन्दिरों की शोभा-अलंकृति समान है। श्री सॉंवल यह इंगित करने में भी सही हैं कि इस प्रकार का अलंकरण किसी मौलिक, वास्तविक मुस्लिम मस्जिद में नहीं होता।

अन्य इतिहासकारों के समान ही, एक विजित हिन्दू मन्दिर पर मुस्लिम

१. 'आगरा और इसके स्मारक', पृष्ठ ६२।

पश्चात्-लेखन से श्री सॉंवल भी भ्रम में पड़ गए हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि सम्बद्ध उत्कीर्ण-लेख में अलंकरण का उल्लेख है, संरचना का नहीं। और चूंकि मस्जिद के रूप में उपयोग में लाए गए भवन में ऐसा अलंकरण करना इस्लाम द्वारा निषिद्ध है, अतः शेख सलीम चिश्ती जैसा कोई फकीर मस्जिद के रूप में उपयोग में लाए गए भवन में कोई अलंकरण बढ़ाएगा नहीं। यह सिद्ध करता है कि तथाकथित मस्जिद की दीवारों और भीतरी छतों पर सज्जाकारी नमूने हिन्दू मूल के हैं। इसलिए जब मुस्लिम उत्कीर्ण-लेख कहता है कि शेख सलीम चिश्ती ने मस्जिद को अलंकृत किया, तब या तो यह अर्थहीन है, या उस प्रकार की निष्प्रयोजन उत्कृति है जिस प्रकार भ्रमणीय स्थलों पर मनमौजी लोग अपने नाम लिख दिया करते हैं अथवा इसका अधिक-से-अधिक अर्थ यही है कि शेख सलीम चिश्ती ने अपनी उपस्थिति से इस मस्जिद की शोभावृद्धि की थी। शिलालेख में उल्लेखित सन् १५७१ का अर्थ यदि कोई है तो यही कि फतेहपुर सीकरी-स्थित पूर्वकालिक राजकीय हिन्दू मन्दिर सन् १५७१ ई० में मुस्लिमों द्वारा ऊपर की लिखाई करने से विरूप और अपवित्र किया गया था। फतेहपुर सीकरी के भवनों पर तथा समस्त विश्व के किसी भी छोर पर प्राप्त अन्य मुस्लिम शिलालेखों में उल्लेखित तारीखों को, यदि कुछ मानना ही है, तो कुलेखन की तारीख का साक्ष्य-मात्र ही मानना चाहिए। उन शिलालेखों में किए गए अन्य दावों को प्रारम्भ में ही ठुकरा दिया जाना चाहिए और उनको तब तक असत्य ही मानना चाहिए जब तक कि अन्य प्रबल साक्ष्यों द्वारा उनका समर्थन न होता हो।

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शेख सलीम चिश्ती की तथाकथित मस्जिद के प्रसंग में तो श्री ई० डब्ल्यू० स्मिथ को भी (पृष्ठ १६, भाग ३) १०वीं और ११वीं शताब्दियों के दक्षिण भारतीय मन्दिरों का स्मरण हो आया था। चूंकि यह मकबरा और तथाकथित मस्जिद (जामा मस्जिद) एक दूसरे के अत्यन्त सदृश हैं या, जैसा श्री सॉंवल एवं श्री ई० डब्ल्यू० स्मिथ ने क्रमशः प्रेक्षण किया है, दोनों ही दक्षिण भारतीय मन्दिरों जैसे शृंगारपूर्ण हैं, स्पष्ट है कि हिन्दू कला चाहे वह उत्तर की हो अथवा दक्षिण की, समान है। इससे यह अन्य अन्वीक्षात्मक निष्कर्ष भी निकलता है कि फतेहपुर

११वीं शताब्दी में निर्मित
सीकरी इसके हिन्दू शासकों द्वारा १०वीं अथवा
हुई हो। उसका अर्थ यह है कि स्वयं अकबर के युग में भी फतेहपुर सीकरी
के राजमहल-संकुल कम-से-कम उससे ५०० वर्ष पूर्व के उसी प्रकार रहे
होंगे, जैसे हम आज अपने ही युग में, भूल-से, विश्वास करते हैं कि यह
निर्माण-कार्य अब से ४०० वर्ष पूर्व अकबर के युग में हुआ था।
श्री ई० डब्ल्यू० स्मिथ ने ऊँचे बुलन्द दरवाजे का वर्णन करते हुए
प्रेक्षण किया है—"यह मुख्य द्वार बुर्ज के स्थान पर है, फतेहपुर सीकरी
की मस्जिदों में से किसी में भी ऐसा नहीं है।"[1] यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण
बात है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रष्ट इतिहास पुस्तकों, पुरातत्वीय
वर्णनों और पर्यटक साहित्य द्वारा पीढ़ियों से सिखाए और मस्तिष्क-
दिग्भ्रम किए जाने के कारण स्वयं श्री स्मिथ ही इसका महत्त्व भूल गए हैं।
यह तथ्य कि फतेहपुर सीकरी-स्थित किसी भी तथाकथित मस्जिद में एक
भी बुर्ज नहीं है, इस बात का अतिप्रबल प्रमाण है कि वे मौलिक मस्जिदें
न होकर केवल अपहृत हिन्दू मन्दिर और भवन हैं। प्रसंगवश, यह भी
सिद्ध हो जाता है कि अकबर और सलीम चिश्ती ने अपने जीवनकाल में
एक भी ईंट या पत्थर दूसरी ईंट या पत्थर पर नहीं रखा। यदि उन्होंने
किसी निर्माण-कार्य को प्रारम्भ किया होता, तो उन्होंने सर्वप्रथम उन हिन्दू
भवनों में बुर्ज जोड़ने का ही काम किया होता, जिनको उन्होंने तथा उनके
अनुयायियों ने मस्जिदों के रूप में उपयोग में लाना प्रारम्भ कर दिया था।

हिन्दुओं की प्रत्येक वस्तु को, चाहे वे हिन्दू मनुष्य हों अथवा हिन्दू
भवन, परिवर्तित करने की मुस्लिम प्रवृत्ति इतिहास लेखक विन्सेंट स्मिथ
के एक विशिष्ट प्रेक्षण से स्पष्टतः प्रदर्शित की जा सकती है। अकबर के
दरबार के बारे में लिखते हुए वह कहता है: "दरबार में अनेक संगीतज्ञ थे।
यह तथ्य कि उन नामों में से अनेक हिन्दू हैं जिनके साथ 'खान' उपाधि
जुड़ी हुई है, प्रदर्शित करता है कि मुसलमानी दरबार के व्यावसायिक
कलाकारों को यह प्रायः सुविधाजनक तथा लाभकारी होता था कि वे
इस्लाम के समरूप हो जाएँ।"

१. 'फतेहपुर सीकरी की मुगल स्थापत्यकला', भाग ४, पृष्ठ ४-५।

मुस्लिम इतिहास लेखक फरिश्ता ने कहा है: "इस (सन् १५७६ ई०)
वर्ष अकबर अजमेर गया और उसने कुम्बलमीर के विरुद्ध शाहबाज खान
कम्बू को नियुक्त किया। अकबर फतेहपुर सीकरी लौट आया। फतेहपुर
की महान् मस्जिद को उसी वर्ष पूर्ण किया गया था।" इस प्रकार हमें एक
और मुस्लिम इतिहासकार मिले हैं जो निश्चयपूर्वक अपनी ही स्वकल्पित
तारीख को फतेहपुर सीकरी की उस महान् मस्जिद के पूर्ण होने की तारीख
घोषित करते हैं। यहाँ भी यह ध्यान रखना चाहिए कि भवन के निर्माण
की तारीख, व्यय किए गए खर्च की राशि, किसने इसे दिया, रूपरेखांकन-
कार कौन था और यदि वह कोई मुस्लिम रूपरेखांकनकार ही था तो उसने
इस मुस्लिम मस्जिद को हिन्दू शैली में क्यों बनाया इत्यादि बिना बताए
ही वह मस्जिद का पूर्ण-निर्माण हो जाना घोषित करता है। स्पष्ट है कि
मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सम्बन्ध में लिखने वाले और सिखाने वाले
दोनों ने ही ऐसी जिज्ञासा भरी प्रश्नावली उनके सम्मुख रखी नहीं है, वे
उसमें असफल रहे हैं। वे उन घोषणाओं का सत्यान्वेषण करने में विफल
रहे है। परिणाम यह हुआ है कि भारतीय मध्यकालीन इतिहास और हिन्दू
शिल्पकला के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विश्व ही दिग्भ्रमित हुआ है।

अविश्वसनीय और मन्द मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्तलेखन का एक
नमूना बदायूँनी की इस टिप्पणी से मिल सकता है: "हिज्री सन् ९७१ में,
मक्का से वापस आने पर शेख-उल-इस्लाम फतेहपुरी चिश्ती ने एक नये
मठ के भवन की नींव रखी थी, उसके समान दूसरा भवन संसार में नहीं
दिखाया जा सकता।"[1]

मुस्लिम तिथिवृत्तों में प्रयुक्त 'नींव रखी थी' शब्दावली का असन्दिग्ध
अर्थ यह है कि एक हिन्दू भवन को मुस्लिम उपयोग के लिए हथिया लिया
गया था। इसलिए बदायूँनी के कहने का पूरा अभिप्राय यह है कि हिज्री
सन् ९७१ में, मक्का से वापस आने पर, शेख-उल्-इस्लाम फतेहपुरी चिश्ती
ने एक हिन्दू भवन को एक मठ के रूप में उपयोग में लाना प्रारम्भ कर दिया
था। यह वाक्यांश कि यह भवन बदायूँनी के धर्मार्थ संकुचित कल्पनाक्षेत्र में

१. मुन्तखाबुत तवारीख, खण्ड २, पृष्ठ ७२।

करता है कि कदाचित् वह फतेहपुर सीकरी-
अद्वितीय, असमान है प्रदर्शित ओर संकेत कर रहा है। यदि यह बात
स्थित तथाकथित जामा मस्जिद की जाता है कि इसे सलीम चिश्ती द्वारा
है और गम्भीरतापूर्वक दावा किया रूपरेखांकनकार और लागत के सम्बन्ध में
ही बनवाया गया था, तो इसके ? उसका रूपरेखांकन हिन्दू क्यों है ?
अन्य महत्त्वपूर्ण विवरण लुप्त क्यों है लगे थे ? बदायूंनी की शब्दावली का
इस भवन को पूर्ण होने में कितने वर्ष मुस्लिम आराधना की नींव रखी गई थी
अर्थ है कि एक हिन्दू भवन में उस भवन में अल्लाह का आह्वान करना प्रारम्भ
अर्थात् मुस्लिम लोगों ने अपने देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का पूजन
कर दिया जिसमें हिन्दू लोग
किया करते थे।

बदायूंनी इस प्रकार के कपट-लेखन में सिद्धहस्त है। क्योंकि वह
घटनाओं और आँकड़ों की मनगढ़न्त सृष्टि करने में लगा रहता था, इस-
लिए वह सभी भवनों की निर्माणावधि 'पाँच वर्ष' उल्लेख करते हुए प्राय:
मिल जाता है, चाहे वह भवन एक नगर हो, एक किला, एक मस्जिद या
राजमहल। जब कभी हिन्दू भवनों पर अकबर की ओर से झूठा दावा
किया जाता है, तभी उसकी लेखनी से पाँच वर्ष की प्रिय अवधि का अंक
टपक पड़ता है। उदाहरणस्वरूप हम उसका यह प्रेक्षण प्रस्तुत करते हैं कि,
"अकबर ने सीकरी पहाड़ी पर शेख सलीम चिश्ती के मठ और प्राचीन
आराधना-स्थल तथा पत्थर की एक ऊँची और विशाल मस्जिद के पास
एक [illegible] राजमहल बनवाया था। लगभग पाँच वर्ष की अवधि में इस
भवन का पूरा निर्माण हुआ था और उसने इस स्थान को फथपुर नाम से
पुकारा तथा एक बाजार, एक स्नानघर और एक दरवाजा बनवाया। सभी
अमीरों ने [illegible] और ऊँचे राजमहल बनवाए। लेखक को पूर्ण राजमहल,
मन्दिर, आराधना-स्थलादि के प्रारम्भ होने की तारीख हिज्री सन् ९७६
मिली।"[1] यह बात अतिशयोक्तिपूर्ण और धर्मान्ध-निरर्थकता है कि एक
नगर की परिकल्पना और उसका पूर्ण-निर्माण केवल पाँच वर्ष में हो गया।
पूर्व कल्पना के बिना ही रचित यह अरेबियन-नाइट्स ग्रन्थ से भी अधिक

1. मुन्तखाबुत तवारीख, खण्ड २, पृष्ठ ७३।

विचित्र, रहस्यमय प्रतीत होता है। जब बदायूंनी ने यह कहा कि उसे हिज्री सन् ९७६ की तारीख 'मिली', तब उसने कल्पित-कथा का एक सूत्र प्रकट कर दिया चूँकि वह फतेहपुर सीकरी में अकबर के दरबार का एक दरबारी था इसलिए उसे तारीख ढूँढ़ने और उसके मिल जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसने और अन्य मुस्लिम तिथिवृत्त लेखकों ने विश्व को यह विश्वास दिलाया है कि अकबर ही वह व्यक्ति था जिसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। यदि यही बात थी तो बदायूंनी को कहना चाहिए था कि उसने नींव-स्थापन व समापन-समारोहों आदि में स्वयं उपस्थित होकर तथा भिन्न-भिन्न समय पर भवनों का निरीक्षण कर अथवा कम से कम उनका क्रमिक निर्माण देखकर स्वयं अपनी जानकारी के आधार पर यह तारीख लिखी है। उल्लेख योग्य एक अन्य बात यह है कि बदायूंनी जैसे दरबारी तिथिवृत्त लेखक ने सम्पूर्ण नगर की स्थापना और निर्माण जैसा विवरण पाँच-छ: पंक्तियों में ही समाप्त कर दिया है। क्या यह इस बात का द्योतक नहीं है कि इस विवरण में यह तथ्य छद्म-रूप से प्रच्छन्न है कि अकबर ने अपना घर-बार एक प्राचीन हिन्दू राजधानी में स्थानान्तरित ही किया था।

चूँकि धर्मान्ध मुस्लिम लेखकों को यह बात इस्लामी-घमण्ड और उनके 'प्रतापी' बादशाहों की झूठी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल निन्दात्मक लगती थी कि उनके इस्लामी-दरबार पुराने, विजित हिन्दू 'काफिराना' भवनों में लगें, इसलिए अबुल फजल और बदायूंनी जैसे लेखकों ने झूठे, मनगढ़ंत वर्णन लिख-कर तथ्यों को छद्म-रूप देने का कार्य प्रारम्भ कर दिया। और चूँकि ऐसी मन-बोझिल गढ़न्त बातें उनकी पापिष्ठ आत्मा पर भी अत्यधिक होती थीं, इसलिए सम्पूर्ण नगरों के काल्पनिक-निर्माण को केवल कुछ अस्पष्ट, असंगत, दुर्बोध पंक्तियों में वर्णित करने का कलंक अपने माथे पर लगाना ही था। ऐसे अनेक प्रसंगों को हम इस पुस्तक में अनेक स्थलों पर उद्धृत कर चुके हैं।

वह तथाकथित मस्जिद जिसे एकदम निश्चय-पूर्वक मक्का की मस्जिद के नमूने पर बनी कहा जाता है, सूक्ष्म-निरीक्षण करने पर किसी भी दक्षिण-भारतीय नमूने के मन्दिर से कम नहीं निकलती है। इस प्रकार मध्यकालीन इतिहास और शिल्पकला के अधिकांश मामलों में मुसलमानों को झूठा यश प्रदान करने के लिए सत्य को बिल्कुल ही उल्टा प्रस्तुत किया गया है।

१४

बुलन्द दरवाजा

फतेहपुर सीकरी की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि इसका अत्युच्च द्वार है जो बुलन्द दरवाजा कहलाता है।

यह "अपने सामने की धरती से लगभग १७६ फीट ऊंचा और सामने ही बनी पटरी से १३४ फीट ऊंचा है। यह द्वार भारत में सबसे ऊंचा और विश्व के सर्वोच्च द्वारों में से एक है।"[1]

श्री हुसैन ने यह गलत लिखा है कि "यह दरवाजा मूल नमूने का कोई भाग नहीं है। यह तो उस(अकबर) की दक्खन-विजय की स्मृति में मस्जिद के निर्माणोपरान्त बना था। तथ्य तो यह है कि यह सन् १५७५-७६ ई० में बना था और केन्द्रीय द्वार की दिशा में दिया गया सन् १६०१-०२ ई० (हिज्री सन् १०१०) स्पष्टत: अकबर की दक्खन-चढ़ाई के पश्चात् फतेहपुर सीकरी की वापसी का संकेतक है, बुलन्द दरवाजा पूर्णत, निर्मित हो जाने का नहीं।"

सर्वप्रथम यह अनुभव अवश्य स्मृति में रहना चाहिए कि इसे चाहे किसी ने भी बनाया हो, किसी बादशाह की नित्य परिवर्तनशील चित्तवृत्ति के अनुसार ही किसी जोड़-तोड़ की राजनीति के अनुसार फतेहपुरी सीकरी का निर्माण नहीं हुआ था। यह एक पूर्ण, संश्लिष्ट जल-व्यवस्था से सन्नद्ध परमोत्कृष्ट इकाई के रूप में सुनियोजित नगर है। इस प्रकार, यह बुलन्द दरवाजा मौलिक नमूने का अविभाज्य अंग है, किसी पश्चात् विचार का परिणाम नहीं।

१. 'फतेहपुर सीकरी की मार्गदर्शिका', पृष्ठ ५५-२६।

फतेहपुर सीकरी का निर्माण-श्रेय अकबर को देने वाले लोगों के समक्ष फतेहपुर सीकरी के विभिन्न भवनों पर अकबर के अथवा अन्य मुस्लिम बादशाहों के संगतराशों द्वारा उत्कीर्ण निरर्थक तथा असंगत तारीखें समस्या बनकर उपस्थित हो जाती हैं। उन भवनों पर लिखी तारीखों के अकबर के आदेशों पर उन भवनों की निर्माण-तिथि का साक्ष्य मानकर इतिहास लेखकों ने भयंकर भूलें की हैं। ऐसे इतिहास लेखकों को यह अनुभूति होनी ही चाहिए कि इन उत्कीर्ण-लेखों में भवन-निर्माण का दावा करने का भाव प्राय: नहीं रहता। इसका अर्थ यह है कि ये तारीखें उस काल की ओर इंगित करती हैं जब एक पूर्वकालिक हिन्दू भवन पर पुनर्लेखन का कार्य मुस्लिमों द्वारा किया गया था। इस तथ्य का स्पष्ट-दिग्दर्शन बुलन्द दरवाजे पर उत्कीर्णित दो अति असंगत विभिन्न तारीखों से सिद्ध होता है। चूंकि अकबर का राज्यकाल अपने निकटवर्ती रजवाड़ों के विरुद्ध आक्रामक चढ़ाइयों से भरपूर था, अत: एक न एक तारीख तो किसी-न-किसी बड़ी चढ़ाई से मेल खानी निश्चित ही थी। इस प्रकार बुलन्द दरवाजे पर उत्कीर्णित दो मुस्लिम तारीखों में से एक तो गुजरात-विजय के पश्चात् की तारीख निकल आती है और दूसरी दक्खन पर उसकी चढ़ाई के बाद की तारीख होती है।

फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर द्वारा की गई—यह विचार जिन इतिहास लेखकों का है, उनके लिए यह स्पष्टीकरण देना कठिन हो जाता है कि इन दोनों तारीखों में से कौन-सी तारीख बुलन्द दरवाजे के निर्माण से मेल खाती है। अपने तर्क के युक्तियुक्त निष्कर्ष का अनुसरण करते हुए उन्हें यह भी कहना पड़ेगा कि अकबर ने गुजरात-विजय की स्मृति में दरवाजे का एक भाग बनवाया था और उसी पर वह तारीख खुदवा दी थी। किसी ज्योतिषीय अग्रबोध के साथ कदाचित् उसे ज्ञान हुआ कि वह दरवाजे का शेष भाग कुछ दशाब्द बाद तब पूर्ण करेगा जब वह दक्खन पर एक और विजय प्राप्त करेगा। फिर अकबर की वह प्रिय काल्पनिक बात पूर्ण हो जाने पर उसने उस बुलन्द दरवाजे का वह भाग भी पूर्ण करा दिया और उस पर तारीख उत्कीर्ण करा दी। आज भारत में प्रचलित ऐतिहासिक-अनुसंधान की परम्परागत अंधानुकरण वाली प्रणालियों के कारण ऐसे ही बेहूदा निष्कर्ष निकलेंगे।

देंगे कि स्मारक का वह स्थान भी, जहाँ
इस सम्बन्ध में हम यह भी बल देंगे कि स्मारक का वह स्थान भी, जहाँ उत्कीर्ण-लेख होता है, महत्त्वपूर्ण है। निर्माणकर्ता सामान्यतः उत्कीर्ण-लेख को किसी केन्द्रीय स्थान पर लगाता है। यदि उसे दो लेख लगाने हैं तो वह उनको एक सामान्य अथवा अन्य किसी युक्तियुक्त क्रम में ही व्यवस्थित करेगा। बुलन्द दरवाजे के आकार, नमूने और ऊँचाई को ध्यान में रखते हुए कहना पड़ेगा कि वहाँ उत्कीर्णित लेख सोचे-विचारे बिना ही अव्यवस्थित रूप में थोप दिए गए हैं। यह लघु विवरण इस तथ्य को प्रकट करता है कि ये शिलालेख किसी मूल-निर्माता का कार्य न होकर किसी अनधिकृत और बलात् प्रवेष्टा की कारस्तानी है।

दूसरी बात जिस पर हम जोर देना चाहेंगे वह यह है कि उत्कीर्णक स्वयं भवन-निर्माण का कोई दावा कभी नहीं करते। उन लोगों ने अत्यधिक ईमानदारी से ही किसी भी निर्माण का दावा करने से स्वयं को दूर रखा है। ऐसी परिस्थितियों में तो, फतेहपुर सीकरी का निर्माण-श्रेय अन्धा-धुंध अकबर को देने में अनुवर्ती इतिहास-लेखकों ने गम्भीर शैक्षिक-अभाव प्रकट करने का अपराध किया है।

ये उत्कीर्ण लेख ऊल-जलूल, असंगत-लेखन प्रकार के हैं जो केवल उन अपहरणकर्ताओं द्वारा ही निस्सृत हो सकते हैं जिनको विजयाधिकार के आधार पर गृहीत भवनों के प्रति कोई आदर-भाव नहीं होता। इसी प्रकाश में बुलन्द दरवाजे पर लगे दोनों उत्कीर्ण-लेखों का अध्ययन करना आवश्यक है। हम पहले ही उद्धृत कर चुके हैं कि वे दोनों उत्कीर्ण-लेख क्या हैं। अतः उनको यहाँ दोहराने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

अन्य अधिकांश मध्यकालीन द्वारों की भाँति बुलंद दरवाजे का मेहराबदार तोरणद्वार भी अर्ध-अष्टकोणात्मक आकार का है। अष्टकोणात्मक भवन और अर्ध-अष्टकोणात्मक मेहराबदार तोरणद्वार हिन्दू शिल्प-कलाकृतियाँ हैं जो यदि अधिक पूर्वकालिक नहीं, तो कम से कम रामायणकालीन तो हैं ही।

"बुलन्द मेहराब में तीन द्वार बने हुए हैं, जिनमें मध्यवर्ती द्वार सबसे

१. 'फतेहपुर सीकरी की मार्गदर्शिका', पृष्ठ ५६।

बड़ा है।" यह मुख्य प्रवेशद्वार है तथा नाल-दरवाजा कहलाता है क्योंकि इसके लकड़ी के द्वार पट्ट अश्व नालों से जड़े हुए हैं।

राजपूत लोग अपनी शौर्यपूर्ण युद्ध-परम्परा में, समरांगण में उल्लेखयोग्य विशिष्ट कर्तव प्रदर्शित करने वाले घोड़ों की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उन घोड़ों की मूर्तियाँ बनवाया करते थे और राजपूती नगरियों, दुर्गों व गढ़-सेना स्थलों के लकड़ी के द्वारों पर उन घोड़ों की नालों को सुरक्षित लटकाया करते थे। अनेक बार, महान् राजपूत शासकों—राजाओं, महाराजाओं, राणाओं—के अश्वों की नालें चाँदी की हुआ करती थीं। अकबर से शताब्दियों पूर्व काल की फतेहपुर सीकरी की हिन्दू राजधानी से अनेक युद्धों में सहसा आक्रमण करने वाले बहादुर राजपूत अश्वारोहियों से सम्बन्ध रखने वाले अनेक अश्वों की ऐसी अनेक नालें फतेहपुर सीकरी के बुलन्द दरवाजे की शोभा बढ़ाती हुई अभी भी देखी जा सकती हैं। वे नालें मुस्लिम घोड़ों से सम्बन्ध नहीं रखतीं क्योंकि इस्लाम में किसी भी मानव अथवा पशु का स्मारक चिह्न निर्मित करना धार्मिक-निषेध है। श्री हुसैन द्वारा उल्लेख की गई परम्परा के अनुसार फतेहपुर सीकरी के दरवाजे पर कुछ चाँदी की नालें भी थीं। वे तो स्पष्टतः मुस्लिम आधिपत्य के कालखण्ड में चुरा ली गई थीं।

राजपूतों की दूसरी अर्थात् विशिष्ट अश्वों की मूर्तियाँ बनाने की परम्परा आगरा-स्थित लालकिले में तथा राजस्थान के अनेक स्थानों में उपलब्ध ऐसी मूर्तियों के अस्तित्व से स्पष्ट है।

कब्जा करने वाले मुस्लिमों द्वारा फतेहपुर सीकरी में उत्कीर्ण की गई असंख्य असंगत तारीखों और ऐसे लक्षणों से सन्तोषप्रद समाधान प्रस्तुत न कर सकने वाले इतिहास लेखकों को उन शैक्षिक अद्भुत-स्थितियों तथा कलाबाजियों में विवश होकर संलग्न होना पड़ता है जिनमें कहा गया है कि अकबर ने सर्वप्रथम अनियमित रूप से कुछ भवन-निर्माण कराये, फिर उनको गिरवाया और तत्पश्चात् कुछ अन्यों की रचना करवाई। ऐसे तार्किक तोड़-मरोड़ तथा विकृतियाँ होने पर भी, वे इस योग्य नहीं हो पाये हैं कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की कल्पनातीत स्थापना करने का एक युक्तियुक्त और संगत, निर्विवादेय और सर्व-स्वीकृत वर्णन, लेखा

प्रस्तुत करें क्योंकि उनकी यह मूल-धारणा ही अनुचित, अयुक्तियुक्त, असत्य है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी।

इस द्वार के मूल के सम्बन्ध में मिथ्या और काल्पनिक धारणाओं को विन्सेण्ट स्मिथ के इस प्रेक्षण में स्पष्टतया प्रस्तुत किया गया है कि "बुलन्द दरवाजा सन् १५७५-७६ ई० में पूर्ण हो गया था और पूर्ण सम्भावना है··· विश्वास किया जाता है कि सन् १५७३ ई० में गुजरात-विजय के स्मारक के रूप में इसकी रचना की गई थी। सामान्यतया यह विश्वास किया जाता है कि सन् १६०१-०२ में बना था क्योंकि इसके एक रोचक उत्कीर्ण-लेख में दक्खन-युद्ध के पश्चात् अकबर की यशस्वी वापसी की यही तारीख दी गई है किन्तु द्वार सम्भवतः उस वर्ष का नहीं हो सकता। अकबर ने सन् १५८५ ई० से फतेहपुर सीकरी में रहना समाप्त कर दिया था जब वह उत्तर की ओर गया था जहाँ वह स्वयं १३ वर्ष रहा था। सन् १६०१ ई० में वह एक अत्यन्त अल्पकालिक यात्रा पर (फतेहपुर सीकरी) आया था और वहाँ अपनी तात्कालिक विजय को लिखवाने के लिए एक पूर्व स्मारक का उपयोग किया था। उसके उत्कीर्णक और निपुण संगतराश उसके शिविर में सदैव तत्पर रहा करते थे और उसके आदेशों का पालन पूर्ण द्रुत-गति से किया करते थे। फतेहपुर सीकरी सन् १६०४ ई० में उजड़ गई थी और विध्वंस हो गई। यह सन् १६०१ में ही बहुत बुरी हालत में थी। उस समय, बादशाह ने बुलन्द दरवाजे के समरूप अतिव्ययशील भवन-निर्माण, उसी स्थान पर, करने का कभी विचार नहीं किया हो सकता था।"[1]

ये स्मरणीय शब्द हैं। विन्सेण्ट स्मिथ यह निष्कर्ष निकालने में बिलकुल सही है कि दक्खन-चढ़ाई वाला उत्कीर्ण-लेख पूर्व-विद्यमान बुलन्द दरवाजे पर उत्कीर्ण कर दिया गया है, और यह किसी भी प्रकार उसकी रचना का द्योतक नहीं है। किन्तु स्मिथ का यह विश्वास पूर्णतः अनुचित है कि अकबर की गुजरात-विजय के उपलक्ष में ही इसका निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया होगा। अकबर ने तो गुजरात-विजय वाला शिलालेख भी उस बुलन्द दरवाजे पर गड़वा दिया है जो उससे शताब्दियों पूर्व से विद्यमान था। अकबर और अन्य मुस्लिम-शासकों के पास संगतराशों की एक फौज थी जो विजित हिन्दू भवनों को मुस्लिम-उत्कीर्ण लेखों से युक्त कर दिया करती थी, जैसा विन्सेण्ट स्मिथ के उपर्युक्त प्रेक्षण से स्पष्ट है कि विश्व भर के भवनों पर उत्कीर्ण अरबी, फारसी और उर्दू अक्षरों की सावधानी एवं संशय से सूक्ष्म-विवेचना करनी चाहिए। अधिकांश मामलों में ज्ञात यही होगा कि यद्यपि उत्कीर्ण-लेखों में पूर्व-निर्मित भवनों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है, तथापि इतिहासकारों ने उन शिलालेखों का सम्बन्ध उन भवनों आदि से जोड़ दिया है जिन पर वे शिलालेख लगे हुए हैं। कई बार, यदि उन शिलालेखों में भवनों पर दावे भी किये गये हों, तो भी उनको ज्यों का ज्यों स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। यदि उन दावों की उद्यमपूर्वक और सतर्कतापूर्ण सूक्ष्म परीक्षा की जाए, तो वे सब निराधार ही पाए जायेंगे।

१. 'अकबर-दी ग्रेट मुगल', पृष्ठ ७६।

१५

संश्लिष्ट जल-व्यवस्था

अकबर से शताब्दियों पूर्व फतेहपुर सीकरी की स्थापना करते समय इसके हिन्दू संस्थापकों ने एक संश्लिष्ट और श्रमसाध्य जलकल-गृह की भी व्यवस्था की थी। मुस्लिम लोगों की रेगिस्तानी परम्परा होने के कारण जल-कल ज्ञानोपलब्धि में कोई उल्लेख योग्य स्तर प्राप्त कर पाने के लिए उनको कोई साधन, अभ्यास, अभिरुचि या अवसर प्राप्त नहीं थे। नौ सौ वर्ष पूर्व भारत पर आक्रमण करने वाले महमूद गजनी के समय भारत के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट करने वाले इतिहासकार ने बताया है कि भारत के नदी-घाटों तथा तटों पर बने भव्य अत्युच्च मन्दिर को ही देखकर मुस्लिम आक्रमणकारी किस प्रकार आँखें फाड़कर देखते के देखते रह गये थे।

यह एकाकी तथ्य ही विवेकशील और सतर्क विद्वानों को यह बात मनवाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था कि सभी मध्यकालीन भवन, दुर्ग, राजमहल आदि, चाहे उनमें से कुछ आज मस्जिदों और मकबरों के छद्म-रूप में ही है, सविस्तार श्रमसाध्य जल-कलों, पानी गरम करने की व्यवस्थाओं, संश्लिष्ट जल-प्रवाहिका नालियों व झरनों से युक्त होने के कारण सभी हिन्दू मूलक है। पर्याप्त समय तक मुस्लिम आधिपत्य में रहने के कारण चाटुकारिता से पूर्ण मुस्लिम वर्णनों में उनका इस्लामी-मूल और स्वामित्व उल्लेख करने से इन संरचनाओं का निर्माण-श्रेय इस या उस सुलतान को दे दिया गया।

सम्पूर्ण नगर में सर्वप्रथम विशाल जल-भण्डार की व्यवस्था करनी

थी। इस प्रकार की एक कृत्रिम झील प्राचीन भारत के श्रेष्ठ योजनाकारों ने बनाई थी, जिन्होंने तीसरी पीढ़ी के मुगल बादशाह अकबर से शताब्दियों पूर्व उस क्षेत्र के हिन्दू शासनकर्ताओं की राजधानी के रूप में फतेहपुर सीकरी की योजना बनाई थी। अकबर के पितामह बाबर ने अपने स्मृति-ग्रन्थ में यह उल्लेख करके उस झील (जल-भण्डार) का सन्दर्भ प्रस्तुत किया है कि सन् १५२७ ई० में राणा सांगा से युद्ध करने से पूर्व अपने शिविर के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में उसने फतेहपुर सीकरी झील के पार्श्व में ही स्थान चुन लिया ताकि सैनिकों और पशुओं के लिए पर्याप्त जल सदैव उपलब्ध रहे।

उस विशाल झील के सम्बन्ध में स्वयं अकबर के पितामह द्वारा ऐसा असंदिग्ध उल्लेख होने पर भी, भयंकर भूल करने वाले आधुनिक इतिहास लेखक अन्धानुकरण करते हुए उस महान् झील का रचना-श्रेय अकबर को ही देते हैं। ऐसा ही एक निश्चयात्मक कथन-विशेष डाक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव की पुस्तक में मिलता है जिसमें कहा गया है कि, "अकबर ने फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के मकबरे की उत्तर दिशा में एक विस्तृत जल-भण्डार बनवाया था। यह कार्य एक ऊँचा और सुदृढ़ तटबन्ध बनाकर किया गया था। २८ जुलाई सन् १५८२ ई० को वह तटबन्ध ढह गया और तालाब (झील) टूट पड़ा। इसमें केवल एक आदमी की जान गई।"

ऊपर दी गई कुछ पंक्तियों में एक महत्त्वपूर्ण सूचना समाविष्ट है जिसके अनुसार अकबर द्वारा झील का बनाया जाना अस्वीकार किया गया है। यदि झील को अकबर ने बनवाया होता, तो वह निर्माण से केवल दस वर्ष की अवधि के पश्चात् ही न टूट जाती। यदि यह निर्माण के पश्चात् इतनी शीघ्र टूटी ही थी, तो यह इस निष्कर्ष को प्रदर्शित करती है कि अकबर के इंजीनियर निकम्मे ही थे। फिर प्रश्न यह उठता है कि ऐसे नाकारा व्यक्ति जो फतेहपुर सीकरी में एक संपुष्ट, सुदृढ़ जल-व्यवस्था करने में बुरी तरह विफल रहे थे, उस भव्य राजमहल-संकुल का निर्माण कैसे कर सके जो आज भी सुदृढ़ावस्था में ज्यों का त्यों खड़ा है? एक और प्रश्न यह है कि यदि वे सब मुस्लिम भवन मुस्लिम बादशाह और मुस्लिम

शैली में क्यों है ? एक
जनता के लिए ही थे, तो सम्पूर्ण नगरी हिन्दू-शिल्प
अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अकबर ने इन सब उत्तरदायी व्यक्तियों के
विरुद्ध क्या कार्यवाही की जिन्होंने एक ऐसी स्थायी महत्त्व वाली झील का
निर्माण किया जिसके टूट जाने से न केवल उसके किनारे आनन्द-विहार
कर रहे अकबर के जीवन को संकट में डाला अपितु उसे उस शाही राज-
धानी को त्याग देने के लिए विवश कर दिया, जिसे अकबर ने, हमें बताया
जाता है कि अत्यन्त रुचिपूर्वक अत्यधिक लागत पर निर्मित कराया था ?
सुविस्तृत जाँच या मौखिक जाँच-पड़ताल, जिसके बाद लोगों को आम
फाँसी चढ़ाने की सजा दी गई होगी, का लेखा भी तो अभिलेखागार में
होना चाहिए यदि हमें इस कथा पर विश्वास करना है कि फतेहपुर सीकरी
में विशाल जल भण्डार (झील) संश्लिष्ट जल-व्यवस्था और भवनों के
निर्माण का आदेश देने वाला व्यक्ति अकबर ही था।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्राचीन हिन्दू-
राजधानी के राजपूत शासकों और पुरवासियों को जल और मत्स्य प्रदान
करने वाली विशाल-कृत्रिम झील अकबर से शताब्दियों पूर्व हिन्दू-कौशल
द्वारा निर्मित हुई थी।

उस झील का वर्णन करते हुए श्री ई० डब्ल्यू० स्मिथ ने लिखा है[1],
"आज हिरन मीनार के चहुँ ओर जो मैदान दीख पड़ता है, वह अकबर के
समय में एक विशाल झील थी जो लगभग दो मील चौड़ी और छः मील
या उससे भी अधिक लम्बी थी, जिससे नगर की जल-पूर्ति की जाती थी।
बाण-गंगा की धारा फतेहपुर सीकरी के उत्तर-पश्चिम में गम्भीर नदी में
मिलती है। इनके संगम के नीचे कुछ मील तक इस नदी को बाण-गंगा या
उत्तानगंगा कहते थे। किन्तु फतेहपुर सीकरी के समीप तो यह प्रायः
उत्तानगंगा के नाम से पुकारी जाती है, और यही वह नदी है जो झील की
जल आपूर्ति करती थी। जहाँ भरतपुर सड़क उत्तानगंगा से मिलती है, वहाँ
यह एक सेतु-बन्ध पर कई सेतु-स्तम्भों की सहायता से स्थित, स्थिर है।
मेहराबों के द्वार को पृथक् रखने वाले सेतु-स्तम्भ जल-अवरोधक द्वारों के

१. 'फतेहपुर सीकरी की मुगल स्थापत्यकला', खण्ड ३, पृष्ठ ३८-५६।

अवशिष्ट अंश हैं।

"राजमहलों के दक्षिण-पूर्व में जल-पूर्ति की एक और व्यवस्था थी।
नगर की जल-पूर्ति की व्यवस्था करने वाली प्रणाली को खोज निकालने में
लेखक को पर्याप्त कठिनाई का सामना करना पड़ा था और उसे युगों के
एकत्रित मलवे के नीचे छिपे हुए जल मार्गों को ढूंढ़ने और खोज निकालने
में पर्याप्त समय व्यतीत करना पड़ा था।

"नगर के निकट ही अनेक स्नानघर (हमाम) हैं। अन्य स्नानघरों
के अतिरिक्त एक तो बुलन्द दरवाजे के सामने है जिसे बादशाह का स्नाना-
गार कहा जाता है। दूसरा स्नानागार अबुल फ़ज़ल के घर के पास है,
तीसरा हिरन मीनार के समीप है और चौथा स्नानागार भी दृष्टव्य है
जिसमें अति सुन्दर कलाकृति एवं चित्रित पलस्तर-कार्य किया हुआ है।

"यदि परम्परा गलत नहीं है तो मरियम के स्नानागार की छत से एक
फुहार उसके घर पर चलती रहती थी जिससे गर्मियों में उसका घर शीतल
बना रहे।

"दीवाने-आम से नगर जाने वाले ढालुआँ मार्ग की ओर आनन्ददायक
जलाशय में एक बिलकुल अन्धेरा कमरा है, जिसमें से परम्परा के अनुसार
पहले एक रास्ता आगरा जाता था। आगरा स्थित किले में मार्ग-दर्शक अब
भी एक रास्ते के प्रवेश-द्वार की ओर संकेत करते हैं, जो कहते हैं कि
फतेहपुर सीकरी जाया करता था और अब बन्द कर दिया गया है।

"फतेहपुर सीकरी जाने वाले दर्शकों में से कोई भी इन स्नानागारों
को नहीं देखता, न ही उन लोगों को इनके अस्तित्व का कोई ज्ञान होता है,
क्योंकि चालू रास्ते से पृथक् होने के कारण मार्गदर्शक उनको कभी दिखाते
ही नहीं। वे निश्चित रूप से ही नगर के सर्वाधिक रोचक ध्वंसावशेषों में से
हैं। अभी कुछ समय पूर्व तक भी वे प्रायः अज्ञात ही रहे हैं और आगरा
जैसे निकटस्थ स्थान वाले लोग भी वहाँ जाते नहीं थे। स्थानीय लोगों
द्वारा विगत कुछ वर्षों तक उनको पशुशाला के रूप में व्यवहार में लाया
गया है। वे नमूने में इस प्रकार अनुपम, अद्वितीय हैं कि उनके भीतर संग्र-
हीत कूड़ा-करकट बाहर निकालने, दीवारों को नीचे से सहारा देने और
भली-भाँति उनकी सुरक्षा करने में व्यय किया गया धन सार्थक ही होगा।"

नगरों की जल-वितरण व्यवस्था के लिए ऐसे जल-भण्डारों के कार्य-
हेतु कृत्रिम झीलें बनवाना प्राचीन और मध्यकालीन भारत में हिन्दुओं का
नगर योजना में सामान्य अभ्यास रहा है। अलवर, उदयपुर और अजमेर
की भाँति किसी भी मध्यकालीन और प्राचीन नगर में ऐसी कृत्रिम झीलें
आज भी देखी जा सकती हैं। फतेहपुर सीकरी की झील भी हमको आज
जल-पूरित दिखाई देती यदि मुस्लिम आधिपत्य का परिणाम इसका विध्वंस
न हुआ होता। इसलिए हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं वह यह है कि
अकबर का इस झील को निर्माण करना तो दूर रहा, फतेहपुर सीकरी की
प्राचीन अपूर्व हिन्दू झील की विनष्टि के लिए अकबर का शासनकाल ही
दोषी था, मुस्लिम आक्रमणों के समय भारत जिन भव्य शिल्पकलात्मक
कलाकृतियों से भरपूर था, मुस्लिम लोग तो उनको अपवित्र, भ्रष्ट,
विनष्ट करने वाले थे, किसी भी प्रकार निर्माणकर्ता नहीं। इस प्रकार
सत्यान्वेषण के लिए भारतीय इतिहास की प्रचलित धारणाओं को बिल्कुल
जड़मूल से ही पलट कर देखने की आवश्यकता है।

फतेहपुर सीकरी में सभी स्थानों पर सुविस्तृत स्नानागारों की बहु-
लता भी इसके हिन्दू-मूलक होने का संकेतक है क्योंकि मुस्लिमों के लिए
स्नानागारों का कोई उपयोग नहीं होता।

समीपस्थ नगरी, जिसे स्मिथ ने 'नगर' कहकर सम्बोधित किया है,
एक संस्कृत नाम है तथा यह इस बात का इंगित है कि सम्पूर्ण निकटस्थ
क्षेत्र हिन्दू-शासकों द्वारा अधिशासित था।

आगरा के लाल किले से फतेहपुर सीकरी के २३ मील लम्बे मार्ग पर
कोई भू-गर्भस्थ अन्तर्मार्ग होता ही नहीं यदि अकबर ने फतेहपुर सीकरी
का निर्माण सन् १५७० में प्रारम्भ किया होता और सन् १५८५ में इसे
त्याग दिया होता। २३ मील लम्बी भूगर्भस्थ सुरंग को खोदने और पक्की
करने में अनेक दशाब्द लगेंगे। इस समय यह भी धारणा है कि अकबर ने
आगरा स्थित लाल किला भी बनवाया था, किन्तु यह भी उतनी ही निरा-
धार कल्पना है जितनी यह कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण
किया था। दोनों बहुत ही प्राचीन हिन्दू-रचनाएँ हैं जैसा कि उनको जोड़ने
वाले पृथ्वी के नीचे वाले मार्ग से स्पष्ट है। यह सिद्ध करने के लिए एक

पृथक् पुस्तक की रचना की जा सकती है कि इतिहासकारों ने आगरा स्थित
लाल किले की रचना का श्रेय अकबर को देकर भयंकर भूल की है।

श्री स्मिथ द्वारा संदर्भित अत्युत्तम स्नानागार जो नित्य प्रयोग में न आने
के कारण आज पशुशाला के रूप में काम में लाए जा रहे हैं, पुरातत्व
विभाग द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र की कुछ और अच्छी सुरक्षा किए जाने की ओर
इंगित करते हैं। हमने पहले यूरोपीय यात्रियों के जो वर्णन उद्धृत किए हैं,
उनसे स्पष्ट है कि फतेहपुर सीकरी तब से ध्वस्त नगरी है जब अकबर के
पितामह बाबर ने उस राजपूत नगरी पर अकस्मात् भयंकर धावा बोल
दिया था, उसे तहस-नहस किया था। यदि सरकारी पुरातत्व विभाग
ऊँघता ही रहे, तो कम-से-कम जनता को तो फतेहपुर सीकरी के विशाल,
सुविस्तृत ध्वंसावशेषों को स्वच्छ करने एवं सुरक्षित रखने का कार्य करना
चाहिए क्योंकि यह नगरी प्राचीन भारतीय नगर रचना-शास्त्र के कुशल
कुछ अवशिष्ट उदाहरणों में से एक है जो आक्रमणकारी मुस्लिमों के मूर्ति-
भंजन कुकर्म से बच पाए हैं।

प्राचीन फतेहपुर सीकरी की जल-व्यवस्था का सविस्तार वर्णन करते
हुए एक अन्य लेखक श्री हुसैन ने लिखा है, "खारी नदी का जल अवरुद्ध
किया गया था, और इस प्रकार निर्मित बाँध से पहाड़ी पर निर्मित राज-
महलों, सम्पूर्ण बस्ती तथा सिंचाई की नहरों में भी जल वितरित किया
जाता था। उनके चिह्न अब भी विद्यमान हैं। वह कृत्रिम महान् झील लग-
भग छः मील लम्बी और दो मील चौड़ी थी। (यह अब शुष्क है)।"[1]

यह तथ्य भी, कि इस झील से हिन्दू कृषकों के निकटवर्ती क्षेत्रों को
सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती थी, इस बात का एक अन्य संकेतक है कि
इस झील को देश के सपूतों ने ही प्राचीनकाल में बनवाया था, न कि उन
आक्रमणकारियों ने जो इस देश को लूटने-खसोटने आए थे।

श्री हुसैन ने आगे लिखा है, "सड़क की उत्तर दिशा में एक बड़ी
बावली (सीढ़ियों वाला कुआँ जिसमें सीढ़ियाँ जल तक जाती हैं) है। इस
कूप का व्यास लगभग २२ फीट ६ इंच है, और इसे कमरों से घिरे हुए एक

१. 'फतेहपुर सीकरी की मार्गदर्शिका', पृष्ठ ४५।

अष्ट-कोणात्मक निर्माण से सुरक्षित रखा हुआ है।"

विशाल कूपों का निर्माण करना, इसके चारों ओर बहु-मंजिले कक्ष बनवाना और जल तक जाने वाली सीढ़ियाँ लगवाना एक सामान्य हिन्दू पद्धति है।

श्री हुसैन कहते हैं: "जल को ऊपर उठाने वाला यन्त्र एक पार्श्व-कक्ष में रखा गया था जहाँ तक एक चक्र की धुरी को सहारा देने वाली विशालाकार प्रस्तर-धरनियाँ अब भी देखी जा सकती हैं। कूप के दक्षिण में एक कृत्रिम जलमार्ग है जिसके द्वारा सड़क के किनारे एक जलाशय में जल एकत्र किया जाता था; जिसके दोनों ओर गुम्बद-युक्त कमरे थे। इस जलाशय से इस जल को फिर से हाथीपोल(हाथी द्वार) के निकट एक अन्य कूप या तालाब में जमा किया जाता था और वहाँ से वह जल द्वार की पूर्वीय दिशा में बने हुए कुएँ के नीचे एक विशाल तालाब में स्रोतों के माध्यम से जाता है। इसे हाथीपोल के भीतर मठ-विहार की छतों पर स्रोतों के माध्यम से ऊपर उठाया जाता था। वे स्रोत आज भी परिलक्षित होते हैं तथा मेहराबदार तोरण द्वार के निकट एक भवन में किन्हीं जलाशयों में गिरते हैं। यहाँ से जल को द्वार के शीर्ष भाग तक ऊपर उठाया जाता था व फिर विभिन्न भवनों में स्रोतों के माध्यम से वितरित किया जाता था, जिनमें से कुछ अब भी विद्यमान हैं। ऊपर समझाये गये निर्गम-मार्ग से नगर के इस ओर वाले भवनों को जल वितरित किया जाता था किन्तु द्वार के शीर्ष भाग से सुविस्तृत एक अन्य निर्गम-मार्ग था जो जोधाबाई के महल को हिरन-मीनार से जोड़ने वाले अवरुद्ध सेतुबन्ध के नीचे बीरबल के महल से मरयम के घर जाने वाले मार्ग की उत्तर दिशा में एक कमरे के सामने वाले तालाब में जाता था। वहाँ से इसे मरयम स्नानागार में ले जाया गया था और उसकी उत्तर दिशा से अनूप तालाब में बहता था। इस तालाब के उत्तर में एक बाढ़ थी जो पच्चीसी के फलक के पूर्व-भाग के साथ-साथ तुर्की-सुल्ताना के घर को बालिका-विद्यालय से जोड़ने वाले ढके मार्ग के नीचे से जाती थी। यह दीवाने-खास के परे और उत्तर के मठ-विहार के नीचे जाती थी और दूरी को एक विशाल तालाब में समाप्त हो जाती थी। यह तालाब नगर-ग्राम जाने वाली सड़क के पास

मेहराबों पर बना हुआ है। एक और जल-संभरण था, तथा इससे सम्बन्धित एक बहुत बड़ा जलाशय और कूप अब भी हकीम के स्नानागार को जाने वाली ढालुआँ सड़क के निकट देखे जा सकते हैं।"

उपर्युक्त उद्धरण पाठक के यह विचार प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है कि एक सरसरे सर्वेक्षण पर भी सिद्ध हो जाता है कि फतेहपुर सीकरी में अनेक कूप, फव्वारे, तालाब, एक विशाल झील, जल ऊपर पहुँचाने वाले जटिल यन्त्र, स्रोत और कृत्रिम जल-मार्ग विद्यमान थे।

यह कथन कि अकबर इस सबको तथा एक पूरी नगरी को केवल १५ वर्ष की अवधि में बना सकता था, व साथ-साथ वहीं पर रह भी सकता था, और फिर इसका निर्माण पूरा होते ही इसका त्याग भी कर सकता था एक शैक्षिक-स्वाँग अथवा कल्पना-प्रतीत होता है।

मध्यकालीन मुस्लिम शासनकाल षड्यन्त्रों, मलिनताओं, मद्यपानों, रात्रि-उत्सवों, हत्या-कुचक्रों तथा नर-संहारक राग-रंगों के अड्डे थे। सभी शिक्षा पूर्णत: अवरुद्ध हो गई थी। सिंचाई से लेकर शिल्प-कला तक के सभी प्रकार के दावे करने के लिए किसी भी समुदाय का सामान्य शिक्षा का, न कि बर्बरता और मद्यपान का, विशालाधार होना चाहिए। कोई शिक्षा या कौशल अव्यवस्था और बुराइयों में पनप नहीं सकते। इससे यह भी सिद्ध होना चाहिए कि सभी विशाल दुर्ग और भवन, जो मकबरों और मस्जिदों में परिवर्तित हो गये हैं, मुस्लिम आक्रमणों से पूर्व किसी काल के हैं।

आगरा स्थित ताजमहल भी, जिसे भूल से मकबरा विश्वास किया जाता है, इसके प्राचीन हिन्दू-निर्माताओं द्वारा एक सुविस्तृत जल-व्यवस्था और जल-वितरण प्रणाली से युक्त है। इसके प्राचीन जल-स्रोत अभी भी इसके लाल पत्थर के प्रांगण के नीचे देखे जा सकते हैं।[1]

१. 'ताजमहल हिन्दू मन्दिर है'।

१६

अबुल फ़ज़ल का साक्ष्य

अकबर का एक दरबारी था जिसको अबुल फ़ज़ल के नाम से पुकारा जाता था। यह अबुल फ़ज़ल 'आइने-अकबरी' नामक एक बृहद्-ग्रन्थ की रचना कर गया है जिसे अकबर के शासनकाल का एक विशद् वर्णन घोषित करके प्रतीति कराई जाती है। किन्तु अबुल फ़ज़ल को लगभग सभी लोगों ने 'निर्लज्ज चाटुकार' की संज्ञा से अलंकृत किया है क्योंकि उसका तिथि-वृत्त अकबर की शाही संरक्षणता में तथ्य-गोपन और मिथ्या-सुझाव का अति विशाल प्रयास माना गया है।

अबुल फ़ज़ल का यह मूल्य-निर्धारण उसके द्वारा लिखित फतेहपुर सीकरी सम्बन्धी विवरण से स्पष्टत: पुष्ट है, सिद्ध होता है। यद्यपि अकबर अपने पितामह द्वारा विजित एक अति प्राचीन हिन्दू राजकीय नगरी में ही निवास कर रहा था, किन्तु यह संशयात्मक सुझाव देने के प्रयास में कि अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी नगरी की स्थापना की थी, अबुल फ़ज़ल ने संदिग्ध शब्दावली का प्रयोग किया है।

श्री हुसैन ने लिखा है[1]: "अबुल फ़ज़ल ने 'आइने-अकबरी' नामक अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ में अकबरकालीन फतेहपुर सीकरी पर कुछ प्रकाश डाला है और बादशाह द्वारा संरक्षित कुछ भवनों आदि का उल्लेख किया है। इतिहास लेखक (अबुल फ़ज़ल) का कहना है कि 'फतेहपुर सीकरी एक ग्राम था जो बियाना के परतन्त्र राज्यों में से एक था तथा उस समय सीकरी कहलाता था। जहाँपनाह बादशाह (अकबर) के राज्यारोहण के

१ 'फतेहपुर सीकरी की मार्गदर्शिका', पृष्ठ १।

पश्चात् यह सर्वाधिक महत्त्व का नगर हो गया। एक पक्की चिनाई का दुर्ग बनाया गया था और इसके द्वार पर पत्थर के बने हुए दो गजराज आश्चर्य उत्पन्न कर देते हैं। कई श्रेष्ठ भवन भी पूर्ण हो गए और यद्यपि शाही राजमहल तथा अनेक सरदारों के भवन पहाड़ी की उच्चतम श्रेणी पर हैं तथापि मैदान उसी प्रकार असंख्य उद्यानों एवं भवनों से युक्त है। जहाँपनाह बादशाह के आदेश से एक मस्जिद, एक महा-विद्यालय और एक धार्मिक-गृह भी पहाड़ी पर बनाए गए थे। उन स्थानों के समान अन्य स्थानों के नाम कोई यात्री नहीं बता सकता। पास ही एक बड़ा तालाब है जो परिधि में १२ कराह है, और इसके किनारे जहाँपनाह बादशाह सलामत ने एक विशाल प्रांगण, एक मीनार व चौगान खेलने (पोलो) के लिए स्थान का भी निर्माण किया था। वहाँ हाथियों की लड़ाई भी दिखाई जाती थी। निकट ही लाल पत्थरों का एक आश्मिकगर्त है जहाँ से सभी आकारों, प्रकारों के स्तम्भ व टुकड़े खोदकर निकाले जा सकते हैं। इन दोनों (अर्थात् आगरा और फतेहपुर सीकरी) नगरों में, जहाँपनाह बादशाह सलामत की संरक्षणता में कालीन, गलीचा, दरी तथा अन्य उत्तम वस्त्र बुने जाते हैं और असंख्य हस्तशिल्पज्ञ व्यक्तियों को पूरा काम-धन्धा मिला हुआ है।"

यदि यही वह सम्पूर्ण विवरण है जो उस महान् शाही राजधानी के सम्बन्ध में छोड़ा गया है जो उस शीर्षस्थ इतिहासकार के स्वामी द्वारा निर्मित की गई कही जाती है जिसे अकबर के शासनकाल के सुविस्तृत वर्णन-लेखनकार्य के अतिरिक्त जीवन-भर और कुछ कार्य था ही नहीं, तो इससे तो हमें कुछ भी लाभ नहीं होता। युवा प्रेमियों की गूँज के समान ही अबुल फजल की लेखनी भी निरर्थक रही है।

जब अबुल फजल कहता है कि अकबर के राज्यारूढ़ होने के कारण (फतेहपुर) सीकरी ग्राम नगर के महत्त्व को प्राप्त हो गया, तब वह हमारे इस निष्कर्ष को पूर्णत: समर्थित करता है कि बाबर के अकस्मात् धावा करने वाले सैनिकों द्वारा ध्वस्त तथा एक नगण्य मुस्लिम बादशाह द्वारा यदा-कदा शासित फतेहपुर सीकरी एक ग्राम की अकिंचनावस्था को प्राप्त हो गया था। जब अकबर गद्दी पर बैठ गया, तब उसने अपने संरक्षक

होकर फतेहपुर बहराम खाँ से सम्बन्ध अति कटु हो जाने पर भयातंकित होकर फतेहपुर
बहराम खाँ से सम्बन्ध अति कटु हो जाने पर उपयोग में लिया। वह अपनी
सीकरी को दूसरी राजधानी के रूप में उपयोग में लिया। वह अपनी
पत्नियों को वहीं रखता था। अकबर स्वयं भी विभिन्न अवसरों पर वहाँ
जाया करता था और ठहरा करता था। इस प्रकार जब उसका पिता
हुमायूँ भारत से बाहर निर्वासित अवस्था में इधर-उधर भागता फिर रहा
था, तब सन् १५४० ई० से सन् १५५५ ई० की दीर्घावधि में उपेक्षित रहा
फतेहपुर सीकरी नगर, उस समय फिर समृद्धि को प्राप्त हुआ जब अकबर
ने उसको अपनी शाही सरकार की वैकल्पिक राजधानी के रूप में उपयोग
में लेना प्रारम्भ कर दिया। अबुल फजल का यथार्थ प्रयोजन, अभिप्राय यही
है। अन्यथा, अकबर के राज्यारूढ़ होते ही, एक ही रात में, एक ग्राम एक
प्रथम श्रेणी के नगर के स्तर को किस प्रकार प्राप्त हो गया? इस प्रकार
अबुल फजल की धूर्त-लेखनी से भी पुष्ट है कि फतेहपुर सीकरी में शाही
और सामान्य लोगों के निवास-गृह थे जिनमें से हिन्दुओं को खदेड़ बाहर
किया गया था, और जिनमें बहुत मुस्लिम नहीं रहते थे क्योंकि उस समय
वे संख्या में कम ही थे, तथा सन् १५४० ई० से १५५६ ई० के मध्य वहाँ
किसी भी मुगल-सम्राट् का दरबार नहीं रहा।

जब अबुल फजल कहता है कि 'पक्की चिनाई का दुर्ग बनाया गया था'
तब वह यह नहीं बताता कि इसे किसने बनवाया था। असुविधाजनक
विवरणों को इस प्रकार दृष्टि से ओझल करने-कराने का उसका यह अपना
ढंग है। अबुल फजल ने लिखा है कि "द्वार पर पत्थर के बने हुए दो
गजराज आश्चर्य उत्पन्न कर देते हैं।" इस वाक्य में उसने स्पष्टत: वह
मुस्लिम आश्चर्य व्यक्त किया है जो इस हिन्दू नगरी को अपने अधिकार
में लेने के लिए सर्वप्रथम आए अकबर के मुस्लिम-परिचरों को हुआ था।
चूँकि इस्लाम द्वारा किसी भी प्रकार का मूर्ति-निर्माण निषिद्ध है, अत: एक
मुस्लिम बादशाह के लिए मुस्लिमों द्वारा ही निर्मित नगर के द्वार पर कभी
भी हाथियों की प्रतिमाएँ नहीं हो सकती हैं। इतना ही नहीं, किसी शिल्प-
कार या रूप-रेखांकनकार का भी उल्लेख नहीं है। आरम्भ करने और पूर्ण
होने की तारीखों का भी उल्लेख नहीं है। यह भी उल्लेख नहीं किया गया
है कि कब और कैसे असंख्य उद्यान, भवन, कूप, और जलकलगृहों का

निर्माण हुआ था तथा किसने, कितना धन व किसके लिए भुगतान किया
था। किसने भूमि का सर्वेक्षण किया था, इसे कैसे अधिग्रहीत किया था,
किससे लिया था, इसका आवंटन कैसे किया था और कितनी कीमत थी,
यह कुछ भी नहीं कहा गया है। यह भी नहीं बताया गया है कि वह विशाल
झील कैसे बनी थी। अबुल फजल का यह अस्पष्ट कथन कि "जहाँपनाह
बादशाह के आदेश से एक मस्जिद, एक महाविद्यालय और एक धार्मिकगृह
भी पहाड़ी पर बनाए गए थे। उन स्थानों के समान अन्य स्थानों के नाम
कोई यात्री नहीं बता सकता।"—हमें उस पाठशाला-छात्र का स्मरण
दिलाता है जिसे परीक्षा प्रश्न-पत्र में आल्पस-पर्वतों की दृश्यावली की भव्यता
पर लेख लिखने को कहा गया था और जिसने अबुल फजल के समान ही
एक संक्षिप्त व आकस्मिक पंक्ति में उत्तर देकर समाप्त कर दिया था कि
'आल्पस-पर्वतों की दृश्यावली की भव्यता अवर्णनीय है'। अबुल फजल भी
उन तथाकथित 'मस्जिद, महाविद्यालय और धार्मिक-गृह' को अद्वितीय,
अनुपम कहता है क्योंकि मुस्लिम उपयोग के लिए अपहृत हिन्दू भवन
मुस्लिम पर्यवेक्षकों को तो विचित्र, अद्भुत प्रतीत होने अवश्यम्भावी थे
ही। इस प्रकार, अबुल फजल की यह पर्यवेक्षण भी एक पूर्वकालिक हिन्दू
राजमहल-संकुल की विद्यमानता का संकेतक है। अबुल फजल का महा-
विद्यालय के सम्बन्ध में पर्यवेक्षणात्मक सन्दर्भ उस विश्वविद्यालय के बारे
में कोई प्रकाश नहीं डालता जिससे यह महाविद्यालय सम्बन्धित था अथवा
उन पाठशालाओं का भी बोध नहीं कराता जिनसे उत्तीर्ण होकर छात्र
फतेहपुरी सीकरी महाविद्यालय में प्रवेश लेते थे। वह इसकी स्पष्ट व्याख्या
करने में भी विफल रहा है कि वह मस्जिद उन 'धार्मिक-गृह' से किस प्रकार
भिन्न थी।

'पहाड़ी पर बनाए गए थे' वाक्यांश यह नहीं बताता कि किसके द्वारा
बनाए गए थे। इतना ही नहीं, मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्तों में प्रयुक्त
भ्रामक और अस्पष्ट शब्दावली का अनुवाद करते समय अंग्रेजी अनुवादकों
ने 'बनाए गए' के अर्थद्योतक अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करके भयंकर भूलें की
हैं। जब मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्ति एक मस्जिद या नगरी की 'नींव
डाली' शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब उनका वास्तविक भाव यह होता है

कि मुस्लिम-उपयोग के लिए एक हिन्दू भवन अथवा नगरी को बलात्-ग्रहीत कर लिया गया था।

हम एक पहले अध्याय में यह भी प्रदर्शित कर चुके हैं कि किस प्रकार 'अलंकृत किया' शब्दों को गलती से 'निर्माण किया' अनुवाद किया गया है जब कि उसका वास्तविक अर्थ केवल 'सुशोभित किया' है। इससे मुस्लिम तिथिवृत्तों के पुनर्मूल्य-निर्धारण की आवश्यकता स्पष्ट द्रष्टव्य है। अभी तक, उन ग्रन्थों से निष्पन्न निष्कर्ष सत्य से बहुत दूर हैं।

अबुल फजल ने हिरन मीनार का सन्दर्भ प्रस्तुत करते समय कहीं भी यह नहीं कहा है कि मीनार किसी प्रिय हिरण या हाथी के मरण-स्थल की द्योतक है। यह दर्शाता है कि परवर्ती इतिहास लेखकों ने किस प्रकार उन मध्यकालीन भवनों के सम्बन्ध में काल्पनिक स्पष्टीकरणों को जोड़ दिया है जिनके बारे में उनके पास कोई यथातथ्य सूत्र उपलब्ध नहीं है।

अबुल फजल द्वारा समीप ही आश्मिक-गर्त का जो उल्लेख किया गया है, उसका स्वतः अर्थ यह है कि जब दीर्घावधि तक उपेक्षित विजित हिन्दू फतेहपुर सीकरी नगरी को अकबर के आधिपत्य के लिए तैयार करना पड़ा था, तब मरम्मत-कार्य के लिए पत्थरों को निकट के आश्मिक-गर्त से लाया गया था। उसका आगरा और फतेहपुर सीकरी को समान बतानेवाला सन्दर्भ सिद्ध करता है कि आगरा के समान ही फतेहपुर सीकरी भी कम से कम २,००० वर्ष पुराना नगर होना चाहिए। इस निष्कर्ष का पूरा समर्थन अबुल फजल की अगली उस टिप्पणी से होता है कि इन दोनों ही नगरों में कालीन-गलीचे-दरी बनाने वाले तथा अन्य शिल्पकार बस चुके थे। ऐसे व्यापारी किसी भी नगर के मूल निवासी सैकड़ों और हजारों वर्षों की अटूट परम्परा के पश्चात् ही बन पाते हैं, न कि रातों-रात। यह तथ्य, कि फतेहपुर सीकरी में ऐसे आनुवंशिक व्यापारीगण थे, सिद्ध करता है कि यह नगर अकबर से शताब्दियों पूर्व ही संस्थापित हो चुका था। इस प्रकार, हम अबुल फजल द्वारा फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में छोड़े गए अस्पष्ट और अपूर्ण सन्दर्भों की सूक्ष्म समीक्षा पर भी इसी बात पर पहुँचते हैं कि उसके प्रत्येक वाक्य से यही निष्कर्ष टपकता है कि अकबर ने एक पूर्व-कालिक हिन्दू नगरी को ही अपने अधिकार में कर लिया था।

हम अब फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में अबुल फजल के 'आइने-अकबरी' नामक ग्रन्थ से ही सन्दर्भ प्रस्तुत करेंगे—

१. "लाहौर, आगरा, फतेहपुर, अहमदाबाद और सूरत स्थित शाही कारखानों में कारीगरी की उत्कृष्ट कलाकृतियाँ निर्मित होती हैं।"[1]

उपर्युक्त टिप्पणी सिद्ध करती है कि स्वयं अबुल फजल के समय में भी फतेहपुर सीकरी को उतना ही प्राचीन नगर समझा जाता था जितना प्राचीन उसी के साथ उल्लेख किए गए अन्य नगरों को समझा जाता था।

२. "सभी प्रकार के कालीन-गलीचे-दरी बुनने वाले यहाँ बस गए हैं और खूब व्यापार कर रहे हैं…ये लोग सभी नगरों में विशेषकर आगरा, फतेहपुर और लाहौर में पाए जाते हैं।"[2]

३. "मुलतान के परम विद्वान् मौलाना जलालुद्दीन को आगरा से (फतेहपुर सीकरी के लिए) आदेश दिया गया था और उसे वहाँ के शासन का काजी नियुक्त किया गया था।"[3]

४. "अहमदाबाद विजयोपरान्त, १७वें वर्ष में, अकबर दो-सफर, ९८१ को फतेहपुर सीकरी लौट आया।"[4]

चूँकि अकबर का शासनकाल सन् १५५६ से प्रारम्भ हुआ, इसलिए उसके १७वें वर्ष से हमें सन् १५७३ ई० का वर्ष उपलब्ध होता है। यदि अकबर सन् १५७३ ई० में फतेहपुर सीकरी को लौट आया था, तो अर्थ यह है कि वह अपने साथियों, अनुचरों आदि के साथ वहाँ पहले ही बस चुका था। वहाँ सन् १५७३ ई० से पूर्व बस ही नहीं सकता था यदि सीकरी बनी-बनायी, बसी-बसायी नगरी न होती। यह स्वतः सिद्ध करता है कि यह परम्परागत विश्वास निराधार है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी।

यदि अकबर ने सचमुच ही फतेहपुर सीकरी की संस्थापना की होती,

१. ब्लोचमन का अनुवाद, पृष्ठ ९३।
२. वही, पृष्ठ ५७।
३. वही, पृष्ठ १३३-१३४।
४. वही, पृष्ठ ३४३।